रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082021-229175
CG-DL-E-20082021-229175

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2021/श्रावण 28, 1943
No. 349] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 2021/SHRAVANA 28, 1943

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2021

फा. सं. ए बी -28060/4/2018-एस डी आई टी (ई आर)-नाविमं.— राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (2013 का 26) की धारा 28 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन के कुलपति केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.** — (1) इन अध्यादेशों का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये संविदा, दैनिक मजदूरी, तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों और ऐसे अन्य कर्मचारी जिन्हें कार्यकारी परिषद् द्वारा विशेषज्ञ से छूट की गई है के सिवाय विश्विद्यालय के कर्मचारी पर लागू होगा।

2. **परिभाषा** :- जब तक संदर्भ से अथवा अपेक्षित न हो इस अध्यादेश में,---

(क) "अधिनियम" से राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (2013 का 26) अभिप्रेत है;

(ख) "उपाबंध" से इन अध्यादेशों के साथ संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है;

(ग) "अपील प्राधिकारी" से अध्यादेश 106 के खंड (2) उपखंड (i) के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "नियुक्ति प्राधिकारी" से काडर में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसमें अध्यादेश 7 में तत्समय सम्मिलित कर्मचारी भी हैं;

(ङ) "छुट्टी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी" से उपाबंध II में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "औसत वेतन" से वह औसत मासिक वेतन अभिप्रेत है जो आवश्यकता उत्पन्न होने के उस माह, जिस माह में औसत वेतन के आकलन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है, से तत्काल पूर्ववर्ती दस पूर्ण माह के दौरान अर्जित किया गया है;

(छ) "काडर" से अलग यूनिट के रूप में स्वीकृत सेवा सामर्थ्य या सेवा भाग अभिप्रेत है;

(ज) "समिति" से विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा इसे प्रत्यायोजित किसी भी विषय से निपटने के लिए, इसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती पुष्टि के अध्यधीन, गठित किया गया निकाय अभिप्रेत है;

(झ) "सक्षम प्राधिकारी" से इस प्रकार गठित विश्वविद्यालय का कोई भी ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो अकादमिक विषयों से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम हो;

(ञ) "सेवा के पूर्ण वर्ष" अथवा "एक वर्ष की निरंतर सेवा" से विश्वविद्यालय के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की निरंतर सेवा अभिप्रेत है और जिसमें असाधारण छुट्टी सहित छुट्टी के साथ में ड्यूटी के दौरान व्यतीत की गई अवधि शामिल है;

(ट) "अनुशासन प्राधिकरण" से अध्यादेश 106 के खंड (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी दंड को अधिरोपित करने के लिए इन अध्यादेशों के अधीन सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ठ) "विदेशी सेवा" से वह सेवा अभिप्रेत है जिसमें कोई कर्मचारी विश्वविद्यालय की निधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से विश्वविद्यालय की स्वीकृति से अपना वेतन प्राप्त करता है;

(ड) "मानदेय" से किसी कर्मचारी को विश्वविद्यालय की निधियों में से यदा कदा किए जाने वाला या आंतरायिक प्रकृति विशेष कार्य के लिए परिश्रामिक के स्वरूप में आवर्ती या अनावर्ती रूप में किया जाने वाला भुगतान अभिप्रेत है;

(ढ) "धारणाधिकार" से किसी कर्मचारी का वह पदनाम अभिप्रेत है, जिसे वह तत्काल रूप से अथवा अनुपस्थिति की किसी अवधि अथवा अवधियों की समाप्ति के पश्चात नियमित आधार पर धारित कर सकता हो तथा ऐसे पद में धृति पद भी शामिल होंगे जिन पर उसकी नियमित आधार पर नियुक्ति हुई हो तथा जिन पर परिवीक्षाधीन न हो:

परन्तु ग्रेड में उपलब्ध पदों से अधिक संख्या में व्यक्तियों की पात्रता होने की स्थिति में, नियमित पदनाम धारण के लिए ग्रेड के सबसे कनिष्ठ व्यक्ति को निचले ग्रेड में वापस स्थापित करने की शर्त पर होगा;

(ण) किसी कर्मचारी के संबंध में "परिवार के सदस्यों" में निम्नलिखित शामिल होंगे:–

(i) कर्मचारी की/का पत्नी या पति, जैसा भी मामला हो, जो कर्मचारी के साथ निवास कर रही/रहा हो अथवा नहीं, परन्तु इसमें ऐसी/ऐसे पत्नी अथवा पति शामिल नहीं होंगे, जैसा की मामला हो जो सक्षम न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश द्वारा कर्मचारी से पृथक हो गए हों;

(ii) कर्मचारी पर पूर्णत: आश्रित पुत्र अथवा पुत्री अथवा सौतेला पुत्र अथवा सौतेली पुत्री, परन्तु इसमें ऐसे बच्चे अथवा सौतेले बच्चे शामिल नहीं होंगे जो किसी भी प्रकार से कर्मचारी पर आश्रित नहीं हैं अथवा जिनकी अभिरक्षा से कर्मचारी को वंचित किया गया है अथवा किसी कानून के अंतर्गत वंचित किया गया है;

(iii) कर्मचारी अथवा कर्मचारी की पत्नी अथवा पति के साथ रक्त अथवा विवाह के माध्यम से संबद्ध अन्य कोई व्यक्ति तथा जो कर्मचारी पर पूर्णत: आश्रित हो;

(त) "सहमति पत्र" से दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच का करार अभिप्रेत है, जिसमें एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामान्य कार्रवाई होती है;

(थ) "माह" से कैलेंडर माह अभिप्रेत है तथा माह और दिनों में व्यक्त किसी अवधि के आकलन के उद्देश्य से पहले पूर्ण कैलेंडर माह, प्रत्येक माह में दिनों की संख्या को विचार में लिए बिना, का आकलन किया जाएगा तथा इसके पश्चात दिनों की विषय संख्या का आकलन किया जाएगा;

(द) "छानबीन समिति" से विश्वविद्यालय के प्राधिकरण द्वारा गठित निकाय अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय में रिक्त पद के लिए रोजगार के लिए प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करता है, जिसके लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं;

(ध) "चयन समिति" से वह समिति अभिप्रेत है जो संबंधित भर्ती नियमों में विहित की गयी है और जिसमें विभागीय चयन समिति के सदस्य शामिल है।

(न) "संविधि" से राजीव गाँधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (2013 का 26) के अधीन बनी विश्वविद्यालय की संविधि अभिप्रेत हैं;

(प) "छात्र" से, कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के किसी भी स्कूल या विभाग में अध्ययन के लिए भर्ती या रजस्ट्रीकृत हो अभिप्रेत है;

(फ) "मूल वेतन" से विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन या किसी भी अन्य वेतन के रूप में वर्गीकृत वेतन, जिसके लिए कर्मचारी उस पद के लिए हकदार है, जिसके लिए उसे उचित रूप से या किसी कैडर में उसकी मूल स्थिति के कारण नियुक्त किया हो अभिप्रेत है;

(ब) "समय वेतनमान" से वह वेतन अभिप्रेत है, जो समय-समय पर वेतन वृद्धि के कारण न्यूनतम से अधिकतम तक बढ़ जाता है।

अध्याय I

अध्यापकों और गैर-अध्यापन कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें

भाग 1

सेवा शर्तें

3. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतनमान, अनुसूची । और अनुसूची ।। के स्तंभ (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

4. उपयुक्तता - (1) बारह महीने से अधिक समय के लिए सीधी भर्ती द्वारा शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी या प्रयोजन के लिए अधिकृत किसी भी अन्य चिकित्सा अधिकारी और स्तर के स्तर पर वेतन में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के अधीन होगी और वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 और ऊपर के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को एक मेडिकल बोर्ड से फिटनेस का प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता होगी।

(2) अंशकालिक आधार पर नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी इसी प्रकार तथा पूर्णकालिक कर्मचारियों के लिए लागू शर्तों के अनुसार चिकित्सा उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) किसी भी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी की किसी पद पर नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके अच्छे चरित्र एवं पूर्ववृत्त के प्रति संतुष्ट होने तक नहीं की जाएगी तथा विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रत्येक कर्मचारी से अपने पहचान प्रमाण पत्रों के साथ विनिर्दिष्ट प्रारूप में साक्ष्यांकन फार्म प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी तथा उसकी नियुक्ति जिला प्राधिकरण से उसके चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन होने की शर्त पर होगी:

परंतु यह ऐसे शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारी के संबंध में लागू नहीं होगा जिसके चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन किसी सरकारी विभाग / संगठन के अध्याधीन उसकी पूर्व सेवा के दौरान पहले ही किया जा चुका है तथा इसकी एक प्रति उसके पूर्व नियोक्ता से प्राप्त की जाएगी तथा इसे उसके सेवा रिकार्ड में रखा जाएगा।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता और इससे संबंधित अन्य मामले अनुसूची I और अनुसूची II के स्तंभ (4) से (12) में निर्दिष्ट किए जाएंगे।

6. निरर्हता – कोई भी ऐसा शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसे नैतिक अपराध से संबंधित किसी अपराध के लिए अदालत में दोषी ठहराया गया है।

7. अध्यापक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति पद के लिए कार्यकारी परिषद् या प्राधिकारी द्वारा की जाएगी जो अध्यादेश 106 के खंड (2) के अनुसार नियुक्ति करने के लिए सक्षम है।

8. व्यावृत्ति - इन अध्यादेशों में कुछ भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रदान करने के लिए आवश्यक आरक्षण और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा, जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार होते हैं।

9. सेवा प्रारम्भ– सेवा उस कार्य दिवस से प्रारम्भ मानी जाएगी जिस दिन कोई कर्मचारी अपनी नियुक्ति के तहत पूर्वाह्न काल में कार्य के रिपोर्ट करता है तथा उसके द्वारा अपराह्न काल में कार्य पर रिपोर्ट करने की स्थिति में कार्य पर अगले दिन रिपोर्ट किया जाना माना जाएगा।

10. सेवा से बर्खास्त, हटाए गए अथवा कटौती किए गए कर्मचारियों के स्थान पर नियुक्ति – किसी कर्मचारी को किसी कैडर की किसी सेवा में से बर्खास्त किए जाने, हटाए जाने अथवा कटौती किए जाने की स्थिति में ऐसे कैडर की सेवा में इसके कारण अथवा इससे उत्पन्न रिक्ति को पूर्व विचार के साथ तभी भरा जा सकेगा जब अपनी बर्खास्तगी , हटाए जाने अथवा कटौती किए जाने के संबंध में ऐसे कर्मचारी द्वारा की गई अपील, यदि कोई हो, का निर्णय हो जाए तथा ऐसे निर्णय की पुष्टि हो जाए अथवा अपील किए जाने की अनुमत अवधि कालातीत हो जाए, जैसा भी मामला हो।

11. सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात सेवा में पुन:नियोजन – इन अध्यादेशों में किए गए किसी उल्लेख का आशय विश्वविद्यालय में ऐसे व्यक्तियों को संविदा आधार पर पुन:-रोजगार देने के प्रति कार्यकारी परिषद् की शक्ति को सीमित अथवा प्रतिबंधित करना नहीं है, जो कार्यकारी परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट सेवानिवृत्ति की तारीख प्राप्त कर चुके हैं, परंतु –

क) ऐसा पुन:नियोजन विश्वविद्यालय के हित में प्रमाणित हो;

ख) अन्य विशेष परिस्थितियों में जो अभिलिखित की गई हों और कुलपति की स्वीकृति से किया गया हो।

12. शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कार्य से अनुपस्थिति— छुट्टी अथवा विदेश सेवा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा किसी अन्य कारण से तथा सेवा में उसके कैडर के पद से, जिससे संबंधित उसका ग्रहणाधिकार निलम्बित हुआ अथवा निलम्बित न हुआ हो,उसके अन्यथा योग्य होने की स्थिति में,शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी को विश्वविद्यालय की सेवा से उसकी अनुपस्थिति के पश्चात वापसी पर सेवा में स्वीकृति के प्रति अयोग्य नहीं करेगा —

क) स्थायी अथवा स्थानापन्न रिक्ति पर पुन:नियुक्ति के लिए कैडर अथवा किसी ऐसे पद, जिस पर वह परिवीक्षाधीन है;

ख) सेवा के किसी निचले वर्ग से उच्च वर्ग में प्रोन्नति के लिए, जैसा भी मामला हो, उसकी पात्रता उसी प्रकार होगी जो उसके छुट्टी पर न होने की स्थिति में होती और नियुक्ति, वरिष्ठता, परिवीक्षा तथा पुष्टि से संबंधित लाभ उसे उसी स्वरूप में प्रदान किए जाने हैं जो उसे उसकी छुट्टी से अनुपस्थिति न होने की स्थिति में प्राप्त होते तथा जो अनुपस्थिति की स्थिति में वापसी पर उसके द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि का संतोषजनक निष्पादन किए जाने की शर्त पर होगा।

भाग 2

कार्यावधि, परिवीक्षा तथा पुष्टि

13. इन अध्यादेशों के प्रवर्तन के पश्चात विश्वविद्यालय के अध्याधीन किसी पद पर स्थायी रूप से, प्रोन्नति अथवा प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से, नियुक्त प्रत्येक शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी वैयक्तिक मामले में परिवीक्षा की अवधि अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए विस्तारित न किए जाने, जिसके कारण लिखित में अभिलिखित किए जाने हैं, की स्थिति में ऐसे पद पर एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन होगा।

14. जहां विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक पद के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त कोई शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी, अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान, उस पद को धारण करने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है या अपनी परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं करता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी.–

क) प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामले में उसे उस नियुक्ति से तुरंत पहले उसके द्वारा धारित पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है;

ख) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामले में बिना किसी सूचना के विश्वविद्यालय के तहत उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है; और

ग) अध्यादेश 13 में निर्दिष्ट अनुसार आवश्यक समयावधि के लिए उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।

15. विश्वविद्यालय में प्रोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा स्थायी पद के लिए नियुक्त प्रत्येक शिक्षक और गैर-शिक्षण व्यक्ति, अपनी परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद, उस पद पर स्थायीकरण के लिए पात्र हो जाएगा/जाएगी।

16. किसी भी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी को किसी भी पद पर तब तक स्थायी नहीं किया जाएगा -

क) जब तक ऐसा पद स्थायी नहीं है और कोई भी अन्य पद पर धारणाधिकार नहीं रखता है;

ख) जब तक विश्वविद्यालय में कर्मचारी की सेवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं है;

ग) जब तक कर्मचारी के चरित्र और पूर्ववृत्त के बारे में सत्यापन रिपोर्ट जिला प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं हो जाती है;

घ) जब तक कर्मचारी द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा नहीं कर दिया जाता है।

17. वरिष्ठता.- किसी विशेष ग्रेड में किसी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी की वरिष्ठता केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामान्य सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

18. अस्थायी और स्थायी सेवा — (क) एक कर्मचारी विश्वविद्यालय का अस्थायी कर्मचारी होगा, जब तक कि विश्वविद्यालय के अधीन परिवीक्षा के सफल समापन पर स्थायी पद में उसकी पुष्टिकरण नहीं कर दी जाता है।

(ख) विश्वविद्यालय में स्थायी पद में पुष्टिकृत कर्मचारी विश्वविद्यालय का स्थायी कर्मचारी होगा।

19. सेवा की समाप्ति— किसी अस्थायी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी की सेवाएं अध्यादेश 106 के खंड (2) के उप-खंड (iii) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अथवा किसी कारण के बिना भी विश्वविद्यालय के किसी भी उच्च प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकती है-

क) प्रथम नियुक्ति के बाद परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी समय सूचना के बिना; और

ख) यदि नियुक्ति अस्थायी है तो किसी भी समय कर्मचारी को नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को लिखित में एक महीने

का नोटिस देकर या नोटिस अवधि के लिए उसके वेतन जमा भत्तों की राशि के समतुल्य राशि का उसे उस दर पर भुगतान करने के साथ, जिन दरों पर वह अपनी सेवा की समाप्ति के तुरंत पूर्व आहरित कर रहा/रही था/थी, अथवा यथा स्थिति उस अवधि के लिए, जिस अवधि से ऐसी सूचना एक महीने से कम हो जाती है।

20. स्थायी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी की सेवा तीन महीने की नोटिस द्वारा या उसके द्वारा उसकी / सेवा समाप्त होने से ठीक पहले उसके द्वारा आहरित किए गए वेतन एवं भत्तों का भुगतान करके, यदि नोटिस तीन महीने से कम है, या नोटिस के बिना तीन महीने के वेतन और उसकी सेवा समाप्त होने के ठीक पहले उसके द्वारा आहरित वेतन और भत्तों के भुगतान पर समाप्त की जा सकती है।

21. अध्यादेश 20 के अनुसार सेवा समाप्त करने की सूचना प्राप्त करने वाले शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी को, नोटिस की अवधि के दौरान, ऐसी अर्जित छुट्टी, जो उसके लिए स्वीकार्य हो सकती है, दी जा सकती है, और जहां इस प्रकार स्वीकार्य छुट्टी है और उसकी सेवाओं के लिए तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए प्रदान की गई है, तो ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी।

22. इस अध्यादेश में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी शिक्षक और गैरशिक्षण कर्मचारी की बर्खास्तगी, सेवा से हटाने या कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में अध्यादेश 108 के खंड (1) से (5) के अधीन कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के अधिकार को प्रभावित नही करेगा।

23. सेवानिवृत्ति- विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और अन्य कर्मचारियों के किसी सदस्य की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष होगी।

परंतु यह कि रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होंगे।

24. अध्यादेश 23 के उपबंधो के होते हुए भी, कोई शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी सेवानिवृत्त किया जाएगा–

क) इस संबंध में जारी सरकारी नियमों का पालन करके कार्यकारी परिषद् द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मेडिकल बोर्ड द्वारा सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से उसे अनुपयुक्त घोषित किया गया है; या

ख) अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए दंडित किए जाने पर।

25. धारणाधिकार का प्रतिधारण.- एक स्थायी शिक्षक और गैर-शिक्षणकर्मचारी, जो अन्य संगठन (यूपीएससी / भारत सरकार के विभाग / राज्य सरकार / स्वायत्त निकाय / केंद्रीय / राज्य विश्वविद्यालयों) के विज्ञापनों के उत्तर में किसी पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन करता है, का पुनर्ग्रहणाधिकार, नए पद में अधिकतम दो वर्ष की अवधि, अथवा स्थायीकरण की तारीख, जो भी पहले हो के लिए विश्वविद्यालय में और ऐसे शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को या तो उस अवधि के भीतर विश्वविद्यालय में पदासीन रह सकता है और ऐसे शिक्षक और गैर-शिक्षणकर्मचारियों को विश्वविद्यालय में वापस आ जाना चाहिए या उस अवधि के अंत में पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए और इन शर्तों का पालन करने के लिए अन्य विभागों / कार्यालयों को आवेदन अग्रेषित करने के समय वचनपत्र लिया जा सकता है।

(ख) असाधारण मामलों में, जहां दूसरे विभाग/कार्यालय में प्रशासनिक कारणों से ऐसे विश्वविद्यालय कर्मचारियों की पुष्टीकरण में कुछ समय लगेगा, उन्हें विश्वविद्यालय में अपना धारणाधिकार रखने के लिए एक और वर्ष की अनुमति दी जाए, और ऐसी अनुमति देने के दौरान उपर्युक्त खंड (1) में दर्शाए गए वचनपत्र के जैसा एक नया वचनपत्र स्थायी कर्मचारी से लिया जा सकता है।

(ग) अस्थायी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नियम के सदृश नौकरी छोड़ने के समय पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए और इस आशय का एक वचनपत्र देने के लिए कहा जाना चाहिए कि वे आवेदित पद पर अपने चयन और नियुक्ति की स्थिति में पद से इस्तीफा दे देंगे और यह वचनपत्र उनके आवेदनों को अग्रेषित करने के समय उनसे लिया जा सकता है।

(घ) जब कोई स्थायी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी तीन साल की निरंतर अवधि के लिए छुट्टी पर रहने के बाद ड्यूटी पुन: शुरू नहीं करता है, या कोई कर्मचारी अपनी छुट्टी की समाप्ति के बाद ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, विदेशी सेवा में होने या निलंबन के कारण, तो ऐसी किसी भी अवधि के लिए, जो उसके साथ दी गई छुट्टी की अवधि के साथ तीन वर्ष से अधिक / उसके धारणाधिकार से अधिक हो, जब तक कि मामले की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए कार्यकारी परिषद् द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है तो उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी और माना जाएगा कि उसने विश्वविद्यालय सेवा छोड़ दी है।

26. त्यागपत्र- (1)अध्यादेश 106 के खंड (2) में यथोल्लिखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र की स्वीकृति के अधीन, स्थायी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में संबोधित तीन महीने के नोटिस द्वारा विश्वविद्यालय की सेवा से त्यागपत्र दे सकता है, या अपने त्यागपत्र की स्वीकृति से तत्काल पहले उसके द्वारा आहरित वेतन एवं भत्तों के समान दर पर नोटिस की अवधि के लिए उसके वेतन और भत्तों की राशि के बराबर राशि के भुगतान द्वारा त्यागपत्र दे सकता है।

(2) अस्थायी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी के मामले में, यह अवधि एक महीना होगी:

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी, यदि उचित समझता है, तो किसी भी मामले में स्थायी या अस्थायी शिक्षक और गैर-शिक्षण

कर्मचारी तीन महीने से कम समय के नोटिस पर सेवा से त्यागपत्र की अनुमति दे सकता है।

भाग 3

विविध

27. सेवा पुस्तिकाएँ और चरित्र पंजी:– (1) विश्वविद्यालय प्रत्येक शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी के लिए एक सेवा पुस्तिका, एक चरित्र पंजी और वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का रखरखाव कार्यकारी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट किए गए तरीके से करेगा।

(2) शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियां रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए गए अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणितकृत की जाएंगी।

28. वार्षिक कार्य-निष्पादन अंकन रिपोर्ट: – (1) विश्वविद्यालय के शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी पद के लिए निर्दिष्ट स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे और निर्दिष्ट समय- सीमा के अनुसार उसे अपने रिपोर्टिंग अधिकारी को जमा करेंगे।

(2) रिपोर्टिंग अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उन शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर निर्दिष्ट प्रारूप में रिपोर्ट देगा, जिन्होंने तुरंत पहले के वित्तीय वर्ष में तीन महीने से कम अवधि के लिए उनके अधीन सेवा की थी और उपाबंध - I में यथा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर समीक्षा अधिकारी को अपनी रिपोर्ट अग्रेषित करेगा।

(3) पुनर्विलोकन अधिकारी और स्वीकार्य प्राधिकारी की टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट पूरी होने के बाद समग्र ग्रेड और अखंडता के मूल्यांकन सहित पूर्ण वार्षिक कार्य-निष्पादन अंकन रिपोर्ट की जानकारी संबंधित अधिकारी को दी जाएगी और जहां कर्मचारी के पास उसके ऊपर केवल एक पर्यवेक्षी स्तर है, जैसा कि अधिकारियों से जुड़े व्यक्तिगत स्टाफ के मामले में होता है, रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा कार्य-निष्पादन मूल्यांकन पूरा करने के बाद उसे सूचित की जाएगी।

(4) अनुभाग, जिसे वार्षिक कार्य-निष्पादन अंकन रिपोर्ट के रखरखाव का कार्य सौंपा गया है, इसकी प्राप्ति के पश्चात प्रतिवेदित अधिकारी को इसके बारे में बताएगा।

(5) संबंधित अधिकारी को वार्षिक कार्य-निष्पादन अंकन रिपोर्ट में प्रविष्टियों की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर वार्षिक कार्य-निष्पादन अंकन रिपोर्ट में की गई प्रविष्टियों और अंतिम ग्रेडिंग के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाएगा।

(6) अभ्यावेदन, रिपोर्ट में निहित उन विशिष्ट तथ्यात्मक अवलोकनों तक ही सीमित होगा, जो विशेषताओं, कार्य उत्पादन आदि के संदर्भ में अधिकारी के आकलन के लिए कारक हैं।

(7) प्रविष्टियों को संप्रेषित करते समय, यह स्पष्ट किया जाएगा कि यदि पंद्रह दिनों में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि वह कोई अभ्यावेदन नहीं करना चाहता/चाहती है।

(8) प्रतिकूल टिप्पणियों पर विचार करने के लिए मौजूदा अनुदेशों के अधीन, यदि आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी रिपोर्टिंग या समीक्षा अधिकारी के परामर्श से, प्रतिवेदन पर विचार कर सकता है और इस मामले को निष्पक्ष रूप से उसके समक्ष रखी गई सामग्री के आधार पर प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर मामले में निर्णय लेगा।

(9) उचित विचार के बाद सक्षम प्राधिकारी प्रतिवेदन अस्वीकार कर सकता है या वार्षिक कार्य-निष्पादन अंकन रिपोर्ट को तदनुसार स्वीकार और संशोधित कर सकते हैं और संबंधित वार्षिक कार्य-निष्पादन अंकन अनुभाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर प्रतिवेदित अधिकारी को निर्णय के बारे में सूचित कर सकते हैं।

(10) वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 और उससे ऊपर के पद पर कार्यरत शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी की वार्षिक प्रदर्शन अंकन रिपोर्ट लिखना अनिवार्य है।

(11) संबंधित शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी के तत्काल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा वार्षिक कार्य-निष्पादन अंकन रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए तथा अगले उच्चतर अधिकारी द्वारा इसका पुनर्विलोकन किया जाएगा तथा दोनों मामलों में, उन्हें कम से कम तीन माह तक कर्मचारी के काम का अधीक्षण करते होना चाहिए

(12) तीन महीने की अवधि की गणना करने के लिए, पंद्रह दिनों से अधिक की किसी भी अवधि के लिए किसी भी छुट्टी को घटाना चाहिए।

(13) यदि रिपोर्टिंग या पुनर्विलोकन अधिकारी निलंबन के अधीन है, तो उन्हें निलंबन की तारीख के दो महीने के भीतर या वार्षिक कार्य-निष्पादन अंकन रिपोर्ट पूरा करने की देय तारीख के एक महीने, जो भी बाद में हो, रिपोर्टों लिखनी या पुनर्विलोकन करनी चाहिए।

(14) इस समय सीमा के बाद रिपोर्ट लिखा जाना या समीक्षा किया जाना अनुज्ञय नहीं है, तथापि, यदि लेखन या पुनर्विलोकन अवधि के अधिकांश भाग के दौरान वे निलम्बनाधीन हैं, तो उन्हें वार्षिककार्य-निष्पादन अंकन रिपोर्ट का लेखन या पुनर्विलोकन नहीं करनी चाहिए और यदि संबंधित शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी रिपोर्टिंग या समीक्षा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, के

संबंधी है, तो यह कार्य अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

(15) दंड की प्रविष्टि — अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण किसी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी पर लगाए गए दंड का रिकॉर्ड उसकी वार्षिक कार्य-निष्पादन अंकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाना चाहिए।

(16) स्व-अंकन- वार्षिक कार्य-निष्पादन अंकन रिपोर्ट कार्यनिष्पादन पर केंद्रित होगी और समूह वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 से 14 तक है पदों पर नियुक्ति शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को रिपोर्ट की अवधि से संबंधित स्व-मूल्यांकन के रूप में एक संक्षिप्त विवरण जो 300 शब्दो से अधिक का नही, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(17) पदों के विभिन्न स्तरों के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन अंकन रिपोर्ट फॉर्म विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे और समय-समय पर जारी किए जाएंगे एवं कार्यकारी परिषद् द्वारा अपनाए जाएंगे।

(18) वार्षिक कार्य-निष्पादन अंकन रिपोर्ट वार्षिक तौर पर वित्त वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के अनुसार लिखी जाएंगी।

(19) आंशिक रिपोर्टें - आंशिक रिपोर्टें निम्नलिखित मामलों में लिखी जाएंगी –

(i) यदि शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी का स्थानांतरण पुनर्विलोकन अवधि के दौरान, किसी अन्य रिपोर्टिंग अधिकारी के नियंत्रण में हो गया है, तो संबंधित अवधियों के लिए रिपोर्टें संबंधित अधिकारियों द्वारा लिखी जाएंगी;

(ii) यदि रिपोर्टिंग अधिकारी का स्थानांतरण वर्ष के दौरान, एक शाखा से दूसरी शाखा में हो गया है, तो उसे अपने स्थानांतरण के तीन से पांच सप्ताह के भीतर अपने स्थानांतरण की तारीख तक अपने नियंत्रणाधीन समस्त स्टाफ के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन अंकन रिपोर्टें लिखनी चाहिएं;

(iii) यदि समीक्षा अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है और यदि नए पुनर्विलोकन अधिकारी संबंधित शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी के कार्य को कम से कम तीन महीने तक पर्यवेक्षित नहीं कर पाएंगे, तो बाहर जाने वाले पुनर्विलोकन अधिकारी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी की उस अवधि की वार्षिक कार्य-निष्पादन अंकन रिपोर्ट का समीक्षा करेंगे जिस अवधि के दौरान कर्मचारी ने उनके पर्यवेक्षण में कार्य किया था; या

(20) जब आंशिक रिपोर्टें लिखी जाती हैं, और वर्ष में ऊपर दिए गए कारणों के लिए किसी अवधि को आच्छादित नहीं किया जाता है, तो फाइल पर पहल न करने के बारे में एक प्रमाणपत्र अथवा एक टिप्पण लगाया जाएगा जिस पर रिपोर्टिंग/ पुनर्विलोकन करने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे।

29. परीक्षण या परीक्षा –शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारी को ऐसे विभागीय और अन्य परीक्षण अथवा परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी जैसा कि भर्ती नियमों में निर्धारित किया गया है।

30. सेवा की अवशिष्ट शर्तें –शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी की सेवा की शर्तों से संबंधित कोई ऐसे मामले, जिसके लिए इस अध्यादेश में प्रावधान नहीं किया गया है, का निर्धारण कार्यकारी परिषद् द्वारा किया जाएगा।

31. छूट प्रदान करने की शक्ति — इन अध्यादेशों में अन्तर्वृष्टि किसी बात के होते हुए भी, कार्यकारी परिषद्, किसी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी के मामले में ऐसे उपबंधो के प्रचालन से उत्पन्न होने वाली किसी अनुचित कठिनाई अथवा विश्वविद्यालय के हित में, इन अध्यादेशों केकिसी ऐसे उपबंधो में छूट प्रदान कर सकती है।

अध्याय 2

शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन मैट्रिक्स में स्तर और भत्ते

भाग 1

32. वेतन मैट्रिक्स में स्तर — पदों के लिए वेतन मैट्रिक्स का स्तर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा और इसे कार्यकारी परिषद् द्वारा अपनाया जाएगा।

33. वेतन मैट्रिक्स में प्रारंभिक स्तर— एक शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी के वेतन मैट्रिक्स में प्रारंभिक स्तर, जो वेतन मैट्रिक्स में एक समय के स्तर पर एक पद पर नियुक्त किया जाता है, इस प्रकार विनियमित किया जाता है। :–

(1) नियुक्ति के मामले में, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी को विकल्प होगा, प्रोन्नति या नियुक्ति की तारीख से एक महीने के भीतर प्रयोग कर सकेगा, यथास्थिति ऐसी प्रोन्नति या नियुक्ति की तारीख से इस माध्यादेश के अधीन नियत किए गए वेतन मैट्रिक्स में स्तर, या निम्नतर श्रेणी या पद में वेतन मैट्रिक्स से ऊपर नए पद के वेतनमान के प्रारम्भिक स्तर पर रूपित किए गए वेतन मैट्रिक्स में स्तर रखता है जिसके पद नियमित आधार पर प्रोन्नत हुआ है, जो निम्नतर श्रेणी या पद के वेतन मैट्रिकस में स्तर में अगली वेतन वृद्धि की ठीक तारीख पर इस अध्यादेश के अनुसार नियुक्ति की जा सकेगी:

परंतु, जहां शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी, अपनी प्रोन्नति या किसी उच्चतर पद पर नियुक्ति से तुरंत पहले, निम्नतर पद के वर्तमान के वेतन मैट्रिक्स में अधिकतम स्तर पर वेतन आहरित कर रहा हो, तो उच्चतर पद के टाइम स्केल में वेतन मैट्रिक्स में

उसका प्रारंभिक स्तर सांकेतिक रूप से वेतन मैट्रिक्स में अगले ऊपर के स्तर पर नियत किया जाएगा जिसकी गणना उसके द्वारा नियमित तौर पर धारित निम्नतर पद के संबंध में वेतन मैट्रिक्स में उसके के स्तर में, निम्नतर पद के वर्तमान की अंतिम वेतन-वृद्धि के समान राशि या एक हजार रुपए, जो भी अधिक हो, के समान वृद्धि करके की जाएगी।

(2) जब नई पद की नियुक्ति में अधिक महत्व के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की ऐसी धारणा शामिल नहीं होती है, तो वह वेतन मैट्रिक्स में प्रारंभिक वेतन के रूप में उतना वेतन आहरित करेंगे, जो उसके द्वारा नियमित आधार पर अधारित पुराने पद में वेतन मैट्रिक्स में उसके वेतन के बराबर है या यदि ऐसा कोई चरण नहीं है, तो नियमित आधार पर उसके द्वारा धारित पुराने पद के संबंध में उनके वेतन मैट्रिक्स का अगला ऊपरी चरण होगा।

परंतु यह कि नियमित रूप से आयोजित पद के संबंध में नए पद के समय-वेतनमान का न्यूनतम स्तर वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर से अधिक हो, वे वेतन मैट्रिक्स में प्रारंभिक स्तर के रूप में न्यूनतम वेतन आहरित करेंगे:

परंतु यह भी कि ऐसे मामले में जहां वेतन मैट्रिक्स में स्तर एक ही चरण में तय किया गया है, वे वेतन मैट्रिक्स में उस स्तर तक खींचना जारी रखेंगे, जब तक कि उन्हें पुराने पद के समय-पैमाने पर वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, ऐसे मामलों में जहां स्तर वेतन मैट्रिक्स उच्च स्तर पर तय किया गया है, वे उस अवधि के पूरा होने पर अपनी अगली वेतन वृद्धि प्राप्त करेंगे जब एक वेतन वृद्धि नए पद के समय-पैमाने पर अर्जित की जाती है।

(3) जब नए पद पर नियुक्ति उनके अपने अनुरोध पर की जाती है तो उस पद के वेतनमान में अधिकतम वेतन नियमित रूप से धारित पुराने पद के संबंध में वेतन मैट्रिक्स में उसके वेतन से कम है,तो वे अपने वेतन मैट्रिक्स में आरंभिक वेतन के तौर पर अधिकतम आहरित करेंगे।

(4) यह आगे स्पष्ट किया गया है कि निचले पद या पैमाने पर स्थानांतरण पर, एक शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी के वेतन मैट्रिक्स का स्तर नियमित आधार पर एक पद धारण करता है, उसके द्वारा तैयार किए गए वेतन मैट्रिक्स में स्तर के बराबर एक मंच पर तय किया जाएगा उच्च ग्रेड और यदि ऐसा कोई चरण उपलब्ध नहीं है, तो उच्च पद में उसके द्वारा खींचे गए वेतन मैट्रिक्स में स्तर के नीचे चरण में वेतन मैट्रिक्स का स्तर निर्धारित किया जाएगा और अंतर को वेतन मैट्रिक्स में व्यक्तिगत स्तर के रूप में प्रदान किया जा सकता है।भविष्य के वेतन वृद्धि में अवशोषित; यदि निम्न पद के वेतन मैट्रिक्स स्तर में अधिकतम स्तर उच्च पद में उसके द्वारा खींचे गए वेतन मैट्रिक्स के स्तर से कम है, तो वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर अधिकतम तक सीमित हो सकता है।

(5) वेतन मैट्रिक्स में प्रवेश स्तर जिस पर वेतन मैट्रिक्स में एक विशिष्ट स्तर तक ले जाने वाले किसी विशेष पद के लिए सीधी भर्ती के मैट्रिक्स में स्तर I और अनुसूची II के अनुसार अध्यादेश के अनुसार होगा और जब इस तरह की नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की जाती है, तो प्रारंभिक वेतन मैट्रिक्स का स्तर निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:–

(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर की राशि के तीन प्रतिशत के बराबर एक वेतन वृद्धि और वेतन मैट्रिक्स में मौजूदा स्तर की गणना दस के अगले गुणज में की जाएगी और राउंड ऑफ करते समय, पैसे को अनदेखा किया जाना चाहिए लेकिन एक रुपये की किसी भी राशिको दस के अगले गुणज में राउंड ऑफ किया जाना चाहिए और इसे वेतन मैट्रिक्स में मौजूदा स्तर पर जोड़ा जाएगा;

(ii) प्रोन्नति पद के सदृश वेतन मैट्रिक्स में स्तर उसके बाद मैट्रिक्स में स्तर में इस वेतन के अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा;

(iii) उन मामलों में जहां पदोन्नति में वेतन मैट्रिक्स में स्तर में भी परिवर्तन शामिल है, उसी पद्धति का पालन किया जाएगा;

(iv) तथापि, यदि वेतन वृद्धि के बाद वेतन मैट्रिक्स में स्तर का वेतन, वेतन मैट्रिक्स में उच्च स्तर के न्यूनतम से कम है जिस पर प्रोन्नति हो रही है, वेतन मैट्रिक्स में स्तर में वेतन ऐसे न्यूनतम पर ले जाया जाएगा;

(v) शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा अपनी अगली वेतनवृद्धि की तारीख से अपना वेतन निर्धारित किए जाने का विकल्प चुने जाने की स्थिति में, तो, प्रोन्नति की तारीख को, वेतन मैट्रिक्स के स्तर में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन उच्चतर पद के वेतन मैट्रिक्स में वेतन प्रदान किया जाएगा और अगला पुन:निर्धारण उसकी अगली वेतनवृद्धि अर्थात पहली जुलाई को किया जाएगा, जिस पर उसे दो वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी:एक वार्षिक वेतनवृद्धि और दूसरी प्रोन्नति के कारण वेतनवृद्धि; इन दो वेतनवृद्धियों की गणना करते समय, प्रोन्नति की तारीख से पूर्व के मूल वेतन को ध्यान में रखा जाएगा; उदाहरण के लिए, यदि प्रोन्नति की तारीख से पूर्व मूल वेतन रु.100 है, तो पहली वेतनवृद्धि की गणना रु.100 पर और दूसरी वेतनवृद्धि की गणना रु.103 पर की जाएगी;

(vi) यदि शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी अपनी प्रोन्नति की तारीख से उच्च ग्रेड में अपने वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुनता/चुनती है, तो यदि उसे 2 जुलाई और 1 जनवरी के बीच प्रोन्नति किया गया था, उसे अगली 1 जुलाई को उच्च श्रेणी में उसे पहली बार वेतन वृद्धि प्राप्त होगी,; हालांकि, अगर उसे किसी विशेष वर्ष के 2 जनवरी और 30 जून के बीच प्रोन्नति किया गया था, तो उसे अगले वर्ष की पहली जुलाई में उसे वेतन वृद्धि प्राप्त होगी।

34. वेतनवृद्धियां — (1)कोई शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार है, सिवाय इसके कि जब इसे वैधानिक सजा के रूप में रोक दिया जाता है और यदि कोई शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी छुट्टी पर है या 1 जुलाई को पदग्रहण समय का लाभ उठा रहा है, तो बढ़ा हुआ वेतन केवल उस तारीख से आहरित किया जाएगा जिस तारीख से वह कार्यभार ग्रहण करता/करती है न कि पहली जुलाई से।

(2) वार्षिक वेतन वृद्धि चालू वेतन बैंड में कुल वेतन का 3% होगी और संबंधित ग्रेड वेतन 10 के अगले गुणकों में राउंड-ऑफ किया जाएगा, राउंड-ऑफ करते समय, पैसे को अनदेखा किया जाना चाहिए, लेकिन रुपये या उससे अधिक की किसी भी राशि को 10 के अगले गुणकों में राउंड-ऑफ किया जाना चाहिए और राशि को वेतन मैट्रिक्स में मौजूदा वेतन में जोड़ दिया जाएगा।

(3) 1 जुलाई को वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए योग्यता अवधि 6 महीने है, तथापि, एक कर्मचारी जो किसी वर्ष 1 जनवरी को प्रोन्नत / नियुक्त किया जाता है, उस पद पर 1 जनवरी को शनिवार, रविवार अथवा राजपत्रित छुट्टी होने के कारण वर्ष के पहले कार्य दिवस पर ज्वाइन करता है तो यह माना जाएगा कि उसने उस वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए 1 जुलाई को सेवा के छह महीने पूरे कर लिए हैं।

(4) असाधारण छुट्टी के कारण (चिकित्सा प्रमाणपत्र के बिना)पिछले वर्ष की पहली जुलाई और वर्ष के 30 जून के बीच छः महीनों से कम की योग्यता सेवा अध्यादेश 35 में अभिकथित शर्तों को छोड़कर वृद्धि को स्थगित करने का कारण होगी।

(5) ऐसे मामलों में जहां कोई शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी अपने वेतन मैट्रिक्स के अधिकतम स्तर तक पहुंचता है, उसे इस प्रकार अधिकतम तक पहुंचने के एक वर्ष बाद अगले उच्च वेतन मैट्रिक्स में रखा जाएगा; उच्चतर वेतन मैट्रिक्स में रखे जाने के समय, एक वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाएगा और उसके बाद वह उच्च वेतन बैंड में आगे बढ़ना जारी रखेगा/रखेगी जब तक मैट्रिक्स में उसका वेतन वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 तक नहीं पहुंच जाता, जिसके बाद आगे कोई वृद्धि नहीं प्रदान की जाएगी।

35. वेतन वृद्धि के लिए सेवा की गणना - वेतन वृद्धि का निर्णय करते समय निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा –

क) ड्यूटी की सभी अवधियां;

ख) दूसरे पद, वेतन मैट्रिक्स में कम वेतन वाले पद को छोड़ कर, में सेवा;

ग) असाधारण छुट्टी को छोड़ कर सभी प्रकार की छुट्टियां;

घ) प्रदान की गई असाधारण छुट्टी–

(i) चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर;

(ii) अन्यथा जन-विक्षोभ के कारण कर्मचारी द्वारा ड्यूटी पदग्रहण न कर पाने की असमर्थता के कारण चिकित्सा प्रमाणपत्र को छोड़ कर; और

(iii) उच्चतर तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययन जारी रखने के लिए;

ङ) विदेश सेवा;

च) कार्यग्रहण अवधि।

36. निलंबन के दौरान वेतन — (1) नियुक्ति प्राधिकारी के आदेशानुसार निलंबित किए गए किसी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी को निलंबनाधीन माना जाएगा, निलंबन की अवधि के दौरान छुट्टी वेतन की राशि, जिसे कर्मचारी आहरित करता, के बराबर निर्वाह भत्ता आहरित करता है यदि वह कर्मचारी आधे औसत वेतन अथवा आधे वेतन के छुट्टी पर होता और इसके अलावा, महंगाई भत्ता, यदि ऐसे छुट्टी के आधार पर स्वीकार्य है:

परन्तु यह कि निलंबन की अवधि तीन महीने से अधिक हो, जिस प्राधिकारी ने निलंबन का आदेश दिया गया है या माना जाता है कि उसने दिया है, पहले तीन महीनों की अवधि के बाद किसी भी अवधि के लिए निर्वाह भत्ता की राशि को निम्नानुसार बदलने के लिए सक्षम होगा –

(i) निर्वाह भत्ते की राशि को उचित राशि द्वारा बढ़ाया जा सकता है, जो पहले तीन माह की अवधि के दौरान देय निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, यदि उस प्राधिकारी की राय में लिखित में दर्ज कारणों की वजह से निलंबन की अवधि लंबी हो गई है जिसके लिए कर्मचारी सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं हैं;

(ii) निर्वाह भत्ते की राशि को उचित राशि से कम किया जा सकता है, जो पहले तीन माह की अवधि के दौरान देय निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, यदि उस प्राधिकारी की राय में लिखित में दर्ज कारणों की वजह से निलंबन की अवधि लंबी हो गई है जिसके लिए कर्मचारी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं;

(iii) महंगाई भत्ता की दर, जैसा भी मामला हो, उपर्युक्त उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत स्वीकार्य निर्वाह भत्ता में वृद्धि अथवा कमी की मात्रा पर आधारित होगी।

(2) शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी वेतन मैट्रिक्स के आधार समय समय पर अनुमेय किसी भी अन्य प्रतिपूर्ति भत्ते को प्राप्त करने का हकदार है जिन्हें वह निलम्बन की तारीख में प्राप्त कर रहा था, परंतु ऐसे भत्ते के आहरण के लिए निर्धारित अन्य शर्तें पूरी की जा रही हों।

(3) खंड (1) और (2) में संदर्भित कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जबतक कि शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी इस आशय का प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराए कि वह किसी अन्य रोजगार, व्यवसाय, पेशे या कार्य को नहीं कर रहा है:

परन्तु यह कि यदि सेवा से निलंबित, हटाए गए या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी, जो ऐसे निलंबन या हटाए जाने या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति किए जाने की तारीख से ऐसे निलंबन किया गया या इसे जारी रखा गया है, और जो निलंबन पर रखी गई या जारी रखी गई अवधि के लिए ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा है, वह ऐसी अवधि या अवधियों के दौरान उसके द्वारा अर्जित की जा सकने वाली राशि के समान के जीविका भत्ते तथा अन्य भत्ते के पात्र होगा, जैसा भी मामला हो, उस राशि के लिए जो उसे अन्यथा जीविका भत्ता या अन्य भत्ता के रूप में अनुमेय राशि से कम हो; जहां उसे अनुमेय जीविका भत्ता या अन्य भत्ते उसके द्वारा अर्जित राशि के समान या उससे कम हो, इस प्रावधान के अंतर्गत उस पर कोई भी लागू नहीं होगा।

37. निर्वाह भत्ते से कटौतियां— निम्नलिखित श्रेणियां निर्वाह भत्ता से कटौती अनुज्ञेय हैं, अर्थात: -

क) अनिवार्य कटौतियां—

(i) आय कर (परन्तु यह कि जीविका भत्ते के संदर्भ में कर्मचारी की परिकलित वार्षिक आय कर योग्य है)

(ii) मकान किराया तथा संबंधित प्रभार जैसे बिजली, पानी फर्नीचर आदि।

(iii) कुलपति द्वारा निर्धारित अनुसार दरों पर लिए गए भविष्य निधि के इतर अन्य ऋणों और अग्रिमों का पुनर्भुगतान।

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जा रही स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अंशदान।

(v) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जा रही बीमा योजना के अंतर्गत अंशदान।

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जा रही बीमा योजन के अंतर्गत अभिदान।

ख) वैकल्पिक कटौतियां — इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली कटौतियां कर्मचारी की लिखित सहमति के सिवाय नहीं की जाएंगी, जो निम्नानुसार हैं-

(i) जीवन बीमा पॉलिसियों पर देय प्रीमियम।

(ii) सहकारी स्टोरों और सहकारी क्रेडिट सोसाइटियों को देय राशि।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग की जा रही भविष्य निधि या कोई अन्य समान योजना से लिए गए अग्रिमों की धनवापसी।

38. निम्नलिखित श्रेणियां निर्वाह भत्ते से कटौती के लिए अनुज्ञय नहीं हैं, अर्थात:–

क) विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग की जा रही सामान्य भविष्य निधि या कोई अन्य समान योजना में अभिदान;

ख) न्यायालय कुर्की पर देय राशि;और

ग) विश्वविद्यालय को हुई हानि की वसूली,जिसके लिए कर्मचारी उत्तरदायी है।

39. जहां तक अधिक भुगतान की वसूली का मामला है, सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी यह निर्णय लेने के लिए विशेषाधिकार का प्रयोग करेगा कि वसूली समग्र रूप से प्रारम्भगित की जानी है या इसे केवल जीवन निर्वाह भत्ते, अर्थात् महंगाई भत्ता और अन्य प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, के एक तिहाई से अधिक के दर से प्रभावी किया जाना चाहिए।

40. विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन, मानदेय और शुल्क— विश्वविद्यालय कर्मचारी को किसी विशेष परिस्थितियों में ऐसे विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन, मानदेय या शुल्क की मंजूरी ऐसी शर्तों पर दे सकता है जो वह उपयुक्त समझे।

41. वेतन मैट्रिक्स में वेतन का आहरण — (1) एक शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी, वेतन मैट्रिक्स में स्तर के आधार पर वेतन मैट्रिक्स में उस स्तर को आहरित करने का हकदार होगा जिस पर वह उस तारीख से नियुक्त किया जाता है जिस दिन वह पद का प्रभार ग्रहण करता है।

(2) किसी महीने के संबंध में वेतन मैट्रिक्स में वेतन अगले महीने के प्रथम कार्य दिवस को या उसके पश्चात देय होगा।

(3) बिनिर्दिष्ट नोटिस दिए बिना यदि कोई शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी विश्वविद्यालय की सेवाओं से त्यागपत्र देता है तो उसे देय हो चुके परन्तु आहरित नही किए गए वेतन मैट्रिक्स में वेतन आहरण की अनुमति नहीं होगी जबतक कि कुलपति द्वारा अन्यथा निदेश न दिए जाएं।

भाग 2

भत्ते

42. अतिरिक्त पद प्रभार धारण हेतु वेतन मैट्रिक्स में स्तर और भत्ते — यदि कर्मचारी को उसके पद से उच्चतर पद के वर्तमान दायित्वों का प्रभार सौंपा जाता है तो वह मूल पद के साथ उस पर सीधी भर्ती होने वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतर पद के प्रवेश स्तर को लागू वेतन मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का 2 प्रतिशत प्राप्त करेगा:

परन्तु यह कि जब शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी ने जो भी वर्तमान प्रभार किसी अन्य पद या पदों के नेमी कर्तव्यों के अधीन धारण किया है तो अतिरिक्त प्रभार की समयावधि के होते हुए भी कोई भत्ता ग्रहण नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि अपने मूल पद के समतुल्य स्तर के पद पर पूर्ण दायित्व प्रभार प्रदान किए जाने वाला शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी लागू वेतन मैट्रिक्स का न्यूनतम स्तर और यथा पद के सीधी भर्ती के लिए प्रवेश स्तर के वेतन मैट्रिक्स के वेतन का दो प्रतिशत प्राप्त करेगा:

परन्तु यह भी कि शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी जब निचले पद के वर्तमान दायित्वों का प्रभार लेने के लिए एक पद धारण करता है तो इस अतिरिक्त कार्य के लिए उसे कोई भत्ता प्राप्त नहीं होगा।

43. प्रतिकरात्मक भत्ते — शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी समय-समय पर लागू नियमों/अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित मकान किराया भत्ते,यात्रा भत्ते और अन्य भत्तों के लिए पात्र होगा।

अध्याय 3

शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए छुट्टी की हकदारी

भाग 1

छुट्टी

44. छुट्टी की सामान्य शर्तें:—

क) छुट्टी का अर्जन केवल ड्यूटी द्वारा होता है;

ख) विदेशी सेवा में बिताई जाने वाली अवधि को ड्यूटी के रूप में गिना जाता है यदि छुट्टी वेतन का भुगतान ऐसी अवधि के लिए किया जाता है;

ग) छुट्टी के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

घ) यदि सेवा की अत्यावश्यकता के कारण यथापेक्षित हो, इसे प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के छुट्टी से इनकार किया जा सकता है या उसे वापस लिया जा सकता है।

ङ) यदि कर्मचारी को उसके छुट्टी की समाप्ति से पूर्व ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है तो इस प्रकार वापस बुलाए जाने को सभी मामलों में अनिवार्य माना जाएगा।

च) छुट्टी के लिए कर्मचारी का दावा छुट्टी के लिए आवेदन किए जाने तथा प्रदान किए जाने के समय प्रवृत्त अध्यादेशों द्वारा विनियमित होगा।

छ) जब किसी सक्षम अधिकारी ने सेवा से बर्खास्त करने, हटाने या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने का फैसला किया है, तो शिक्षक को छुट्टी नहीं दी जाएगी और न ही निलंबनाधीन शिक्षक को कोई छुट्टी दी जाएगी।

45. विभिन्न प्रकार के अवकाशों का संयोजन- इन अध्यादेशों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इन अध्यादेशों में किसी प्रकार के छुट्टी को किसी अन्य प्रकार के छुट्टी के संयोजन में या उसकी निरंतरता में प्रदान किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण – आकस्मिक छुट्टी जिसे इन अध्यादेशों के अंतर्गत छुट्टी के रूप मान्य नहीं किया गया है, उसे इन अध्यादेशों के अंतर्गत ग्रहण किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ संयोजित नहीं किया जा सकता है।

46. छुट्टी का आरंभ और समापन: — (1) सामान्य रूप से छुट्टी उस दिन आरंभ होता है जब प्रभार का अंतरण प्रभावी होता है, और छुट्टी का समापन कार्यभार ग्रहण करने के एक दिन पूर्व होता है।

(2) प्रत्येक प्रकार की छट्टी पर अनुपस्थिति का किसी सीमा के अधीन रहते हुए शनिवार या रविवार को, छुट्टी के पहले या बाद में जोड़ा जा सकता है:

परन्तु यह कि, प्रतिबंधित छुट्टी को नियमित छुट्टी या आकस्मिक छुट्टी में पहले या बाद में जोड़ा जा सकता है।

(3) यदि छुट्टी के दौरान किसी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी का विदेश सेवा में स्थानान्तरण होता है तो ऐसे स्थानान्तरण की तारीख से उसका छुट्टी तथा छुट्टी वेतन आहरण समाप्त हो

47. जमाछुट्टी पर बर्खास्तगी,हटाया जाना या त्यागपत्र का प्रभाव.— (1) अध्यादेश 5 में यथा उपबंधित के सिवाय, बर्खास्त, हटाए गए या जिसने सेवा से त्यागपत्र दिया है, उस शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी द्वारा जमा छुट्टी के संबंध में किसी प्रकार का दावा ऐसी पदच्युति या हटाए जाने या त्यागपत्र दिए जाने की तारीख से समाप्त हो जाएगा।

(2) यदि शिक्षक और गैर-शिक्षणकर्मचारी अन्य संगठन (संघ लोक सेवा आयोग/भारत सरकार के विभाग/स्वायत्त निकाय/केंद्रीय विश्वविद्यालय) में किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता है और यदि ऐसे आवेदन को उचित माध्यम से अग्रेषित किया जाता है और आवेदक को नया पद ग्रहण करने से पूर्व अपने वर्तमान पद से त्यागपत्र देना अपेक्षित है तो, ऐसे त्यागपत्र से उसकी जमा छुट्टी व्यापगत नहीं होंगी।

(3) वह शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी जिसे सेवा से पदच्युत किया गया या हटाया गया है और अपील करने या पुनरीक्षण द्वारा पुन:बहाल किया गया है, तो वह पदच्युति या हटाए जाने, जैसा भी मामला हो, से पूर्व अपनी सेवा के लिए छुट्टी के परिकलन के लिए पात्र है।

48. सेवा के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत सहित अर्जित छुट्टी का नकदीकरण — निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए सेवा के दौरान शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करते समय कर्मचारी को 10 दिन तक की अवधि के लिए अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति हो सकेगी:–

क) सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान इस प्रकार नकदीकरण की गयी कुल छुट्टी सकल रूप से साठ दिन से अधिक नहीं होना चाहिए;

ख) नकदीकरण की गई अवधि तथा प्राप्त किए गए छुट्टी की अवधि के पश्चात उसके छुट्टी खाते में कम से कम तीस दिन का अर्जित छुट्टी शेष होनी चाहिए;

ग) छुट्टी नकदीकरण के लिए रोकड़ समतुल्य का परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा, अर्थात:–

$$\text{रोकड़ समतुल्य} = \frac{\text{छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने की तारीख को ग्रह्य वेतन जमा उक्त तारीख को ग्रह्य महंगाई भत्ता} \times \text{नकदीकृत किए गए अर्जित छुट्टी के दिनों की संख्या परंतु एक समय पर अधिकतम 10 दिन}}{30}$$

घ) खंड (ग) के अधीन रोकड़ समतुल्य का परिकलन करते समय मकान किराया भत्ते को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।;

ङ) नकदीकृत अर्जित छुट्टी की अवधि की कटौती अध्यादेश 49 तथा अध्यादेश 76, 77, 78, 79 और 80 के अधीन कर्मचारी द्वारा सामान्य रूप से नकदीकरण किए जाने वाली छुट्टी की मात्रा से नहीं की जाएगी;

च) यदि शिक्षक और गैर-शिक्षणकर्मचारी एलटीसी नियमों/अध्यादेशों के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) को उपभोग करने में विफल रहता है तो उसे भविष्य निधि शेष पर लागू ब्याज की दर से दो प्रतिशत अधिक की दर पर ब्याज सहित नकदीकृत कराई गई सम्पूर्ण राशि की धनवापसी करनी होगी और वह छुट्टी नकदीकरण के लिए इस प्रकार नामें किए गए छुट्टी को छुट्टी खाते में जमा कराने के लिए भी पात्र होगा।

49. सेवानिवृत्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा छोड़ने की तारीख के पश्चात छुट्टी/छुट्टी के लिए रोकड़ भुगतान— (1) किसी भी कर्मचारी को निम्न तारीखों के पश्चात छुट्टी प्रदान नहीं किया जाएगा –

(i) उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख को; या

(ii) कार्य से अंतिम रूप से कार्यमुक्त होने की तारीख को; या

(iii) उसकी सेवा की शर्तों और निबंधनों के अनुसार विश्वविद्यालय को सूचना देकर सेवानिवृत्ति होने या विश्वविद्यालय द्वारा उसे सूचना देने या ऐसे सूचना के बदले में वेतन और भत्तों के भुगतान की तारीख को;या

(iv) सेवा से उसके त्यागपत्र की तारीख।

(2) (i) जहां शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी अपनी सेवा को शासित करने वाली शर्तों और निबंधनों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के लिए सामान्य रूप से विनिर्दिष्ट आयु पर सेवानिवृत्त होता है तो, वो छुट्टी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख को उसके छुट्टी खाते में जमा अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी (एचपीएल) दोनों के लिए अधिकतम तीन सौ दिन के अधीन रहते हुए छुट्टी वेतन के समतुल्य रोकड़ प्रदान किए जाने हेतु, *स्वप्रेरणा से*, प्रतिदाय आदेश जारी करेगा।

(ii) इस खंड के उप खंड (1) के अंतर्गत रोकड़ समतुल्य का परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा और इसका भुगतान एक बार के निपटान के रूप में एकमुश्त किया जाएगा तथा इस पर मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

(क):

$$\text{अर्जित छुट्टी के लिए रोकड़ समतुल्य} = \frac{\text{सेवानिवृत्ति की तारीख को अनुज्ञेय वेतन जमा उक्त तारीख को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता}}{30} \times \text{सेवानिवृत्ति की तारीख को खाते में अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी के दिनों की संख्या अधिकतम तीन सौ दिन के अधीन रहते हुए।}$$

(ख)

$$\text{अर्ध वेतन छुट्टी घटक के बदले में रोकड़ भुगतान} = \frac{\text{सेवानिवृत्ति की तारीख को खाते में एचपीएल की तारीख को अनुज्ञेय अर्धवेतन छुट्टी वेतन जमा उक्त तारीख को अनुज्ञेय महंगाई भत्ता}}{30} \times \text{खाते में अर्जित छुट्टी तथा एचपीएल के कुल दिनों की संख्या अधिकतम तीन सौ दिन से अधिक नहीं।}$$

टिप्पण-अर्जित छुट्टी और अर्धवेतन छुट्टी दोनों के लिए नकदीकरण की समग्र सीमा तीन सौ दिनों से अधिक नहीं होगी।

(iii) अर्जित छुट्टी में किसी प्रकार की कमी को पूरा करने के लिए,अर्धवेतन छुट्टी के रूपांतरण की अनुमति नहीं होगी।

(3) छुट्टी प्रदान करने वाली सक्षम प्राधिकारी अर्जित छुट्टी के समतुल्य रोकड़ की पूरी राशि या उसके भाग को रोक सकता है यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है या वह निलंबित हो या उसके विरूद्ध अनुशासनिक या आपराधिक प्रक्रिया चलने के दौरान सेवानिवृत्त हुआ है, यदि ऐसे प्राधिकारी के विचार से कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई के समापन से उससे कुछ राशि वसूल की जाने की संभावना हो और कार्रवाई के समापन पर, वह विश्वविद्यालय के देयों, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात रोकी गई राशि को प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

(4) कमर्चारी को इस अध्यादेश के खंड (क) के उपखंड (iii) में उल्लिखित रूप में सेवा से सेवानिवृत्त हो रहा है या हो गया है, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा *सुबप्रेरणा से* उसके छुट्टी खाते में अर्जित छुट्टी और अर्धवेतन छुट्टी दोनों के संबंध में छुट्टी वेतन के समतुल्य छुट्टी, रोकड़ प्रदान करेगा परंतु ये अधिकतम तीन सौ दिन के लिए होंगी और देय रोकड़ समतुल्य इस अध्यादेश के खंड (2) के यथानुसार होगा।

(5) (i) जहां कर्मचारी के सेवाएं उसकी नियुक्ति की शर्तों और निबंधनों के अनुसार नोटिस देकर या नोटिस के स्थान पर वेतन व भत्तों के भुगतान द्वारा समाप्त की गई थी,वहां कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वत: उसकी सेवा समाप्त होने की तारीख को उसके छुट्टी खाते में अर्जित छुट्टी और अर्धवेतन छुट्टी दोनों के संबंध में छुट्टी के समतुल्य रोकड़ प्रदान करेगा बशर्ते यह छुट्टी अधिकतम तीन सौ दिन के लिए होगी।

(ii) देय रोकड़ समतुल्य इस अध्यादेश के खंड (ख) के यथानुसार समान होगी।

(iii) यदि कोई शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी अपने सेवा से त्यागपत्र देता है या छोड़ देता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा, *सुबप्रेरणा से*,सेवा की समाप्ति की तारीख को उसके खाते में अर्जित छुट्टी के संबंध में,उसके छुट्टी खाते में अर्जित छुट्टी के आधे की सीमा तक,रोकड़ समतुल्य प्रदान किया जा सकता है, परंतु यह छुट्टी अधिकतम एक सौ पचास दिन होगा।

(iv) इस अध्यादेश के खंड (2) के उपखंड (ii) के अंतर्गत अर्जित छुट्टी के परिकलन हेतु उप-खंड (i) के अंतर्गत रोकड़ समतुल्य छुट्टी वेतन के समान होना चाहिए; जमा शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र दिए जाने की तारीख को लागू दर पर छुट्टी वेतन पर अनुमेय महंगाई भत्त का भुगतान एक मुश्त निपटान के रूप में किया जाएगा और किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

50. एक प्रकार के छुट्टी का दूसरे छुट्टी में रूपांतरण. — (1) यदि शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो छुट्टी प्रदान करने वाला प्राधिकारी विभिन्न प्रकार के छुट्टी को पूर्ववर्ती रूप से इसे रूपान्तरण कर सकता है, जो छुट्टी देय थे और

छुट्टी प्रदान किए जाने के समय उसे देय हो, किन्तु शिक्षक और गैर-शिक्षणकर्मचारी इस रूपांतरण का दावा अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है:

परन्तु ऐसे किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक उस संबंधित कर्मचारी द्वारा छुट्टी की संबंधित अवधि की समाप्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीस दिनोंकी अवधि के भीतर ऐसे प्राधिकारी या उसके द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी को यह अनुरोध प्राप्त न हो।

(2) एक प्रकार के छुट्टी का दूसरे प्रकार के छुट्टी में रूपांतरण, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी को अंतिम रूप से प्रदान छुट्टी के आधार पर छुट्टी वेतन के समायोजन के आधार पर किया जाएगा, अर्थात, उसे भुगतान की गई किसी अतिरिक्त राशि की वसूली की जाएगी और किसी प्रकार के बकायों का भुगतान उसे किया जाएगा।

51. चिकित्सा आधार पर छुट्टी और कार्यभार ग्रहण करना — (1) छुट्टी प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी, अपने विशेषाधिकार के अधीन, चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त से छूट प्रदान कर सकता है यदि, छुट्टी का आवेदन एक समय में तीन दिन से अधिक नहीं है; तथापि ऐसे छुट्टी को चिकित्सा प्रमाणपत्र पर छुट्टी नहीं माना जाएगा और इसे चिकित्सा आधार पर छुट्टी से इतर छुट्टी से बिकलित की जाएगी।

(2) शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी, जिसे चिकित्सा आधार पर छुट्टी प्रदान किया गया है, को ड्यूटी पर वापस आने से पूर्व स्वस्थता चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

52. छुट्टी समाप्त होने से पूर्व ड्यूटी पर पुन: कार्यभार ग्रहण और छुट्टी से वापस आना— (1) अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के अनुमति को छोड़कर कोई भी छुट्टी पर कर्मचारी उसे अनुमोदित छुट्टी की अवधि की समाप्ति से पहले कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकता है।

(2) ड्यूटी पर वापस आने की सूचना कर्मचारी द्वारा छुट्टी प्रदान करने वाली प्राधिकारी को या छुट्टी प्रदान करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान की जाएगी।

53. छुट्टी हेतु आवेदन — अवकश हेतु आवेदन अनुबंध-।।। में प्रस्तुत विनिर्दिष्ट प्रारूप में किया जाएगा और आपातकाल के विशेष मामलों तथा अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के संतुष्टि स्तर के कारणों हेतु, को छोड़कर अन्य मामलों के लिए छुट्टी प्राप्त करने से पूर्व इसे अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

टिप्पणी: बिना ब्रेक के स्थायी सेवा से पूर्व निरंतर अस्थायी सेवा को छुट्टी के रूपांतरण के प्रयोजन से स्थायी सेवा मानी जाएगी।

54. छुट्टी के दौरान वेतनवृद्धि — यदि आकस्मिक छुट्टी या विशेष आकस्मिक छुट्टी से इतर छुट्टी के दौरान वेतनवृद्धि होती है तो वेतन वृद्धि उसकी वेतनवृद्धि की सामान्य तारीख को ध्यान में लिए बिना, कर्मचारी द्वारा ड्यूटी पर वापस आने की तारीख से प्रभावी होगी।

55. सतत् छुट्टी की अधिकतम मात्रा — किसी भी स्थायी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी को पाँच वर्ष से अधिक की सतत अवधि के लिए किसी भी प्रकार का छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी।

56. प्रत्येक कर्मचारी के लिए विनिर्दिष्ट प्रारूप में छुट्टी खाता बनाया जाएगा — किसी शिक्षक और गैर-शिक्षणकर्मचारी को अर्जित छुट्टी, अर्ध-वेतन छुट्टी की संस्वीकृति देने वाले आदेश में, एतद्पश्चात, उसके खाते में ऐसी छुट्टी का शेष इंगित किया जाएगा; अवैतनिक या अंशकालिक कर्मचारी उन्हीं शर्तों पर छुट्टी के हकदार होंगे जिन पर यह विश्वविद्यालय के वैतनिक शिक्षकों और गैर-शिक्षणकर्मचारियों को उपलब्ध होगी और संविदा पर नियोजित शिक्षकों और गैर-शिक्षणकर्मचारियों को छुट्टी उनके द्वारा की गई संविदा की शर्तों के अनुसार होगी।.

57. छुट्टी समाप्त होने के बाद अनुपस्थिति— (1) जब तक कि छुट्टी प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी छुटी में विस्तार न कर दे, तब तक, जो शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी छुट्टी समाप्त होने के बाद अनुपस्थित रहता है, वह ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी भी छुट्टी वेतन का हकदार नहीं होगा और वह अवधि उसके छुट्टी खाते में, ऐसी छुट्टी की सीमा तक, इस प्रकार बिकलित खाते (डेबिट) में डाली जाएगी जैसे कि यह अर्ध-वेतन छुट्टी हो, और ऐसी छुट्टी से अधिक अवधि को असाधारण छुट्टी माना जाएगा।

(2) छुट्टी समाप्त होने के बाद कार्य से जानबूझ कर अनुपस्थित रहने से कर्मचारी अनुशासनिक कार्रवाई का भागी होगा।

58. छुट्टी के साथ अवकाशों का संयोजन— (1)(i) यदि, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी की छुट्टी (चिकित्सा प्रमाणपत्र पर छुट्टी से भिन्न) आरंभ होने दिन से तुरंत पहले या उसकी छुट्टी समाप्त होने के बाद तुरंत अगला दिन, छुट्टी हो या अवकाशों की श्रृंखला हो, तो कर्मचारी को छुट्टी से पहले वाले दिन के समाप्त होने पर अपना कार्यस्थल छोड़ने, या ऐसे छुट्टी या अवकाशों की श्रृंखला से बाद वाले दिन कार्यस्थल पर लौटने की अनुमति (उन मामलों को छोड़कर जहां प्रशासनिक कारणों से छुट्टी से पहले/बाद वाले अवकाशों की अनुमति विशिष्ट रूप से रोक ली जाती है) दिया माना जाएगा।

(ii) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर छुट्टी के मामले में:–

क) जब किसी कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए चिकित्सकीय दृष्टि से अस्वस्थ प्रमाणित किया जाता है, उसके इस प्रकार प्रमाणित होने के दिन से तुरंत पूर्व के छुट्टी (छुट्टियों), यदि कोई हो, छुट्टी के पूर्व में लगाने की स्वत: अनुमति होगी और उसके इस प्रकार प्रमाणित होने के दिन (जिसमें वह दिन भी शामिल है) के तुरंत बाद के छुट्टी (छुट्टियों) को छुट्टी का भाग माना जाएगा; और

ख) जब किसी कर्मचारी को कार्य ग्रहण करने के लिए चिकित्सकीय दृष्टि से प्रमाणित किया जाता है, तो उसके इस प्रकार प्रमाणित होने के दिन (इसमें वह दिन भी शामिल होगा) के तुरंत बाद के छुट्टी (छुट्टियों) को स्वत: छुट्टी के बाद में जोड़े जाने की स्वत: अनुमाति होगी, और उसके इस प्रकार प्रमाणित होने के दिन से पूर्व के छुट्टी (छुट्टियों) को छुट्टी का भाग माना जाएगा।

(2) जब तक कि छुट्टी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी किसी भी स्थिति में अन्यथा निदेश न दे-

(i) यदि अवकाश छुट्टी के पूर्व में जोड़े जाते हैं, तो छुट्टी और वेतन एवं भत्तों का कोई भी परिणामी पुनर्व्यवस्थापन अवकाशों के बाद लागू होगा; और

(ii) यदि अवकाश छुट्टी के बाद जोड़े जाते हैं, तो छुट्टी को निरस्त माना जाता है और वेतन और भत्तों का कोई भी पुनर्व्यवस्थापन उस दिन लागू होगा जब छुट्टी समाप्त होती यदि अवकाशों को बाद में नहीं जोड़ा जाता।

टिप्पण - किसी कर्मचारी द्वारा शनिवार/रविवार या किसी छुट्टी पर पूरे दिन निष्पादित ड्यूटी के बदले प्रदान की गई प्रतिपूर्ति छुट्टी को उपर्युक्त प्रयोजनों से अवकाश माना जाएगा।

भाग 2

छुट्टी के प्रकार

59. कर्मचारियों को निम्न प्रकार की छुट्टियों की अनुमति होगी— (1) कार्य द्वारा अर्जित छुट्टी – अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी और अदेय छुट्टी।

(2) कार्य द्वारा अर्जित न की गई छुट्टी – आकस्मिक छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, मातृत्व छुट्टी, पितृत्व छुट्टी, बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी, अध्ययन छुट्टी और असाधारण छुट्टी।

60. ड्यूटी द्वारा अर्जित छुट्टी– (1) अर्जित छुट्टी- प्रत्येक कर्मचारी के छुट्टी खाते में अर्जित छुट्टी, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के पहले दिन पंद्रह-पंद्रह दिन की दो किश्तों में, अग्रिम रूप से अर्जित छुट्टी के साथ जमा की जाएगी।

(2) पिछले आधे वर्ष की समाप्ति पर कर्मचारी के खाते में छुट्टी को, इस शर्त के अध्यधीन, अगले आधे वर्ष में आगे ले जाया जाएगा, कि इस प्रकार आगे ले जाई गई छुट्टी और उस आधे वर्ष के लिए डाली गई छुट्टी का जमा तीन सौ दिन की अधिकतम सीमा से अधिक न हो:

परंतु यह कि जहां दिसंबर या जून के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार कर्मचारी के खाते में डाली गई अर्जित छुट्टी तीन सौ दिन या इससे कम है किंतु दो सौ पिचासी दिन से अधिक है, तो इस अध्यादेश के उपबंध (क) में इंगित तरीके से जुटाए जाने के लिए जनवरी या जुलाई के पहले दिन पंद्रह दिन के अर्जित छुट्टी के अग्रिम क्रेडिट को, छुट्टी खाते में क्रेडिट किए जाने की बजाय, अलग रखा जाएगा और सर्वप्रथम इसे कर्मचारी द्वारा उस अर्ध-वर्ष के दौरान ली गई छुट्टियों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा और शेष, यदि कोई हो, को अर्ध-वर्ष की समाप्ति पर के छुट्टी खाते में डाला जाएगा, इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी अर्जित छुट्टी के शेष और पहले से खाते में छुट्टी का जोड़ तीन सौ दिन की अधिकतम सीमा से अधिक न हो।

(3) किसी कर्मचारी को एक समय में प्रदान की जा सकने वाली अर्जित छुट्टी की अधिकतम सीमा एक सौ अस्सी दिन होगी।

(4) विदेश सेवा में व्यतीत अवधि को इस अध्यादेश के उद्देश्यों हेतु कार्य माना जाएगा, यदि इस अवधि के खाते में छुट्टी वेतन में योगदान का भुगतान किया गया हो।

(5) जब किसी कर्मचारी की नियुक्ति होती है, तो उसके छुट्टी खाते में अर्जित छुट्टी उसके द्वारा उस कैलेंडर वर्ष, जिसमें उसकी नियुक्ति होती है, के अर्ध-वर्ष में प्रदान की जाने के लिए संभावित उसकी सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए अढ़ाई दिन की दर से खाते में डाली जाएगी, उदाहरणार्थ यदि उसकी नियुक्ति 13 (तेरह) मार्च को होती है, तो उस अर्ध-वर्ष में उसकी सेवा के पूर्ण माहों की संख्या तीन होगी और खाते में तीन गुणा अढ़ाई = सात छुट्टियां डाली जाएंगी।

(6) यदि कर्मचारी की नियुक्ति 4 अप्रैल को होती है, ½ दिन को पूरा करके 8 दिन किया जाएगा, और पूर्ण माहों की संख्या केवल 2 होगी और खाते में 2X2½ = 5 दिन की छुट्टियां डाली जाएंगी। यदि शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी की नियुक्ति 4 अप्रैल को होती है, आधेदिन को पूरा करके आठ दिन किया जाएगा, और पूर्ण माहों की संख्या केवल दो होगी और खाते में दो गुणा अढ़ाई = पांच दिन की छुट्टियां डाली जाएंगी।

(7) जिस अर्ध-वर्ष में शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी की सेवानिवृत्ति निश्चित है या वह सेवा से त्यागपत्र देता/देती है, उस अर्ध-वर्ष के लिए खाते में उस अर्ध-वर्ष में केवल सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र की तारीख तक अढ़ाई दिन प्रति पूर्ण माह की दर से छुट्टियां डाली

जाएंगी; यदि विश्वविद्यालय की सेवा से त्यागपत्र देने वाले कर्मचारी के मामले में पहले से प्राप्त की गई छुट्टी उसके लिए निश्चित खाते से अधिक है, तो अधिक आहरित छुट्टी वेतन, यदि कोई हो, के संबंध में आवश्यक समायोजन किया जाना चाहिए।

(8) यदि किसी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जाता है, तो अर्जित छुट्टी के क्रेडिट की अनुमति उसे सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने के कैलेंडर महीने से पूर्ववर्ती कैलेंडर महीने के अंत तक पूर्ण प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए अढ़ाई दिन की दर से होगी; यदि किसी कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु हो जाती है, तो अर्जित छुट्टी के क्रेडिट की अनुमति शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी की मृत्यु की तारीख तक की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए अढ़ाई दिन की दर से होगी।

(9) यदि किसी कर्मचारी ने असाधारण छुट्टी प्राप्त की है या अनुपस्थिति की कुछ अवधि को किसी अर्ध-वर्ष में *अकार्य दिवस* माना गया है, तो अगले अर्ध-वर्ष के आरंभ होने पर उसके छुट्टी खाते में जुटाए गए क्रेडिट में से ऐसी छुट्टी या *अकार्य दिवस* की अवधि का 1/10 वां हिस्सा, अधिकतम पंद्रह दिन के अध्यधीन, घटा लिया जाएगा।

(10) अर्जित छुट्टी का क्रेडिट जुटाते समय, दिन के अंशों को निकटतम दिन तक पूरा किया जाएगा।

61. संचय और अनुदान की सीमा — (1) जब देय अर्जित छुट्टी तीन सौ दिन हो जाएगा, तो किसी कर्मचारी द्वारा अध्यादेश 60 के उपबंध (1) के अधीन छुट्टी अर्जित किया जाना समाप्त हो जाएगा।

(2) किसी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी को एक बार में प्रदान की जा सकने वाली अर्जित छुट्टी की मात्रा एक सौ अस्सी दिन होगी:

परंतु यह कि अर्जित छुट्टी एक सौ अस्सी दिन से अधिक अवधि के लिए प्रदान की जा सकती है, किंतु तीन सौ दिन से अधिक नहीं, यदि इस प्रकार प्रदान की गई सम्पूर्ण छुट्टी या इसका कोई अंश भारत, बांग्लादेश, भूटान, मयंमार (बर्मा), श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान से बाहर व्यतीत किया गया हो:

परंतु यह कि जहां इस अध्यादेश के अधीन एक सौ अस्सी दिन से अधिक अवधि के लिए अर्जित छुट्टी प्रदान की जाती है, तो भारत में व्यतीत की गई ऐसी छुट्टी की अवधि उपर्युक्त सीमाओं से अधिक सकल में नहीं होगी;

परंतु यह भी कि सेवानिवृत्ति के उपक्रमात्मक छुट्टी के रूप में ली गई अर्जित छुट्टी अधिकतम तीन सौ दिन के लिए प्राप्त की जा सकती है।

(3) चिकित्सा प्रमाणपत्र पर ली गई छुट्टी से अन्य छुट्टी में अवकाश को आगे/पीछे जोड़े जाने की अनुमति स्वत: होगी, सिवाए उन मामलों के जहां प्रशासनिक कारणों से छुट्टी के आगे/पीछे अवकाश को जोड़े जाने पर विनिर्दिष्ट रूप से रोक लगाई जाती है और जब किसी कर्मचारी को कार्य ग्रहण करने के लिए चिकित्सकीय दृष्टि से स्वस्थ प्रमाणित किया जाता है, तो उस दिन के अनुवर्ती छुट्टी (अवकाशों), यदि कोई हो, को स्वत: छुट्टी के बाद जोड़े जाने की अनुमति होगी और उसके इस प्रकार प्रमाणित किए जाने से पूर्व के छुट्टी (अवकाशों), यदि कोई हो, छुट्टी का भाग माना जाएगा।

62. अर्ध वेतन छुट्टी — (1) प्रत्येक शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी के छुट्टी खाते में अर्ध वेतन छुट्टी, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के पहले दिन दस दिन की दो किश्तों में, अग्रिम रूप से नामें डाली जाएगी।

(2) (i) प्रत्येक कर्मचारी के अर्ध-वेतन छुट्टी खाते को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष, जिसमें उसकी नियुक्ति के कैलेंडर वर्ष के अर्ध-वर्ष में प्रदान की जाने के लिए सेवा प्रदान करने की संभावना है, के पहले दिन तीन से पांच दिनों की दर से अर्ध वेतन छुट्टी के साथ जमा किया जाएगा;

(ii) जिस अर्ध-वर्ष में कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त होना है या त्यापगपत्र देता है, उसके लिए सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र की तारीख तक प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह पांच या तीन दिन की दर से क्रेडिट की अनुमति, होगी;

(iii) जब किसी कर्मचारी को सेवा से हटा दिया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है, तो अर्ध वेतन छुट्टी का क्रेडिट कैलेंडर पूरा होने के पहले कैलेंडर माह के अंत तक कैलेंडर महीने के अंत तक पांच या तीन दिनों की दर से अनुमति दी जाएगी जिसमें उसे सेवा से हटाया जाता है या सेवा से बर्खास्त कर दिया;

(iv) जब कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु हो जाती है, तो कर्मचारी की मृत्यु की तारीख तक सेवा के प्रति माह पांच या तीन दिनों की दर से अर्ध वेतन छुट्टी के क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी;

(v) जब किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति या निलंबन की अवधि को अर्ध वर्ष में *अकार्य दिन* के रूप में माना जाता है, तो अगले अर्ध वर्ष के शुरू होने पर उसके आधे वेतन छुट्टी खाते में भुगतान किया जाने वाला क्रेडिट, *अकार्य दिवस* के एक बटा अठारहवें हिस्से तक, अधिकतम दस दिनों के अध्यधीन, घटाया जाएगा।

(3) चिकित्सा प्रमाणपत्र या निजी मामलों पर किसी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी को अर्ध-वेतन छुट्टी दी जा सकती है और,चिकित्सा प्रमाणपत्र के मामले को छोड़कर,किसी कर्मचारी को अस्थायी नियुक्ति में अर्ध-वेतन छुट्टी नहीं दी जा सकती है।

(4) आधा वेतन छुट्टी का क्रेडिट जुटाते समय, एक दिन के अंश को निकटतम दिन तक पूर्ण किया जाएगा।

63. परिवर्तित छुट्टी— (1) स्थायी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अर्ध वेतन छुट्टी के खाते से अधिकतम आधी परिवर्तित छुट्टी प्रदान की जा सकती है जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात:–

(i) छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो कि छुट्टी समाप्त होने पर कर्मचारी की कार्य पर लौटने की औचित्यपूर्ण संभावना है;

(ii) जब परिवर्तित छुट्टी प्रदान की जाती है, तो देय अर्ध वेतन छुट्टी के सापेक्ष ऐसी छुट्टी की दुगनी अवधि छुट्टी खाते से काट ली जाएगी;

(iii) सम्पूर्ण सेवा के दौरान अधिकतम एक सौ अस्सी दिनों तक आधा वेतन छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है (चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना) जहां ऐसी छुट्टी का उपयोग छुट्टी संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक हित में प्रमाणित अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिए किया जाता है।

(2) जहां शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी को परिवर्तित छुट्टी दी गई है, उसे सेवा से इस्तीफा दे दिया गया है या उसके अनुरोध पर उसे कर्तव्य पर लौटने के बिना स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति है, लेकिन परिवर्तित छुट्टी के रूप में छुट्टी वेतन के बीच अंतर और आधा वेतन छुट्टी वसूल की जाएगी:

परंतु यह कि ऐसी कोई वसूली नहीं की जाएगी यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी को आगे की सेवा के लिए या उसकी मृत्यु की स्थिति में बीमार स्वास्थ्य के कारण है।

टिप्पण:- कर्मचारी के अनुरोध पर परिवर्तित छुट्टी दी जा सकती है, भले ही अर्जित छुट्टी उसको देय हो।

64. अदेय छुट्टी — (1) सेवानिवृत्ति के लिए उपक्रमात्मक छुट्टी के मामले को छोड़कर, चिकित्सा प्रमाणपत्र पर पूरी सेवा के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्थायी रोजगार में किसी कर्मचारी को अधिकतम तीन सौ साठ दिनों तक सीमित नहीं दिया जा सकता है-

(i) छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि कर्मचारी की समाप्ति पर कर्तव्य पर लौटने की औचित्यपूर्ण संभावना है;

(ii) अदेय छुट्टी इसके पश्चात अर्जित करने के लिए संभावित आधे वेतन की छुट्टी तक सीमित नहीं होगी;

(iii) अदेय छुट्टी कर्मचारी द्वारा बाद में अर्जित की जा सकने वाली अर्ध वेतन छुट्टी के सापेक्ष विकलन की जाएगी:

परंतु यह कि, तपेदिक, कुष्ठ रोग, कैंसर या मानसिक बीमारी से पीड़ित अस्थायी कर्मचारियों की कठिनाई को कम करने के लिए, क्लॉज में स्थितियों की पूर्ति के अधीन पूरे सेवा के दौरान तीन सौ साठ दिनों से अधिक अवधि के लिए ऐसे कर्मचारियों को देय नहीं दिया जा सकता है (i) से (iii) उपरोक्त और निम्नलिखित शर्तों के अधीन भी, अर्थात:–

क) कि शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी ने कम से कम एक साल की सेवा प्रदान की है;

ख) कि जिस पद से शिक्षक और गैर-शिक्षणकर्मचारी छुट्टी जाता है, वह उसकी काम पर वापस आने तक चलने की संभावना है;

ग) ऐसी छुट्टी देने के लिए अनुरोध चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है।

(2) (i) जहां शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी को छुट्टी मंजूर की गई है, उसे सेवा से इस्तीफा देने के लिए या उसके अनुरोध पर स्वेच्छा से रिटायर होने की अनुमति नहीं दी गई है, 'अदेय छुट्टी' रद्द कर दी जाएगी, उसकी इस्तीफा या सेवानिवृत्ति तारीख से प्रभावी हो रही है जिस तरह की छुट्टी शुरू हुई थी, और छुट्टी का वेतन वसूल किया जाएगा।

(ii) जहां एक कर्मचारी जिसने स्वयं अदेय छुट्टी प्राप्त करने के बाद, वापस कार्यग्रहण नहीं किया है, बल्कि उसने इस तरह की छुट्टी अर्जित करने से पहले सेवा से इस्तीफा दे दिया है या उसे सेवानिवृत्त किया है, तो वह उस सीमा तक छुट्टी वेतन को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा जो बाद में अर्जित नहीं की गई है

परंतु उपर्युक्त खंड (1) या (2) के तहत कोई छुट्टी वेतन वसूल नहीं किया जाएगा यदि उसकी सेवानिवृत्ति ऐसे खराब स्वास्थ्य की वजह से हुई है जिससे कर्मचारी कार्य करने में अक्षम हो चुका हो अथवा उसकी मृत्यु हो गई हो:

परंतु यह और कि यदि कर्मचारी को समयपूर्व अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किया गया हो तो उपर्युक्त खंड (1) या खंड (2) के अधीन किसी छुट्टी वेतन का प्रत्युद्धरण (recovery) नहीं किया जाएगा।

भाग 3

ड्यूटी द्वारा गैर-अर्जित अवकाश

65. आकस्मिक छुट्टी.- (क) आकस्मिक छुट्टी कार्य द्वारा अर्जित नहीं की जाती है - आकस्मिक छुट्टी पर एक कर्मचारी को कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं माना जाता है और उसका / उसका वेतन संचरित नहीं होता है और आकस्मिक छुट्टी पर दावे के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और इसका अनुदान हमेशा सेवा की अत्यावश्यकता के अधीन रहता है और कैलेंडर वर्ष, जो प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, में अधिकतम आठ दिनों के अधीन है:

परंतु जो लोग एक वर्ष के मध्य में सेवा में शामिल होते हैं वे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार आनुपातिक आकस्मिक छुट्टी या पूर्ण अवधि का लाभ उठा सकते हैं।

(2) आकस्मिक छुट्टी को शनिवार और अन्य छुट्टियों के बदले विशेष आकस्मिक छुट्टी और प्रतिपूर्ति छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है लेकिन किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं।

(3) इसे सेवाग्रहण अवधि के साथ जोड़ा नहीं जा सकता।

(4) जब कभी अवसर उत्पन्न हो, आकस्मिक छुट्टी एक बार में 5 दिन तक दी जा सकती है और शनिवार / रविवार / सार्वजनिक छुट्टियां / प्रतिबंधित छुट्टियां / साप्ताहिक छुट्टियों को आकस्मिक छुट्टी के आगे/पीछे जोड़ा जा सकता है।

(5) आकस्मिक/प्रतिपूर्ति छुट्टी के बीच में आने वाले शनिवारों/रविवारों और मान्यताप्राप्त अवकाशों की गणना आकस्मिक छुट्टी के भाग के रूप में नहीं की जाएगी।

(6) आकस्मिक छुट्टी आधे दिन के लिए भी ली जा सकती है।

(7) आकस्मिक छुट्टी के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त की जा सकती है।

(8) प्रत्येक विलंबित उपस्थिति के लिए आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी किसी कर्मचारी के आकस्मिक छुट्टी खाते से विकलित कर दी जाएगी किंतु एक घंटे तक देर से उपस्थिति, एक महीने में दो से अधिक मौकों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निंदा की जा सकती है, अगर वह संतुष्ट है कि यह अपरिहार्य कारणों से है, उदाहरण के लिए, परिवार में बीमारी, वाहन खराब होना, बसें/ट्रेन इत्यादि का देर से चलना।

66. विशेष आकस्मिक छुट्टी:- (1) खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए अंतर-विभागीय टूर्नामेंट और खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए किसी भी कैलेंडर वर्ष में 10 दिनों से अधिक की अवधि के लिए किसी कर्मचारी को विशेष आकस्मिक छुट्टी नहीं दी जा सकती है; उन कर्मचारियों के मामले में जिन्हें राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए चुना जाता है, वास्तविक घटनाओं की अवधि जिसमें वे घटनाओं में भाग लेते हैं और साथ ही इस तरह के टूर्नामेंट / मीटिंग से यात्रा करने में व्यतीत समय को भी ड्यूटी माना जा सकता है;

(2) इसके अतिरिक्त, यदि उपर्युक्त कार्यक्रमों के संबंध में कोई भी पूर्व-भागीदारी कोचिंग शिविर आयोजित किया जाता है और कर्मचारी को इसमें भाग लेने की आवश्यकता होती है, तो इस अवधि को कर्तव्य के रूप में भी माना जा सकता है।

(3) निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों को अनुमति दी गई कैलेंडर वर्ष में तीस दिनों से अधिक अवधि के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी की मात्रा -

(क) राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम या इसी तरह के अखिल भारतीय कोचिंग या प्रशिक्षण के तहत कोचिंग या प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना;

(ख) राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में कोचिंग या प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना;

(ग) पर्वतारोहण अभियानों में भाग लेना;

(घ) सरकार (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय खेल संघ / खेल बोर्ड द्वारा आयोजित खेलों में कोचिंग शिविर में भाग लेना;

(ड.) ट्रेकिंग अभियानों में भाग लेना;

(च) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों में भाग लेना और

(छ) राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल आयोजनों में भाग लेने वाली टीमों की कोचिंग या प्रशासन।

(4) परिवार नियोजन के लिए, पुरुष कल्याण कार्यक्रम के तहत पहली बार परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत वेसेक्टोमी ऑपरेशन करवाने वाले पुरुष कर्मचारियों के मामले में विशेष आकस्मिक छुट्टी की अवधि की गणना करते समय पांच कार्य दिवसों से अधिक आरामदायक छुट्टी और शनिवार / रविवार और बंद छुट्टियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए; यदि किसी भी अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी को पहले ऑपरेशन की विफलता के कारण दूसरी बार वेसेक्टोमी ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो दूसरे ऑपरेशन के प्रभाव से संबंधित चिकित्सा प्राधिकरण से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पांच कार्य दिवसों से अधिक की विशेष आकस्मिक छुट्टी दोबारा दी जा सकती है कि पहले ऑपरेशन की विफलता के कारण दूसरा ऑपरेशन किया गया।

(5) महिला कर्मचारियों के मामले में परिवार नियोजन के लिए.-

(i) जिनका प्यूरपेरल या नॉन प्यूरपेरल ट्यूबेक्टोनी ऑपरेशन हुआ है- अधिकतम 10 कार्य दिवस की विशेष आकास्मिक छुट्टी दी जा सकती है

(ii) पहले ऑपरेशन की विफलता के कारण दूसरी बार ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन कराने पर विशिष्ट मेडिकल प्राधिकरण से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर अधिकतम 10 कार्य दिवसों का विशेष आकस्मिक छुट्टी दिया जा सकता है परंतु कि यह स्पष्ट हो कि दूसरा ऑपरेशन पहले ऑपरेशन की विफलता के कारण किया गया था;

(iii) इंट्रायूटरिन गर्भ निरोधक उपकरण (आईयूसीडी) लगवाने पर, आईयूसीडी सम्मिलन की तारीख पर विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है;

(iv) इंट्रायूटरिन डिवाइस (आईयूडी) पुनः लगवाने पर, आईयूडी पुन: लगवाने की तारीख पर विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है;

(v) गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन (एमटीपी) के बाद सैलपिंगक्टोमी ऑपरेशन करवाने वाली महिला अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी को अधिकतम 10 दिन का विशेष आकस्मिक छुट्टी दिया जा सकता है;

(vi) महिला शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी जो गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन के साथ सैलिंगक्टोमी ऑपरेशन करवाती हैं और अध्यादेश 68 के खंड (3) के अधीन छह सप्ताह की प्रसूति छुट्टी की सुविधा का लाभ उठाती हैं, अतिरिक्त दस दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी की हकदार नहीं होंगी।

(6) पुरुष शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी जिनकी पत्नियां ट्यूबक्टोमी ऑपरेशन करवाती हैं.-

(i) पुरुष शिक्षक एवं गैर- शिक्षण कर्मचारी जिनकी पत्नियां पहली बार या पहली बार ऑपरेशन (परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत) की विफलता के कारण दूसरी बार नॉन-पुएरपेरल ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन से गुजरती हैं, उन्हें 3 कार्य दिवसों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है, परंतु कि मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाए जिसमें यह कहा गया हो कि पहले ऑपरेशन की विफलता के कारण पत्नी ने दूसरी बार ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन कराया है और प्रमाण पत्र में यह बताना आवश्यक नहीं है कि स्वास्थ्य-लाभ के दौरान पत्नी की देखभाल हेतु कर्मचारी की उपस्थिति आवश्यक है।

(ii) पुरुष शिक्षक एवं गैर- शिक्षण कर्मचारी जिनकी पत्नियां गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन (एमटीपी) के पश्चात ट्यूबेक्टमी, सैलिंगक्टोमी ऑपरेशन करवाती हैं, को 7 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है, परंतु कि यह बताते हुए मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाए कि उनकी पत्नियों ने गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन के पश्चात ट्यूबेक्टमी, सैलिंगक्टोमी ऑपरेशन कराया है और प्रमाणपत्र में यह बताना आवश्यक नहीं होगा कि स्वास्थ्य-लाभ के दौरान पत्नी की देखभाल हेतु कर्मचारी की उपस्थिति आवश्यक है।

(iii) ऑपरेशन की तारीख के पश्चात विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जाती है और एक पुरुष कर्मचारी को विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का प्रयोजन उसकी पत्नी के ऑपरेशन से गुजरने के पश्चात उनका अपने परिवार की देखभाल करने के लिए उपलब्ध होने का है; इन परिस्थितियों में, विशेष आकस्मिक छुट्टी केवल ऑपरेशन की तारीख के तुरंत बाद ही दी जा सकती है और ऑपरेशन की तारीख और विशेष आकस्मिक छुट्टी शुरू होने की तारीख के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता।

(7) महिला कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी जब उनके पतियों ने नसबंदी कराई हो – जिस दिन उनके पति ने नसबंदी कराई हो, महिला कर्मचारियों को एक दिन का विशेष आकस्मिक छुट्टी दिया जा सकता है।

(8) नसबंदी के पश्चात की जटिलताएँ- जिन कर्मचारियों को ऑपरेशन की जटिलताओं के कारण नसबंदी ऑपरेशन से गुजरने के लिए निर्धारित सीमा से अधिक विशेष आकस्मिक छुट्टी की आवश्यकता होती है, उन्हें उस अवधि जिसमें नसबंदी के बाद की जटिलताओं के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया हो, को सम्मिलित करने के लिए विशेष आरामदायक छुट्टी की अनुमति दी जा सकती है परंतु कि संबद्ध अस्पताल प्राधिकरणों / एक अधिकृत मेडिकल अटैन्डेंट से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(9) रीकैनलाइज़ेशन ऑपरेशन करवाने के लिए- जिन कर्मचारियों को रीकैनलाइज़ेशन ऑपरेशन करवाना पड़ता है उन्हें इक्कीस दिनों की अवधि या अस्पताल में भर्ती की वास्तविक अवधि जो भी कम है की विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है, जैसा कि प्राधिकृत मेडिकल अटैन्डेंट द्वारा प्रमाणित किया गया हो, और इसके अतिरिक्त यह ऑपरेशन करवाने के लिए की जाने वाले यात्रा की वास्तविक अवधि के लिए भी विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जा सकती है; रीकैनलाइज़ेशन ऑपरेशन के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी (चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु किसी भी प्रतिबद्धता के बिना) निम्नलिखित स्थितियों की दशा में दी जा सकती है -

(i) ऑपरेशन किसी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज या संस्थान में किया जाना चाहिए जहां रीकैनलाइज़ेशन की सुविधाएं उपलब्ध हों; यदि ऑपरेशन एक निजी अस्पताल में किया जाना है, तो यह अस्पताल रीकैनलाइज़ेशन ऑपरेशन करवाने के लिए राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश या प्रशासन द्वारा नामित होना चाहिए।

(ii) विशेष आकस्मिक छुट्टी के लिए अनुरोध ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के मेडिकल सर्टिफिकेट द्वारा समर्थित होना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट हो कि ऑपरेशन और पोस्ट-ऑपरेशन रिकवरी हेतु उसमें निर्धारित अवधि के लिए कर्मचारी का अस्पताल में रहना आवश्यक था।

(iii) उपर्युक्त सुविधा उन कार्मिकों के लिए ग्राह्य है -

(क) जो अविवाहित हैं; या

(ख) जिनके दो से कम बच्चे हैं; या

(ग) जो पर्याप्त कारणों से रीकैनलाइज़ेशन चाहते हैं, उदाहरण के लिए, व्यक्ति ने पहले किए गए वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन के बाद पुरुष बच्चों या सभी मादा बच्चों को खो दिया है।

(10) नियमित या आकस्मिक छुट्टी के साथ संयोजन – स्टेरेलाइज़ेशन, रीकैनलाइज़ेशन से जुड़ी विशेष आकस्मिक छुट्टी को, परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नियमित या आकस्मिक छुट्टी के साथ पहले या बाद में जोड़ा जा सकता है; तथापि, विशेष आकस्मिक छुट्टी को नियमित छुट्टी और आकस्मिक छुट्टी दोनों के साथ पहले जोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; विशेष आकस्मिक छुट्टी नियमित या आकस्मिक छुट्टी में से किसी एक के साथ पहले जोड़ी जा सकती है किंतु दोनों नहीं; इसी तरह, विशेष आकस्मिक छुट्टी नियमित या आकस्मिक छुट्टी में से किसी एक के पश्चात जोड़ी जा सकती है किंतु दोनों नहीं ; बीच की छुट्टियाँ जिनमें शनिवार या रविवार शामिल हो सकते हैं, जैसा भी मामला हो को नियमित छुट्टी के पहले या बाद में जोड़ा जा सकता है।

(11) विविध.-

(i) कोई शिक्षक या गैर शिक्षण कर्मचारी जिसे जूरी सदस्य या निर्धारक के तौर पर बुलाया गया हो या किसी नागरिक या आपराधिक मामले में गवाह के रूप में न्यायालय के समक्ष सबूत देने के लिए बुलाया गया हो जिसमें उसका निजी हित विवादास्पद विषय नहीं है, को यह विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है और इस प्रकार अनुमोदित छुट्टी अनुपस्थिति की अवधि को कवर करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

(ii) जब किसी अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी को अन्य संस्थानों के संदर्भ पुस्तकालयों और विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक कार्यों के हित में शिक्षित एवं व्यावसायिक समाज में भाग लेने के लिए नियुक्त किया गया हो और जिसमें विश्वविद्यालय / सरकार / यूजीसी, व्याख्यान और परीक्षा कार्य व यूपीएससी कार्य, और ऐसे अन्य कार्य जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो भी सम्मिलित होंगे में भाग लेने के लिए भी कार्मिक को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दस दिनों तक भी यह विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है।

(iii) स्टाफ को नागरिक उपद्रव, कर्फ्यू या हड़ताल के दौरान कार्यालय में भाग लेने से रोके जाने पर भी कार्मिक को विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जा सकती है।

67. प्रतिपूरक छुट्टी- (1) शनिवार या रविवार या अन्य सार्वजनिक छुट्टियों पर आवश्यक उपस्थिति के कारण कार्मिक को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य करने पर उतने दिनों का प्रतिपूरक छुट्टी अनुदान उचित है, जब तक कि उसे दंड के रूप में लगाया न गया हो या फिर वे बकाया काम को करने के लिए हो जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित है और वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है तथा ऐसे मामलों में उपस्थिति कार्यालय-प्रभारी के पिछले आदेशों के तहत होनी चाहिए; अर्जित प्रतिपूरक छुट्टी के दिनों की संख्या आकस्मिक छुट्टी रजिस्टर में टिप्पण की जाएगी और उसमें अनूदित छुट्टी का भी उल्लेख किया जाएगा। वास्तव में अर्जित प्रतिपूरक छुट्टी की अनुमति उन्हीं स्थितियों में दी जा सकती है जो आकस्मिक छुट्टी के लिए निर्दिष्ट है।

(2) शिक्षक या गैर शिक्षण कर्मचारी द्वारा अर्जित प्रतिपूरक छुट्टी को देय होने के चार महीने की अवधि के भीतर उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

68. मातृत्व छुट्टी – (1) दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला एक शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक तारीख से 180 दिनों की अवधि तक मातृत्व छुट्टी दिया जा सकता है।

(2) मातृत्व छुट्टी अवधि के दौरान, महिला शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी को छुट्टी पर जाने से पहले दिये जाने वाले वेतन के बराबर छुट्टी का वेतन भुगतान किया जाएगा।

(3) महिला शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी की पूरी सेवा के दौरान मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर मिसकैरेज सहित गर्भपात के मामले में उस महिला अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी (जीवित बच्चों की संख्या पर ध्यान दिये बिना) को अधिकतम 45 दिनो का मातृत्व छुट्टी भी दिया जा सकता है।

(4) (i) मातृत्व छुट्टी किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।

(ii) मातृत्व छुट्टी खाते में से नहीं काटा जाएगा और अविवाहित महिला कर्मचारी भी प्रसूति छुट्टी की पात्र हैं।

69. शिशु देखभाल छुट्टी - (1) इस अध्यादेश के प्रावधान के अध्याधीन, एक महिला सरकारी कर्मचारी को छुट्टी देने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल करने के लिए अपने पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 730 दिनों की अवधि के लिए शिशु देखभाल छुट्टी दी जा सकती है, वो चाहे बच्चों के पालन, शिक्षा, बीमारी या उनकी अन्य किसी भी जरूरत के लिए हो।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "बच्चे" से अभिप्रेत है -

i. अठारह साल से कम उम्र के बच्चे; या

ii. न्यूनतम चालीस प्रतिशत तक अक्षमता वाले बच्चे जिनकी आयु बाईस वर्ष से कम हो।

(2) महिला सरकारी कर्मचारी को खंड (1) के अंतर्गत शिशु देखभाल छुट्टी का अनुदान निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखकर दिया जाएगा, अर्थात:-

i. इसे एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक नहीं दिया जाएगा;

ii. यह कुछ अत्यंत आवश्यक स्थितियों को छोड़कर सामान्य रूप से प्रोबेशन अवधि के दौरान नहीं दिया जाएगा, और केवल तब ही दिया जाएगा जब छुट्टी स्वीकार करने वाले प्राधिकारी प्रोबेशनर की शिशु देखभाल की आवश्यकता के विषय में संतुष्ट है, और स्वीकृत छुट्टी की अवधि न्यूनतम है।

(3) शिशु देखभाल छुट्टी की अवधि के दौरान, महिला सरकारी कर्मचारी को छुट्टी पर जाने से पहले तुरंत भुगतान किए गए वेतन के बराबर छुट्टी का भुगतान किया जाएगा।

(4) शिशु देखभाल छुट्टी किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है।

(5) अध्यादेश 68 के खंड (3) या खंड (1) में निहित मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की अपेक्षा के होते हुए भी देय स्वीकार्य छुट्टी में से (अधिकतम साठ दिनों की प्रतिपूरक छुट्टी और देय छुट्टी सहित) अधिकतम एक वर्ष की छुट्टी का यदि आवेदन किया जाता है, तो इस अध्यादेश के खंड (1) के अधीन दी गई शिशु देखभाल छुट्टी के साथ लगातार दी जा सकती है।

(छ) शिशु देखभाल छुट्टी, छुट्टी खाते में से काटी नहीं जाएगी।

70. पितृत्व छुट्टी- (1) दो से कम जीवित बच्चों वाले पुरुष शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी को अपनी पत्नी के प्रसव के दौरान पन्द्रह दिनों की अवधि के लिए पितृत्व छुट्टी दिया जा सकता है, यथा: 15 दिन पहले, या प्रसव की तारीख से छह महीने तक और इन 15 दिनों की अवधि के दौरान, उसे छुट्टी पर जाने से पहले तुरंत भुगतान किए गए वेतन के बराबर छुट्टी का भुगतान किया जाएगा; पितृत्व छुट्टी छुट्टी खाते में से नहीं काटा जाएगा और यह किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है (जैसा कि मातृत्व छुट्टी में)।

(2) यदि उपरोक्त खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पितृत्व छुट्टी का लाभ नहीं लिया जाता है, तो ऐसी छुट्टी को समाप्त माना जाएगा।

(3) पितृत्व छुट्टी को सामान्य रूप से किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

71. शिशु दत्तक लेने के लिए पितृत्व छुट्टी- (1) दो से कम जीवित बच्चों वाले पुरुष शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी को एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध रूप से गोद लेने पर वैध गोद लेने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर 15 दिनों की अवधि के लिए पितृत्व छुट्टी दिया जा सकता है।

(2) पंद्रह दिनों की अवधि के दौरान, उसे छुट्टी पर जाने से तुरंत पहले दिए गए वेतन के बराबर छुट्टी का भुगतान किया जाएगा।

(3) पितृत्व छुट्टी किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है।

(4) पितृत्व छुट्टी छुट्टी खाते में से नहीं काटा जाएगा।

(5) यदि उपरोक्त खंड (क) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर पितृत्व छुट्टी का लाभ नहीं लिया जाता है, तो ऐसी छुट्टी को समाप्त माना जाएगा।

(6) पितृत्व छुट्टी को किसी भी परिस्थिति में सामान्य रूप से मना नहीं किया जाएगा।

72. शिशु दत्तक लेने की छुट्टी- (1) दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी को एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध रूप से गोद लेने पर वैध गोद लेने की तारीख के तुरंत बाद एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के लिए मातृत्व छुट्टी दिया जा सकता है।

(2) शिशु दत्तक लेने की छुट्टी के दौरान, उसे छुट्टी पर जाने से तुरंत पहले भुगतान किए गए वेतन के बराबर छुट्टी का भुगतान किया जाएगा।

(3) (i) शिशु दत्तक लेने की छुट्टी किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है।

(ii) इस अध्यादेश के खंड (1) के अंतर्गत बच्चा गोद लेने की छुट्टी की निरंतरता में, बच्चे को वैध रूप से दत्तक लेने पर, महिला कर्मचारी द्वारा, यदि आवेदन किया जाता है, तो देय एवं स्वीकार्य छुट्टी में से (छुट्टी के कारण और मेडिकल सर्टिफिकेट को प्रस्तुत किए बिना 60 दिनों से अधिक की छुट्टी नहीं छोड़ी गई) बच्चा गोद लेने की छुट्टी को ध्यान में रखे बिना वैध गोद लेने की तारीख पर गोद लेने वाले बच्चे की उम्र के अनुसार घटाते हुए एक वर्ष तक की अवधि के लिए छुट्टी दी जा सकती है:

परंतु इस सुविधा को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा यदि महिला अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी के पास पहले से ही गोद लेने के समय दो जीवित बच्चे है।

(4) शिशु गोद लेने की छुट्टी, छुट्टी खाते में से काटी नहीं जाएगी।

73. अस्पताल छुट्टी - (1) बीमारी या चोट के कारण चिकित्सा उपचार के लिए किसी शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी को अस्पताल जाने के लिए अस्पताल छुट्टी दी जा सकती है, यदि ऐसी बीमारी या चोट सीधे पदीय कर्तव्य के दौरान उठाए गए जोखिमों के कारण सीधे होती है और यह छुट्टी केवल ऐसे अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी को उपलब्ध होगी, जिनके कर्तव्यों का पालन करते समय ऐसी बीमारी या चोट लगने की संभावना हो।

(2) अस्पताल के लिए छुट्टी औसत वेतन पर छुट्टी वेतन या अर्ध वेतन पर पर दी जा सकती है जैसा भी विश्वविद्यालय आवश्यक समझे।

(3) अस्पताल छुट्टी की रकम तीन वर्षों को किसी अवधि में औसत वेतन पर तीन मास के लिए सीमित है और इस सीमा की गणना करने के लिए औसत वेतन पर अस्पताल छुट्टी, औसत वेतन पर छुट्टी की रकम का आधा होगी।

(4) अस्पताल की छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर, किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है, जिसे स्वीकार्य किया जा सकता है परंतु कि इस तरह के संयोजन के बाद छुट्टी की कुल अवधि एक सौ अस्सी दिनों से अधिक न हो।

74. असाधारण छुट्टी - (1) विशेष परिस्थितियों में कर्मचारियों को असाधारण छुट्टी दी जा सकती है-

(i) जब कोई अन्य प्रकार की छुट्टी स्वीकार्य नहीं है;

(ii) जब अन्य छुट्टी स्वीकार्य है, लेकिन कर्मचारी ने लिखित रूप में असाधारण छुट्टी की मांग की है।

(iii) असाधारण छुट्टी की अवधि के लिए वेतनवृद्धि की गणना नहीं की जाएगी।

(2) जब तक मामले की असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए कार्यकारी परिषद् अन्यथा निर्धारित नहीं करती है, किसी भी कर्मचारी, जो स्थायी रोजगार में नहीं है, को निम्नलिखित सीमाओं से अधिक किसी भी अवसर पर असाधारण छुट्टी नहीं दी जाएगी -

(i) तीन महीने;

(ii) छह महीने, जहां कर्मचारी ने इन नियमों के तहत देय और स्वीकार्य प्रकार की छुट्टी की समाप्ति की तारीख पर एक साल की निरंतर सेवा पूरी की है, जिसमें खंड (ख) के उप-खंड (i) के तहत तीन महीने की असाधारण छुट्टी सम्मिलित है और इन अध्यादेशों के अनुसार इस तरह के छुट्टी के लिए उसका अनुरोध इन नियमों के अनुसार अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है;

(iii) अठारह महीने, जहां एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी का निम्नानुसार इलाज चल रहा है-

(क) एक मान्यताप्राप्त स्वास्थ्यालय में पुल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस या ट्यूबरक्यूलर मूल का प्लेउरिसी;

टिप्पण- अठारह महीने तक असाधारण छुट्टी की रियायत पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरक्युलर मूल की प्लेउरिसी से पीड़ित उस कर्मचारी के लिए भी स्वीकार्य होगी, जो एक तपेदिक विशेषज्ञ के निरीक्षण में अपने निवासस्थान पर उपचार प्राप्त कर रहा है/कर रही है, और विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि वह उनसे उपचार ले रहा है/ ले रही है, और मांगी गई छुट्टी की समाप्ति तक उसके ठीक होने की संभावना हैं।

(ख) एक अर्हित ट्यूबरकुलोसिस विशेषज्ञ या सरकारी डॉक्टर द्वारा शरीर के किसी भी अन्य हिस्से का तपेदिक; या

(ग) एक मान्यताप्राप्त कुष्ठ रोग अस्पताल में या संबंधित राज्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त सरकारी डॉक्टर द्वारा मान्यताप्राप्त कुष्ठ रोग संस्थान में कुष्ठ रोग का इलाज;

(घ) कैंसर या मानसिक बीमारी के लिए, ऐसी बीमारी के इलाज के लिए मान्यताप्राप्त संस्थान में या सरकारी डॉक्टर या ऐसी बीमारी में विशेषज्ञ;

(iv) चौबीस महीने, जहां जनता के हित में प्रमाणित अध्ययन करने के लिए छुट्टी की आवश्यकता होती है, परन्तु यह कि संबंधित अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी ने इस तरह की छुट्टी की समाप्त होने की तारीख तक तीन साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो और इस अध्यादेश के खंड (2) के उप-खंड (i) के तहत तीन महीने की असाधारण छुट्टी स्वीकार्य हो।

(3) जहां एक अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी को इस अध्यादेश के खंड (2) के उपखंड (iv) में अंतर्विष्ट उपबंधों में छूट देते हुए असाधारण छुट्टी दी जाती है, उसे प्रतिपूर्ति के रूप में नोटरी द्वारा सम्यक रूप से शपथ पत्र देने की आवश्यकता होगी जिसमें लिखा होगा कि इस तरह की छुट्टी समाप्त होने पर काम पर न लौटने या तीन साल की अवधि से पहले सेवा छोड़ने की स्थिति में इस तरह की छुट्टी के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा किए गए व्यय की वास्तविक राशि के साथ-साथ किसी भी अन्य एजेंसी द्वारा किया गए व्यय को ब्याज के साथ वापस किया जाएगा।

(4) यदि असाधारण छुट्टी के दो सत्रों के बीच में, किसी अन्य प्रकार की छुट्टी आ जाती है, तो इस अध्यादेश के खंड (2) के उद्देश्यों के अनुसार वह लगातार असाधारण छुट्टी का एक सत्र माना जाएगा।

(5) सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रों में पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के उद्देश्य से, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध सरकारी सेवकों को समय-समय पर इस अध्यादेश के खंड (2) के उपबंधों में छूट देते हुए विभाग के प्रमुख द्वारा असाधारण छुट्टी प्रदान की जा सकती है ।

(6) छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी भूतलक्षी रूप से अवधि की अनुपस्थिति जिसके लिए छुट्टी न दी गई हो को असाधारण छुट्टी में परिवर्तित कर सकते है।

टिप्पण- सक्षम प्राधिकारी के पास पूर्ववर्ती अनुपस्थिति की अवधि जिसके लिए छुट्टी न दी गई हो को असाधारण छुट्टी में परिवर्तित करने की शक्ति पूर्ण है और किसी भी परिस्थिति के अधीन नहीं है।

75. अध्ययन छुट्टी इत्यादि - शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी समय-समय पर कार्यकारी परिषद् द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार अध्ययन छुट्टी के लिए पात्र होगा और एक कर्मचारी को अधिकतम इतने समय का अध्ययन छुट्टी दिया जा सकेगा जो:-

(क) साधारण तौर पर बारह महीने के लिए किसी भी समय पर; और

(ख) उनके पूरी सेवा के दौरान, कुल चौबीस महीने (जिसमें किसी अन्य नियम के अधीन दिए गए अध्ययन या प्रशिक्षण के लिए इसी प्रकार की छुट्टी सम्मिलित है);

(ग) अध्ययन छुट्टी को अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है, परन्तु किसी भी मामले में छुट्टी के साथ संयोजन में इस छुट्टी के अनुदान के अलावा, अन्य के अलावा असाधारण छुट्टी, अट्ठाईस महीने से अधिक की कुल अनुपस्थिति सम्मिलित है और साधारणतया विश्वविद्यालय के अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी की नियमित सेवाओं से पीएचडी की डिग्री की ओर जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए छत्तीस महीने की छुट्टी प्रदान की जाएगी;

(घ) इस अध्यादेश के खंड (ग) में निर्दिष्ट अनुपस्थिति के अट्ठाईस महीने या छत्तीस महीने की सीमा में छुट्टी की अवधि शामिल है।

76. छुट्टी वेतन - (1) ऐसे शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी जो अर्जित छुट्टी पर हैं, वह अर्जित छुट्टी पर जाने से तत्काल पहले लिए गए वेतन के बराबर छुट्टी वेतन लेने के हकदार होंगे।

(2) ऐसे शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी जो अर्ध वेतन छुट्टी या छुट्टी पर हैं, वह इस अध्यादेश के खंड (1) में निर्दिष्ट अर्ध राशि के बराबर छुट्टी वेतन पाने का हकदार नहीं होगा।

(3) ऐसे शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी जो परिवर्तित छुट्टी पर है, वह इस अध्यादेश के खंड (1) के तहत स्वीकार्य राशि के बराबर छुट्टी वेतन पाने का हकदार है।

(4) ऐसे शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी जो असाधरण छुट्टी पर हैं, वह किसी छुट्टी वेतन के हकदार नहीं होंगे।

(5) ऐसे शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी, विदेश सेवा में कर्मचारी सहित जो तीस दिन से कम समय की अवधि के लिए छुट्टी पर है, उन्हें आय-कर, भविष्य निधि, मकान किराया, अग्रिम की वसूली आदि के आधार पर कटौती के अध्यधीन छुट्टी वेतन पर मान्य मासिक वेतन और भत्तों तक छुट्टी वेतन के बदले एक महीने का पूर्व वेतन दिया जाए।

(6) ऐसे शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी के उस मामले में जिन्हें अध्यादेश 49 के खंड (2) के उप खंड (ii) के अधीन समतुल्य रोकड़ की मंजूरी मिलती है, उनका छुट्टी वेतन उनके द्वारा विशेष तौर पर पेंशन हेतु लिए गए वेतन जो अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के बराबर है, के आधार पर होगा।

77. ऐसे शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए होती है, तब अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी- दोनों के लिए छुट्टी वेतन के बराबर रोकड़, यदि कोई है, तो उनकी मृत्यु की तारीख तक मृतक कर्मचारी के खाते में तीन सौ दिनों से अधिक के छुट्टी न हो, का भुगतान अध्यादेश 84 में निर्दिष्ट तरीके से उनके परिवार को किया जाएगा और अध्यादेश 49 के उप-खंड (ii) खंड (2) में दिये अनुसार के बराबर रोकड़ का भुगतान किया जाएगा।

78. ऐसे शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी जिसे चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा पूरी तरह से आगे की सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम घोषित किया जाता है, स्वप्रेरणा से, छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी, संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी के जमा रकम पर दोनों अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी, यदि कोई हों, तो दोनों सेवा से अमान्यता की तारीख, अधिकतम तीन सौ दिनों का भुगतान अध्यादेश 49 के खंड (2) उप-खंड (ii) में दिये अनुसार के बराबर रोकड़ का भुगतान किया जाएगा।

79. ऐसे शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी की मृत्यु आदि के मामले में छुट्टी वेतन के बराबर नकदी का भुगतान - सेवा में या सेवानिवृत्ति के बाद या किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में ड्यूटी की सेवानिवृत्ति के पश्चात या अंतिम समाप्ति के पश्चात, लेकिन अध्यादेश 77 और 78 के अधीन देय छुट्टी वेतन के नकद समतुल्य इसकी वास्तविक से पहले पुष्टि ऐसी धनराशि सदेय होगी -

(क) विधवा के लिए, और यदि से एक अधिक विधवाएं हैं, तो अगर मृत कर्मचारी पुरुष है, तो सबसे बड़ी जीवित विधवा को, या यदि मृत कर्मचारी महिला हो, तो उसके पति को;

(ख) विधवा या पति के न होने पर पर, जैसा भी मामला हो, सबसे बड़े जीवित बेटे; या गोद लिए पुत्र को;

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के न होने पर , सबसे बड़ी अविवाहित बेटी को;

(घ) उपर्युक्त (क) से (ग) के न होने पर पर, सबसे बड़ी जीवित विधवा बेटी को;

(ङ) उपर्युक्त (क) से (घ) के न होने पर, पिता को;

(च) उपर्युक्त (क) से (ङ.) के न होने पर, मां को;

(छ) उपर्युक्त (क) से (च) के न होने पर, सबसे बड़ी जीवित विवाहित बेटी को;

(ज) उपर्युक्त (क) से (छ) के न होने पर पर, अठारह साल से कम उम्र के नीचे सबसे बड़े जीवित भाई को;

(झ) उपर्युक्त (क) से (ज) के न होने पर, सबसे बड़ी अविवाहित बहन को;

(ञ) उपर्युक्त (क) से (झ) के न होने पर, सबसे बड़ी जीवित विधवा बहन को;

(ट) उपर्युक्त (क) से (ञ) के न होने पर, पूर्व-मृत पुत्र के सबसे बड़े बच्चे को

स्पष्टीकरण.- इस अध्यादेश के प्रयोजन हेतु, "सबसे बड़ी जीवित विधवा" पद की गणना विवाह की तारीख से न कि विधवा की जन्म तारीख से किया जाएगा, ना कि उनकी आयु के संदर्भ में।

80. अन्य संगठनों (संघ लोक सेवा आयोग या भारत सरकार के विभाग या स्वायत्त निकाय या केंद्रीय विश्वविद्यालय) में स्थायी आमेलन के मामले में छुट्टी वेतन के बराबर नकद रोकड़ - एक कर्मचारी जिसे अन्य संगठनों (यूपीएससी या भारत सरकार विभाग या स्वायत्त निकायों या केंद्रीय विश्वविद्यालयों) में आमेलित करने की अनुमति दी गई है, को अधिकतम तीन सौ दिनों (दिनों की संख्या के अतिरिक्त, सेवा में रहते हुए छुट्टी यात्रा छूट (एलटीसी) के साथ जिसके लिए नकद का लाभ उठाया गया था) के अध्यधीन आमेलन की तारीख को उसके खाते में अर्जित छुट्टी के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर छुट्टी रोकड़ की मंजूरी देगा। इसकी गणना जैसा कि अध्यादेश 49 के खंड (2) के उप-खंड (ii) में दर्शाया गया है, के अनुसार की जाएगी।

(1) साधारण - निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी के नकद का लाभ तीन सौ दिन है: -

(i) वरिष्ठता की उम्र प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति;

(ii) सेवानिवृत्ति की तारीख से परे, लोक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामले जहां एक अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी की सेवा में विस्तार किया गया हो;

(iii) स्वैच्छिक / समयपूर्व सेवानिवृत्ति;

(iv) जहां किसी अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी की सेवाओं को नोटिस द्वारा समाप्त कर दिया जाता है या नोटिस के बदले वेतन और भत्ते का भुगतान द्वारा, या अन्यथा उसकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार;

(v) सेवानिवृत्ति के बाद पुन: रोजगार की समाप्ति के मामले में;

(vi) सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु के मामले में मृतक के परिवार को;

(vii) सेवानिवृत्ति के लिए तैयारी की छुट्टी के मामले में;

(viii) एक कर्मचारी के औद्योगिक प्रतिष्ठान के हस्तांतरण के मामले में; तथा

(ix) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या पूरी तरह से स्वायत्त निकाय या पर्याप्त स्वामित्व या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित में एक कर्मचारी के आमेलन पर किया जाएगा।

(2) एक शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी जो सेवा से इस्तीफा देता है या छोड़ देता है, ऐसे में इस्तीफे की तारीख को उसके क्रेडिट में कुल अर्जित छुट्टी के आधे क्रेडिट छुट्टी जो कि एक सौ पचास दिनों से अधिक न हो, के बराबर भुगतान किया जाएगा।

(3) अस्थायी पदधारियों को प्रदान की जाने वाले छुट्टी इस प्रकार होंगी-

(i) कर्मचारी के नियमितीकरण पर उनके खाते में हर दस कार्य दिवसों के बाद एक दिन अर्जित किया जाएगा।

(ii) जैसा कि उपर्युक्त (1) में निर्दिष्ट किया गया है, इसके अतिरिक्त कोई भी आकस्मिक अथवा अन्य छुट्टी प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iii) अस्थायी शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त करने या नौकरी छोड़ने पर सेवा पर नकद भुनाने के हकदार नहीं होंगे जब तक उन्हें मूल पद समूह 'ग' पद में नियमित नहीं किया जाता है।

अध्याय IV

शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारियों का आचरण

81. (1) प्रत्येक शिक्षक कर्मचारी को हर समय -

(i) पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखना;

(ii) कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखना; तथा

(iii) ऐसा कुछ भी नहीं करना जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो।

(2) (i) पर्यवेक्षी पद धारण करने वाले प्रत्येक शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी को सभी कर्मचारियों के कर्तव्य की ईमानदारी और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाना होगा, जो उस समय उसके नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन है।

(3) कोई भी शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी अपने कार्यालयी कर्तव्यों के निष्पादन में, या उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जब वह अपने कार्यालयी वरिष्ठ के निदेश के अधीन कार्य कर रहा/रही हो, को छोड़कर होगा।

(4) वरिष्ठ अधिकारी के निदेश साधारण रूप से लिखित में होंगे और जहां तक संभव हो, अपने अध्यापक एवं गैर अध्यापन कर्मचारी को दिया जाने वाले मौखिक निदेश से बचा जाना चाहिए। जहां मौखिक का मुद्दा निदेश अपरिहार्य हो जाता हो, आधिकारिक वरिष्ठ उसके तुरंत बाद लिखित में पुष्टि करेंगे।

(5) एक शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी जिसने अपने वरिष्ठ अधिकारी से मौखिक निदेश प्राप्त किया है, यथाशीघ्र लिखित में इसकी पुष्टि की जाएगी, तत्पश्चात यह वरिष्ठ अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह लिखित में निदेश की पुष्टि करें।

(6) जब तक अन्यथा विशेष रूप से नियुक्ति के संबंध में नहीं बताया गया हो, प्रत्येक पूर्णकालिक शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जैसा उसे अभिहीत किया जाए, अनुसूचित कार्य समय और बंद छुट्टी, शनिवार एवं रविवार को ऐसे निर्धारित कर्तव्यों के निष्पादन लिए कहा जा सकता है।

(7) शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी अपने कर्तव्य के स्थान पर अनुसूचित समय का पालन करेगा, जिसके दौरान वह कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहेगा।

(8) वैध कारण और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के सिवाए, कोई शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं होगा और जहां एक कर्मचारी पूर्व अनुमति के बिना खुद को नब्बे दिनों की निरंतर अवधि के लिए कर्तव्य से अनुपस्थित करता है, फरार होना माना जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए अध्यादेश 107 पठित के खंड (1) के साथ अध्यादेश 105 के खंड (1) के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

स्पष्टीकरण - 1. शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी जो सौंपे गए कार्य के निष्पादन को गुणवत्तापूर्ण सम्पादन समय पर पूरा करने में आदतन असफल रहते/रहती हैं, तो इस खंड (1) के उप-खंड (ii) के अर्थ के भीतर कर्तव्य के समर्पण में कमी समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण - 2. खंड (3) में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी कर्मचारी को अपने उत्तरदायित्व से बचने के लिए, किसी ज्येष्ठ अधिकारी या प्राधिकारी के अनुदेश से या अनुमोदन द्वारा सशक्त बनाने के अर्थ में नही होगी।

82. तत्परता और शिष्टता.- शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी अपने कार्यालय दायित्वों, निष्पादन में अशिष्ट तरीके से कार्य नहीं करेगा;

(2) कोई भी शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी जनता के साथ अपने कार्यालयी व्यवहार या अन्यथा निष्पक्षता अपनाने संबंधी रणनीति या उसे सौंपे गए कार्य निपटान में जानबूझकर देरी का कारण नहीं बनेगा।

83. काम करने वाली महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने संबंधी निषेध.- (1) कोई भी कर्मचारी कार्य स्थल पर किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी जो कार्यस्थल के प्रभारी हैं, ऐसे कार्यस्थल पर किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए उचित कदम उठाएगा।

84. अवचार.-

'अवचार' शब्द की व्यापकता पर प्रतिफूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित कार्य का लोप अवचार के रूप में माना जाएगा -

(1) रिश्वत लेना या देना या कोई भी अवैध परितोषण देना;

(2) नाम, आयु, पिता का नाम, मां का नाम, अर्हता, क्षमता या पिछली सेवा या रोजगार के समय या रोजगार के दौरान रोजगार के अनुकूल कोई अन्य मामला के बारे में झूठी जानकारी प्रस्तुत करना;

(3) पूर्वाग्रह सहित कार्य करना या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्वाग्रह जैसा कार्य करना;

(4) वरिष्ठ के किसी भी वैध और उचित आदेश के, अन्य के साथ संयोजन में या, जानबूझकर अवज्ञा या आज्ञा का उल्लंघन करना;

(5) विश्वविद्यालय की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना;

(6) विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित किसी भी सुरक्षा उपकरण के साथ छेड़छाड़ या हस्तक्षेप करना;

(7) विश्वविद्यालय परिसर में या ऐसे परिसर के बाहर शराब पीना या दंगा या अपमानजनक या अश्लील व्यवहार करना जहां इस तरह के व्यवहार रोजगार के साथ या उससे जुड़ा हुआ या उससे संबंधित है;

(8) प्रतिष्ठान के परिसर के भीतर जुआ खेलना;

(9) प्रतिष्ठान के परिसर में धूम्रपान जहां यह निषिद्ध है;

(10) किसी भी ऐसी गतिविधि का आरंभ करना जो नैतिक अपराध से जुड़ी आपराधिक अपराध को दर्शाता हो;

(11) अनुशासन या अच्छे व्यवहार के विचलन से संबन्धित ऐसी किसी गतिविधि;

(12) चौदह वर्ष के उम्र के नीचे शिशुओं को रोजगार के रूप में घरेलू श्रमिकों या नौकरियों में रखना।

85. शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों द्वारा संघों में शामिल होने पर निर्बंधन.-

(1) कोई अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी विश्वविद्यालय या सार्वजनिक आदेश, सभ्यता या नैतिकता के हितों के लिए उद्देश्य या गतिविधियों के संबंध में पूर्वाग्रह के कारण किसी संगठन में न तो सम्मिलित होगा और न ही सदस्य बना रहेगा।

(2) कोई भी शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी राजनीतिक दल या किसी संगठन का सदस्य नहीं बनेगा या उससे जुड़ा होगा जो राजनीति में हिस्सा लेता है और न ही वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग लेगा/लेगी, सहायता की सदस्यता लेता/लेती है, या किसी अन्य तरीके से सहायता करता/करती है।

(3) प्रत्येक शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी का कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ऐसा कोई भी आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने, किसी की सहायता करने, या किसी की सहायता करने से मना करेगा जो विधि स्थापित करने के लिहाज से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सरकार या विश्वविद्यालय के विचलन से संबन्धित है और जहां कोई कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को भाग लेने या सहायता या किसी अन्य तरीके से सहायता करने, ऐसे किसी भी आंदोलन या गतिविधि में रोकने में असमर्थ है, ऐसे में वह विश्वविद्यालय को उस प्रभाव के लिए एक रिपोर्ट करेगा।

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई दल राजनीतिक दल है या नहीं या कोई संगठन राजनीति में हिस्सा लेता है या कोई आंदोलन या गतिविधि अध्यादेश 86 के क्षेत्र में आता है या नहीं, विश्वविद्यालय का निर्णय उस पर अंतिम होगा।

(5) कोई भी शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी कैनवास या अन्यथा प्रभाव डालकर हस्तक्षेप नहीं करेगा या किसी विधानमण्डल या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में भाग नहीं लेगा:

परन्तु -

(i) शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी ऐसे चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य पाया जाता है तो वह अपने वोट करने के अधिकार की शक्ति का उपयोग कर सकता है, लेकिन जहां वह ऐसा करती है, वहां वह संकेत नहीं करेगा जिसमें वह वोट देने या प्रस्तावित करने का प्रस्ताव निहित है।

(ii) किसी शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी को इस खंड के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए केवल इस कारण से दोषी नहीं समझा जाएगा कि वह उस समय लागू किसी विधि के द्वारा लगाई गई ड्यूटी का पालन करने के लिए अपने कार्य-निष्पादन में चुनाव कराने में सहायता करता है।

स्पष्टीकरण – इस अध्यादेश के प्रयोजन हेतु, किसी अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी द्वारा अपने ऊपर, अपने वाहन अथवा मकान पर किसी चुनावी प्रतीक का प्रदर्शन इस अध्यादेश के अर्थ में चुनाव के संबंध में उसके प्रभाव का उपयोग करने के लिए होगा।

86. प्रदर्शन और हड़तालों पर निर्बंधन - (1) कोई शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी स्वयं को किसी ऐसे प्रदर्शनों या हड़तालों में शामिल नहीं करेगा अथवा भाग लेगा जो विश्वविद्यालय या सार्वजनिक आदेश, सभ्यता या नैतिकता के हितों के प्रति पूर्वाग्रह युक्त है, अथवा जिसमें किसी अपराध के लिए अदालत की अवमानना अथवा मानहानि या भड़काव सम्मिलित है; या

(2) कोई शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी किसी प्रकार की हड़ताल या बलप्रयोग या अपनी सेवा से संबंधित अथवा किसी अन्य शिक्षक एवं गैर- शिक्षण कर्मचारी की सेवा से सम्बद्ध किसी मामले से शारीरिक जोर-जबरदस्ती का सहारा नहीं लेगा या किसी प्रकार से उकसाने की कार्रवाई नहीं करेगा/करेगी।

87. प्रेस अथवा अन्य मीडिया के साथ संपर्क - (1)कोई भी शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी, विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के

बिना, किसी भी समाचार पत्र या आवधिक प्रकाशन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादन या प्रबंधन में पूरे अथवा आंशिक तौर पर सम्मिलित नहीं होगा।

(2) कोई कर्मचारी विश्वविद्यालय, या निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, अथवा या अपने कर्तव्यों का विश्वसनीय रूप से निर्वहन करने में, रेडियो प्रसारण या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भाग नहीं ले सकता है या कोई लेख नहीं दे सकता है या कोई पत्र या पुस्तक नहीं लिख सकता है चाहे वह उसके अपने नाम या गुमनाम रूप से, छद्म रूप से या किसी समाचार पत्र या सामयिक पत्र के नाम पर हो:

परन्तु यह कि इस तरह के प्रसारण या टेलीकास्ट या ऐसे योगदान या लेखन के लिए किसी प्रकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है या लेखन पूरी तरह से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक चरित्र का हो।

(3) कोई शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी पुस्तक प्रकाशित करता है या सार्वजनिक मीडिया में भाग लेता है, तो वह हमेशा यह स्पष्ट करेगा कि उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचार उसके हैं और न कि विश्वविद्यालय के हैं।

(4) कोई शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी, किसी भी रेडियो प्रसारण, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से टेलीकास्ट या उसके नाम पर या अज्ञात रूप से, छद्म रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर प्रकाशित दस्तावेज़ या प्रेस में या किसी भी सार्वजनिक संबोधन में तथ्यों के संबंध में कोई वक्तव्य या राय नहीं देगा जिसका विश्वविद्यालय की हाल की नीति अथवा कार्रवाई पर कोई विपरीत प्रभाव होता है या प्रतिकूल आलोचना की जाती है।

परन्तु यह कि खंड में अंतर्विष्ट कुछ भी ऐसा नहीं है जो शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी की इस तरह की श्रेणी की सेवा की शर्तों की सुरक्षा के लिए या सुधार को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किसी कर्मचारी द्वारा ट्रेड यूनियन के पदधारी या कर्मचारियों की एसोसिएशन के रूप में विचारों के विश्वसनीय व्यक्तता पर लागू होता है।

परन्तु यह और कि इस अध्यादेश में किसी शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी द्वारा उसकी आधिकारिक क्षमता में या उसके लिए दिए गए कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन में व्यक्त किए गए बयानों या विचारों पर कुछ भी लागू नहीं होगा।

88. अभ्यावेदन - (1) जब शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी कोई दावा करना चाहता है या किसी शिकायत का निवारण करना चाहता है या उसके साथ कोई गलत काम हुआ है, तो उसे अपना मामला उचित चैनल के माध्यम से अग्रेषित करना होगा और वह अपने आवेदन पत्र की अग्रिम प्रतियां किसी उच्चतर अधिकारी को तब तक अग्रेषित नहीं करेगा, जब तक निम्न अधिकारी ने उसके दावे को खारिज कर दिया है या उसे राहत देने से इनकार कर दिया है या मामले के निपटान में तीन महीने से अधिक समय तक की देरी हो गई है।

(2) कोई भी शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी प्राधिकारियों को संबोधित संयुक्त प्रतिवेदन या किसी शिकायत के निवारण या किसी अन्य मामले के लिए हस्ताक्षरकर्ता नहीं होगा।

89. समिति अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य - (1) खंड (3) में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के बिना, किसी भी व्यक्ति, समिति या प्राधिकारी द्वारा आयोजित की गई किसी जांच के संबंध में साक्ष्य नहीं देगा।

(2) जहां खंड (1) के अधीन कोई मंजूरी दे दी गई है, ऐसे साक्ष्य देने वाला कोई भी अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी विश्वविद्यालय या सरकार की किसी भी नीति या कार्रवाई की आलोचना करेगा।

(3) इस अध्यादेश की कोई बात निम्न पर लागू नहीं होगा -

i. आगंतुक, कुलाधिपति, कुलपति, सरकार और संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष जांच में दिए गए साक्ष्य; या

ii. किसी भी न्यायिक जांच में दिए गए साक्ष्य; या

iii. कुलपति के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा आदेशित किसी भी विभागीय जांच में दिए गए साक्ष्य।

90. आधिकारिक सूचना की संसूचना - प्रत्येक शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी, अपने सदाचार में अपने कर्तव्यों के निष्पादन में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) / विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के माध्यम से बनाए गए नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को जानकारी संसूचित करेगा:

परन्तु यह कि कोई भी शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार या उसके / उसके लिए सौंपा गया कर्तव्यों के अच्छे विश्वास में प्रदर्शन, प्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से, किसी भी आधिकारिक दस्तावेज या उसके किसी भी हिस्से या वर्गीकृत जानकारी के अनुसार, कोई भी कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति जिसके लिए वह इस तरह के दस्तावेज़ या वर्गीकृत जानकारी को संचार करने के लिए अधिकृत नहीं है।

91. अभिदान - विश्वविद्यालय या निर्दिष्ट प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी को छोड़कर, कोई भी शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी, विश्वसनीय प्रयोजन, अर्थात विश्वविद्यालय के स्टाफ सदस्य के स्वागत/विदायी या वित्तीय सहायता प्रदान करने अथवा उसके अथवा उसके परिवार की विपत्ति में मदद करने को छोड़ कर किसी भी प्रकार के धन या अन्य संग्रह को नकद में या तरह से बढ़ाने के लिए योगदान मांगने या स्वीकार करने के लिए, या अन्यथा स्वयं को संबद्ध नहीं करेगा।

92. निजी व्यापार या नियोजनः- (1) विश्वविद्यालय की पूर्व मंजूरी के सिवाय कोई शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी निम्न कार्य नहीं करेगा -

(i) किसी भी व्यापार या व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न होना;

(ii) किसी भी अन्य रोजगार के लिए बातचीत, या कार्य;

(iii) किसी भी निकाय में, चाहे वह निगमित है अथवा नहीं, में वैकल्पिक कार्यालय के लिए उम्मीदवार या उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक कार्य ग्रहण करेगा, अथवा किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेगा;

(iv) उसके परिवार के स्वामित्व वाली या प्रबंधित बीमा एजेंसी, कमीशन एजेंसी इत्यादि के किसी भी व्यवसाय के समर्थन में प्रचार करना;

(v) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), या किसी भी अन्य विधि के तहत पंजीकृत या पंजीकृत होने वाली किसी भी बैंक या अन्य कंपनी या किसी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए सहकारी समिति; या उसके पंजीकरण, या प्रबंधन में भाग लेना; या

(vi) निम्न को बनाने में किसी भी तरीके से स्वयं को शामिल नहीं करेगा/करेगी -

(क) कोई प्रायोजित मीडिया (रेडियो या टेलीविजन) कार्यक्रम; या

(ख) सरकारी मीडिया द्वारा शुरू किया गया परन्तु किसी निजी एजेंसी द्वारा उत्पादित कोई मीडिया कार्यक्रम; या

(ग) वीडियो पत्रिका सहित किसी निजी तौर पर निर्मित मीडिया कार्यक्रम:

परन्तु कि किसी अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी को सरकारी मीडिया द्वारा उसकी आधिकारिक क्षमता में उत्पादित या कमीशन किए गए कार्यक्रम में भाग लेने के मामले में कोई पूर्वानुमति आवश्यक नहीं होगी।

(2) कोई शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी, विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति के बिना -

(i) सामाजिक या सेवा प्रकृति का मानद काम कर सकता है;

(ii) कोई साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का सामयिक कार्य कर सकता है;

(iii) शौकिया तौर पर खेल गतिविधियों में भाग ले सकता है;

(iv) पंजीकरण, प्रोन्नति या प्रबंधन (एक वैकल्पिक कार्यालय के आयोजन में सम्मिलित नहीं) या एक साहित्यिक, वैज्ञानिक या धर्मार्थ सोसायटी या क्लब या इसी तरह के संगठन, जिसका उद्देश्य या जो खेल, सांस्कृतिक या मनोरंजक के प्रचार से संबंधित हैं, और सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत रजस्ट्रीकृत हैं, या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन आती हैं, में भाग ले सकता है;

(v) सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (1912 का 2) या वर्तमान समय के लिए लागू किसी अन्य काननू के अंतर्गत, मुख्य रूप से कर्मचारियों के लाभ के लिए पंजीकृत सहकारी समिति के पंजीकरण, संवर्धन या प्रबंधन (चयन कार्यालय के संबंधित नहीं) के भाग लेना;

परन्तु यह कि अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित किए जाने पर यदि वह ऐसी गतिविधियों में भाग लेना बंद कर देता/देती है और

परन्तु यह और कि खंड (2) के उप-खंड (iv) और उप-खंड (v) के अधीन आने वाले मामले में, उसके आधिकारिक कर्तव्य इस प्रकार प्रभावित नहीं होंगे तथा वह उसके एक महीने की अवधि के भीतर / इस तरह की गतिविधि में भाग लेते हुए, विश्वविद्यालय को उसकी / उसकी भागीदारी की प्रकृति का ब्योरा देते हुए रिपोर्ट करेगा।

(3) प्रत्येक कर्मचारी विश्वविद्यालय को रिपोर्ट करेगा यदि उसके / उसके परिवार का कोई भी सदस्य व्यापार या व्यवसाय में लगा हुआ/लगी हुई है या बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी का मालिक है या उसका प्रबंधन करता है।

(4) जब तक कि विश्वविद्यालय के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, कोई भी कर्मचारी किसी भी निजी या सार्वजनिक निकाय या निर्दिष्ट प्राधिकारी की मंजूरी के बिना किसी भी निजी व्यक्ति के लिए उसके द्वारा किए गए किसी भी काम के लिए कोई शुल्क स्वीकार नहीं कर सकता है।

93. विश्वविद्यालय आवास को उप किराए पर देना या खाली करना - (1) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी कर्मचारी विश्वविद्यालय आवास के किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिग्रहण, पट्टा या अन्यथा व्यवसाय की अनुमति नहीं देगा जो उसे आवंटित किया गया है।

(2) कोई कर्मचारी, विश्वविद्यालय आवास के आवंटन को रद्द करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर खाली कर देगा।

94. परिसंपत्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणी और घोषणा - (1) प्रत्येक अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी किसी भी विश्वविद्यालय सेवा में अपनी पहली नियुक्ति पर या उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट किए गए फॉर्म में अपनी संपत्ति और देनदारियों की विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें पूर्ण विवरण दिए जाएंगे -

(i) उसे विरासत में प्राप्त अचल संपत्ति, या उसके स्वामित्व या उसके द्वारा अधिग्रहित या उसके द्वारा लीज या बंधक पर प्राप्त की गई है,चाहे उसके नाम पर या उसके / उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति का नाम पर;

टिप्पणी-जहां कोई कर्मचारी पहले से ही किसी सेवा से संबंधित है या किसी पद को धारण कर रहा है, उसे किसी अन्य सिविल सेवा या पद पर नियुक्त किया गया है, तो उसे इस खंड के अंतर्गत एक नई प्रस्तुति जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) समूह क या समूह ख में सम्मिलित किसी भी सेवा से संबंधित किसी भी कर्मचारी या किसी भी पद धारण करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को इस तरह के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो उसके द्वारा या उसके स्वामित्व वाली अचल संपत्ति के बारे में पूर्ण विवरण दे रहा है या उसके द्वारा अधिग्रहित किया गया है या उसके द्वारा उसके / उसके नाम पर या उसके / उसके परिवार के किसी भी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टा या बंधक पर उसके द्वारा आयोजित किया गया है।

(2) विश्वविद्यालय के पिछले अनुभव को छोड़कर, कोई अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी, किसी भी अचल संपत्ति को पट्टे, बंधक, खरीद, बिक्री, उपहार या अन्यथा या अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर प्राप्त नहीं करेगा:

परन्तु यह कि, अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी द्वारा विश्वविद्यालय की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी यदि कोई ऐसा लेनदेन किसी व्यक्ति के साथ आधिकारिक लेन-देन करने वाले व्यक्ति के साथ होता है।

(3) विश्वविद्यालय, किसी भी समय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, एक कर्मचारी को उसके द्वारा या उसके द्वारा अधिग्रहित या उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा या अधिग्रहित ऐसी अचल संपत्ति का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है या उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है और इस तरह के कथन, यदि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक हो, तो उन माध्यमों के विवरण शामिल करें, जिनके स्रोत से, संपत्ति को अधिग्रहित किया गया था।

स्पष्टीकरण.- इस अध्यादेश के उद्देश्यों के लिए, 'पट्टा' का अर्थ है, जहां से यह प्राप्त किया जाता है, या अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी के साथ आधिकारिक लेन-देन करने वाले व्यक्ति को, वर्ष से वर्ष तक अचल संपत्ति का पट्टा या किसी भी अवधि से अधिक अवधि के लिए सालाना या एक वर्ष के लिए आरक्षित किराए को छोड़ कर है।

95. भारत के बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण और निपटान और विदेशियों के साथ लेनदेन आदि के संबंध में निर्बंधन - (1) विश्वविद्यालय की पूर्व मंजूरी के सिवाय कोई शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी–

(i) अपने नाम अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के बाहर स्थित किसी अचल संपत्ति की खरीद, बंधक, पट्टे, उपहार या अन्यथा नहीं करेगा;

(ii) भारत के बाहर स्थित किसी ऐसी अचल संपत्ति का बिक्री, गिरवी, उपहार, या अन्यथा, द्वारा निपटान जो उसके द्वारा अर्जित की गई हो या उसके कब्जे में हो चाहे उसके अपने नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से हो;

(2) कोई भी कोई शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी किसी भी विदेशी, विदेशी सरकार, विदेशी संगठन या कंपनी के साथ किसी प्रकार के लेन-देन में सम्मिलित नहीं होगा -

I) किसी अचल सम्पत्ति को अपने नाम से या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से खरीद, बंधक, पट्टा, उपहार या किसी अन्य द्वारा अधिग्रहण के लिए;

II) बिक्री, बंधक, उपहार या अन्यथा, या किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में किसी भी पट्टे का अनुदान के लिए जो उसके द्वारा अपने नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से अर्जित की गई है या धारित की गई है।

96. उपहार - (1) अन्यथा इन नियमों में प्रदान किया गया है, कोई भी अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी किसी भी उपहार न तो स्वयं स्वीकार करेगा अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य को अथवा अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को कोई उपहार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा।

स्पष्टीकरण.- अभिव्यक्ति 'उपहार' में नि:शुल्क परिवहन, बोर्डिंग, आवास और अन्य सेवा या कोई अन्य वित्तीय लाभ शामिल है जो

किसी निकट सम्बन्धी या व्यक्तिगत मित्र, जिसका कर्मचारी के साथ कोई आधिकारिक लेन-देन नहीं है, द्वारा प्रदान किया जाता है।

टिप्पण 1 - आरामदायक भोजन, लिफ्ट या अन्य सामाजिक आतिथ्य को उपहार के रूप में समझा नहीं जाएगा।

टिप्पण 2 - शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी को किसी भी ऐसे व्यक्ति, औद्योगिक या वाणिज्यिक फर्मों, संगठनों आदि से भव्य आतिथ्य या बार-बार आतिथ्य स्वीकार करने से बचना चाहिए, जिसके साथ उसका आधिकारिक व्यवहार हो।

(2) विवाह, सालगिरह, अंतिम संस्कार या धार्मिक कार्यों जैसे अवसरों पर, जहां उपहार का चलन प्रचलित धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के सदृश होता है, तो कर्मचारी अपने ऐसे करीबी रिश्तेदारों से या अपने व्यक्तिगत मित्रों से उपहार स्वीकार कर सकता है जिनके साथ उसका आधिकारिक लेनदेन नहीं है, लेकिन ऐसे उपहार प्राप्त करने के बाद उस उपहार के मूल्य की रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा/करेगी, अगर इस तरह के उपहार के मूल्य निम्न से अधिक है -

(i) पच्चीस हजार रुपये, यदि कर्मचारी वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 और ऊपर के किसी स्तर के पद का पदधारी है;

(ii) पंद्रह हजार रुपये, यदि कर्मचारी वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 से 9 के किसी स्तर के पद का पदधारी है;

(iii) सात हजार पांच सौ रुपये, यदि कर्मचारी वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 से 5 के किसी स्तर के पद का पदधारी है;

(3) किसी भी अन्य मामले में, शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी विश्वविद्यालय की मंजूरी के बिना किसी भी उपहार को स्वीकार नहीं करेगा, यदि उपहार का मूल्य निम्नलिखित से अधिक है -

(i) एक हजार पांच सौ रुपये, यदि कर्मचारी वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 और ऊपर के किसी स्तर के पद का पदधारी है;

(ii) पांच सौ रुपये, यदि कर्मचारी वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 से 5 के किसी स्तर के पद का पदधारी है;

(4) खंड (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, कोई शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी, जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य है या अन्यथा, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहार प्राप्त कर और रख सकता है, यदि किसी एक अवसर पर प्राप्त उपहारों का बाजार मूल्य एक हजार रुपये से अधिक नहीं और अन्य सभी मामलों में, इस तरह के उपहारों की स्वीकृति और प्रतिधारण समय-समय पर इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(5) कोई शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी किसी भी ऐसी विदेशी फर्म से किसी भी उपहार को स्वीकार नहीं करेगा जो या तो विश्वविद्यालय के साथ अनुबंध कर रही है या जिस फर्म में कर्मचारी काम कर चुका है या उसके पास आधिकारिक लेन-देन होने की संभावना है; किसी अन्य फर्म से किसी कर्मचारी द्वारा उपहारों की स्वीकृति इस अध्यादेश के खंड (3) के उपबंधों के अधीन होगी।

97. दिवालियापन और आभ्यासिक ऋणग्रस्तता - कोई शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी अपने निजी मामलों का इस प्रकार प्रबंधन करेगा जिससे कि वह आदतन कर्जदारी या दिवालियापन से बच सके और किसी कर्मचारी जिसके खिलाफ किसी भी ऋण की वसूली के लिए या उसके दिवालिया व्यक्ति के रूप में लिए निर्णय लेने के लिए कोई विधिक कार्यवाही शुरू की गई हो तो वह तुरंत विश्वविद्यालय को विधिक कार्यवाही के पूर्ण तथ्यों की रिपोर्ट करेगा।

टिप्पणी - यह साबित करने का भार कर्मचारी पर होगा कि दिवालियापन या ऋणग्रस्तता परिस्थितियों का परिणाम था, जिसमें श्रम या सामान्य तत्परता के साथ, कर्मचारी द्वारा जिसे पहले से ही नहीं देखा जा सकता था, या जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, और असाधारण या बिलुप्त आदतों से आगे नहीं बढ़ पाया था।

98. नशीले पेय और मादक द्रव्य का उपभोग- शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी -

(i) किसी भी ऐसे क्षेत्र में नशीले पेय या मादक द्रव्य से संबंधित किसी भी विधि का सख्ती से पालन करें जिसमें वह उस समय हो सकता/सकती है;

(ii) अपनी ड्यूटी के समय किसी भी नशीले पेय या मादक द्रव्य के प्रभाव में न रहे और सम्यक, सतर्क रहे कि किसी भी समय उसके / उसके कर्तव्यों का प्रदर्शन इस तरह के पेय या मादक द्रव्य के प्रभाव से प्रभावित न हो ;

(iii) सार्वजनिक जगह पर किसी भी नशीले पेय या मादक द्रव्य लेने से विरत रहे;

(iv) नशे की स्थिति में सार्वजनिक जगह में नहीं दिखें;

(v) किसी भी नशे की लत या मादक द्रव्य का अधिक उपयोग न करें।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजन के लिए 'सार्वजनिक स्थान' का अर्थ किसी भी ऐसे स्थान या परिसर (जिससे प्रवहण भी शामिल है) से है, जिसमें जनता को भुगतान द्वारा या अन्यथा प्रवेश करने की अनुमति है।

99. अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारियों के कृत्यों और चरित्र का प्रतिसमर्थन - (1) विश्वविद्यालय की पूर्व मंजूरी को छोड़कर कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे सरकारी कार्य के समर्थन के लिए किसी न्यायालय या प्रेस का सहारा नहीं लेगा जो प्रतिकूल आलोचना का विषय या मानहानिकारक चरित्र पर हमला है:

(2) इस अध्यादेश की भी बात किसी भी शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी को उसके प्रति समर्थन निजी चरित्र या उसके / उसके निजी क्षमता में उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य को प्रतिषिद्ध नही करेगी और जहां उसके प्रतिसमर्थन या उसके निजी चरित्र या उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य को प्रतिबंधित किया गया है जो कि उसके द्वारा निजी क्षमता में लिया जाता है, कर्मचारी इस तरह के कार्यवाही के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को एक रिपोर्ट जमा करेगा।

100. गैर-आधिकारिक या अन्य बाहरी प्रभाव का प्रचार - कोई भी अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी विश्वविद्यालय के अधीन उसकी सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में किसी भी राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव को किसी भी वरिष्ठ अधिकारी लाने के समक्ष या उसके लिए प्रयास नहीं करेगा।

101. विवाह के संबंध में निर्बंधन - (1) कोई भी कर्मचारी -

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह अथवा विवाह का संविदा नहीं करेगा जिसके कोई जीवित पति या पत्नी है; तथा

(ख) कोई भी कर्मचारी जिसका जीवित पति या पत्नी है, किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह, या विवाह का संविदा करेगा, तो वह उक्त पदों हेतु नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु कुलपति इसकी अनुमति प्रदान कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इस प्रकार के विवाह को किसी कर्मचारी और विवाह के अन्य पक्ष को वैयक्तिक विधि के अंतर्गत अनुमेय है; और ऐसा करने के लिए अन्य आधार उपलब्ध हैं।

(2) एक शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी, जिसने भारतीय राष्ट्रिक से भिन्न किसी व्यक्ति से विवाह की है या विवाह करता है, वह तुरंत इस तथ्य को विश्वविद्यालय के सूचित करेगा।

102. दहेज - कोई भी कर्मचारी -

(क) न दहेज लेगा और न देगा अथवा दहेज देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा; या

(ख) वधू या वर के माता-पिता अथवा अभिभावक से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दहेज की मांग नहीं करेगा, जैसी भी स्थिति है।

स्पष्टीकरण- इस अध्यादेश के उद्देश्यों के लिए, "दहेज" का अर्थ वही है जैसा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) में दिया गया है।

अध्याय - V

शास्ति, निलंबन और अपील - शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी

भाग 1

103. इन अध्यादेशों कोई बात किसी शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी के अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित करने के लिए लागू नहीं होगा जिसके लिए वह किसी व्यक्ति और विश्वविद्यालय के बीच इन अध्यादेशों के प्रारंभ में किसी करार निबंधन के अधीन हकदार है।

104. (1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी एक अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी को निलंबित कर सकता है-

(i) जब उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अनुध्यात या लंबित है; या

(ii) जब किसी दांडिक अपराध के संबंध में उसके खिलाफ मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है।

(ख) एक शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी को निम्नलिखित परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारों के आदेश द्वारा निलंबन के तहत रखा गया माना जाएगा -

(i) उसकी कारावास की तारीख से, यदि वह हिरासत में है, चाहे एक आपराधिक आरोप पर या अन्यथा, एक अवधि के अड़तालीस घंटे से अधिक के लिए;

(ii) उसके दोषसिद्धि की तारीख से, यदि किसी अपराध के लिए सजा के मामले में, उसे अड़तालीस घंटे से अधिक की कारावास की सजा दी जाती है और उसे उसकी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तुरंत पदच्युत या हटाया या अनिवार्य सेवानिवृत्त नही किया गया है।

स्पष्टीकरण .- इस अध्यादेश के खंड (2) के अधीन उपखंड(ii) के लिए दोषसिद्धि के पश्चात कारावास आरंभ होने की तारीख से संदर्भित अड़तालीस घंटे की निर्दिष्ट अवधि की गणना की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की विरूद्ध अवधि, यदि किसी भी, को भी सम्मिलित किया जाएगा।

(3) जहां किसी दांडिक अपराध के संबंध में किसी एक अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी के खिलाफ मामला विचारणीय है, वहां उस कर्मचारी का कर्तव्य होगा कि वह उस तथ्य के बारे में जैसे ही उसे पता चलता है विश्वविद्यालय को सूचित करे। इसी प्रकार, जहां एक कर्मचारी को 48 घंटों से अधिक अवधि के लिए हिरासत में लिया जाता है, वहां उस एक अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी का

कर्तव्य होगा कि वह यथाशीघ्र उपलब्ध अवसर पर विश्वविद्यालय को सूचित करे और उपरोक्त के रूप में जानकारी देने में विफलता को दुर्व्यवहार माना जाएगा और सिर्फ इसी आधार पर एक शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी होगा।

(4) जहां अपील या अध्यादेशों के अधीन पुर्नविलोकन में निलंबन के अधीन किसी एक शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी को सेवा से पदच्युत हटाया या अनिवार्य सेवानिवृत्ति अधिरोपित किया गया है और मामले को आगे की पूछताछ या कार्रवाई या किसी अन्य कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया है, उसके निलंबन के आदेश को पदच्युत, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से लागू होने के लिए समझा जाएगा और आगे के आदेश तक लागू रहेगा।

(5) जहां किसी कर्मचारी पर लगाए गए सेवा से पदच्युत, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप अपास्त या शून्य या प्रभावहीन घोषित किया जाता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात आगे की जांच जारी रखने का निर्णय उन अभिकथनों के आधार पर लेती है जिसके आधार पर पदच्युत, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सज़ा लगाई गई थी, कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलंबन के अधीन रखा गया माना जाएगा और वह कर्मचारी पदच्युति, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश के और आगे के आदेश तक निलंबन के अधीन बने रहेंगे:

परन्तु ऐसे किसी आगे की जांच का आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि यह ऐसी स्थिति को पूरा करने का इरादा नहीं रखता हो, जहां न्यायालय ने मामले की योग्यता के बिना पूरी तरह से तकनीकी आधार पर आदेश पारित किया हो।

(6) इस खंड (8) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन, निलंबन का कोई भी आदेश इस भाग के अधीन किया समझा जाएगा और तब तक लागू रहेगा जब तक वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता।

(i) जहां एक अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी को निलंबित किया गया है या निलंबित समझा गया है (चाहे किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन या अन्यथा के संबंध में), और उस निलंबन की निरंतरता के दौरान उसके खिलाफ कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है, प्राधिकारी जो उसे निलंबन में रखने के सक्षम है के द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारणों सहित यह निदेश दे सकता है कि एक अध्यापक एवं गैर-अध्यापन कर्मचारी सभी या ऐसी किसी भी कार्रवाई को समाप्त होने तक निलंबन में रहेगा।

(iii) इस भाग के अधीन किए गए निलंबन का आदेश को किसी भी समय प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है यदि यह आदेश किसी प्राधिकारी द्वारा या प्राधिकरण के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा किया गया है।

(7) इस हिस्से के अधीन किए गए या माने गए निलंबन के आदेश की प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी जो समीक्षा समिति की सिफारिश पर निलंबन की प्रभावी तारीख से नब्बे दिनों की समाप्ति से पहले निलंबन को संशोधित या रद्द करने के लिए सक्षम है उद्देश्य और पास आदेशों के लिए गठित अनुलग्नक V के अनुसार निलंबन की अवधि को बढ़ाना या रद्द करना और बाद की समीक्षा निलंबन की विस्तारित अवधि की समाप्ति से पहले की जाएगी; निलंबन की अवधि को बढ़ाया जाना एक समय में एक सौ अस्सी दिनों से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा।

(8) खंड (1) या (2) के अधीन किए गए निलंबन के आदेश नब्बे दिनों की अवधि के बाद वैध नहीं होगा जब तक कि नब्बे दिनों के समाप्ति से पहले समीक्षा के बाद इस अवधि को विस्तारित नहीं किया जाता है,

परन्तु इस खंड (2) के अधीन ऐसी कोई समीक्षा आवश्यक नहीं है, यदि कर्मचारी निलंबन के नब्बे दिनों के पूरा होने के समय, निलंबन में रहता है और इस तरह के मामले में नब्बे दिन की अवधि हिरासत में रखी गई तारीख से गिनी जाएगी या जिस तारीख पर उसकी नियुक्ति से उसकी रिहाई का तथ्य उसके नियुक्ति प्राधिकरण को सूचित किया जाता है, जो भी बाद में हो।

(9) जब भी कोई कर्मचारी बिना किसी अनुमति या समय से अधिक कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है, उसकी गतिविधि बिना अनुमति के है और ज्ञात नहीं हैं, तो उसे निलंबन के तहत नहीं रखा जाएगा, इस प्रकार से वह निर्वाह भत्ता का हकदार होगा जो कि उसके अनुपस्थिति काल को अकार्य दिवस के विरूद्ध माना जाएगा। लेकिन जब एक कर्मचारी जो निलंबन के अधीन है गायब हो जाता है और उसके अंतिम ज्ञात पते पर संपर्क नहीं किया जा सकता है, निलंबन आदेश हटाया जाना चाहिए और अनुपस्थिति में उसे हटाने के लिए कार्यवाही शुरू की गई।

105. निलंबन का प्रतिसंहरण- (1) अध्यादेश 104 के खंड (6) के उप-खंड (ii) के अधीन, निलंबन का जो आदेश दिया गया है या समझा गया है, प्राधिकारी द्वारा संशोधित या प्रतिसंहृत किया जा सकता है, या जिसे निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी ज्येष्ठ प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया या समझा जाना माना जाएगा।

(i) अनुशासनात्मक कार्यवाही -

(क) यदि यह निर्णय लिया जाता है कि पदच्युति, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति, या पदावनत का शास्ति लगाने के लिए किसी भी औपचारिक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

(ख) जहां पदच्युति, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अतिरिक्त अंतिम आदेश पारित किया गया है ।

(ग) जहां कर्मचारी उसके खिलाफ आरोपों का बहिष्कार कर रहा है।

(घ) अपील या परीक्षण के तहत बर्खास्तगी, हटाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के अलावा आदेश में एक दूसरे में संशोधित किया गया है और आगे की जांच होने का कोई आदेश नहीं दिया गया है।

(ii) दांडिक अपराध -

(क) गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में, यह निर्णय लिया जाता है कि न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करके कर्मचारी के खिलाफ आगे न बढ़ा जाय।

(ख) यदि उच्चतर न्यायालय में निर्दोष के खिलाफ अपील या परीक्षण विफल रहता है।

(ग) यदि न्यायालय में बरी कर दिया गया है या यदि सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील / संशोधन सफल होता है और उसे अंततः निर्दोष कर दिया जाता है और जब उसे निलंबन के तहत जारी रखने का प्रस्ताव नहीं दिया जाता है, भले ही उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(2) निलंबन रद्द करने का आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा; हालांकि, जहां तत्काल प्रभाव से बहाल करना व्यावहारिक नहीं है, निरसन के आदेश को निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होने के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए।

(3) जब एक कर्मचारी जिसे निलंबित कर दिया गया है और उसे पुनः बहाल कर दिया जाता है या फिर उसे बहाल किया जाता, लेकिन निलंबन के दौरान उसकी / उसकी सेवानिवृत्ति (समयपूर्व सेवानिवृत्ति सहित) के लिए, पुनः बहाली के आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी एक विशिष्ट आदेश पर विचार करेगा और विशिष्ट आदेश देगा

(i) पुनर्स्थापना के साथ समाप्त होने वाले निलंबन की अवधि या उसकी सेवानिवृत्ति (समयपूर्व सेवानिवृत्ति सहित) की अवधि के लिए कर्मचारी को भुगतान और भत्ते के भुगतान के संबंध में; और

(ii) उक्त अवधि चाहे कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में मानी जाएगी या नहीं;

(iii) यह आवश्यक नहीं है कि उपरोक्त उप-धारा (i) पर निर्णय उपरोक्त उपखंड (ii) के निर्णय पर निर्भर होना चाहिए;

(iv) सक्षम प्राधिकारी के पास आनुपातिक वेतन और भत्ते का भुगतान करने का विवेकाधिकार होता है और अवधि को किसी भी निर्दिष्ट उद्देश्य (यों) के लिए कर्तव्य के रूप में मानता है या केवल आनुपातिक वेतन और भत्ते का भुगतान करने के लिए और उसके पास पूर्ण वेतन और भत्ते का भुगतान करने का कोई विवेकाधिकार नहीं होता है अवधि को "गैर-कर्तव्य" के रूप में माना जाता है;

(v) यदि कोई आदेश पारित नहीं किया गया है कि किसी भी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए अनुपस्थिति की अवधि को कर्तव्य माना जाता है, तो अनुपस्थिति की अवधि को "गैर-कर्तव्य" के रूप में माना जाना चाहिए और ऐसी घटना में, पिछली सेवा यानी बर्खास्तगी से पहले सेवा प्रदान की जाती है, हटाने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति या निलंबन जब्त नहीं किया जाएगा;

(vi) जहां एक निलंबित कर्मचारी के विरूद्ध बड़ी शास्ति अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही अंततः मामूली जुर्माना लगाए जाने के साथ समाप्त होती है, निलंबन पूरी तरह से अन्यायपूर्ण होता है और इसलिए संबंधित कर्मचारी को इस संबंध में एक उपयुक्त आदेश पारित करके निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए।

(4) भाग-1 में अंतर्विष्ट होने के बावजूद, जहां निलंबन के तहत एक कर्मचारी अनुशासनात्मक या न्यायालय की कार्रवाई समाप्त होने से पहले मर जाता है, निलंबन की तारीख और मृत्यु की तारीख के बीच की अवधि सभी उद्देश्यों के लिए कर्तव्य के रूप में माना जाएगा और उसके परिवार को उस अवधि के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए वह पहले से भुगतान किए गए निर्वाह भत्ते के संबंध में समायोजन के अधीन, उसे निलंबित नहीं किया गया था।

(5) निलंबन के अधीन किसी एक शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी जा सकती है।

भाग-2

106. शास्तियां और अनुशासनिक प्राधिकारी.- (1) एक शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां ठोस और पर्याप्त कारणों से तथा इसमें इसके पश्चात उपबंधित रूप में अधिरोपित की जा सकती हैं, अर्थात.-

लघु शास्तियां.-

(i) परिनिंदा;

(ii) उसकी प्रोन्नति रोकना;

(iii) उसके द्वारा उपेक्षा या आदेशों के भंग से विश्वविद्यालय को पहुँचाई गई धन संबंधी हानि की वेतन में से संपूर्णतः या भागतः वसूली;

(iv) समय-वेतनमान में एक निम्नतर स्तर पर तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रतिकूल;

(v) वेतनवृद्धि रोकना।

बृहद शास्तियां.-

(vi) उप-खंड (iv) में यथा उपबंधित के सिवाय किसी विशेष विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समय-वेतनमान को किसी निचले स्तर तक घटाना और साथ ही ये दिशा-निर्देश देना कि क्या शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी ऐसे वेतनमान में स्तरावनत किए जाने की अवधि के दौरान वेतन-वृद्धि अर्जित करेगा अथवा नहीं और यह कि क्या ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर उनके वेतन की भावी वेतन वृद्धि स्तरावनति के कारण मुल्तवी होगी या नहीं;

(vii) वेतन मैट्रिक्स में किसी निम्नतर स्तर, ग्रेड, पद या सेवा में प्रतिकूल जो शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी का उस समय वेतनमान, प्रवर्ग, पद या सेवा पर प्रोन्नति के लिए सामान्यतः वर्जन होगी जिससे उसे अवनत किया गया था। ऐसा इस विषय से संबंधित निदेशों सहित या उनके बिना किया जा सकेगा कि शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी जिस प्रवर्ग पर पद या सेवा से अवनत किया गया है इस विनिर्दिष्ट समयावधि के पूरा होने अथवा प्रोन्नति पर:-

(क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर, ग्रेड, पद अथवा सेवा में उसकी प्रतिकूल उसकी भविष्य की वेतनवृद्धि के विलंबन को परिचालित करेगी, यदि हाँ तो किस हद तक; तथा

(ख) कर्मचारी वेतन मैट्रिक्स में उच्चतर स्तर, ग्रेड, पद अथवा सेवा में अपनी मूल वरिष्ठता पुनः प्राप्त करेगा;

(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति

(viii) अनिवार्य सेवानिवृत्ति

(ix) सेवा से हटाया जाना, जो विश्वविद्यालय के अधीन भावी नियोजन के लिए निर्हरता नहीं होगी;

(x) सेवा से पदच्युति जो सामान्यतः विश्वविद्यालय के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता होगी:

परंतु ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें आय के ज्ञात स्रोत से अधिक आस्तियों को रखने का आरोप या किसी पदीय कार्य को करने या न करने के लिए या इनाम के रूप में किसी व्यक्ति से, वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण स्वीकार करने का आरोप सिद्ध हो जाए तो उप-खंड (iv) या उप-खंड (v) में उल्लिखित शास्ति अधिरोपित की जाएगी:

स्पष्टीकरण.- निम्नलिखित को, इस खंड के अर्थ में, शास्ति नहीं समझा जाएगा, अर्थात्-

(i) किसी शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी को, उसके प्रोन्नति के मामले पर विचार करने के पश्चात, अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में उस सेवा, प्रवर्ग या पद पर प्रेरक प्रोन्नति न करना जिस पर वह प्रोन्नति के लिए पात्र है;

(ii) किसी अन्य सेवा, प्रवर्ग या पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किसी शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी का, परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निबंधनों और ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों, अध्यादेशों और आदेशों के अनुसार उसका स्थायी सेवा, प्रवर्ग या पद पर परिवर्तन;

(iii) उच्चतर सेवा, प्रवर्ग या पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले किसी शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी का किसी निम्नतर सेवा प्रवर्ग या पद पर इस आधार पर प्रतिवर्तन कि उसे ऐसी उच्चतर सेवा, प्रवर्ग या पद के लिए अनुप्रयुक्त समझा गया है या उसके आचरण से असम्बद्ध किसी प्रशासनिक आधार पर प्रतिवर्तन;

(iv) किसी कर्मचारी की, जिसकी सेवाएं प्राधिकारी से बाहर से, उसी प्राधिकारी के निपटान पर उधार ली गई हैं, का प्रतिस्थापन;

(v) किसी कर्मचारी की अधिवर्षिता या सेवा निवृत्ति से संबंधित उपबंधों के अनुसार उसकी अनिवार्य सेवा निवृत्ति;

(vi) सेवा की समाप्ति.-

(क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी की, उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निबन्धनों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले अध्यादेशों और आदेशों के अनुसार सेवा की समाप्ति; या

(ख) विश्वविद्यालय की ओर से इस हेतु बनाए गए अध्यादेशों के क्रम में एक अस्थायी शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी की सेवा की समाप्ति; या

(ग) किसी करार के अधीन नियोजित किसी शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी की, ऐसे करार के निबंधनों के अनुसार, सेवा की समाप्ति।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, प्रशासनिक प्राधिकारी एवं अपील प्राधिकारी

(i) शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों, शिक्षकों के अलावा अन्य के नियुक्ति प्राधिकारी, प्रशासनिक प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट हैं।

(ii) कार्यकारी परिषद् किसी शिक्षक और विश्वविद्यालय के किसी गैर-शिक्षण कर्मचारी पर उप-खंड (1) में विनिर्दिष्ट शास्तियों को अधिरोपित कर सकती है।

(iii) इस उप-खंड के उपाबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर, निम्न सारणी में उल्लिखित प्रशासनिक प्राधिकारी किसी कर्मचारी पर खंड (1) के अधीन विनिर्दिष्ट शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं.-

सारणी

सेवा का वर्णन	**नियुक्ति प्राधिकारी**	**शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी**		**अपील प्राधिकारी**
		प्राधिकारी	शास्तियां (वृहद अथवा लघु)	
वेतन-मैट्रिक्स के स्तर 1 से 5 में पद	रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार	सभी	कुलपति
वेतन-मैट्रिक्स के स्तर 6 से 9 में पद	कुलपति	रजिस्ट्रार कुलपति	लघु सभी	कुलपति कार्यकारी परिषद्
वेतन-मैट्रिक्स के स्तर 9 एवं उससे उपर में पद	कार्यकारी परिषद्	कुलपति कार्यकारी परिषद्	लघु सभी	कुलपति कार्यकारी परिषद्
कुलपति	कुलाध्यक्ष अथवा कानूनी के अनुसार पैनल से उनका एक नामनिर्देशिती	कुलाध्यक्ष अथवा कानून के अनुसार पैनल से उनका एक नामनिर्देशिती	सभी	कुलपति

(3) कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकारी.-

इस अध्यादेश के अधीन उप-खंडों (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी भी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी, विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी पर खंड (1) के उप-खंडों (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट वृहद शास्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा।

भाग 3

शास्तियां अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया

107. वृहद शास्तियां अधिरोपण की प्रक्रिया:- (1) अध्यादेश 106 के उप-खंडों (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियों को अधिरोपित करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि जांच, जहां तक संभव हो, उप-खंड में दी गई प्रक्रिया के अनुसार एवं अध्यादेश 108 के खंड (1) के अनुसार न कर ली जाए।

(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी कर्मचारी के विरूद्ध अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सत्यता के बारे में जांच करने के लिए आधार है तो वह स्वंय जांच कर सकेगा या तत्संबंधी सत्यता की जांच के लिए इस अध्यादेश के अधीन किसी प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा:-

परंतु जहां अध्यादेश 83 के अर्थ के अंदर यौन उत्पीड़न की शिकायत हो, तो ऐसी शिकायतों की जांच के लिए गठित समिति को इन अध्यादेशों के प्रयोजनार्थ अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी समझा जाएगा और यदि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत समिति के लिए अलग से प्रक्रिया विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, तो जहाँ तक व्यवहार्य हो, शिकायत समिति इन नियमों में विनिर्दिष्ट क्रिया के अनुसार जाँच करेगी।

स्पष्टीकरण:- जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्वंय जाँच करता है, वहाँ खंड 9 से (18) तथा खंड (22) में जाँच प्राधिकारी के प्रति किए गए किसी संदर्भ का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति किया गया संदर्भ है।

(3) जहाँ इस अध्यादेश तथा अध्यादेश 106 के अंतर्गत किसी जाँच का किसी कर्मचारी के प्रति संस्थित किया जाना प्रस्तावित है वहाँ पर अनुशासनिक प्राधिकारी निम्नलिखित को लेखबद्ध करेगा या कराएगा,

i. अवचार या कदाचार के लांछनों के सार का निश्चित और सुस्पष्ट आरोप ब्यौरा:

ii. आरोप के प्रत्येक ब्यौरे के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछन का कथन जिसमें निम्नलिखित बातें होंगी:-

(क) सभी सुसंगत तथ्यों का जिनके अंतर्गत कर्मचारी द्वारा की गई स्वीकृति या संस्वीकृति भी है, कथन

(ख) ऐसे दस्तावेजों, साक्षियों की सूची जिनके द्वारा आरोप के ब्यौरे को प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है (इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए, कार्यकारी परिषद् की ओर से कुलपति शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं);

(4) अनुशासनिक प्राधिकारी, कर्मचारी को, आरोप के ब्यौरों की अवचार या कदाचार के लांछनों के कथन की और उन दस्तावेजों और साक्षियों की, जिनसे या जिनके द्वारा प्रत्येक ब्यौरे को प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित हो, एक प्रति शिक्षक तथा शिक्षण कर्मचारी को परिदत्त करेगा या कराएगा और शिक्षक तथा शिक्षण कर्मचारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह अपनी प्रतिरक्षा का एक लिखित कथन उतने समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा तथा यह बताए कि वह व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का इच्छुक है या नहीं।

टिप्पण: इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए, अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से रजिस्ट्रार, शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी को आरोपों के ब्यौरे की एक प्रति, अवचार या कदाचार के लांछनों का कथन अथवा दस्तावेजों एवं साक्षियों की एक सूची जिसके द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि होना प्रस्तावित है, को परिदत्त करने और परिदत्त किए जाने के लिए शक्ति प्राप्त है;

रजिस्ट्रार द्वारा परिदत्त किए गए समय के भीतर कर्मचारी को अपनी प्रतिरक्षा का एक लिखित कथन प्रस्तुत करना होगा तथा यह भी बताना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का इच्छुक है या नहीं।

(5) (i) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों के उन ब्यौरों की, जो स्वीकार नहीं किए गए है, जांच स्वंय कर सकेगा या यदि वह आवश्यक समझे तो उप-खंड (2) के अधीन जांच अधिकारी की इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकेगा और जहाँ शिक्षक और शिक्षण-कर्मचारी ने रक्षा के अपने लिखित कथन में आरोप के सभी ब्यौरों को स्वीकार कर लिया है, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा साक्ष्य जो वह ठीक समझे, लेने के पश्चात प्रत्येक आरोप के संबंध में अपने निष्कर्ष लेखबद्ध करेगा और अध्यादेश 108 में अभिकथित रीति से कार्य करेगा।

(ii) यदि शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी ने रक्षा का कोई लिखित कथन पेश न किया हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी स्वंय आरोप के ब्यौरों की जांच कर सकेगा या यदि वह आवश्यक समझे तो उप-खंड (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(iii) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी आरोपों के किसी ब्यौरे की जांच स्वंय करता है या ऐसे आरोप की जांच करने के लिए कोई जांच प्राधिकारी नियुक्त करता है, वहां वह आरोप के ब्यौरों के समर्थन में अपनी ओर से मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी कर्मचारी को आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगा, जो प्रस्तुतकर्ता अधिकारी कहलाएगा। (इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए, कार्यकारी परिषद् की ओर से कुलपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे)।

(6) जहां अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है वहां वह जांच प्राधिकारी को निम्न अग्रेषित करेगा।

(i) आरोप के ब्यौरो की और अवचार या कदाचार लांछन के कथन की एक प्रति;

(ii) शिक्षक या शिक्षण कर्मचारी द्वारा पेश किए गए प्रतिरक्षा के लिखित कथन की, यदि कोई हो तो, एक प्रति

(iii) उप-खंड (3) में विनिर्दिष्ट साक्षियों के कथनों की, यदि कोई हो, एक प्रति;

(iv) उप-खंड (3) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का शिक्षक या शिक्षण कर्मचारी को परिदान साबित करने वाला साक्ष्य; तथा

(v) "प्रस्तुतकर्ता अधिकारी" की नियुक्ति के आदेश की एक प्रति (इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से रजिस्ट्रार उप-खंड (i) से (v) में सूचीबद्ध दस्तावेजों आदि को जांच प्राधिकारी को अग्रेषित करने के लिए शक्ति प्राप्त है।)

(7) शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी आरोप के ब्यौरों और अवचार या कदाचार के लांछनों के कथन की प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवसों के भीतर उस दिन और उस समय जो जांच प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, या दस दिन से अनधिक ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वंय उपस्थित होगा।

(8) शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी अपने मामले को अपनी ओर से प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालय के किसी अन्य कर्मचारी की सहायता ले सकता है, लेकिन इस प्रयोजन के लिए किसी विधि व्यवसायी को नहीं लगा सकता है।:

परंतु किसी शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी को एक ही समय में विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित किए गए एक मामले से अधिक में सहायता प्रदान करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(9) यदि शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी, जिसने आरोप के ब्यौरों में से किसी को प्रतिरक्षा के अपने लिखित कथन में स्वीकार नहीं किया है या प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया है, जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो तो ऐसा प्राधिकारी उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी है या कोई प्रतिवाद पेश करना चाहता है और यदि वह आरोप के ब्यौरो में से किसी के दोषी होने का अभिवचन करता है तो जो जांच प्राधिकारी उसका अभिवचन लेखबद्ध करेगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा और शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी के उस पर हस्ताक्षर लेगा।

(10) जांच प्राधिकारी आरोप के उन ब्यौरो के संबंध में जिनके विषय में कर्मचारी दोषी होने का प्रतिपादन करता है उनके संबंध में दोष के अपने निष्कर्ष को प्रस्तुत करेगा।

(11) यदि कर्मचारी विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित नहीं होता है या अभिवचन करने से इंकार या उसका लोप करता है तो जांच प्राधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसा साक्ष्य पेश करे जिसके आधार पर वह आरोप साबित करने का प्रस्ताव करता है और मामले को तीस दिन से अनधिक की किसी पश्चातवर्ती तारीख के लिए यह आदेश लेखबद्ध करने के पश्चात स्थगित करेगा कि कर्मचारी अपना प्रतिवाद तैयार करने के प्रयोजन के लिए-

(i) आदेश की तारीख से पांच दिन के भीतर या पांच दिन से अनधिक ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर, जो जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, उन दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा जो उप-खंड (3) में विनिर्दिष्ट सूची में विनिर्दिष्ट है;

(ii) उन साक्षियों की जिनकी परीक्षा उसकी ओर से की जानी है, एक सूची प्रस्तुत कर सकेगा;

टिप्पण:- यदि शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी उप-खंड (3) में विनिर्दिष्ट सूची में उल्लिखित साक्षियों के कथनों की प्रतियां दी जाने के लिए मौखिक या लिखित रूप में निवेदन करे तो जांच प्राधिकारी उसे ऐसी प्रतियां यथासंभव शीघ्रता से प्रदान करेगा और किसी भी दशा में अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों की परीक्षा के प्रारंभ होने से कम से कम तीन दिन पहले दे देगा।

(iii) आदेश की तारीख से दस दिन के भीतर या दस दिन से अनधिक ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, किन्ही ऐसे दस्तावेजों के जो विश्वविद्यालय के कब्जे में है किंतु जिनका उल्लेख उप-खंड (3) में विनिर्दिष्ट सूची में नहीं है, प्रकट या पेश करने के लिए सूचना दे सकेगा।

टिप्पण- शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी उन दस्तावेजों की संसूचना उपदर्शित करेगा जिनकी वह विश्वविद्यालय द्वारा प्रकट या पेश किए जाने की अपेक्षा करता है।

(12) जांच प्राधिकारी, दस्तावेजों को प्रकटया पेश करने की सूचना प्राप्त होने पर इस सूचना को या उसकी प्रतिलिपियों को उस प्राधिकारी के पास जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे रहते हैं, इस अध्यपेक्षा के साथ भेजेगा कि वह दस्तावेज ऐसी तारीख तक, जो ऐसी अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट की जाए, पेश करे:

परंतु जांच प्राधिकारी, उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे दस्तावेजों की अध्यपेक्षा करने से इंकार कर सकता है जो उसकी राय में मामले में सुसंगत नहीं है।

(13) उप-खंड (12) में विनिर्दिष्ट अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर ऐसा प्रत्येक प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यपेक्षित दस्तावेज है, उन दस्तावेजों की जांच प्राधिकारी के समक्ष पेश करेगा-

परंतु यदि उस प्राधिकारी का, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में अध्यपेक्षित दस्तावेज हैं, यह समाधान हो जाए कि ऐसे सभी दस्तावेजों का या उनमें से किन्हीं दस्तावेजों का पेश किया जाना लोक हित या राज्य की सुरक्षा के विरूद्ध होगा तो वह उन कारणों से जो उसके लेखबद्ध किए जाएंगे, जांच प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा और इस प्रकार सूचित किए जाने पर जांच प्राधिकारी ऐसी सूचना कर्मचारी को संसूचित करेगा और ऐसे दस्तावेजों के प्रकट या पेश किए जाने के लिए की गई अध्यपेक्षा को वापस ले लेगा।

(14) जांच के लिए नियत तारीख को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऐसा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया जाएगा जिसके द्वारा आरोप के ब्यौरे साबित किए जाने है। प्रस्तुतकर्ता प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से उनकी प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को साक्षियों को उनमें से किसी भी विषय पर पुनः परीक्षा का हक होगा, जिन पर उनकी प्रतिपरीक्षा की गई है किंतु उसे जांच अधिकारी की अनुज्ञा के बिना किसी नए विषय पर पुनः परीक्षा करने का हक नहीं होगा। जांच प्राधिकारी भी साक्षियों से ऐसे प्रश्न कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे।

(15) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामले की सुनवाई पूरी हो जाने से पूर्व जांच प्राधिकारी को आवश्यक प्रतीत होता है तो वह स्वविवेकानुसार प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ऐसा साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दे सकेगा जो कर्मचारी को दी गई सूची में सम्मिलित नहीं है या स्वंय नया साक्ष्य मांग सकेगा या किसी साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा और ऐसी दशा में, यदि वह ऐसी मांग करे तो वह उस अतिरिक्त साक्ष्य की, जो आगे पेश किया जाना हो, सूची की एक प्रति प्राप्त करने का और ऐसे नए साक्ष्य के पेश किए जाने के पूर्व तीन दिन के लिए जांच स्थगित करने का हकदार होगा। इन पूरे तीन दिनों में स्थगन का दिन और वह दिन जिसके लिए जांच स्थगित की गई है, सम्मिलित नहीं होगा। जांच प्राधिकारी दस्तावेजों के अभिलेख में सम्मिलित कराने से पूर्व शिक्षक एवं शिक्षण कर्मचारी को उनका निरीक्षण करने का अवसर देगा। यदि जांच प्राधिकारी की यह राय हो कि न्याय के हित में नए

साक्ष्य का पेश किया जाना आवश्यक है तो कर्मचारी को भी नया साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

टिप्पण- साक्ष्य की किसी कमी को पूरा करने के प्रयोजन से किसी को नए साक्ष्य पेश करने की न तो अनुज्ञा दी जाएगी, न मांग की जाएगी और न किसी साक्षी को पुनः बुलाया जाएगा। ऐसे साक्ष्य की मांग केवल उसी दशा में की जा सकेगी जब मूलतः पेश किए गए साक्ष्य में कोई अन्तर्निहित कमी या त्रुटि हो।

(16) जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बंद हो जाए, तब कर्मचारी से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपना प्रतिवाद मौखिक या लिखित, जैसा वह चाहे कथित करें। यदि प्रतिवाद का कथन मौखिक लिया जाए तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा और कर्मचारी से अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी। दोनों ही दशाओं में प्रतिवाद के कथन की एक प्रति प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को, यदि नियुक्त किया गया हो, दी जाएगी।

(17) इसके पश्चात कर्मचारी की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा। यदि कर्मचारी अपनी ओर से स्वंय अपनी परीक्षा करना चाहे तो वह ऐसा कर सकेगा। तत्पश्चात कर्मचारी द्वारा पेश किए गए साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और उनकी प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा तथा परीक्षा जांच प्राधिकारी द्वारा उपबंधों के अनुसार की जा सकेगी जो अनुशासनिक प्राधिकारी के साक्षियों को लागू होते है।

(18) शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी की ओर से मामले को बंद किये जाने के पश्चात जांच प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए कि कर्मचारी साक्ष्य में अपने विरूद्ध प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देने में समर्थ हो सके, साक्ष्य में कर्मचारी के विरूद्ध प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों के बारे में उससे सामान्यतः प्रश्न कर सकेगा और यदि कर्मचारी ने स्वंय अपनी परीक्षा नहीं की है तो जांच प्राधिकारी ऐसा अवश्य करेगा।

(19) साक्ष्य की पेशी पूरी हो जाने के पश्चात जांच प्राधिकारी प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो और कर्मचारी को सुन सकेगा या उन्हें अपने-अपने मामले लिखित पक्षपत्र यदि वांछित हो तो, दाखिल करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(20) यदि कर्मचारी, जिसे आरोप के ब्यौरों की प्रति परिदत्त की जा चुकी है, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख या उससे पूर्व प्रतिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होता है अन्यथा इस अध्यादेश के उपाबंधों के अनुपालन में असफल रहता है या अनुपालन से इंकार करता है तो जांच प्राधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकेगा।

(21) (i) जहां उस अनुशासनिक प्राधिकारी ने, जो अध्यादेश 106 के खंड (1) के उप-खंड(i) से (v) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है [किंतु जो अध्यादेश 106 के खंड (1) के उप-खंड(vi) से (x) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियोंमें से कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं है] किसी आरोप के ब्यौरों की जांच स्वयं की हो या कराई हो और उस प्राधिकारी की अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, या किसी जांच प्राधिकारी के जिसे उसने नियुक्त किया हो, निष्कर्षों में से किसी पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यह राय हो कि अध्यादेश 106 के खंड (1) के उप-खंडों (vi) से (x) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियां शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, वहां यह प्राधिकारी जांच का अभिलेख उस अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा जो अंतिम उल्लिखित शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम है।

(ii) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी, जिसको अभिलेख इस प्रकार भेजे गए हों, लेखबद्ध साक्ष्य पर कार्य कर सकेगा या यदि उसकी यह राय हो कि साक्षियों में से किसी साक्षी की अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह उस साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उसकी परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकेगा और कर्मचारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जैसी वह इन अध्यादेशों के अनुसार ठीक समझे।

(22) जब कभी किसी जांच में संपूर्ण साक्ष्य को या उसके किसी भाग को सुनने तथा लेखबद्ध करने के पश्चात जब भी किसी जांच प्राधिकारी की अधिकारिता समाप्त हो जाए और उसके स्थान पर कोई अन्य ऐसा जांच प्राधिकारी पद ग्रहण कर ले जिसे ऐसी अधिकारिता प्राप्त हो और जो उसका प्रयोग करता हो तो इस प्रकार स्थान ग्रहण करने वाला उत्तरवर्ती जांच प्रयोग करता हो तो इस प्रकार स्थान ग्रहण करने वाला उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा लेखबद्ध अथवा भागतः अपने पूर्ववर्ती द्वारा और भागतः स्वयं द्वारा लेखबद्ध साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई कर सकेगा;

परंतु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी की यह राय हो कि उन साक्षियों में से जिनका साक्ष्य पहले ही लेखबद्ध किया जा चुका है, किसी की आगे परीक्षा न्याय के हित में आवश्यक है तो वह ऐसे किसी भी साक्षी को यथा पूर्व उपबंधित रूप में, पुनः बुला सकेगा और उसकी परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकेगा।

(23)(I) जांच पूरी हो जाने के पश्चात एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

(क) आरोप के ब्यौरे तथा अवचार या कदाचार के लांछनों का कथन;

(ख) आरोप के प्रत्येक ब्यौरे की बाबत कर्मचारी का प्रतिवाद;

(ग) आरोप के प्रत्येक ब्यौरे की बाबत साक्ष्य का निर्धारण ; तथा

(घ) आरोप के प्रत्येक ब्यौरे की बाबत निष्कर्ष तथा निष्कर्ष के कारण।

स्पष्टीकरण- यदि जांच प्राधिकारी की राय में जांच कार्यवाही से मूल आरोप-ब्यौरे से भिन्न कोई अन्य आरोप-ब्यौरा सिद्ध होता है तो वह आरोप के ऐसे ब्यौरे की बाबत अपने निष्कर्ष लेखबद्ध कर सकेगा;

परंतु आरोप के ऐसे ब्यौरों की बाबत कोई निष्कर्ष तब तक लेखबद्ध नहीं किए जाएंगे जब तक कि या तो कर्मचारी उपलब्धियों को, जिन पर ऐसे आरोप का ब्यौरा आधारित है, स्वीकार न कर ले अथवा जब तक कि उसे आरोपों के उन ब्यौरों के विरूद्ध अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए।

(ii) जांच प्राधिकारी, जहां वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है अनुशासनिक प्राधिकारी को जांच का अभिलेख भेजेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे-

(क) उसके द्वारा उप-खंड (i) के अधीन तैयार की गई रिपोर्ट

(ख) कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवाद का लिखित कथन, यदि कोई हो;

(ग) जांच के दौरान पेश किया गया मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य,

(घ) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अथवा कर्मचारी द्वारा अथवा दोनों के द्वारा जांच के दौरान दाखिल किए गए लिखित पक्ष पत्र, यदि कोई हो; और

(ङ) अनुशासनिक प्राधिकारी तथा जांच प्राधिकारी द्वारा जांच की बाबत किए गए आदेश, यदि कोई हो।

108. जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई- (1) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है, उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, मामले को जांच प्राधिकारी के पास और आगे जांच तथा रिपोर्ट के लिए भेज सकेगा और जांच अधिकारी तत्पश्चात, जहां तक संभव हो, अध्यादेश 107 के उपाबंधों के अनुसार और आगे जांच करेगा।

(2) जिन मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारी ने स्वयं जांच की हो, उनमें वह अपने द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट की प्रति या जिनमें अनुशासनिक प्राधिकारी, जांच प्राधिकारी न हो उनमें वह जांच प्राधिकारी द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट की प्रति, आरोप के किसी ब्यौरे के विषय में जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमति, यदि कोई हो, के अपने अंतिम कारणों सहित कर्मचारी को अग्रेषित करेगा या करवाएगा और कर्मचारी, यदि चाहे तो पंद्रह दिन के भीतर अनुशासनिक प्राधिकारी को अपना लिखित अभ्यावेदन या निवेदन प्रस्तुत करेगा चाहे रिपोर्ट कर्मचारी के अनुकूल हो या न हो।

(3) अनुशासनिक प्राधिकारी, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा और उपखंडों (4) और (5) में यथाविनिर्दिष्ट आगे की कार्यवाही करने से पहले अपने निष्कर्ष दर्ज करेगा।

टिप्पण.- विश्वविद्यालय के कर्मचारी के मामले में कार्यकारी परिषद् द्वारा गठित एक उप-समिति कर्मचारी के लिखित अभ्यावेदन के साथ जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और अनुशासनिक प्राधिकारी के विचार के लिए उपयुक्त सिफारिश देगी।

(4) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की आरोप के सभी या किन्हीं ब्यौरों पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यह राय हो कि अध्यादेश 106 के खंड (1) के उप-खंडों (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह अध्यादेश 109 में किसी चीज के होते हुए भी इस प्रकार की शास्ति अधिरोपित करने संबंधी आदेश जारी करेगा।

(5) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की आरोप के सभी या किन्हीं ब्यौरों पर अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और जांच के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर यह राय हो कि अध्यादेश 106 के खंड (1) के उप-खंडों (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह इस प्रकार की शास्ति अधिरोपित करने संबंधी आदेश जारी करेगा और यह आवश्यक नहीं होगा कि कर्मचारी को अधिरोपित की जाने के लिए प्रस्तावित शास्ति के बारे में अभ्यावेदन करने का कोई अवसर दिया जाए।

109. लघु शास्तियां अधिरोपित करने की प्रक्रिया:

(1) अध्यादेश 108, के खंड (5) के उपबंध के अधीन रहते हुए अध्यादेश 106 के उप-खंडों (i) से (v) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी पर अधिरोपित करने के लिए कोई आदेश तभी किया जाएगा जब कि-

(i) शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई करने की प्रस्ताव के संबंध में और अवचार या कदाचार के उन लांछनों की, जिन पर ऐसी कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है, की लिखित सूचना उनको दे दी गई हो और ऐसा अभ्यावेदन देना का, जैसा यह प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध देना चाहता हो, युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो;

(ii) ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि ऐसी जांच आवश्यक है, अध्यादेश 107 के उपखंडों (3) से (23) तक में अभिकथित रीति में जाँच कर ली गई हो;

(iii) खंड (1) के अधीन शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों द्वारा दिया गया अभ्यावेदन, यदि कोई हो तथा खंड (2) के अधीन की गई जाँच का अभिलेख, यदि कोई हो; तथा

(iv) प्रत्येक अवचार अथवा कदाचार के प्रत्येक लांछन की बाबत निष्कर्ष लेखबद्ध कर दिया गया हो।

(2) खंड (1) के उपखंडों (ii) में किसी बात के होते हुए भी यदि उक्त खंड (1) के उप-खंड (i) के अधीन एक विश्वविद्यालय शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात किसी मामले में यह प्रस्तावना की जाती है कि वेतन-वृद्धियां रोक दी जाएं और वेतन-वृद्धियों के ऐसे रोक दिए जाने से कर्मचारी को देय वेतनअंश की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है या तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वेतन वृद्धियाँ रोक दी जाएं या किसी भी अवधि के लिए वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोक दी जाएं, तो कर्मचारी पर कोई भी ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के लिए आदेश करने से पूर्व अध्यादेश 107 के खंड (3) से (23) तक में अभिकथित रीति में जाँच की जाएगी।

(3) उस विश्वविद्यालय शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी को जिस पर एक विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए वेतनवृद्धि रोकने अथवा निम्न सेवा ग्रेड अथवा पद में पदावनत करने अथवा एक निम्न समय-स्केल अथवा समय-स्केल में एक नीचे के स्तर में रखने का शास्ति लगा दिया गया हो को शास्ति अधिरोपित किए जाने वाले आदेश के बाद की तारीख से लेकिन उस तारीख से पहले से जबसे आदेश अंतिम रूप से क्रियाशील हुआ हो, दूसरी सेवा, ग्रेड अथवा पद में स्थानांतरित अथवा पदस्थापित नहीं किया जाएगा, यदि इस प्रकार का कोई स्थानांतरण दण्डादेशों के परिणामस्वरूप अथवा पदस्थापन वेतन-मैट्रिक्स के उसके वर्तमान स्तर ग्रेड अथवा पद में उसे देय भुगतानों से उसे वेतन-मैट्रिक्स के उच्च स्तर के भुगतानों में परिणत करते हों तो।

(4) इस प्रकार के मामलों में कार्यवाही के अभिलेख में निम्न शामिल होंगे:-

(i) शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी को उसके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के प्रस्ताव की एक प्रति

(ii) अवचार एवं कदाचार के आरोपों के अधिरोपण के कथन की एक प्रति उसे प्रदान की जाएगी;

(iii) उसका प्रतिवेदन, यदि कोई हो तो;

(iv) जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य;

(v) अवचार या कदाचार के प्रत्येक अधिरोपण पर प्राप्त निष्कर्ष; तथा

(vi) मामले में जारी आदेश उनके कारणों सहित।

110. आदेशों की संसूचना.- अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी को संसूचित किए जाएंगे साथ ही उसे आरोप के प्रत्येक ब्यौरे की बाबत अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों की एक प्रति, या जहां अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी नहीं है, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों का कथन तथा जाँच प्राधिकारी के निष्कर्षों से उसकी असमहति, यदि कोई हो, के संक्षिप्त कारण और जाँच प्राधिकारी के निष्कर्ष यदि वे उन्हें पहले नहीं दिए गए हों तो।

111. एक साथ कार्यवाही.- (1) जहां किसी मामले का संबंध दो या दो से अधिक शिक्षकों तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों से है, वहां कार्यकारी परिषद् अथवा अन्य कोई प्राधिकारी, जो सभी ऐसे सभी कर्मचारियों पर सेवा से पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम हो, यह निदेश देते हुए आदेश दे सकेगा कि उन सबके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई एक साथ ही की जाए।

टिप्पण.- यदि ऐसे कर्मचारी पर पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भिन्न-भिन्न हैं, तो अनुशासनिक कार्रवाई एक ही कार्यवाही में करने के लिए आदेश, ऐसे प्राधिकारियों में से उच्चतम प्राधिकारी द्वारा, अन्य प्राधिकारियों की सहमति से किया जा सकेगा।

(2) अध्यादेश 106, के खंड (3) के उपाबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी आदेश में निम्नलिखित बातें विनिर्दिष्ट की जाएंगी:-

(i) वह प्राधिकारी जो ऐसी एक ही कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकेगा;

(ii) अध्यादेश 106 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट शास्तियां, जो ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा; और

(iii) क्या अध्यादेशों 107 एवं 108 में और विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का कार्यवाही में अनुसरण किया जाएगा।

112. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया:- अध्यादेशों 107 से 111 तक में किसी बात के होते हुए भी जहां

i. किसी शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी पर कोई शास्ति उसके ऐसे आचरण के आधार पर अधिरोपित की गई है जिसके लिए उसे आपराधिक आरोप पर दोषसिद्ध किया गया है; या

2. अनुशासनिक प्राधिकारी का उन कारणों से जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाए कि इन अध्यादेशों में प्रदत्त रीति से कोई जांच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी उस मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और उस बाबत ऐसा आदेश कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे:

परंतु कर्मचारी के विरूद्ध खंड (1) के अंतर्गत किसी मामले में कोई आदेश करने से पूर्व उसे प्रस्तावित शास्ति के लिए अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जा सकता है:

113. बाहरी प्राधिकारी को उधार दिए गए शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी के संबंध में उपबंध- जहाँ एक कर्मचारी की सेवाएं एक बाहरी प्राधिकरण (इसके बाद इस अध्यादेश में तथा 114 में "लेनदार प्राधिकारी" के नाम से निर्दिष्ट) को उधार दी गई हो वहां पर उधार लेने वाले प्राधिकारी को इस कर्मचारी को निलंबित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियां होंगी तथा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्तियां प्राप्त होंगी:

परंतु लेनदार प्राधिकारी इसके बाद उस प्राधिकारी को शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी (अध्यादेश 113 एवं 114 में, "देनदार प्राधिकारी" के नाम से संदर्भित है) के विषय में निलंबन के आदेश की परिस्थितियों अथवा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने, जैसा भी मामला हो के लिए सूचित करेगा।

114. शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी के विरूद्ध संचालित की गई अनुशासनिक कार्यवाही में प्राप्त निष्कर्षों के प्रकाश में

(1) यदि लेनदार प्राधिकारी का राय है कि अध्यादेश 106 के खंड (1) के उप-खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट किसी दण्ड को कर्मचारी पर अधिरोपित किया जाना है तो वह देनदार प्राधिकारी के साथ विचार-विमर्श करके इस प्रकार का आदेश जैसा वह उचित समझे, जारी कर सकता है।

परंतु देनदार एवं लेनदार प्राधिकारियों के मध्य राय भिन्नता की स्थिति में कर्मचारियों की सेवा को देनदार प्राधिकारी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(2) यदि लेनदार प्राधिकारी की राय है कि अध्यादेश 106 के खंड (1) के उपखंडों (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियों मे से कोई शास्ति को शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो, वह उसकी सेवाओं को देनदार प्राधिकारी को स्थानांतरित करेगा और जांच की कार्यवाही इसे भेजेगा और फिर इस पर देनदार प्राधिकारी यदि यह अनुशासनिक प्राधिकारी है तो इस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे अथवा यदि वह अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है तो मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो इस पर जैसा भी उचित समझे उस प्रकार का आदेश पारित करेगा।

परंतु इस प्रकार का कोई आदेश पारित करने से पहले, अनुशासनिक प्राधिकारी अध्यादेश 108 के खंड (4) एवं (5) के उपाबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

स्पष्टीकरण:- अनुशासनिक प्राधिकारी इस खंड के अधीन लेनदार प्राधिकारी के द्वारा हस्तांतरित जांच का अथवा इससे आगे की जांच पूरी करने के बाद जैसा भी वह उचित समझे जहाँ तक संभव हो, अध्यादेश 107 के अनुक्रम में लिखित में आदेश कर सकता है।

115. प्राधिकरण से बाहर से उधार लिए गए व्यक्तियों के संबंध में प्रावधान:- (1) जहाँ एक ऐसे कर्मचारी के विरूद्ध जिसकी सेवाएं प्राधिकरण के बाहर से ली गई हैं, के विरूद्ध निलंबन का आदेश जारी किया गया है अथवा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई है, उसके देनदार प्राधिकारी को (इसके पश्चात अध्यादेश में "देनदार प्राधिकारी" के नाम से संदर्भित) इसके बाद शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी को निलंबन के आदेश तक ले जाने वाली परिस्थितियों अथवा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ किए जाने के संबंध में, जैसा भी मामला हो, सूचित करेगा।

(2) शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी के विरूद्ध संचालित प्रशासनिक जांच के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी का राय है कि अध्यादेश 106 के खंड (1) के उप-खंड(i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी शास्ति का उस पर अधिरोपण किया जाना है, तो अध्यादेश 108 के खंड (4) के उपाबंधों के अधीन, देनदार प्राधिकारी के साथ विमर्श करके वह जैसा भी उचित समझे वैसा आदेश जारी कर सकता है।

परंतु लेनदार एवं देनदार प्राधिकारी के मध्य मतों की भिन्नता की स्थिति में, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी की सेवाओं को देनदार प्राधिकारी के निपटान पर रखा जाएगा।

(3) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि अध्यादेश 106 के खंड (1) के उप-खंड(vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी शास्ति को शिक्षक या गैर-शिक्षण कर्मचारी पर अधिरोपित किया जाना है तो यह कर्मचारी की सेवाओं को देनदार प्राधिकारी के निपटान पर स्थानांतरित करेगा तथा इसे जांच की कार्यवाही जैसा भी वह उचित समझे उस कार्यवाही के लिए स्थानांतरित करेगा।

भाग- 4

अपील एवं समीक्षा

116. आदेश जिनके विरूद्ध अपील नही होगी।

इस भाग में अंतर्निष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित आदेशों के विरूद्ध कोई अपील नही होगी:-

(1) कार्यकारी परिषद् द्वारा किया गया कोई आदेश।

(2) अन्तर्वर्ती प्रकार का कोई आदेश या अनुशासनिक कार्रवाई के अंतिम निपटारे के सहायक कदम के स्वरूप का आदेश जो निलंबन आदेश से भिन्न हो।

(3) अध्यादेश 107 को किसी जांच के क्रम में जांच प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश।

117. आदेश जिनके विरूद्ध अपील हो सकेगी:- अध्यादेश 114 के खंड (1) के उपाबंध के अधीन, एक कर्मचारी निम्नलिखित में से किसी अथवा सभी के विरूद्ध अपील कर सकता है:

(1) इस अध्याय के भाग-I के अंतर्गत किया गया या समझा गया निलंबन का आदेश:

(2) अध्यादेश 106 के खंड (1) के उप-खंड(i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाला आदेश चाहे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया गया हो अथवा अपील पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा:

(3) अध्यादेश 106 के खंड (1) के उप खंडों(i) से (v) के अधीन अधिरोपित शास्ति में वृद्धि करने वाला कोई आदेश

(4) एक कोई आदेश जो:-

(i) नियमों द्वारा या करार द्वारा यथा विनियमित उसके वेतन, भत्तों, पेंशन या सेवा की अन्य शर्तों से उसे वंचित करता है या उसके अहित में उनमें फेरफार करता है।

(ii) किसी ऐसे नियम या करार के उपबंधों का उसके अहित में निर्वचन करता है,

(5) कोई आदेश जो:-

(i) उच्चतर सेवा प्रवर्ग या पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते हुए उसे किसी निम्नतर सेवा, प्रवर्ग या पद पर शास्ति के रूप में उसे प्रतिवर्तित करता है।

(ii) अध्यादेशों के अधीन पेंशन कम करता है या उसे रोकता है या नियमों के अधीन अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन से उसे वंचित करता है:

(iii) उसकी निलंबन की अवधि के लिए या उस अवधि के लिए जिसके दौरान उसे निलंबन के अधीन समझा जाता है या उसके किसी भाग के लिए उसे संदत्त किए जाने वाले निर्वाह और अन्य भत्ते अवधारित करता है।

(iv) निम्न के लिए उसके वेतन और भत्तों को अवधारित करता है-

(क) निलंबन अवधि के लिए: अथवा

(ख) सेवा से उसकी पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवा निवृति की तारीख से या किसी निम्नतर सेवा, प्रवर्ग पद, किसी समय वेतनमान या उसके निम्नतर प्रकृम में उसकी बहाली या पुनःस्थापन की तारीख तक की अवधि के लिए, अथवा

(ग) यह अवधारित करता है कि उसके निलंबन की तारीख से या उसकी पदच्युति, हटाए जाने, अनिवार्य सेवा निवृत्ति या निम्नतर सेवा, प्रवर्ग, पद समय-वेतनमान या उसके निम्नतर पदक्रम में उसकी प्रतिकूल की तारीख से उसकी सेवा, प्रवर्ग या पद पर उसकी बहाली या पुनःस्थापन की तारीख तक की अवधि किसी प्रयोजन के लिए कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में मानी जाएगी या नही।

स्पष्टीकरण:- इस खंड के प्रयोजन के लिए:-

(क) "कर्मचारी" पद के अंतर्गत वह व्यक्ति है जो अब विश्वविद्यालय सेवा में नहीं रहा।

(ख) पेंशन पद के अंतर्गत अतिरिक्त पेंशन, उपादान और कई सेवानिवृत्ति फायदे शामिल है।

118. अपील प्राधिकारी:- (1) शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी, विश्वविद्यालय सेवा में रहे व्यक्ति सहित, अध्यादेश 117 में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी आदेश के विरूद्ध अपील कर सकता है, विश्वविद्यालय के एक सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा इस ओर से अथवा जहां इस प्रकार का प्राधिकारी विनिर्दिष्ट न हो वहां निम्न को अपील कर सकेगा:-

(i) जहां अपील किए जाने का आदेश एक अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा किया गया हो वहां पर नियुक्ति प्राधिकारी को: अथवा

(ii) जहां पर इस प्रकार का आदेश किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तो वहां पर कार्यकारी परिषद् को:

(iii) इस अध्यादेश में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अन्य किसी बात के होते हुए भी:-

(क) अध्यादेश 111 के अधीन किसी एक ही कार्यवाही में किए गये किसी आदेश के विरूद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसके सीधे अधीनस्थ वह प्राधिकारी है जो उस कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है:

(ख) जहां वह व्यक्ति, जिसने अपीलाधीन आदेश किया हो, अपनी पश्चातवर्ती नियुक्ति के आधार पर या अन्यथा ऐसे आदेश की बाबत अपील प्राधिकारी हो जाता है, वहां ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसका ऐसा व्यक्ति सीधे अधीनस्थ है।

119. अपीलों का परिसीमा काल:- इस भाग के अधीन की गई कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसी अपील

उस तारीख से, जिसको उस आदेश की जिसके विरूद्ध अपील की गई हो को अपीलार्थी को देने की तारीख से पैतालीस दिन के भीतर न दायर किया गया हो।

परंतु अपील प्राधिकारी उक्त अवधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसकी यह समाधान हो जाती है कि समय के भीतर अपील न करने के लिए अपीलार्थी के पास पर्याप्त कारण था।

120. अपील का स्वरूप और उसकी विषय वस्तुः (1) अपील करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पृथक रूप से और अपने नाम से अपील करेगा।

(2) अपील उस प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसको अपील होती है। अपीलार्थी अपील की एक प्रति उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने वह आदेश किया है जिसके विरूद्ध अपील की गई है। अपील में वे सभी तात्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी निर्भर करता है, उनमें अनादरपूर्ण या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा और वह स्वयं में पूर्ण होगी।

(3) वह प्राधिकारी, जिसने वह आदेश किया है जिसके विरूद्ध अपील की गई है, अपील की प्रति प्राप्त होने पर उसे, किसी परिहार्य विलंब के बिना और अपील प्राधिकारी से किसी निदेश की प्रतीक्षा किए बिना, अपील प्राधिकारी को, उस पर अपनी टिप्पण और सुसंगत अभिलेख सहित, भेज देगा।

121. अपील पर विचार

(1) निलंबन के किसी आदेश के विरूद्ध अपील की दशा में, अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि इस अध्याय के भाग I के उपाबंधों को और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निलंबन का आदेश न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार आदेश की पुष्टि या उसका प्रतिसंहरण कर सकेगा।

(2) अध्यादेश 106 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले या उक्त खंड के अधीन अधिरोपित शास्ति में वृद्धि करने वाले किसी आदेश के विरूद्ध अपील की दशा में, अपील प्राधिकारी विचार करेगा किः-

(i) क्या अध्यादेश में अधिकांशतः क्रिया प्रणाली का पालन किया गया है अथवा नहीः

(ii) अनुशासित प्राधिकारी के निष्कर्ष लेखबद्ध साक्ष्य से समर्थित है या नहीः और

(iii) अधिरोपित या बढ़ाकर अधिरोपित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त या कठोर है या नही।

और वह आदेश द्वारा

(iv) शास्ति को पुष्ट, वर्धित, कम या अपास्त करेगा,

(v) मामला उस प्राधिकारी को, जिसने शास्ति अधिरोपित या वर्धित की है अथवा किसी अन्य प्राधिकारी की ऐसे निदेश के साथ जो मामले की परिस्थितियों में वह उचित समझे, भेज देगा

परंतु-

(क) यदि वर्धित शास्ति, जिसे अपील प्राधिकारी अधिरोपित करने का प्रस्ताव करता है, अध्यादेश 106 के खंड (1) के उप खंड (vi) से (x) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक है तथा मामले में अध्यादेश 107 की जांच पहले नहीं की गई है तो अपील प्राधिकारी, अध्यादेश 112 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्वंय जांच करेगा या निदेश देगा कि ऐसी जांच अध्यादेश 113 के उपबंधों के अधीन की जाए और उसके पश्चात वह ऐसी जांच की कार्यवाही पर विचार करके ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे;

(ख) यदि वर्धित शास्ति, जिसे अपील प्राधिकारी अधिरोपित करने का प्रस्ताव करता है वह अध्यादेश 106 के खंड (1) के उप खंड (vi) से (x) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई है और मामले में अध्यादेश 107 के अधीन कोई जांच कर ली गई तो प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अपीलार्थी को उचित अवसर दिए जाने के बाद अपील प्राधिकारी ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे, और

(ग) वर्धित शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश किसी अन्य मामले में तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को ऐसी वर्धित शास्ति के विरूद्ध अध्यादेश 109 के उपबंधों के क्रम मे अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(3) अध्यादेश 117 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य आदेश के विरूद्ध अपील में, अपील प्राधिकारी मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसा आदेश करेगा जो वह न्यायसंगत और साम्यपूर्ण समझे।

122. अपील में आदेशों का क्रियान्वयन करनाः-

वह प्राधिकारी जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गई है, अपील प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को प्रभावी करेगा।

123. इन अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी कार्यकारी परिषद् अथवा अपील प्राधिकारी, आदेश संशोधित किये जाने की प्रस्तावित तारीख से छः महीने के अंदर किसी भी समय या तो अपने अथवा स्वप्रेण से अथवा अन्यथा किसी जांच से जिससे कि

अपील अनुज्ञात है लेकिन जिससे कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है अथवा अज्ञात नही है अभिलेख की मांग कर सकता है और

(1) आदेश को पुष्ट, उपांतरण अथवा अपास्त कर सकेगा,

(2) आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को पुष्ट, कम, वर्धित या अपास्त कर सकेगा या जहां कोई शास्ति अधिरोपित न की गई हो, वहां शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, या

(3) मामला उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश किया है या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसी अतिरिक्त जांच का निदेश देते हुए भेज सकेगा जो वह मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे, या

(4) ऐसे अन्य आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे:

परंतु शास्ति अधिरोपित या वर्धित करने वाला कोई आदेश किसी पुनरीक्षक प्रधिकारी द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बद्ध कर्मचारी को प्रस्थावित शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और जहां यह प्रस्ताव है कि अध्यादेश 106 के खंड (1) के उपखंडों (v)से (ix) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जाए या पुनरीक्षित किए जाने वाले आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति में वृद्धि करके उन खंण्डों में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित की जाए तथा इस मामले में अध्यादेश 107 के अधीन कोई जांच न की गई हो, वह भी अध्यादेश 112 के उपाबंधों के अधीन तथा संबंधित कर्मचारी को जांच के दौरान समर्थित साक्ष्यों पर प्रस्तावित शास्ति पर कारण बताने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के बाद।

124. जब तक अपील के लिए समय समाप्त न हो जाए तब तक पुनरीक्षण की कोई प्रक्रिया अथवा अपील का निपटान, जहां पर ऐसी अपील प्रस्तुत की गई हो, प्रारंभ नही होगी।

125. पुनरीक्षण के आवेदन को उसी तरह के बर्ताव किया जाएगा जैसे कि यह अध्यादेश के अधीन यह एक अपील हो।

भाग 5

प्रकीर्ण

126. आदेशों, सूचनाओं, नोटिस आदि की तामील: इन अध्यादेशों के अधीन दिए गए या जारी किए गए प्रत्येक आदेश, सूचना और अन्य आर्देशिका की तामील संबंधित शिक्षक तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी पर व्यक्तिगत रूप से की जाएगी या वह उसे रजस्ट्रीकृत डाक से संसूचित की जाएगी।

127. समय-परिसीमा को शिथिल करने और विलंब को माफ करने की शक्ति:- इन अध्यादेशों में अभिव्यक्त रूप से जैसे उपबंधित है, उसके सिवाय वह प्राधिकारी, जो इन अध्यादेशों के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम है, अच्छे और पर्याप्त कारणों से या पर्याप्त कारण से दर्शित कर दिए जाने पर, इन अध्यादेशों के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित किसी बात के लिए इन अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट समय को विस्तारित कर सकेगा या विलंब को माफ कर सकेगा।

128. भारत सरकार के नियमों अथवा निर्देशों की प्रयोज्यता: यदि इन अध्यादेशों में कोई विशेष उपाबंध नहीं बनाया गया है तो संबंधित विषय पर भारत सरकार के नियम अथवा निर्देश लागू होंगे।

अध्याय- 6

गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पद सृजन

129. (1) विभिन्न संवर्गों जैसे कि प्रशासन, अनुसचिवीय एवं अन्य विभिन्न संवर्गो के लिए पदों का सृजन इस अध्यादेश के उपाबंधों के अनुसार होगा।

(2) गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सृजित किए जाने वाले पदों की संख्या की विश्वविद्यालय की संस्तुति को अनुमोदन के लिए वित्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) वित्त समिति को इस प्रस्ताव को रद्द अथवा इसके प्रारूप के एक भाग को अथवा इसे पूर्णरूपेण पुन: इस विचार करने ऐसे किन्हीं संशोधन के साथ जो वित्त समिति प्रस्तावित करती है सहित वापस करने की शक्ति होगी।

4. वित्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को विश्वविद्यालय द्वारा कार्यकारी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा कार्यकारी समिति के अनुमोदन के तुरंत बाद से ही यह प्रभावी हो जाएगा।

अध्याय 7

गैर-शिक्षण कर्मचारियों हेतु चयन प्रक्रिया

130.

(1) गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया अथवा मानक

इस अध्यादेश के उपाबंधों के अनुसार होंगे।

(2) 2 अध्यक्ष, चयन समिति की बैठक में राय देने का हकदार होगा तथा टाई की स्थिति में उनके पास निर्णायक मत होगा।

(3) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 एवं ऊपर के पदों के संबंध में चयन समिति कीसिफारिशों को कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा तथा नियुक्ति के आदेशों को कार्यकारी परिषद् की अनुज्ञा के बाद ही जारी किया जाएगा।

(4) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 से 9 तथा 1 से 5 के पदों में कुलपति चयन समिति की संस्तुतियों पर नियुक्तियों के लिए प्राधिकृत किए जा सकेंगे।

(5) आरक्षित प्रवर्गों के संबंध में अपनाए जाने वाले नियम और प्रक्रिया परिनियम खंड 7 में दिए गए अनुसार तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित यथाविहित किए अनुसार होगी।

(6) वेतन एंव भत्तों, छुट्टियों, पेंशन तथा भविष्य निधि के संबंध में भारत सरकार के नियमों का पालन किया जाएगा।

(7) चयन समिति साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने का अपना पद्धति निर्णय कर सकेगी।

(8) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ है तो संस्तुतियां अभ्यर्थियों की गुणागुण के आधार पर की जाएगी।

(9) सशर्त कोई भी संस्तुति नहीं की जानी चाहिए।

(10) सभी पदों के असाधारण मामलों में छानबीन और चयन समिति की संस्तुतियों पर किसी अर्हताएं, अनुभव, आयु आदि में शिथिल प्रदान करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

(11) अनुसूचित जाति, अथवा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांग आदि अभ्यर्थियों को आयु एवं शैक्षणिक योग्यता में शिथिल भारत सरकार के नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी।

(12) यदि किसी अभ्यर्थी को चयन समिति द्वारा नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता आयु आदि से संबंधित विनिर्दिष्ट शर्तों में छूट के साथ नियुक्ति हेतु संस्तुत किया जाता है तो उसे अभिकथितानुसार लेखबद्ध किया जाएगा।

(13) यदि चयन समिति वेतन मैट्रिक्स एक उच्च प्रारंभिक स्तर को संस्तुत करना अथवा एक चयनित अभ्यर्थी को एक अग्रिम वेतनवृद्धि प्रस्तावित करना उचित समझती है तो वह इसका कारण बताते हुए ऐसा कर सकती है।

(14) विज्ञापित पदों की संख्या को अनंतिम समझा जाएगा तथा विश्वविद्यालय को किसी भी समय पदों को घटाने अथवा बढ़ाने तथा तदनुसार नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(15) विहित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव न्यूनतम होंगे तथा किसी अभ्यर्थी का मत इनको धारण करने से अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा।

(16) विश्वविद्यालय के पास शैक्षणिक अर्हताओं तथा न्यूनतम निर्धारित अनुभव से अधिक अथवा किसी अन्य ऐसी शर्त जिसे वह उचित समझे के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाए जाने के लिए उचित संख्या (10:1) में बुलाने का अधिकार होगा।

(17) सेवारत अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन करना होगा।

(18) चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आयु एवं अनुभव की शर्तों में शिथिल प्रदान की जाएगी।

(19) साक्षात्कार में बाहर से बुलाए जाने वाले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों को यात्रा के खर्च के निमित्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर द्वितीय प्रवर्ग के रेल किराए के बराबर धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

(20) किसी ऐसे अभ्यर्थी के द्वारा किसी भी रूप में वाद-विवाद करना उसे निरहित घोषित कर देगा।

(21) चयन समिति की संस्तुतियां अनुमोदित हो जाने पर इस प्रकार के अनुमोदन से एक वर्ष की समयावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

(22) विभिन्न पदों के लिए निर्धारित प्रारूपों विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे तथा वहां से नि:शुल्क डाउनलोड किए जा सकते हैं।

(23) विश्वविद्यालय के विरुद्ध किसी विवाद, मुकदमें अथवा विधिक कार्यवाहियों के मामले लखनऊ न्यायालयों के

अधिकार क्षेत्र तक सीमित होंगे।

131. चयन समितियों की संरचना

सीधी भर्ती द्वारा गैर-शैक्षणिक पदों पर चयन के लिए चयन/पुष्टिकरण समिति की संरचना	
चयन/पुष्टिकरण समिति:- वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 एवं उससे ऊपर के पद क. (कानूनी के अलावा) पद	
1	कुलपति अध्यक्ष -अध्यक्ष
2	रजिस्ट्रार -सदस्य
3	विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष अथवा संबंधित अनुभाग के प्रमुख सदस्य -सदस्य
4	कुलपति द्वारा नामित कार्यकारी समिति का एक सदस्य -सदस्य
5	विश्वविद्यालय की सेवा से बाहर के दो विशेषज्ञ जो कुलपति द्वारा नामित हो सदस्य -सदस्य
6	कुलपति द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो एक महिला एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग तथा एक अल्पसंख्यक समुदाय सदस्य, यदि इस पद के लिए उपस्थित होनेवाला कोई अभ्यर्थी उक्त प्रवर्गों से हो तथा यदि अन्य सदस्यों मे से कोई भी इन प्रवर्गों से न हो तो -सदस्य
7	नागर विमान मंत्रालय, द्वारा नामित किया गया नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक सदस्य -सदस्य

रजिस्ट्रार के चयन अथवा पुष्टिकरण के मामले में रजिस्ट्रार समिति के सदस्य नहीं होंगे।

ख. चयन अथवा पुष्टिकरण समिति:- वेतन मैट्रिक के स्तर 1 से 8 के पदों के लिए	
1	रजिस्ट्रार -अध्यक्ष
2	उप रजिस्ट्रार -सदस्य
3	कुलपति द्वारा नामित कार्यकारी समिति का एक सदस्य -सदस्य
4	कुलपति द्वारा नामित एक व्यक्ति, जो एक महिला है, एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग तथा एक अल्पसंख्यक समुदाय सदस्य, यदि इस पद के लिए उपस्थित होनेवाला कोई अभ्यर्थी उक्त प्रवर्गों से हो तथा यदि अन्य सदस्यों में से कोई भी इन प्रवर्गों से न हो तो -सदस्य
5	नागर विमान मंत्रालय, द्वारा नामित किया गया नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक सदस्य -सदस्य

गैर-शिक्षण पदों में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना	
ग. विभागीय प्रोन्नति समिति- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 9 एवं उससे उपर पद (सांविधिक को छोड़कर)	
1	कुलपति -अध्यक्ष
2	रजिस्ट्रार -सदस्य
3	विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष अथवा संबंधित अनुभाग के प्रमुख -सदस्य
4	कुलपति द्वारा नामित कार्यकारी समिति का एक सदस्य -सदस्य

5	विश्वविद्यालय सेवा से बाहर के दो व्यक्ति, कुलपति द्वारा नामित, जिनमें से एक महिला है, एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से तथा एक अल्पसंख्यक समुदाय सदस्य, यदि इस पद के लिए उपस्थित होने वाला कोई अभ्यर्थी उक्त प्रवर्गों से हो तथा यदि अन्य सदस्यों में से कोई भी इन प्रवर्गों से न हो तो -सदस्य

घ. विभागीय प्रोन्नति समिति- वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 से 8 के पदों के लिए	
1	रजिस्ट्रार -अध्यक्ष
2	विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष अथवा संबंधित अनुभाग के प्रमुख -सदस्य
3	उप रजिस्ट्रार -सदस्य
4	विश्वविद्यालय सेवा से बाहर के दो व्यक्ति, कुलपति द्वारा नामित, जिनमें से एक महिला है, एकअनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग से तथा एकअल्पसंख्यक समुदाय सदस्य, यदि इस पद के लिए उपस्थित होने वाला कोई अभ्यर्थी उक्त प्रवर्गों से हो तथा यदि अन्य सदस्यों में से कोई भी इन प्रवर्गों से न हो तो -सदस्य

खंड-8

शिक्षकों के पदों का सृजन

132. विश्वविद्यालय अपने विचार के लिए अकादमिक परिषद् के शिक्षकों के लिए पद के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

133. अकादमिक परिषद् के पास प्रस्ताव को अस्वीकार करने या विश्वविद्यालय को फिर से विचार के लिए प्रस्ताव को वापस करने की शक्ति होगी, या तो पूरे या आंशिक रूप से, किसी भी संशोधन के साथ जो अकादमिक परिषद् सुझाव दे सकेगी।

134. एक बार अकादमिक परिषद् द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने के बाद, विश्वविद्यालय द्वारा इसे वित्त परीक्षा के लिए समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

135. वित्त समिति के पास प्रस्ताव को पूरे या आंशिक रूप से,अस्वीकार करने या विश्वविद्यालय को पुन:विचार के लिए किसी भी संशोधन के साथ प्रस्ताव को वापस करने की शक्ति होगी, जो वित्त समिति सुझाव दे सकेगी।

136. जैसे ही वित्त समिति द्वारा अकादमिक कर्मचारीवृंद के निर्माण का प्रस्ताव कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और वह तत्काल प्रभाव से कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन पर लागू होगा।

अध्याय 9

शिक्षकों के लिए चयन प्रक्रिया

137. आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, के पदों पर नियुक्तियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम, 2016 की धारा 21 के खंड (2) के अंतर्गत चयन समिति द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया या मानदंडों का पालन इस अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

138. सभी को समान अवसर देने के लिए, विश्वविद्यालय सभी योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए कम से कम तीस दिन का समय देकर प्रमुख राष्ट्रीय दैनिकों में अखिल भारतीय आधार पर सभी रिक्तियों का विज्ञापन देगा।

139. सबसे प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को आकर्षित करने के लिए, विश्वविद्यालय रोलिंग विज्ञापन का विकल्प भी चुन सकता है, जिसके तहत पात्र अभ्यर्थी वर्ष भर विभिन्न संकाय पदों के लिए अपने आवेदन जमा कर सकते हैं, और छानबीन समिति की बैठक से कम से कम तीस दिन पहले प्राप्त सभी आवेदनों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

140. विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या को अस्थायी समझा जा सकता है और चयन के समय विश्वविद्यालय को पदों की संख्या बढ़ाने या घटाने और तदनुसार नियुक्ति करने का अधिकार होगा।

141. विभिन्न पदों के लिए विहित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और इन्हें मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है।

142. आवेदक जो पहले से ही सेवा या नियोजन में हैं, उन्हें उचित चैनल के माध्यम से आवेदन करने की अपेक्षित होगा, तथापि, वह अपने आवेदन की एक अग्रिम प्रति विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं।

143. नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र और सतर्कता संस्वीकृति प्रमाण पत्र के साथ सम्यक रूप से अग्रेषित आवेदन पत्र, अधिमानतः, साक्षात्कार की तारीख से कम से कम दस दिन पहले विश्वविद्यालय तक पहुंचना चाहिए, या साक्षात्कार के दिन प्रस्तुत करने पर विफल हो सकता है जिसे साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

144. आवेदकों को उनकी शैक्षिक अर्हताएं, कार्य अनुभव, अनुसंधान और प्रकाशनों के समर्थन में सभी संबंधित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों को संलग्न करने की अपेक्षित होगा, जो उन्हें साक्षात्कार के समय सत्यापन के लिए मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

145. न्यूनतम अर्हताएं और अन्य नियमों और शर्तों के संबंध में नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाएगी और उपरोक्त के अलावा, विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद् को विनिर्दिष्ट कर सकता है जैसे कि विनिर्देश या कोई अन्य शर्त पद भरने के लिए अपेक्षित है।

146. तथ्य यह है कि एक अभ्यर्थी के न्यूनतम विहित योग्यता और अनुभव होने पर भी, उसे बुलाया नहीं जा सकता और विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह इस प्रयोजन के लिए विनियमों के अनुसार गठित छान-बीन समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को न्यूनतम निर्धारित से अधिक अर्हता और अनुभव या किसी अन्य कारण, जो उपयुक्त समझा जाए, के आधार पर सीमित कर सकती है।

147. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा कोई यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता स्थानीय परिवहन का संदत्त नहीं किया जाएगा।

148. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्गों से संबंधित बाहरी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, तथापि, उनकी यात्रा के सबूत के रूप में टिकट प्रस्तुत करने पर उनके यात्रा व्यय के लिए वापसी एकल द्वितीय प्रवर्ग रेलवे किराया के बराबर भुगतान किया जाएगा।

149. किसी भी रूप में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या किसी भी अभ्यर्थी की ओर से पक्ष प्रचार करना अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करेगा।

150. राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम -2016 के नियम 21 के उप-नियम (2) के अनुसार विधिवत रूप से चयनित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर आचार्यों, संबन्धित आचार्यों और सहायक आचार्यों के पद पर नियुक्ति अखिल भारतीय आधार पर की जाएगी। ।

151. चयन समिति आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा विहित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करेगी।

152. चयन समिति की बैठक पूर्व परामर्शदाता के साथ नियत की जाएगी, और कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित कुलाध्यक्ष के नामित और विशेषज्ञों की सुविधा के शर्त पर होगी और विश्वविद्यालय की ओर से अध्यक्ष अधिकतम दस दिन पहले बैठक का समय और स्थान बताते हुए, प्रत्येक सदस्य को अधिसूचना जारी करेगा।

153. चयन समिति, आचार्य या सह-आचार्य के पद के लिए एक अभ्यर्थी पर विचार करने के बाद, यदि ऐसा राय हो, तो वह अगले निम्न पद के लिए उपयुक्त विकल्प होगा, ऐसी सिफारिश कर सकता है।

154. चयन समिति के समक्ष भविष्य की घटित होने वाली घटना से जुड़ी स्थिति (परिस्थितियों) के साथ नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की सिफारिश करने की कोई शक्ति नहीं होगी।

155. चयन समिति की सिफारिशों को कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा और नियुक्ति के आदेश राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमों, 2016 के 14 के खंड 2 के उप-खंड (ii) के अनुसार कार्यकारी परिषद् की मंजूरी के बाद जारी किए जाएंगे।

156. यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का चयन एक ही तारीख पर और एक ही चयन समिति द्वारा किया जाता है, तो चयन समिति को सेवा में वरिष्ठता विहित करने के प्रयोजन से चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में वरिष्ठता निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

157. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या विकलांग प्रवर्गों वाले व्यक्तियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित आयु, न्यूनतम अर्हता, अनुभव में छूट आदि से संबंधित कानूनी उपबंध उन पर लागू होंगे।

158. यदि किसी भी अभ्यर्थी को अर्हता, आयु, अनुभव आदि से संबंधित निर्धारित शर्तों में से किसी में छूट के लिए नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, तो उसे उचित ठहराने वाले कारणों को चयन समिति की कार्यवाही में सम्यक रूप से दर्ज करना होगा।

159. चयनित अभ्यर्थी को अतिरिक्त वेतन वृद्धि की सिफारिश करते हुए, चयन समिति भारत सरकार के नियमों के अनुसार अतिरिक्त या अग्रिम वेतन वृद्धि से संबंधित नियमों का पालन करेगी।

160. इसके अतिरिक्त, जब चयन समिति एक चयनित अभ्यर्थी को प्रस्तुत किए जाने वाले उच्च प्रारंभिक वेतन या अग्रिम वेतन वृद्धि की सिफारिश करने के लिए उपयुक्त समझती है, तो चयन के कार्यवाही में सम्यक रूप से दर्ज किए जाने के कारणों को उचित ठहराया जाना चाहिए।

161. चयन समिति की सिफारिशें, यदि कार्यकारी परिषद् द्वारा अनुमोदित की जाती हैं, तो ऐसी स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिक परिनियमों की रहेगी।

162. राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमयों, 2016 के नियम 22 के अनुसार, इस अध्यादेश में अंतर्विष्ट किसी बात होते हुए या, यह कार्यकारी परिषद् के लिए अधिकार क्षेत्र में होगा कि वह आचार्य, संबन्धित आचार्य या उपाचार्य या विश्वविद्यालय में किसी अन्य समकक्ष शैक्षणिक पद पर विशिष्ट उच्च शैक्षणिक और वृतिक योग्यता के उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान करे। ।

163. किसी भी विवाद के मामलों में विश्वविद्यालय के विरुद्ध कोई भी विवाद या कानूनी कार्यवाही, लखनऊ में न्यायालयों के लिए क्षेत्राधिकार प्रतिबंधित होगा।

अध्याय-10

विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए भर्ती प्रक्रिया

164. चयन समितियों की संरचना—

प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति द्वारा शिक्षण पद के लिए चयन / चयन समिति के गठन की संरचना (राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम, 2016 के परिनियमों 21 का खंड 2		
क. चयन या पुष्टि समिति – आचार्य के लिए		
1. कुलपति	-	अध्यक्ष
2. विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख	-	सदस्य;
3. अनुभाग के प्रमुख	-	सदस्य और
4. कार्यकारी परिषद् द्वारा नामांकित तीन व्यक्ति विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं थे, अकादमिक परिषद् द्वारा उनके विशेष ज्ञान, या उस विषय में रुचि के लिए सुझाए गए नामों के एक पैनल से बाहर आचार्य संबद्ध होंगे		-सदस्य

ख. चयन या पुष्टि समिति संबंधित या सहबद्ध आचार्य के लिए		
1. कुलपति	-	अध्यक्ष
2. विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख	-	सदस्य;
3. कुलपति द्वारा नामित एक व्यक्ति	-	सदस्य और
4. कार्यकारी परिषद् द्वारा नामांकित दो व्यक्ति विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं थे,अकादमिक परिषद् द्वारा उनके विशेष ज्ञान, या उस विषय में रुचि के लिए सुझाए गए नामों के एक पैनल से बाहर संबंधित या सहायक आचार्य संबद्ध होंगे	-	सदस्य

(2) शिक्षक की प्रोन्नति — विश्वविद्यालय में शिक्षकों की प्रोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्थापित सनियमों / वृत्ति उन्नयन स्कीम के अनुसार होगी।

अध्याय 11

पुस्कालयाध्यक्ष की परिलब्धियां,सेवा के नियम और शर्तें

165. इस कार्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यकारी परिषद् द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा, जिसे कार्यकारी परिषद् द्वारा समय-समय पर अपनाए जाने वाले वेतन मैट्रिक्स के स्तर पर रखा जाएगा:

166. पुस्तकालयाध्यक्ष पांच साल की अवधि के लिए या साठ वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, के लिए पद धारण करेगा।

167. जब पुस्तकालयाध्यक्ष का कार्यालय खाली हो या जब पुस्तकालयाध्यक्ष बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

168. यदि पुस्तकालयाध्यक्ष को सरकार या किसी अन्य सरकारी संगठन या विश्वविद्यालय या संस्थान से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी सेवा के नियम और शर्तों को भारत सरकार के प्रतिनियुक्ति नियमों द्वारा शासित किया जाएगा:

परंतु कि कुलपति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद् द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त को नियत अवधि से पहले प्रत्यावासित किया जा सकता है।

169. जहां इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान या सरकार और उसके संगठनों के एक कर्मचारी को पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं (अर्थात् सामान्य भविष्य निधि या अंशदायी भविष्य निधि या पेंशन या ग्रेच्युटी) का अधिकार जारी रखेगा, जिसके लिए वह पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले हकदार था और जब तक वह इस पद पर अपने धारणाधिकार को जारी रखता है।

170. पुस्तकालयाध्यक्ष असज्जित आवासीय आवास का हकदार होगा, जिसके लिए वह आवास की प्रवर्ग के अनुसार निर्धारित अनुज्ञापित फीस का भुगतान करेगा।

171. पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा, अवकाश, भत्ते, भविष्य निधि और अन्य सेवान्त प्रसुविधाएं के नियम और शर्तें समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

172. परिनियम, कानूनी और अध्यादेश के उपाबंध के अधीन, पुस्तकालयाध्यक्ष इस तरह के कर्तव्यों और कार्यों को निष्पादित करेगा जैसा कि कार्यकारी परिषद् या उप-कुलपति द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किया जा सकता है।

अध्याय 12

छात्रों का प्रवेश और नामांकन

भाग I

प्रवेश

173. प्रवेश से संबंधित सामान्य नियम— (1) विश्वविद्यालय में सभी लिंग, जाति, पंथ, प्रवर्ग या वर्ग के व्यक्ति प्रवेश ले सकते हैं और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में प्रवेश लेने या उस समय स्नातक की डिग्री प्राप्त करने या उसके बाद या किसी भी विशेषाधिकार का आनंद लेने या अन्य गतिविधि में भाग लेने के लिए छात्र पर किसी प्रकार धार्मिक विश्वास या पेशे के किसी भी परीक्षण को अपनाने या लागू करने के लिए बाध्य करे।

(2) विश्वविद्यालय एक अखिल भारतीय पहुँच और शिक्षण और अनुसंधान के उच्च मानकों को बनाए रखेगा और समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्तर के चयन मानदंडों के माध्यम से निर्धारित योग्यता के आधार पर छात्रों को कड़ाई से प्रवेश देगा।

(3) चयन मानदंड का प्रयोजन उच्च अध्ययन करने के लिए छात्र के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करना होगा और अभ्यर्थियों की अर्हता लिखित परीक्षा, पिछले शैक्षणिक प्रदर्शन, मौखिक परीक्षा, समूह चर्चा और व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर एक प्राप्तांक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(4) ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश जो विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या बोर्ड से उनके प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री के तीन या अधिक शैक्षणिक वर्षों के अंतराल होने के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश चाहते हैं, उन्हें प्रवेश समिति जिनमे छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, संबन्धित विद्यापीठों का संकायाध्यक्ष,विभागाध्यक्षऔर कुलानुशासक (प्रॉक्टर) सम्मिलित हैं,द्वारा जारी संस्वीकृति देना होगा।

(5) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का पालन करने वाले किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय के लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना नौकरी करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी:

परंतु इस खंड के अंतर्गत छात्र को अनिवार्य या वैकल्पिक कार्य व्यवस्था से निषिद्ध, बहिष्कृत या मुक्त नहीं किया जाता, यदि वह उस अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा करता है जिसमें उसने प्रवेश लिया है, यदि अपेक्षित हो:

परंतु यह और कि, प्रवेश के समय के पहले से ही नियोजित व्यक्ति, इस अवधि के दौरान जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, मूल रूप में, अपने नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि नियोक्ता ने उसे विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अध्ययन की पूरी अवधि के लिए छुट्टी दे दिया है, प्रस्तुत करना होगा।

(6) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्थान या बोर्ड के किसी अन्य डिग्री के लिए कोई अन्य नियमित परीक्षा देने की अनुज्ञा नहीं होगी:

परंतु कोई छात्र विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या बोर्ड से एकही समय पर जीविका उन्मुख प्रवीणता या प्रमाण पत्र या डिप्लोमा कार्यक्रमों के तहत कोई भी कोर्स कर सकता है।

(7) चयनित अभ्यर्थी की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.rgnau.ac.in) और परीक्षा नियंत्रक और संबंधित विभाग के नोटिस बोर्डों पर प्रदर्शित की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को कोई सूचना डाक द्वारा नहीं भेजी जाएगी।

(8) अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा विहित तारीख के भीतर अपना प्रवेश पूरा करना होगा।

(9) प्रवेश प्रोस्पेक्टस में जारी किए गए प्रवेश-अधिसूचना के जवाब में प्राप्त आवेदन के आधार पर होगा और वे केवल उन अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे जो अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

(10) एक अभ्यर्थी को अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रविष्ट समझा जाएगा और प्रोस्पेक्टस के अनुसार प्रवेश फीस के भुगतान सहित सभी प्रवेश औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही एक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के छात्र के विशेषाधिकारों का लाभ उठाने के लिए पात्र होगा और, यदि, एक अभ्यर्थी विहित तारीख के भीतर प्रवेश औपचारिकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह प्रवेश के अपने अधिकार को स्वचालित रूप से रोक देगा।

(11) चयनित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के अनुदेशों के अनुसार, साक्षात्कार के समय या प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करने की अंतिम तारीख पर दस्तावेज़ों की जांच के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे — अर्थात्

(क) सभी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, अंकसूची;

(ख) कार्यरत छात्रों के मामले में, नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित है जिसमें स्पष्ट रूप से नियोक्ता की अनुज्ञा का उल्लेख करते हुए उसे विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई हो; और

(ग) अंतिम अर्हक परीक्षा और विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के वर्ष के बीच के अंतर के मामले में, अभ्यर्थी को मध्यवर्ती की अवधि के दौरान नियुक्ति हेतु एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(12) छात्र के नाम को विश्वविद्यालय के नामावली से हटा दिया जाएगा यदि यह पता चलता है कि एक अभ्यर्थी ने भ्रामक या मिथ्या बयान दिया है या मिथ्या या मिथ्या जानकारी दी है या प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य कपटपूर्ण उपाय किया है, तो उसका नाम विश्वविद्यालय के नामावली से हटा दिया जाएगा।

(13) एक व्यक्ति, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय के नामावली से निष्कासित,विवर्जित, बर्खास्त या हटा दिया गया हो,वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।

(14) कोई भी अभ्यर्थी अधिकार रूप में प्रवेश का दावा करने का हकदार नहीं होगा और विश्वविद्यालय बिना किसी कारण बताए किसी भी मामले में प्रवेश नहीं देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

174. कुलपति के अधिकारिता की स्वीकृति की घोषणा—प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना अपेक्षित होगा कि वह स्वयं को विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य अधिकारियों के समक्ष अनुशासनात्मक अधिकारिता में प्रस्तुत करता है।

175. छात्रों का निवास स्थान —विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र या तो छात्रावास का सदस्य होगा, परंतु अनुज्ञा दी गई हो, या एक अध्येता।

176. स्थानांतरण या प्रवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना —अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र को प्रवेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर मूल रूप से स्थानांतरण प्रमाण पत्र या माइग्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा,ऐसा नहीं करने पर उसका प्रवेश रद्द किया जा सकता है।

177. एकल सामान्य आवेदन पत्र—विश्वविद्यालय के पास एक विशेष स्तर पर अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक ही साधारण आवेदन पत्र होगा अर्थात जो कि स्नातक स्तर पर अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों के लिए एक ही सामान्य प्रारूप होगा, स्नातकोत्तर अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों के लिए एक ही सामान्य प्रारूप होगा और अनुसंधान डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी एक सामान्य प्रारूप होगा।

178. प्रवेश के दौरान कार्यक्रमों का विकल्प — प्रवेश के लिए एक आवेदक को आवेदन पत्र में उसकी वरीयता के क्रम में अध्ययन के लिए उसकी विकल्प का संकेत होगा, और उसके बाद, चयन के मानदंडों के प्राप्तांकके आधार पर आवेदकों द्वारा दी गई वरीयता के अनुसार, कड़ाई से योग्यता के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

179. विश्वविद्यालय प्रोस्पेक्टस — (1) विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित अपने प्रोस्पेक्टस को प्रकाशित करेगा

(2) प्रॉस्पेक्टस विश्वविद्यालय की वेबसाइट और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

(3) अकादमिक परिषद् की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद् द्वारा प्रोस्पेक्टस और आवेदन फीस का मूल्य विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) प्रॉस्पेक्टस की सामग्री को अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात् —

(क) शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट अध्ययन के पाठ्यक्रम की न्यूनतम और अधिकतम अवधि;

(ख) शैक्षणिक वर्ष में अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदित प्रवेश या स्थानों की संख्या और आवेदन की शुरुआत और अंतिम तारीख सहित प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं;

(ग) प्रवेश के लिए जारी तारीख और समय तथा प्रवेश फोरम की रसीद सहित आवेदन पत्र जारी करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया;

(घ) पात्रता की शर्तें, जिसमें एक विहित पाठ्यक्रम में एक छात्र के रूप में प्रवेश के लिए न्यूनतम विहित शैक्षणिक अर्हता और न्यूनतम और अधिकतम आयु-सीमा शामिल है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

(ङ) इस तरह के प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले योग्य अभ्यर्थियों के प्रवेश और चयन, अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऐसे अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए परीक्षण या परीक्षा के कथन के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी सहित और प्रवेश परीक्षा के लिए भुगतान की जाने वाली फीस की राशि की प्रक्रिया;

(च) अध्ययन के एक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय में भर्ती छात्रों द्वारा देय फीस, जमा और अन्य फीस के प्रत्येक घटक, और ऐसे भुगतान के अन्य नियम और शर्तें;

(छ) शिक्षण फीस और अन्य शुल्कों का प्रतिशत, जो छात्र द्वारा विश्वविद्यालय में दाखिल किए गए छात्र के वापस आने से पहले या अध्ययन के समय और भीतर पूरा होने के बाद, और इस तरह से उस छात्र को वापस किया जाएगा, जिस तरीके से विश्वविद्यालय में भर्ती कराया जाता है।

(ज) शिक्षण संकाय का कथन, जिसमें उसके शिक्षण संकाय के प्रत्येक सदस्य की शैक्षिक अर्हता और शिक्षण अनुभव शामिल है और इसमें यह भी संकेत दिया गया है कि क्या ऐसे सदस्य नियमित रूप से कार्यरत हैं या सदस्य के रूप में हैं;

(झ) छात्रावास, पुस्तकालय और अस्पताल या उद्योग सहित भौतिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी, जिसमें छात्रों को प्रदान किया जाने वाला व्यावहारिक प्रशिक्षण और विशेष रूप से संस्थान में भर्ती होने पर छात्रों द्वारा सुलभ सुविधाएं शामिल हैं;

(ञ) अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की व्यापक रूपरेखा, जिसमें शिक्षण घंटे, व्यावहारिक सत्र और अन्य कार्य शामिल हैं;और

(ट) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर या बाहर छात्रों द्वारा अनुशासन बनाए रखने के संबंध में सभी सुसंगत निर्देश, किसी भी छात्र या छात्रों की रैगिंग के निषेध से संबंधित उपाबंध सहित.

180. प्रवेश में आरक्षण — (1) विश्वविद्यालय प्रवेश में स्थानों के आरक्षण के मामले में केंद्रीय सरकार के लागू विधिकों का अनुपालन करेगा।

(2) विश्वविद्यालय संबंधित छात्रों के लिए प्रवेश के लिए स्थानों को आरक्षित करेगा —

(i) अनुसूचित जाति	-	15.0 प्रतिशत
(ii) अनुसूचित जनजाति	-	07.5 प्रतिशत
(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग	-	27.0 प्रतिशत
(iv) अक्षम व्यक्ति	-	5.00 प्रतिशत।
		(हर प्रवर्ग में स्थानों अर्थात सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर नवोन्नत वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति)
(v) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	–	10.0 प्रतिशत;

(3) आरक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश की शर्तों को पूरा करना अपेक्षित होगा।

(4) आरक्षित वर्ग में एक अभ्यर्थी का आवेदन पत्र जिला सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति या जनजाति या गैर-क्रीमी नवोन्नत वर्ग के प्रमाण पत्र के साथ जमा किया जाना चाहिए और अपेक्षित प्रमाण पत्र के बिना प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाएगा।

(5) यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी सामान्य प्रवर्ग में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करता है तो उसे सामान्य प्रवर्ग का अभ्यर्थी समझा जाएगा।

(6) यदि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो स्थानों अनुसूचित जाति और इसके विपर्ययेन में उपयुक्त अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकती हैं।

(7) अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता की शर्तें, जिसमें प्रवेश के लिए योग्यता, आयु-सीमा और छूट,

यदि कोई हो, को विद्या परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष प्रोस्पेक्टस में अधिसूचित किया जाएगा।

(8) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विकलांग वर्ग के व्यक्ति के मामले में न्यूनतम अर्हता अंक में अधिकतम पाँच प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।

(9) प्रवेश के लिए अंतिम चयन निम्नानुसार निर्धारित समग्र प्राप्तांक की गुणागुण के आधार पर किया जाएगा —

क्रम संख्या	समग्र प्राप्तांकों के विभिन्न घटकों का महत्व			
	घटक	स्नातकपूर्व	स्नातकोत्तर	अनुसंधान डिग्री
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्रवेश परीक्षा में अभिप्राप्त अंक यथा लागू	50%	50%	50%
2	10 वीं में अंक की प्रतिशतता	20%	10%	10%
3	10+2वीं में अंक का प्रतिशत	30%	10%	10%
4	स्नातक पूर्व डिग्री में अंक का प्रतिशत	लागू नहीं	30%	10%
5	स्नातकोत्तर डिग्री में अंक का प्रतिशतता	लागू नहीं	लागू नहीं	10%
6	व्यक्तिगत साक्षात्कार और समूह चर्चा	लागू नहीं	लागू नहीं	10%
कुल		100%	100%	100%

181. अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम के लिए प्रवेश मानदंड— (1) जिन अभ्यर्थियों ने कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृद्धि परीक्षा या राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी।

(2) प्राप्तांक की गणना करने के प्रयोजन के लिए, एक अभ्यर्थी जिसने कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृद्धि परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसे प्रवेश परीक्षा में सौ प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए समझा जाएगा और अभ्यर्थी जिसने अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम में योग्यता प्राप्त की हो और वह अभ्यर्थी जिसने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा को एक अनुसंधान डिग्री प्रोग्राम के लिए वर्ष की प्रवेश परीक्षा के सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंकों के बराबर अंक समझा जाएगा।

(3) परंतु कि प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता शर्तों की पूर्ति करने पर, एक शिक्षक जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शिक्षक अनुसंधान पात्रता परीक्षा से सम्मानित किया गया है और उच्च शिक्षा के किसी भी संस्थान में सेवारत है, को अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम के प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी और उन्हें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के बराबर समझा जाएगा।

(4) शिक्षण या अनुसंधान के पेशे में पहले से सेवारत एक व्यक्ति को एक शोध डिग्री कार्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी और उन्हें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के बराबर समझा जाएगा ---जो कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात

(क) उन्हें शोध डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता शर्त पूरी करनी होगी;

(ख) वह राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय या सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान या सरकारी अनुसंधान संस्थान या प्रयोगशाला में कम से कम दस वर्षों के लिए नियमित आधार पर व्याख्याता या सहायक आचार्य या सह आचार्य या आचार्य या समतूल्य पद पर काम कर रहा है।

(ग) शोध डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए उनके आवेदन को वर्तमान नियोक्ता द्वारा विधिवत अग्रेषित किया गया है कि उसे पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन के लिए छुट्टी दी जाएगी; और

(घ) खंड (क), (ख) या (ग) के उपाबंधों के होते हुए भी, विभाग, विद्यापरिषद् के अनुमोदन के साथ, अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए कोई भी अलग मानदंड या परीक्षण अपना सकेगा।

182. अधिसंख्य स्थानों के माध्यम से प्रवेश —

(1) सभी पाठ्यक्रमों के लिए कुल स्थानों का पंद्रह प्रतिशत अधिसंख्य स्थानों के रूप में विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों तथा भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आशित है।

(2) पंद्रह फीसदी अधिसंख्य स्थानों में से विदेशी नागरिकों को अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए खाड़ी में भारतीय कामगारों के बालकों के लिए एक-तिहाई स्थानों में निर्धारित की जाएंगी।

(3) विदेशी नागरिक, अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के विदेशी नागरिक वर्ग के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों से विश्वविद्यालय की किसी एकल प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा नहीं की गई है किंतु उनसे प्रवेश की न्यूनतम अहर्ता शर्तें पूरी किए जाने तथा विश्वविद्यालय की विवरण पुस्तिका में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विनिर्दिष्ट किए जाने वाली शैक्षणिक अभिक्षमता परीक्षा अथवा स्नातक प्रबन्धन प्रवेश परीक्षा अथवा स्नातक रिकॉर्ड परीक्षा अथवा विदेशी भाषा के रूप में अंग्रेजी ज्ञान परीक्षा जैसी अंतराष्ट्रीय स्वीकार्य अभिक्षमता परीक्षा भी उत्तीर्ण करने अपेक्षा की गई है।

(4) उप-खंड (1) में उल्लिखित प्रवर्गों के अभ्यर्थियों को प्रवेश उनके पिछले शैक्षणिक रिकार्डों और उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त अंक,जिस पर उन्हें उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड के प्रति पचास प्रतिशत महत्व दिया जाएगा एवं आवेदन में उल्लेख अनुसार अंतर्राष्ट्रीय रूप से संचालित योग्यता परीक्षाओं में प्रदर्शन के प्रति पचास प्रतिशत महत्व दिया जाएगा।

(5) अधिसंख्य स्थानों के कोटा पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के कार्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट एक वर्ष पूर्व ही परंतु बाद की तारीख में नहीं,अपना आवेदन विनिर्दिष्ट प्रपत्र पर, सभी अपेक्षित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के साथ, प्रोस्पेक्टस में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, विश्वविद्यालय के कार्यालय में अग्रिम रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(6) प्रवेश के लिए आवेदन सभी अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित या प्रमाणित प्रतियों के साथ संबंधित विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिए

(7) विदेशी नागरिकों या अनिवासी भारतीयों या प्रवासी भारतीय प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों को फीस और अन्य प्रभार अपनी प्रवर्ग के अनुसार और फीस संरचना से संबंधित अध्यादेश में और प्रास्पेक्टस में अधिसूचित करने के लिए अपेक्षित है।

(8) प्रवेश की तारीख से एक सप्ताह के भीतर विदेशी राष्ट्रिकों या भारतीय नागरिक प्रवर्ग के अंतर्गत भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को एक चिकित्सा परीक्षण (मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु-उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण या एड्सके लिए परीक्षण सहित) कराना अपेक्षित है।

(9) विदेशी नागरिकों या अनिवासी भारतीयों या प्रवासी भारतीय प्रवर्ग के अंतर्गत भर्ती किए गए अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले,प्रवेश के पूरा होने की एक महीने के भीतर छात्र वीजा का प्रस्तुत करना अपेक्षित है, और विदेशी छात्रों के सलाहकार के कार्यालय में इसकी प्रति प्रस्तुत करनी होगी, नहीं करने पर उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

183. परीक्षा नियंत्रक की भूमिका — (1) परीक्षा नियंत्रक प्रशासन, आचरण और संभारण के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें संबंधित पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा की योग्यता के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की गोपनीयता और संभारतंत्र और अनुरक्षण की सूची में शामिल है।

(2) परीक्षा नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व भी होगा कि -

(i) छात्रों के प्रवेश के संबंध में परिनियम, संविधि एवं अध्यादेश के उपाबंधों को कड़ाई से अनुसरण करने का सुनिश्चय करना;

(ii) विवरण पुस्तिका के निर्माण के लिए समन्वय करना तथा वेबसाइट पर इसका प्रकाशन करना;

(iii) प्रवेश प्रारूप जारी किए जाने की तारीख आवेदन प्रारूप प्राप्त करने की अंतिम तारीख के साथ प्रवेश की अधिसूचना जारी करना;

(iv) रोल नम्बर एवं प्रवेश कार्ड आबंटित करने के साथ साथ प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदन फार्मों की प्राप्ति, सत्यापन एवं संबंधित प्रक्रिया करना;

(v) प्रवेश परीक्षा से संबंधित संभार-तंत्र एवं संचालन की देखरेख करना;

(vi) परीक्षा पत्र तैयार करने, मूल्यांकन, कोड प्रदानकर्ता तथा डिकोडकर्ता की सेवाएं प्राप्त करने के लिए कुलपति से अनुमोदन प्राप्त करना तथा कुलपति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों के पैनल से उत्तर स्क्रिप्ट को कोड युक्त करवाना एवं विशेषज्ञों के पैनल द्वारा इसे डिकोड किया जाने की व्यवस्था करना;

(vii) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयन किए गए अभ्यर्थियों की सूची संयुक्त प्राप्तांकों की योग्यता के आधार पर तैयार करना;

(viii) प्रतिक्षित सूची के साथ साथ चयनित उम्मीवारों की सूची अधिसूचित करना तथा प्रवेश औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए फीस स्लिप जारी करना; तथा

(ix) प्रवेश किए गए अभ्यर्थियों को रजस्ट्रीकरण नम्बर आबंटित करना तथा अध्ययन के लिए प्रवेश किए गए अभ्यर्थियों के नाम विद्याध्ययन के संकाय एवं संबंधित विभाग प्रमुख को अग्रेषित करना;

3 प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परीक्षा तथा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा चयन मापदंडों के विभिन्न घटकों में प्राप्त किए गए

अंकों का सत्यापन एवं सारणी तैयार का निर्माण एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने एवं चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रम में अध्ययन प्रवेश की सूचना देने के कार्य नियंत्रक द्वारा किए जाने हैं।

184. प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र– प्रवेश परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम, व्यापित एवं अकादमिक परिषद् तथा कथन पुस्तिका के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित विभिन्न घटकों की भारिता के अनुसार अकादमिक परिषद् द्वारा तैयार किए जाने हैं।

185. प्रवेश समिति— (1) प्रत्येक विद्यालय में संबंधित विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की अध्यक्षता के स्तर पर विद्यालय के प्रत्येक विभाग के प्रमुख तथा कुलपति द्वारा सदस्यता के लिए नामित दो व्यक्तियों से युक्त प्रवेश समिति का गठन किया जाना है।

(2) प्रवेश समिति, यदि आवश्यक हो, द्वारा संबंधित विभाग के प्रमुख की अध्यक्षता, संकायाध्यक्ष के एक नामनिर्देशिती, संबंधित विभाग के अधिक से अधिक दो संकाय सदस्यों तथा कुलपति के एक नामिति से युक्त प्रवेश साक्षात्कार समिति का गठन किया जा सकेगा।

(3) प्रवेश समिति द्वारा चयनित सूची में डाले गए अभ्यर्थियों के लिए समूह चर्चा अथवा वैयक्तिक साक्षात्कार, अर्हता तथा पूर्व परीक्षाओं के लिए अपेक्षित अंकों का सत्यापन किया जाएगा तथा प्रवेश समिति के अध्यक्ष द्वारा परीक्षा नियंत्रक को प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा समूह चर्चा अथवा वैयक्तिक साक्षात्कार तथा अर्हता के लिए अपेक्षित पूर्व परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के उल्लेख के साथ अभ्यर्थियों की सूची भिजवाई जाएगी।

भाग II

अध्ययन के पाठ्यक्रम

186. अध्ययन के पाठ्यक्रम - संस्थान में उपाधियाँ, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम और कार्यक्रम का अध्ययन उपाबंध 5 के अनुसार होगा।

187. पात्रता अंक और सीटें - न्यूनतम पात्रता अपेक्षाओं और आवंटित स्थानों में दिए गए अंकों का प्रतिशत समय-समय पर अकादमिक परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

188. न्यूनतम पात्रता अपेक्षाएँ- विश्वविद्यालय द्वारा तय डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के लिए न्यूनतम अपेक्षित पात्रता को मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, संस्थानों या बोर्डों से होगा।

भाग III

फीस और अन्य प्रभार

189. फीस और अन्य प्रभार— (1) अध्ययन के कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त छात्रों को अनुबंध V के अनुसार फीस का संदाय करना होगा।

(2) अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में भर्ती आवेदकों और छात्रों द्वारा देय फीस और अन्य फीस विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित प्रवेश विवरणिका और प्रोस्पेक्टस में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) एक छात्र निर्धारित किए गए फीस का भुगतान करने के बाद ही अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश करेगा।

190. विलंब और भुगतान में चूक के लिए नियत तारीख और शास्ति- 1. अर्धवार्षिक कार्यक्रम के लिए फीस और अन्य फीस, अर्द्धवार्षिक कार्यक्रम के शुरू होने के समय या विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से पहले या उससे पहले छात्रों द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस, प्रवेश के समय समग्र रूप में या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार देनी होगी और किश्तों में भुगतान की अनुज्ञा नहीं होगी।

(3) यदि कोई छात्र समय पर फीस का भुगतान नहीं करता है, तो वह निम्नानुसार जुर्माना देना होगा—

(i) पहले दस दिनों के लिए कुल फीस का दस प्रतिशत;

(ii) उप-खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद अगले दस दिन के लिए कुल फीस का पंद्रह प्रतिशत; और

(iii) उप-खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद अगले दस दिन के लिए कुल फीस का बीस प्रतिशत।

(4) यदि कोई छात्र फीस के लिए विहित अंतिम तारीख से दस दिनों के भीतर अपनी फीस का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे त्रुटिकर्ता समझा जाएगा और उसका नाम विश्वविद्यालय के नामावली से हटा दिया जाएगा।

(5) यदि प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थी को अधिसूचित समय सीमा के भीतर अपेक्षित प्रवेश फीस जमा करने में विफल रहता है, तो उसका चयन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा और स्थान योग्यता के अनुसार एक अभ्यर्थी को दी जाएगी।

191. फीस के भुगतान में विलंब या शिथिल के लिए माफी— (1) छात्र स्कूल के संकायाध्यक्ष को फीस के भुगतान में हो रही देरी के

लिए क्षमादान हेतु आवेदन करेगा और विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष छात्र के आवेदन पत्र सहित अपनी सिफारिशों के साथ कुलपति के पास इसे भेजेगा एवं कुलपति विशेष मामलों में इसे क्षमा कर सकते हैं।

(2) छात्र विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष को फीस के भुगतान में हो रही विलंब के लिए रियायात के लिए आवेदन करेगा और स्कूल के संकायाध्यक्ष छात्र के आवेदन पत्र सहित अपनी सिफारिशों के साथ कुलपति के पास इसे भेजेगा एवं कुलपति विशेष मामलों में इसे रियायात प्रदान कर सकते हैं।

192. चूककर्ता हेतु पुन:प्रवेश—समय पर फीस का भुगतान नहीं करने के कारण छात्र जिसका नाम विश्वविद्यालय के नामावली से हटा दिया गया है,संबंधित स्कूल के संकायाध्यक्ष की सिफारिश पर एवं विश्वविद्यालय द्वारा तय किए गए पुन: प्रवेश फीस के साथ, पूर्ण और अन्य देय फीस में बकाया के भुगतान पर फिर से प्रवेश दिया जा सकता है।

परंतु विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम उपस्थिति की अपेक्षा को पूरा करने वाले छात्र को उसी सेमेस्टर के भीतर पुन: प्रवेश के लिए अनुरोध प्राप्त हो।

193. प्रवेश का प्रतिदाय —एक छात्र विश्वविद्यालय से प्रतिदाय लेने का प्रस्ताव करता है, उसे विभाग के प्रमुख के माध्यम से संबंधित स्कूल के संकायाध्यक्ष को अग्रिम रूप से एक लिखित आवेदन प्रतिदाय की तारीख को सूचित करते हुए प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा,ऐसा नहीं करने पर सेमेस्टर की अवधि के लिए विश्वविद्यालय के नामावली में नाम जारी रहेगा और तदनुसार पूरे सेमेस्टर के लिए विनिर्दिष्ट फीस का भुगतान करना होगा।

194. अध्ययन के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन- प्रवेश संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद छात्र यदि अपना पाठ्यक्रम बदलना चाहता है तो उसे संबंधित विधियों अथवा अध्यादेशों के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा इसकी अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है, तथापि उसे विनिर्दिष्ट तारीख तक अंतर फीस का भुगतान करना होगा।

195. दिव्यांग छात्रों के लिए फीस में रियायत.- केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के क्रम में दिव्यांग छात्रों को शिक्षण फीस के भुगतान से छूट दी जा सकती है।

196. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं कश्मीरी प्रवासी प्रवर्गों के लिए फीस में छूट.- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कश्मीरी प्रवासी प्रवर्गों एवं अन्य प्रवर्ग के छात्रों के लिए फीस में भुगतान केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

197.प्रवेश प्रतिद्याय अथवा रद्द होने के मामले में फीस वापसी.- यदि कोई छात्र, फीस का भुगतान करने के बाद अपना प्रवेश रद्द करना चाहता है तो वह नामतः निम्नलिखित शर्तों के अधीन फीस वापसी का हकदार होगा:-

(क) प्रवेश वापसी अथवा रद्दकरण की मांग करने वाले छात्र को संबंधित विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष को लिखित में आवेदन करना होगा;

(ख) यदि कोई छात्र प्रवेश वापसी अथवा रद्दकरण के लिए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने लेकिन प्रवेश की अंतिम तारीख से पहले आवेदन जमा करता है तो उसे प्रक्रमण फीस के तौर पर एक हजार रूपये के कटौती के बाद फीस की शेष धनराशि वापस की जाएगी;

(ग) यदि कोई छात्र प्रवेश वापसी अथवा रद्दकरण के लिए, प्रवेश की अंतिम तारीख के बाद आवेदन जमा करता है तथा इसके परिणामस्वरूप खाली हुई सीट प्रतीक्षा सूची के छात्र के प्रवेश से भरी न जा सके तो छात्र को सुरक्षा जमा राशि का वापस भुगतान किया जाएगा;

(घ) यदि छात्र के द्वारा कारित किसी नुकसान के कारण छात्र पर विश्वविद्यालय के प्रति किसी धनराशि की देनदारी रहती है तो इस धनराशि को शिक्षण फीस तथा जुर्माने की राशि यदि कोई हो तो उसे छात्र को देय सुरक्षा जमाराशि से वसूल किया जाएगा;

(ङ) विश्वविद्यालय को छोड़ने पर छात्र के आवेदन पर, उसके द्वारा सभी बकाया,जुर्माने और अन्य दावों की कटौती के बाद उसे सुरक्षा जमाराशि वापसी योग्य है;

(च) यदि छात्र द्वारा विश्वविद्यालय छोड़ने पर वह उसके खाते में पड़ी हुई राशि को प्राप्त करने हेतु एक कैलेडंर वर्ष तक आवेदन नहीं करता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने यह धनराशि छात्रों की सहायता राशि में दान कर दी है।

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एक कैलेडंर वर्ष की समयावधि की गणना छात्र द्वारा दी गई परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तारीख अथवा उस तारीख से जिस दिन उसका नाम विश्वविद्यालय के नामांकन पंजिका से काटा गया था से समझा जाएगा।

198. परीक्षाओं से विवर्जन.- किसी भी छात्र को तब तक परीक्षा में नहीं अनुज्ञात किया जाएगा जब तक कि उसने अपने सभी फ़ीसों का भुगतान न कर दिया हो व सभी बकाया राशियों का भुगतान न कर दिया हो।

भाग IV

परीक्षाओं का संचालन

199. परीक्षाओं के संचालन से संबंधी सामान्य नियम — (1)विश्वविद्यालय अपने परिसर में ही सभी परीक्षाओं (अध्ययन के विभिन्न

पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं को छोड़कर) का आयोजन करेगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा की तारीख तैयार करेगा और परीक्षा आरंभ होने से कम से कम अट्ठाईस दिन पहले सभी विभागाध्यक्षों को प्रेषित करेगा।

(3) विभागाध्यक्ष अपने विभाग के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में सभी परीक्षाओं के लिए विभाग अधीक्षक के रूप में कार्य करेगा, जिसमें मध्यावधि और सेमेस्टर-अंत की परीक्षाएँ शामिल हैं।

(4) विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्यों के मध्य से अधीक्षण फीस की व्यवस्था करने और परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

200. अनुदेश और परीक्षा का माध्यम — (1) विद्यालयों द्वारा दिए गए अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में होगा।

(2) सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अंग्रेजी में सेट है और अंग्रेजी में उत्तर दिए जाएंगे।

201. परीक्षा प्रणाली — (1) विश्वविद्यालय के अध्ययन के पाठ्यक्रम सेमेस्टर मोड में आयोजित किए जाएंगे।

(2) छात्रों के आंतरिक आंकलन और मूल्यांकन की एक व्यापक प्रणाली स्थापित की जाएगी एवं नए पाठ्यक्रम शुभारंभ किए जाएंगे।

(3) विभाग, किसी विशेष पाठ्यक्रम की प्रकृति और आवश्यकताओं के आधार पर, विभिन्न परीक्षाओं के लिए अलग-अलग घटकों और महत्व को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।

(4) परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों में उत्तर देने के लिए एक निश्चित अवधि होगी, इसके लिए दिए गए अंकों के महत्व के अनुपात में और नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के बाद खंडों में विभाजित किया जाएगा।

202. प्रश्न-पत्र सेटिंग दिशानिर्देश — (1) पेपर सेटर यह सुनिश्चित करेगा कि मध्य अवधि के प्रश्न पत्र में सेमेस्टर के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की कुल पाठ्यक्रम सामग्री का पचास प्रतिशत शामिल है, जबकि सेमेस्टर के अंतिम परीक्षा प्रश्न पत्र में कुल पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है।

1 पेपर सेटर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में मध्यावधि परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र सेट करेगा.

(2) शिक्षक संबंधित विषय के प्रश्न पत्र की पर्याप्त संख्या बनायेगा और उसे संबंधित परीक्षा शुरू होने से कम से कम तीन दिन पहले, विभागाध्यक्ष को सीलबंद कवर में सौंप देगा। विभागाध्यक्ष और संबंधित संकाय सदस्य परीक्षा आयोजित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों के बीच वितरित होने तक प्रश्न पत्र की सामग्री को अधिकारियों द्वारा सख्त गोपनीयता के तहत रखा जाना चाहिए;

(4) प्रश्न पत्र की समीक्षा के लिए एक तंत्र रखा जाएगा, जिसमें प्रश्न पत्र में संशोधनों के संबंध में एक विनिर्दिष्ट समिति द्वारा प्रतिक्रिया को पेपर सेटर को सूचित किया जाए।

(5) परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों के मध्य वितरित होने तक अधिकारियों द्वारा उन्हें संभालते हुए प्रश्न पत्र की सामाग्री को सख्त गोपनियता के तहत रखा जाएगा;

(6) प्रश्न पत्र की समीक्षा के लिए एक तंत्र रखा जाएगा, जिसमें कागज में संशोधनों संबंधी एक विनिर्दिष्ट समिति से प्रतिक्रिया को पेपर सेटर को सूचित किया जाएगा।

203. उत्तर-पुस्तक मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन दिशानिर्देश. —

(1) संबंधित संकाय सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे सभी असाइनमेंट, क्विज़ और मध्यावधि परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करें और छात्रों को इन परीक्षा की तारीख के एक सप्ताह के भीतर लौटाएँ और छात्रों को दिए गए अंक या ग्रेड संबंधित विभाग के प्रमुख को प्रस्तुत करें।

(2) पेपर सेटर विभाग के प्रमुख को पुनर्मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा के प्रस्ताव के लिए प्रश्न पत्र में प्रश्नों की उत्तर कुंजी को अलग-अलग सील कवर में प्रस्तुत करेगा।

(3) विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर परीक्षा नियंत्रक किसी विशेष विषय की उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ की नियुक्ति करेगा।

(4) उत्तर पुस्तिका को पेपर सेटर द्वारा प्रस्तुत उत्तर कुंजी के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा दिए गए अंक या ग्रेड को अंतिम समझा जाएगा।

a. अनुशासनहीनता की घटनाओं पर नियंत्रण और परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग—(1) किसी भी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए गए लोगों के लिए अनुचित साधनों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करता है।

(2) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, परीक्षा से संबंधित अनुचित साधन निम्नलिखित होंगे---

(i) परीक्षा को स्थगित करने और तारीख और परीक्षाओं के समय में बदलाव के लिए दबाव, जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव डालना;

(ii) निरीक्षक को डराना या अन्य अवज्ञा पूर्ण व्यवहार जिसे निरीक्षक या विभाग अधीक्षक द्वारा सूचित कर्ता है;

(iii) परीक्षकों, पेपर सेटरों, मूल्यांकनकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, सह-परीक्षकों या विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य अधिकारी या कर्मचारियों से अनुग्रह करने या धमकी देने के लिए;

(iv) ऐसी पद्धति का सहारा लेना और उन गतिविधियों में शामिल होना जो परीक्षा के दौरान विशेष रूप से निषिद्ध हैं

(v) परीक्षा के विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री लाना जिसमें सेल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक सहायता शामिल हैं, जब तक कि अन्यथा परीक्षा के एक उपकरण के रूप में अनुज्ञा नहीं दी जाती है, या परीक्षा भवन में या उसके बाहर अन्य व्यक्तियों या स्वयं लायी सामग्री से नकल करने या नकल का प्रयास करना;

(vi) नोट्स का आदान-प्रदान करना, उत्तर-पुस्तिकाओं को बदलना, अन्य परीक्षार्थियों की सहायता करना, परीक्षा बड़ा कमरा के अंदर या बाहर अन्य परीक्षार्थियों या किसी अन्य व्यक्ति से सलाह लेना या सहायता करना;

(vii) परीक्षा के दौरान नकल करना, उत्तरपुस्तिका में कुछ अन्य अभ्यर्थी के रजस्ट्रीकरण नंबर लिखना या उत्तर-पुस्तिकाओं या अन्य सामग्रियों के आदान-प्रदान या आदान-प्रदान करने का प्रयास करना;

(viii) परीक्षार्थी की अनुमति के बिना परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को आवंटित सीट के अलावा अन्य स्थानों पर बैठना या ग्रहण करना;या

(ix) परीक्षा का बहिष्कार करना या परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी करना

(3) परीक्षा में अनुचित साधनों के कथित उपयोग के प्रत्येक मामले में सबूत के पूर्ण कथन और संबंधित अभ्यर्थी के बयान के साथ, यदि कोई हो, तो प्रयोजन के लिए परीक्षा नियंत्रक द्वारा दिए गए प्रपत्रों पर विभाग के अधीक्षक बिना किसी देरी के परीक्षा नियंत्रक को रिपोर्ट करेंगे।

(4) परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए गए अभ्यर्थी की उत्तर-पुस्तिका जब्त कर ली जाएगी और अभ्यर्थी को उसे जारी की जाने वाली एक अलग उत्तर-पुस्तिका पर अपनी परीक्षा लिखने की अनुज्ञा दी जा सकती है, जिसके बाद विभाग के अधीक्षक दोनों उत्तरपुस्तिका परीक्षा नियंत्रक को अपनी रिपोर्ट के साथ भेजेंगे।

(5) परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग के सभी मामलों को अनुशासनात्मक समिति को भेजा जाएगा।

(6) विभिन्न अनुचित साधनों का उपयोग करने पर दिया जाने वाला शास्ति निम्नलिखित सारणी में है।**सारणी**

अनुचित साधनों की प्रकृति	**दंड का पैमाना**
(क) संबंधित परीक्षा के विषय से संबंधित सामग्री मिलना। (ख) किसी पड़ोसी अथवा पाई गई सामग्री से नकल करते हुए पाया जाना। (ग) उत्तर-पुस्तिका अथवा महत्वपूर्ण सामाग्री की अदला-बदली। (घ) परीक्षा देने की स्थानों में बदलाव। (ड.) अन्य छात्रों की मदद हेतु टाइपिंग। (च) पड़ोसियों से मदद लेते हुए पाया जाना। (छ) अप्राधिकृत इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का उपयोग।	उक्त विषय में परीक्षा रद्द करना
यदि अभ्यर्थी ने दूसरी बार ऊपर (क) से (छ) में दिए गए अनुचित साधनों को दोहराया	उस सत्र में अभ्यर्थी द्वारा रजस्ट्रीकृत परीक्षाओं को रद्द करना

यदि अभ्यर्थी ने तीसरी बार ऊपर (क) से (छ) में दिए गए अनुचित साधनों को दोहराया	उस सत्र में अभ्यर्थी द्वारा रजस्ट्रीकृत सभी विषयों की विश्वविद्यालय परीक्षा को रद्द करना और अगले परीक्षा सत्र (यानी बाद के सत्र में सभी विश्वविद्यालय परीक्षा) से उसे बहिष्कृत करना।
(ज) मुख्य उत्तरपुस्तिका में कुछ अन्य अभ्यर्थियों के रजिस्टर नंबर लिखना।	कथित विषय की परीक्षा रद्द करना।
(झ) पूर्व लिखित उत्तर पुस्तिकाओं (मुख्य पत्र या अतिरिक्त पत्रक) को सम्मिलित करना	उस सत्र में अभ्यर्थी द्वारा रजस्ट्रीकृत सभी विषयों की विश्वविद्यालय परीक्षा को रद्द करना और अगले दो परीक्षा सत्र से उसे बहिष्कृत करना।
(ञ) पर्यवेक्षक को धमकी देना या अधीक्षक या हॉल में अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया अपमानजनक व्यवहार	उस सत्र में अभ्यर्थी द्वारा रजस्ट्रीकृत सभी विषयों की विश्वविद्यालय परीक्षा को रद्द करना और अगले दो परीक्षा सत्र में रजस्ट्रीकरण कराने और परीक्षा देने से उसे बहिष्कृत करना।
(ट) परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्यवेक्षक से परामर्श मांगना।	कथित विषय की परीक्षा रद्द करना।
(ठ) प्रतिरूपण के मामले	उस सत्र में अभ्यर्थी द्वारा रजस्ट्रीकृत सभी विषयों की विश्वविद्यालय परीक्षा को रद्द करना और अगले दो परीक्षा सत्र में रजस्ट्रीकरण कराने और परीक्षा देने से उसे बहिष्कृत करना। इसके अलावा, प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ प्रासंगिक कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
(ड) सामूहिक नकल	क) **एक ही हॉल में:** उस हॉल के छात्रों द्वारा दी गई प्रासंगिक परीक्षा को रद्द करना और संबंधित हॉल अधीक्षक और प्रश्नपत्र सेटिंग, मूल्यांकन आदि जैसे अन्य काम से संबंधित व्यक्तियों को अगले छह परीक्षा सत्रों के लिए बहिष्कृत करना ख) **एक परीक्षा केंद्र में:** उस हॉल के छात्रों द्वारा दी गई सुसंगत परीक्षा को रद्द करना। साथ ही संबंधित हॉल अधीक्षक और प्रश्नपत्र सेटिंग, मूल्यांकन आदि जैसे अन्य काम से संबंधित व्यक्तियों को अगले छह परीक्षा सत्रों के लिए बहिष्कृत करना .
(ढ) कदाचार के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना।	उस सत्र के लिए उस विषय की परीक्षाएँ रद्द करना।

(7) एक परीक्षा केंद्र में बड़े पैमाने पर अनुचित साधनों का उपयोग, उप-कुलपति के पास संबंधित केंद्र में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा को रद्द करने और पुन: परीक्षा के लिए आदेश देने की शक्तियां होंगी।

(8) अनुशासन समिति द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को निर्णय के लिए कुलपति के समक्ष रखा जाएगा।

(9) अनुशासन समिति द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी पाया गया अभ्यर्थी, निर्णय प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर खंड (8) के तहत कुलपति को लिखित रूप में अपील कर सकता है।

(10) खण्ड (9) के तहत अपील प्राप्त होने पर, कुलपति यदि समाधान हो जाता है कि अभिवेदन पर विचार किया जा सकता है, तो वह मामले को फिर से विचार के लिए अनुशासन समिति के पास वापस भेज सकता है।

205. दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए विशिष्ट उपाबंध – विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के लिए आवश्यक उपाय करेगा और जब विश्वविद्यालय द्वारा नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

206. ग्रेडिंग प्रणाली — छात्र का मूल्यांकन ग्रेडिंग प्रणाली से किया जाएगा, जिसे जनता को किया जाएगा।

207. उपस्थिति — (1) अध्ययन के पाठ्यक्रम में भर्ती कराया गया छात्र अध्ययन के दौरान अपने सभी विषयों में सेमेस्टर में पचहत्तर प्रतिशत की न्यूनतम उपस्थिति बनाए रखेगा।

(2) जो छात्र पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति हासिल करने में विफल रहता है, उसे संबंधित विषय में सेमेस्टर-एंड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी और उसे विषय को दोहराना होगा।

(3) जो भी छात्र अध्ययन के दौरान दो बार से अधिक किसी विषय में पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति हासिल करने में असफल रहे तो उस छात्र को रोक लिया जाएगा और ऐसे छात्रों को नए सिरे से प्रवेश लेना होगा और फिर से पूरी प्रवेश प्रक्रिया से गुजरना होगा।

(4) किसी विषय को पढ़ाने वाला शिक्षक उन छात्रों की उपस्थिति का अभिलेख रखेगा, जिन्होंने विषय के लिए रजस्ट्रीकरण किया है और विभाग के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक छात्र के मासिक उपस्थिति रिकॉर्ड को प्रदर्शित करेगा।

(5) शिक्षकों को संबंधित विभाग के प्रमुख को, सेमेस्टर में अंतिम अनुदेश दिवस से कम से कम सात कैलेंडर दिन पहले, उन सभी छात्रों के विवरणों से परिचित कराना होगा, जिन्होंने पचहत्तर प्रतिशत से कम उपस्थिति हासिल की है। इसके बाद, विभाग के प्रमुख उन सभी छात्रों के नाम विभाग के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे, जो विभिन्न विषयों में सेमेस्टर-एंड परीक्षा देने के लिए पात्र नहीं होंगे और उसी की एक प्रति संबंधित विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष को भेजेंगे।

(6) संबंधित विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष मान्य कारणों से किसी अभ्यर्थी को छूट दे सकते हैं जो न्यूनतम विनिर्दिष्ट पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति प्राप्त करने में विफल रहे हैं परंतु इस तरह की छूट पैंसठ प्रतिशत से कम की उपस्थिति के लिए नहीं दी जाएगी।

अध्याय 13

अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ सहयोग और मिलकर कार्य करने के लिए प्रक्रिया, उपलब्ध कराए गए निकायों और संगमों सहित

208. अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ सहयोग और मिलकर कार्य करने के लिए प्रक्रिया, उपलब्ध कराए गए निकायों और संगमों सहित — (1) विश्वविद्यालय भारत में या विदेशों में अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और मिलकर कार्य कर सकता है,निकाय या संघों सहित।

(2) खंड (1) के तहत सहयोग और साथ मिलकर कार्य, शिक्षण, अनुसंधान और परामर्श को आगे बढ़ाने के प्रयोजन से होगा, जिसका प्रयोजन बेहतर शिक्षण के अवसर, प्रयोगिक अनुभव, सांस्कृतिक संवाद का आदान-प्रदान और अपने संकाय, अनुसंधान विद्वानों और छात्रों को विचारों का आदान-प्रदान करना है।

(3) सहकारिता या सहयोग के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय भारत या विदेश या प्राधिकारों में किसी भी अन्य विश्वविद्यालय के साथ या विद्वानों या संगमों सहित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है।

(4) विश्वविद्यालय को सहयोग और सहकारिता समिति का गठन करना होगा और इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात-

(क) कुलपति या विद्यालय के एक संकायाध्यक्ष, जिन्हें उप-कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष;

(ख) दो सदस्य जो आचार्य की प्रवर्ग से कम न हो, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा - सदस्य;

(ग) बाहरी संबंधों के समन्वयक - सदस्य;

(घ) संबंधित विद्यालयों के संकायाध्यक्ष - सदस्य;

(ड.) वित्त अधिकारी - सदस्य ; और

(च) रजिस्ट्रार – सदस्य सचिव

(5) सहकारिता और सहयोग समिति को विश्वविद्यालय द्वारा भारत या विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राप्त या शुरू किए गए प्रस्तावों की जांच करनी होगी, जिनमें निकाय या संगम शामिल हैं।

(6) सहयोग और सहकारिता समिति प्रस्तावों की जांच करेगी, जिसमें विश्वविद्यालय के अधिकारों और दायित्वों से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा और यह सिफारिश की जाएगी कि क्या सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना विश्वविद्यालय के हित में है।

(7) सहमति पत्र के मसौदे के साथ सहयोग और सहकारिता समिति की सिफारिशों को विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद् और कार्यकारी परिषद् के विचार और अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

(8) सहमति पत्र एक निश्चित अवधि (विश्वविद्यालय द्वारा निर्णीत किया जाना) के लिए होगा और इसकी निरंतरता, विस्तार या समाप्ति के लिए समय-समय पर सहयोग और सहकारिता समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी।

अध्याय 14

कर्मचारी और छात्रों की शिकायत निवारण समिति

209. विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शिकायत निवारण समितियों का गठन करेगा, अर्थात-

1. छात्रों की शिकायत निवारण समिति;

2. शिक्षकों की शिकायत निवारण समिति; तथा

3. गैर-शिक्षण कर्मचारिवृंद शिकायत निवारण समिति।

210. छात्रों की शिकायत निवारण समिति - छात्रों की शिकायत निवारण समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, जैसे: -

1. रजिस्ट्रार या ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया गया हो – सदस्य;

2. विद्यार्थी परिषद् का एक प्रतिनिधि - सदस्य;

3. उप-कुलपति का एक नामांकन - सदस्य;

4. संबंधित विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष - सदस्य; और

5. छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष - सदस्य सचिव।

211. शिक्षकों की शिकायत निवारण समिति - शिक्षकों की शिकायत निवारण समिति का गठन कार्यकारी परिषद् द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे: -

(क) कुलपति या उनके प्रतिनिधि - अध्यक्ष;

(ख) लिंग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग - सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षक समुदाय के पांच प्रतिनिधि; और

(ग) कुलपति द्वारा नामित - सचिव

212 गैर-शिक्षण कर्मचारी शिकायत निवारण समिति - गैर-शिक्षण कर्मचारी शिकायत निवारण समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्: -

(क) कुलपति या उनके प्रतिनिधि - अध्यक्ष;

(ख) लिंग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग - सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-शिक्षण कर्मचारी समुदाय के पांच प्रतिनिधि; तथा

(ग) रजिस्ट्रार या उनके नामित - सदस्य-सचिव।

213. शिकायत निवारण समितियाँ निम्नलिखित साधारण सिद्धांतों का पालन करेंगी, नामतः -

(क) परिसर को शिकायत निवारण तंत्र के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया जाएगा;

(ख) किसी भी छात्र या कर्मचारिवृंद सदस्य से प्राप्त हर शिकायत को रजस्ट्रीकृत और स्वीकार किया जाना चाहिए;

(ग) यदि एक पखवाड़े के भीतर अंतिम निर्णय संभव नहीं है, तो आवेदक को संकेत के साथ एक पावती भेजी जाएगी कि कब तक वह अंतिम उत्तर की उम्मीद कर सकता है;

(घ) जहां तक हो सके, सभी शिकायतों को तीन महीने के भीतर निपटाया जाएगा;

(ङ) कुलपति द्वारा नामित अधिकारी और शिकायतों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, निश्चित समय पर सप्ताह में कम से कम एक बार व्यक्तिगत रूप से शिकायतों को सुनने के लिए उपलब्ध होगा;

(च) वह उन शिकायतों पर निर्णय लेगा जो तीन महीने से अधिक समय से लंबित हैं; तथा

(छ) कोई भी व्यक्ति जो शिकायत निवारण समिति द्वारा दिये गए निवारण से समाधान नहीं है, ऐसे निर्णय के खिलाफ कुलपति से अपील कर सकता है।

214. शिकायत निवारण समितियों की शक्तियां और कृत्य - शिकायत निवारण समितियां निम्नलिखित कार्य करेंगी -

(क) लिखित और हस्ताक्षरित शिकायतों और व्यक्तिगत रूप से या एक समूह के रूप में उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में कर्मचारियों (गैर-शिक्षण) की याचिकाओं पर विचार करना;

(ख) शिकायतों की जांच करना और उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों और शैक्षणिक परिषद् और कार्यकारी परिषद् को एक रिपोर्ट में सिफारिश करना; और

(ग) यदि शिकायत में लगाए गए आरोप निराधार पाए जाते हैं, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश करना।

215. निर्वचन - यदि अध्यादेश की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो उसे कार्यकारी परिषद् के पास भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

अनुसूची I

(1)	**1.आचार्य (विमानन विज्ञान पाठ्यक्रम)**
(2)	02 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
(3)	स्तर -14 (रु 1,44,200-2,18,200)
(4)	लागू नहीं
(5)	50 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हताएं:** क. (i) विमानन विज्ञान में विद्या वाचस्पति योग्यता (एं) और उच्च गुणवत्ता का प्रकाशन कार्य, पुस्तक और या शोध या नीति पत्रों के रूप में न्यूनतम 10 प्रकाशनों के साथ प्रकाशित किए गए कार्य के साक्ष्य सहित अनुसंधान में सक्रिय रूप से भाग लिया हो। (ii) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में दस वर्षों के शिक्षण अनुभव सहित सह आचार्य तथा विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों या उद्योगों में शोध में पांच वर्ष का अनुभव हो, जिसमें डॉक्टरेट स्तर पर शोध के लिए अभ्यर्थियों के मार्गदर्शक का अनुभव शामिल हो। (iii) शैक्षणिक नवीनता, नई अध्ययन सूची और पाठ्यक्रमों की रूप-रेखा, और प्रौद्योगिकी हेतु योगदान - शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में मध्यस्थता की हों; तथा (iv) अकादमिक (शैक्षणिक) कार्य निष्पादन संकेतक, कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली में निर्धारित न्यूनतम अंक हो। जिसे"विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016" में विनिर्दिष्ट किया गया है। (v) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट) में उत्तीर्ण होना चाहिए। अथवा ख. एक उत्कृष्ट व्यवसृत्तिक, संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा के साथ, जिसने संबंधित या संबद्ध या सुसंगत शाखा (डिसिप्लिन) में ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। जिसकी पुष्टि में प्रमाण पत्र हो।
(7)	आयु: लागू नहीं है। शैक्षणिक अर्हताएँ: हाँ।
(8)	दो वर्ष।
(9)	सीधी भर्ती, ऐसा करने में असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(10)	**<u>प्रतिनियुक्ति</u> :** किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या स्वायत्त निकायों या केंद्रीय या राज्य सरकार के उपक्रम में नियमित आधार पर स्तर

	-14 (रु1,44,200-2,18,200) में सदृश पद धारण किया हो, और स्तंभ (6) में निर्धारित विहित अर्हता और अनुभव हो । टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि में अन्य बाह्य-कैडर पद पर तुरंत या उसी या किसी अन्य संगठन या केंद्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से पहले हुई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है । सामान्यतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
(11)	लागू नहीं।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(1)	**2. सह आचार्य (विमानन विज्ञान पाठ्यक्रम)**
(2)	06 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
(3)	स्तर -13ए (रु1,31,100-2,16,600)
(4)	लागू नहीं।
(5)	45 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हताएं:** विमानन विज्ञान में पीएच.डी. तथा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 55% अंकों(या समकक्ष ग्रेड जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है) के साथ स्नातकोत्तर डिग्री । (iii) स्तर -10 (रु56,100-1,77,500) में सहायक आचार्य,विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या उद्योग में शैक्षणिक या अनुसंधान स्तर पर आठ वर्षों का अनुभव हो,यह डॉक्टर विद्या वाचस्पति अनुसंधान की अवधि को छोड़कर होगा, जिसमें प्रकाशित कार्यों के साक्ष्य, पुस्तकों और या शोध या नीति पत्रों के रूप में पांच प्रकाशन शामिल होंगे । (iv) शैक्षणिक नवीनता, नई अध्ययन सूची और पाठ्यक्रमों की रूप-रेखा, और प्रौद्योगिकी हेतु योगदान - शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में मध्यस्थता की हो,जिसमें डॉक्टरेट अभ्यर्थियों और शोध करने वाले छात्रों का मार्गदर्शन करने का प्रमाण हो । (v) अकादमिक (शैक्षणिक) कार्य निष्पादन संकेतक,कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक हो। जिसे "विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2016" में विनिर्दिष्ट किया गया है ।
(7)	आयु: लागू नहीं है। शैक्षणिक अर्हताएँ: हाँ।
(8)	दो वर्ष ।
(9)	सीधी भर्ती, ऐसा करने में असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	**<u>प्रतिनियुक्ति</u> :** किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या स्वायत्त निकायों या केंद्रीय या राज्य सरकार के उपक्रम में नियमित आधार पर स्तर -13ए (रु 1,31,100-2,16,600)में सदृश पद धारण किया हो, और स्तंभ (6) में निर्धारित अर्हता और अनुभव हो । टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि में अन्य बाह्य-कैडर पद पर तुरंत या उसी या किसी अन्य संगठन या केंद्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से पहले हुई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है । सामान्यतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(11)	लागू नहीं।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है।
(1)	**3. सहायक आचार्य (विमानन विज्ञान पाठ्यक्रम)**
(2)	12 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
(3)	शैक्षणिक स्तर -10 (रु 56,100-1,77,500)
(4)	अचयन पद
(5)	40 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हताएं:** किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से 55% अंकों (या समकक्ष ग्रेड जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है) के साथ स्नातकोत्तर डिग्री,अथवा किसी मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री। (ii) अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा आयोजित व्याख्याता या सहायक आचार्य के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो अथवा समकक्ष परीक्षा जैसे राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा या राज्य पात्रता परीक्षा जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त हो । (iii) तथापि (i) और (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अभ्यर्थी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विद्या वाचस्पति डिग्री के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया)विनियम 2009, के अनुसार विद्या वाचस्पति की डिग्री धारक हैं, उन्हें विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्थान में सहायक आचार्य तथा समकक्ष पदों की नियुक्ति एवं भर्ती के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा या राज्य पात्रता परीक्षा की न्यूनतम पात्रता शर्त से छूट होगी । (iv) ऐसे विषयों (डिसिप्लिन) में स्नातकोत्तर कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तर पात्रता परीक्षा या राज्य पात्रता परीक्षा भी अपेक्षित नहीं होगी, जिसके लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तर पात्रता परीक्षा या राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जाती ।
(7)	लागू नहीं (अचयन पद)।
(8)	दो वर्ष ।
(9)	सीधी भर्ती, ऐसा करने में असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	**<u>प्रतिनियुक्ति:</u>** किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या स्वायत्त निकायों या केंद्रीय या राज्य सरकार के उपक्रम में नियमित आधार पर स्तर --10 (रु56,100-1,77,500) में सदृश पद धारण किया हो, और स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट योग्यता और अनुभव हो । टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि में अन्य बाह्य-कैडर पद पर तुरंत या उसी या किसी अन्य संगठन या केंद्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से पहले हुई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है। सामान्यतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
(11)	लागू नहीं।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(1)	**4. आचार्य (प्रबंधन या कारोबार प्रशासन पाठ्यक्रम)**
(2)	02

	* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
(3)	स्तर -14 (रु1,44,200-2,18,200)
(4)	प्रोन्नति के मामले में चयन पद; सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं।
(5)	50 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हताएं:** (i) व्यवसाय प्रबंधन या प्रशासन में या संबन्धित विषय में मास्टर डिग्री में 55% अंक (या जहां भी ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है, उसके समकक्ष ग्रेड) अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा समकक्ष घोषित या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त प्रबंधन में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा में 55% अंक। अथवा संबंधित कानूनी निकाय की स्नातक चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत अकाउंटेंट या कंपनी सचिव की स्नातक। (ii) भारतीय प्रबंधन संस्थान या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा समकक्ष घोषित विद्या वाचस्पति अथवा फेलो। (iii) शिक्षण या अनुसंधान में कम से कम दस वर्ष का अनुभव,जिसमें से पांच वर्ष रीडर या सहायक आचार्य के स्तर पर या स्तर 10 (रु 56,100-1,77,500) के समकक्ष अनुभव हो, इसमें अनुसंधान की डिग्री प्राप्त करने हेतु व्यतीत की गई अवधि शामिल नहीं होगी। अथवा यदि अभ्यर्थी उद्योग और व्यावसायिक से संबन्धित है तो,निम्नलिखित अपेक्षाओं को अनिवार्य अपेक्षाओं के रूप में समझा जाएगा :- व्यवसाय प्रबंधन या प्रशासन में या प्रासंगिक प्रबंधन से संबन्धित विषय में मास्टर डिग्री या भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा समकक्ष घोषित या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त 55% अंकसहित प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अथवा संबंधित वैधानिक निकाय की चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत अकाउंटेंट या कंपनी सचिव की स्नातक। शिक्षण या अनुसंधान अथवा व्यवसाय में कम से कम दस वर्ष का अनुभव,जिसमें से पांच वर्ष रीडर या सहायक आचार्य के स्तर पर या स्तर 10(रु 56,100-1,77,500) के समकक्ष अनुभव हो, इसमें अनुसंधान की डिग्री प्राप्त करने हेतु व्यतीत की गई अवधि शामिल नहीं होगी। **वांछनीय अर्हता –** (क) परियोजना कार्य के मार्गदर्शन या शोध प्रबंधन में स्नातकोत्तर या शोध छात्रों के शोध निबंध या उद्योग में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करने का पांच वर्ष का अनुभव। (ख) शैक्षणिक, अनुसंधान, औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों की योजना बनाने और आयोजन में नेतृत्व का प्रदर्शन; और (ग) प्रायोजित अनुसंधान और विकास परामर्श और संबंधित गतिविधियों को शुरू करने या नेतृत्व करने की क्षमता।
(7)	आयु: लागू नहीं। शैक्षणिक अर्हताएं: हाँ।
(8)	दो वर्ष।
(9)	सीधी भर्ती, ऐसा करने में असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(10)	<u>प्रतिनियुक्ति</u> : किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या स्वायत्त निकायों या केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रम में नियमित आधार पर स्तर - 14 (रु1,44,200-2,18,200) में सदृश पद धारण किया हो, और स्तंभ (6) में विहित अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि में अन्य बाह्य-कैडर पद पर तुरंत या उसी या किसी अन्य संगठन या केंद्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से पहले हुईप्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है। सामान्यतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(11)	लागू नहीं।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(1)	**5. सह आचार्य (प्रबंधन या कारोबार प्रशासन पाठ्यक्रम)**
(2)	06 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
(3)	स्तर- 13 ए (रु1,31,100-2,16,600)
(4)	लागू नहीं।
(5)	45 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हताएं:** (i) व्यवसाय प्रबंधन या प्रशासन में या प्रासंगिक प्रबंधन से संबन्धित विषय में मास्टर डिग्री या भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा समकक्ष घोषित या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त प्रबंधन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा में 55% अंक। अथवा संबंधित कानूनी निकाय की चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत अकाउंटेंट या कंपनी सचिव की उपाधि। (ii) भारतीय प्रबंधन संस्थान या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा समकक्ष घोषित विद्या वाचस्पति अथवा फेलो। (iii) स्तर 10(रु 56,100-1,77,500) में शिक्षण या उद्योग या अनुसंधान या प्रबंधकीय स्तर पर व्यावसायिक स्तर में आठ वर्षों की नियमित सेवा सहित सहायक आचार्य, जिसमें अनुसंधान की डिग्री प्राप्त करने हेतु व्यतीत की गई अवधि शामिल नहीं होगी। अथवा यदि अभ्यर्थी उद्योग और व्यावसायिक से संबन्धित है तो, निम्नलिखित अपेक्षाओं को अनिवार्य अपेक्षाओं के रूप में समझा जाएगा :- व्यवसाय प्रबंधन या प्रशासन में या प्रासंगिक प्रबंधन से संबन्धित विषय में मास्टर डिग्री या भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा समकक्ष घोषित या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त प्रबंधन में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा में 55% अंक। अथवा संबंधित वैधानिक निकाय की चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत अकाउंटेंट या कंपनी सचिव की उपाधि। 2. शिक्षण या अनुसंधान में कम से कम दस वर्ष का अनुभव,जिसमें से पांच वर्ष उपाचार्य या सहायक आचार्य के स्तर पर या स्तर 10(रु 56,100-1,77,500) के समकक्ष अनुभव हो, इसमें अनुसंधान की डिग्री प्राप्त करने हेतु व्यतीत की गई

	अवधि शामिल नहीं होगी । अभ्यर्थी को उद्योग या व्यवसाय में दस वर्षों का प्रबंधकीय अनुभव के समकक्ष व्यावसायिक कार्य का अनुभव होना चाहिए, जिसमें कम से कम पांच वर्ष व्याख्याता या सहायक आचार्य के तुलनात्मक स्तर पर अनुभव हो । **वांछनीय अर्हता –** (क) कम से कम पांच प्रकाशित कार्य, जैसे शोध पत्र, पेटेंट दायर या प्राप्त, पुस्तकें और या तकनीकी रिपोर्टें; तथा (ख) परियोजना कार्य के मार्गदर्शन या शोध प्रबंधन में स्नातकोत्तर या शोध छात्रों या उद्योग में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करने का पांच वर्ष का अनुभव ।
(7)	आयु: लागू नहीं । शैक्षणिक अर्हताएं: हाँ।
(8)	दो वर्ष ।
(9)	सीधी भर्ती, ऐसा करने में असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति</u> : किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या स्वायत्त निकायों या केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रम में नियमित आधार पर स्तर -13ए (रु 1,31,100-2,16,600) में सदृश पद धारण किया हो, और स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव हो । टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि में अन्य बाह्य-कैडर पद पर तुरंत या उसी या किसी अन्य संगठन या केंद्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से पहले हुई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है। सामान्यतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
(11)	लागू नहीं।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(1)	**6. सहायक आचार्य (प्रबंधन या कारोबार प्रशासन पाठ्यक्रम)**
(2)	12 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
(3)	शैक्षणिक स्तर -10 (रु56,100-1,77,500)
(4)	अचयन पद
(5)	40 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हताएं:** (i) व्यवसाय प्रबंधन या प्रशासन में या प्रासंगिक प्रबंधन से संबन्धित विषय में मास्टर डिग्री या भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा समकक्ष घोषित या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त प्रबंधन में पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा । अथवा संबंधित वैधानिक निकाय की चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत अकाउंटेंट या कंपनी सचिव की स्नातक। (i) स्तर 9 (53,100-1,67,800)में मान्यताप्राप्त संगठन में शिक्षण, अनुसंधान, औद्योगिक और कारोबार में पांच वर्ष की नियमित सेवा

	(ii) सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए और या संदर्भित जर्नल में प्रकाशित किए गए दो पेपर ।
(7)	लागू नहीं ।
(8)	दो वर्ष ।
(9)	सीधी भर्ती, ऐसा करने में असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति</u> : किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या स्वायत्त निकायों या केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रम में नियमित आधार पर स्तर – 10 (रु56,100-1,77,500)में सदृश पद धारण किया हो, और स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट योग्यता और अनुभव हो । टिप्पण 1 - प्रतिनियुक्ति की अवधि में अन्य बाह्य-कैडर पद पर तुरंत या उसी या किसी अन्य संगठन या केंद्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति से पहले हुई प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है । सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
(11)	लागू नहीं।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(1)	**7. आचार्य (इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम)**
(2)	02 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
(3)	स्तर -14 (रु1,44,200-2,18,200)
(4)	लागू नहीं।
(5)	50वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हताएं:** स्तर 10 (रु 56,100-1,77,500) के वेतन इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की उपयुक्त ब्रांच में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या मास्टर डिग्री सहित विद्या वाचस्पति की डिग्री, तथा शिक्षण, अनुसंधान और उद्योग में दस वर्षों का अनुभव जिसमें मैट्रिक्स में कम से कम 5 वर्ष सहायक आचार्य या रीडर के स्तर पर या समकक्ष ग्रेड में अनुभव हो। अथवा यदि अभ्यर्थी उद्योग और व्यावसायिक से संबन्धित है तो,निम्नलिखित अपेक्षाओं को अनिवार्य अपेक्षाओं के रूप में समझा जाएगा :- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की उपयुक्त ब्रांच में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) स्तर 10 (रु 56,100-1,77,500) के वेतन मैट्रिक्स में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की उपयुक्त ब्रांच में महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों, और औद्योगिक या व्यावसायिक में दस वर्षों का अनुभव, जिसमें कम से कम 5 वर्ष सहायक आचार्य या रीडर के स्तर पर या समकक्ष ग्रेड में अनुभव हो। <u>वांछनीय अर्हताएं–</u> (i) पांच प्रकाशित कार्य, जैसे शोध पत्र, फाइल या प्राप्त किया गया पेटेंट, पुस्तकें और या तकनीकी रिपोर्टें। (ii) परियोजना कार्य का मार्गदर्शन या स्नातकोत्तर या शोध छात्रों के शोध निबंध या उद्योग में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करने का पांच वर्ष का अनुभव ;
(7)	आयु : लागू नहीं ।

(8)	सीधी भर्ती के मामले में दो वर्ष ।
(9)	सीधी भर्ती, ऐसा करने में असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति</u> : स्तर -14 (रु1,44,200-2,18,200) में किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या स्वायत्त निकायों या केंद्रीय या राज्य सरकार के उपक्रम में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो, और स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट योग्यता और अनुभव हो । टिप्पण 1 – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को अट्ठावन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
(11)	लागू नहीं।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(1)	**8. सह-आचार्य (इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम)**
(2)	06 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
(3)	सुतर-13ए (रु1,31,100-2,16,600)
(4)	लागू नहीं।
(5)	45वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) स्तर 10 (रु 56,100-1,77,500) के वेतन मैट्रिक्स में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की उपयुक्त ब्रांच में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातक या मास्टर डिग्री सहित विद्या वाचस्पति की डिग्री, तथा शिक्षण, अनुसंधान और उद्योग में, अनुसंधान डिग्री प्राप्त करने के लिए व्यतीत की गई अवधि को छोड़कर, व्याख्याता के स्तर पर या समकक्ष ग्रेड में आठ वर्षों का अनुभव। अथवा यदि अभ्यर्थी उद्योग और व्यावसायिक से संबन्धित है तो,निम्नलिखित अपेक्षाओं को अनिवार्य अपेक्षाओं के रूप में माना जाएगा :- (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की उपयुक्त ब्रांच में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) स्तर 10 (रु 56,100-1,77,500) के वेतन मैट्रिक्स में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की उपयुक्त ब्रांच में महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों, और औद्योगिक या व्यावसायिक में व्याख्याता के स्तर के समकक्ष ग्रेड में आठ वर्षों का अनुभव । <u>वांछनीय</u> **अर्हता –** उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,निम्नलिखित शर्तों को वांछनीय माना जाएगा :- (i) मान्यताप्राप्त संगठन में शिक्षण, अनुसंधान औद्योगिक और या व्यावसायिक अनुभव। (ii) प्रकाशित कार्य, जैसे शोध पत्र, फाइल या प्राप्त किया गया पेटेंट, पुस्तकें और या तकनीकी रिपोर्टें। (iii) परियोजना कार्य के मार्गदर्शन या स्नातकोत्तर या शोध छात्रों के शोध निबंध या उद्योग में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करने का अनुभव ;

(7)	आयु : लागू नहीं । शैक्षणिक योग्यताएँ: हाँ।
(8)	दो वर्ष ।
(9)	सीधी भर्ती, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति</u> : स्तर -13ए (रु 1,31,100-2,16,600) में किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या स्वायत्त निकायों या केंद्रीय या राज्य सरकार के उपक्रम में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो, और स्तंभ (6) में विहित अर्हता और अनुभव हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	लागू नहीं।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(1)	**9. सहायक आचार्य (इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम)**
(2)	12 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर-10 (रु 56,100-1,77,500)
(4)	अचयन पद।
(5)	40 वर्ष
(6	**आवश्यक अर्हताएं**: इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री; राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। (i) मान्यताप्राप्त संगठन में शिक्षण, अनुसंधान औद्योगिक और या व्यावसायिक अनुभव। (ii) सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए और या संदर्भित जर्नल में प्रकाशित किए गए पाँच पेपर ।
(7)	लागू नहीं (अचयन पद)।
(8)	दो वर्ष ।
(9)	सीधी भर्ती, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति</u> : विद्वान (scholar) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या स्वायत्त निकायों या केंद्रीय या राज्य सरकार के उपक्रमों में नियमित आधार पर सदृश पद पर हो तथा स्तंभ (6) में विहित अर्हता और अनुभव रखता हो। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	लागू नहीं।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूची II

(1)	**पद का नाम**	**1. रजिस्ट्रार**
(2)	**पदों की संख्या**	01 *(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	स्तर-14 (रु1,44,200-2,18,200)
(4)	**क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है**	लागू नहीं
(5)	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**	50 वर्ष
(6)	**सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं**	**आवश्यक अर्हता:** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री अथवा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड सहित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ग्रेड बी में सात-पाइंट स्केल या इसके समकक्ष। (ii) स्तर -11 (67,700-2,08,700) में पन्द्रह वर्षों की नियमित सेवा सहित अकादमिक स्तर में सहायक आचार्य अथवा किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, अनुसंधान प्रतिष्ठान और उच्चतर शिक्षा के अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान में आठ वर्षों की नियमित सेवा सहित स्तर-12 (78,800-2,09,200) में अकादमिक में सह आचार्य। अथवा वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800-2,09,200) में पंद्रह वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें से आठ वर्ष उप-रजिस्ट्रार के रूप में या इसके समकक्ष पद पर कार्य किया हो। **वांछनीय अर्हता और अनुभव:** (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। (ii) प्रशासनिक कार्यों, मानव संसाधन प्रबंधन, वैधानिक कार्यों और विश्वविद्यालयों या अनुसंधान और विकास संस्थानों की अकादमिक गतिविधियों और कानूनी मामलों को संभालने का पांच वर्ष का अनुभव।
(7)	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।**	लागू नहीं।
(8)	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	एक वर्ष।

(9)	**भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)		**<u>प्रतिनियुक्ति:</u>** ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या सरकारी संगठन में सदृश पद पर कार्य किया हो अथवा स्तर -13 (1,23,100-2,15,900) के वेतन मैट्रिक्स में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और स्तंभ (6) में निर्धारित योग्यता और अनुभव हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**यदि विभागीय प्रोन्नति या चयन / पुष्टिकरण समिति विद्यमान है, तो इसकी संरचना?**	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति -** 1. कार्यकारी परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट दो सदस्य; 2. कार्यकारी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति जो विश्व विद्यालय की सेवा म न हो
(12)	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।

(1)	**2. वित्त अधिकारी**
(2)	01 *(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है
(3)	स्तर -14 (रु1,44,200-2,18,200)
(4)	लागू नहीं
(5)	50 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री अथवा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड सहित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ग्रेड बी का सात-पाइंट स्केल या इसके समकक्ष । (ii) स्तर-11 (67,700-2,08,700) में पन्द्रह वर्षों की नियमित सेवा सहित अकादमिक में सहायक आचार्य अथवा किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय, अनुसंधान प्रतिष्ठान और उच्चतर शिक्षा के अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान में आठ वर्षों की नियमित सेवा सहित स्तर-12 (78,800-2,09,200) में अकादमिक में सह आचार्य । अथवा वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800-2, 09,200) में पंद्रह वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें से आठ वर्ष उप रजिस्ट्रार के रूप में या इसके समकक्ष पद पर कार्य किया हो ।

	वांछनीय अर्हता और अनुभव: (i) लेखांकन की प्रोद्भवन (accrual) जैसी आधुनिक वित्तीय प्रबंधन तकनीकों में अनुभव सहित वित्त प्रबंधन में मास्टर डिग्री अथवा विश्वविद्यालयों या उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रबंधन कार्यों में इसका उपयोग करने की जानकारी हो । (ii) चार्टेड एकाउंट अथवा भारत के लागत एकाउंट संस्थान या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त)। (iii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संस्थानों के नियमों और विनियमों या लेखा परीक्षा, सेवा शर्तों और संबंधित वित्तीय मामलों के कामकाज का अच्छा कार्यसाधक ज्ञान। (iv) स्वायत्त संस्थानों या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार में लेखा प्रणालियों के प्रबंधन में पांच वर्ष का अनुभव।
(7)	लागू नहीं।
(8)	एक वर्ष
(9)	पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	**प्रतिनियुक्ति:** ऐसे व्यक्तियों जो किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या सरकारी संगठन में सदृश्य पद पर हो अथवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर -13 (1,23,100-2,15,900) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और स्तंभ (6) में विदित अर्हता और अनुभव हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति -** 1. कार्यकारी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य; 2. कार्यकारी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति जो विश्व विद्यालय की सेवा म न हो।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।

(1)	**3. पुस्तकालयाध्यक्ष**
(2)	01 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर -14 (रु1,44,200-2,18,200)
(4)	लागू नहीं।
(5)	50 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान या सूचना विज्ञान या प्रलेखन में मास्टर डिग्री अथवा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड सहित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ग्रेड बी का सात-पाइंट स्केल या इसके समकक्ष । (ii) तेरह वर्ष की नियमित सेवा के साथ स्तर -12 (रु 78,800-2,09,200) में विश्वविद्यालय में उप पुस्तकालयाध्यक्ष या

	स्तर -10 (रु56,100-1,77,500) में अठारह वर्ष की नियमित सेवा सहित कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष । **वांछनीय अर्हता और अनुभव:** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान या सूचना विज्ञान या प्रलेखन या अभिलेखागार और पांडुलिपि में मास्टर ऑफ़ फ़िलॉसफ़ी या डॉक्टर ऑफ फ़िलॉसफी की डिग्री ।
(7)	लागू नहीं।
(8)	एक वर्ष ।
(9)	पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	**प्रतिनियुक्ति:** ऐसे व्यक्तियों जो स्तर -13ए (रु 1,31,100-2,16,600) के वेतन मैट्रिक्स में किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या सरकारी संगठन में सदृश पद पर हो अथवा तीन वर्ष की नियमित सेवा सहित हो और स्तंभ (6) में विहित अर्हता और अनुभव रखता हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. कार्यकारी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति जो विश्व विद्यालय की सेवा म न हो, जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय प्रशासन विषय का विशिष्ट ज्ञान है; 2. कार्यकारी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति जो विश्व विद्यालय की सेवा म न हो ।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।

(1)	**4. परीक्षा नियंत्रक**
(2)	01 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर -14 (रु 1,44,200-2,18,200)
(4)	लागू नहीं।
(5)	50 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सात-पाइंट स्केल में ग्रेड बी हों अथवा इसके समकक्ष हों , साथ ही एक अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड हो, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है । (ii) स्तर -11 (67,700-2,08,700) में पंद्रह वर्षों की नियमित सेवा सहित अकादमिक में सहायक आचार्य या स्तर -12 (78,800-2,09,200) के वेतन मैट्रिक्स में आठ वर्षों की नियमित सेवा सहित अकादमिक में सह-आचार्य तथा किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान प्रतिष्ठानों या उच्चतर शिक्षा के अन्य मान्यताप्राप्त संस्थानों में शैक्षणिक प्रशासन में अनुभव। अथवा

	पंद्रह वर्षों का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें से आठ वर्ष स्तर -12 (78,800-2,09,200) के वेतन मैट्रिक्स में उप रजिस्ट्रार या समकक्ष पद के रूप में होने चाहिएं। **<u>वांछनीय अर्हता</u>:** विश्वविद्यालय परीक्षाओं या अन्य तुलनीय परीक्षाओं के पूर्व-आयोजन और पश्चात्-आयोजन में पांच वर्षों का अनुभव; परीक्षा सॉफ्टवेयर और परिणाम स्वचालन के कार्य का कार्यसाधक ज्ञान।
(7)	लागू नहीं।
(8)	एक वर्ष ।
(9)	पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यकाल के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	**<u>प्रतिनियुक्ति:</u>** ऐसे व्यक्तियों जो स्तर -13 (रु 1,23,100-2,15,900) के वेतन मैट्रिक्स में किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या सरकारी संगठन में सदृश पद पर हो अथवा तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो हो और स्तंभ (6) में विहित अर्हता और अनुभव रखता हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. कार्यकारी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य; 2. कार्यकारी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति जो विश्व विद्यालय की सेवा म न हो।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।

(1)	**5. सहभागिता सह प्लेसमेंट अधिकारी**
(2)	02 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर -13 (रु 1,23,100-2,15,900)
(4)	लागू नहीं।
(5)	50 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ व्यवसाय प्रशासन में मास्टर डिग्री अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ग्रेड बी का सात-पाइंट स्केल या इसके समकक्ष । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान या प्रतिष्ठित पब्लिक अथवा निजी क्षेत्र के उपक्रम में स्तर -10 (रु 67,700-2,08,700)में सहभागिता या प्लेसमेंट अधिकारी या संकाय सदस्य के रूप में आठ वर्षों का अनुभव ।

	वांछनीय अर्हता और अनुभव: बहुत अच्छा सम्प्रेषण कौशल होना चाहिए।
(7)	लागू नहीं।
(8)	एक वर्ष।
(9)	सीधी भर्ती, जिसके जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	**प्रतिनियुक्ति:** ऐसे व्यक्तियों जो स्तर -13 (रु 1,23,100-2,15,900) के वेतन मैट्रिक्स में किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या सरकारी संगठन में सदृश पद पर हो अथवा तीन वर्ष की नियमित सेवा हो और स्तंभ (6) में विहित अर्हता और अनुभव रखता हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / स्थायीकरण समिति में निम्नलिखित-** 1. कुलपति -अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार -सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख -सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य -सदस्य; 5. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों; -सदस्य; 6. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में । -सदस्य; 7. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जिसे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो । -सदस्य;
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।

(1)	**6. उप रजिस्ट्रार**
(2)	04 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर 12 (रु 78,800-2,09,200)
(4)	लागू नहीं।
(5)	50 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) स्तर -10 (रु 67,700-2,08,700) में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ किसी भी विषय में मास्टर

	डिग्री अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ग्रेड बी का सात-पाइंट स्केल या इसके समकक्ष । (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान प्रतिष्ठानों या उच्चतर शिक्षा के अन्य मान्यताप्राप्त संस्थानों में नियमित सेवा के दस वर्षों सहित अकादमिक में सहायक आचार्य । अथवा स्तर -10 (56100-177500) के वेतन मैट्रिक्स में सहायक रजिस्ट्रार या समकक्ष पद पर पांच वर्षों का प्रशासनिक अनुभव। **<u>वांछनीय अनुभव :</u>** (i) प्रशासनिक पद्धतियों, मानव संसाधन प्रबंधन, वैधानिक कार्यों और विश्वविद्यालयों या अनुसंधान और विकास संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों में पांच वर्षों का अनुभव। (ii) विधिक मामलों या वित्त मामलों या परीक्षा मामलों को संभालने में पांच वर्षों का अनुभव। (iii) एक विभाग या शाखा का नेतृत्व करने के लिए अच्छा सम्प्रेषण, प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल और अच्छा मसौदा और टिप्पण कौशल हो ।
(7)	आयु: नहीं। शैक्षणिक अर्हता: हाँ
(8)	एक वर्ष ।
(9)	(i) 75% सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 25% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	**<u>प्रोन्नति:</u>** स्तर -10 (रु 56,100-1,77,500) के वेतन मैट्रिक्स में सहायक रजिस्ट्रार के रूप में पाँच वर्षों की नियमित सेवा । **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **<u>प्रतिनियुक्ति:</u>** ऐसे व्यक्तियों जो स्तर -11 (67,700-2,08,700) के वेतन मैट्रिक्स में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य स्वायत्त संगठनों के सदृश पद पर हो अथवा पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो हो और स्तंभ (6) में विहित अर्हता और अनुभव रखता हो। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 – पोषक श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे ।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. कुलपति -अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार -सदस्य;

	3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख -सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नाम निर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य -सदस्य; 5. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों; -सदस्य; 6. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में। -सदस्य; 7. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जिसे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो। **निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली विभागीय प्रोन्नति समिति–** 1. कुलपति अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् के दो सदस्य सदस्य; 5. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों; एक महिलासदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में। सदस्य;
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।

(1)	**7. उप वित्त अधिकारी**
(2)	02 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर 12 (रु78,800-2,09,200)
(4)	लागू नहीं।
(5)	50 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ग्रेड बी का सात-पाइंट स्केल या इसके समकक्ष। (ii) स्तर -10 (रु 67,700-2,08,700) शैक्षणिक प्रशासन में अनुभव के साथ या मान्यताप्राप्त अनुसंधान प्रतिष्ठानों या उच्चतर शिक्षा के अन्य मान्यताप्राप्त संस्थानों में के वेतन मैट्रिक्स में दस वर्षों की नियमित सेवा सहित सहायक आचार्य। अथवा स्तर -10 (56100-177500) के वेतन मैट्रिक्स में सहायक रजिस्ट्रार या समकक्ष पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा।
(7)	आयु: नहीं।

	शैक्षणिक अर्हता: हों
(8)	एक वर्ष।
(9)	(i) 75% सीधी भर्ती द्वारा। 25% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(10)	**प्रोन्नति :** स्तर -10 (रु56,100-1,77,500) के वेतन मैट्रिक्स में में सहायक रजिस्ट्रार के रूप में पाँच वर्ष की नियमित सेवा। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** ऐसे अधिकारी जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों और अन्य स्वायत्त संगठनों में स्तर -11 (रु67,700) के वेतन मैट्रिक्स में नियमित आधार पर या पांच वर्षों की नियमित सेवा के साथ सदृश पदपर हो। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. कुलपति अध्यक्ष; 2.रजिस्ट्रार सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य सदस्य; 5. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों; सदस्य; 6. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थीयों उम्मीदवारों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में। सदस्य; 7. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जिसे नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो। सदस्य; **विभागीय प्रोन्नति समिति–** 1. कुलपति -अध्यक्ष; 2.रजिस्ट्रार -सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख -सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् के दो सदस्य -सदस्य; 5. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों; एक महिलासदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन

	श्रेणियों के अभ्यर्थीयों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में । -सदस्य;
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं है।

(1)	**8. आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी**
(2)	02 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर 12 (78,800-2,09,200 रुपये)
(4)	लागू नहीं।
(5)	50 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा सेवाएँ या अधीनस्थ लेखा सेवा या चार्टर्ड एकाउंटेंट या भारतीय लेखा एकाउंटेंट संस्थान या समकक्ष लेखा योग्यता। (ii) पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर -12 में उप नियंत्रक या उप निदेशक (लेखापरीक्षा) (78,800-2,09,200 रुपये) । या स्तर -10 (56,100-1,77,500) दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ सहायक नियंत्रक या सहायक निदेशक (लेखा परीक्षा) या वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी या समकक्ष। **वांछनीय अनुभव:** विश्वविद्यालयों या समान संगठनों में लेखांकन की दोहरी-प्रविष्टि प्रणाली और कंप्यूटर अनुप्रयोगों के ज्ञान वाले संगठनों में कार्य करने का पांच वर्ष का अनुभव।
(7)	लागू नहीं।
(8)	लागू नहीं।
(9)	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों और अन्य स्वायत्त संगठनों के अधिकारी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो; या वेतन मैट्रिक्स में पांच वर्ष की नियमित सेवा स्तर -11 (67,700-2,08,700) के साथ; या वेतन मैट्रिक्स में 10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ स्तर -10 (56,100-1,77,500)। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. कुलपति -अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार -सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबन्धित अनुभाग के प्रमुख -सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य -सदस्य; 5. उप कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय की सेवा से भिन्न दो विशेषज्ञ -सदस्य; 6. उप कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, यदि किसी पद के लिए आवेदन करने वाले कोई भी अभ्यर्थी इन श्रेणियों से संबंधित हैं और यदि कोई अन्य सदस्य इन श्रेणियों से नहीं है -सदस्य; 7. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित ,नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नाम निर्देशित व्यक्ति -सदस्य;
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	**9. प्रणाली प्रशासक**
(2)	02 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर 12 (78,800-2,09,200 रुपये)
(4)	लागू नहीं।
(5)	50 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) कंप्यूटिंग में सात वर्ष के अनुभव के साथ न्यूनतम 55% अंकों सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी या कंप्यूटर इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री। या (ii) कंप्यूटिंग में सात वर्ष के अनुभव के साथ न्यूनतम 55% अंकों सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लिकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ मास्टर ऑफ साइंस। या कम्प्यूटिंग में सात वर्ष के अनुभव के साथ न्यूनतम 55% अंकों सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन । (ii) वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर -10 (56100-177500) में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के संस्थानों या संगठनों में प्रणाली विश्लेषक या समकक्ष पद।
(7)	लागू नहीं।

(8)	एक वर्ष
(9)	i. 75% सीधी भर्ती द्वारा ii. 25% पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	**<u>प्रोन्नति:</u>** वेतन स्तर -10 (56,100-1,77,500) में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के संस्थानों या संगठनों में दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ प्रणाली विश्लेषक। प्रोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर की जाएगी। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **<u>प्रतिनियुक्ति:</u>** ऐसे व्यक्ति जो वेतन स्तर -10 (56,100-1,77,500) या समकक्ष के साथ नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों या स्वायत्त संगठनों में प्रणाली विश्लेषक के पद पर दस वर्ष की नियमित सेवा हो और स्तंभ 6 के अधीन उल्लेखित अर्हता और अनुभव हो। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3. – पोषक श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के योग्य नहीं होंगे ।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. कुलपति -अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार -सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख -सदस्य; 4. उप कुलपति द्वारा नाम निर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य -सदस्य; 5. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं, -सदस्य; 6. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिलासदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थीयों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में। -सदस्य; 7. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित , नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक मनोनीत व्यक्ति -सदस्य; **निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली विभागीय प्रोन्नति समिति -** 1. कुलपति -अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार -सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख -सदस्य;

	4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् के दो सदस्य -सदस्य; तथा 5. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय की सेवा से भिन्न दो विशेषज्ञ, जिनमे से एक महिला है, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, यदि किसी पद के लिए आवेदन करने वाले कोई भी अभ्यर्थी इन श्रेणियों से संबंधित हैं और यदि कोई अन्य सदस्य इन श्रेणियों से नहीं हैं -सदस्य
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	**10. कार्यपालक अभियंता**
(2)	02 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपये)
(4)	लागू नहीं
(5)	40 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री। (ii) वेतन स्तर 10 (रुपये 56,100-1,77,500) में समतुल्य पद सिविल इंजीनियरों के लिए – भवन, सड़क, सेनेटरी और जलापूर्ति प्रणाली के डिजाइन, प्रणालियों और निर्माण में दस वर्षों का अनुभव, उनके अनुरक्षण सहित, जिसमें सहायक अभियंता (सिविल) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव या वेतन स्तर 10 (रुपये 56,100-1,77,500)में समतुल्य पद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के लिए - इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दस वर्ष का अनुभव, जिसमें अनुरक्षण भी सम्मिलित है, जिसमें सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव या **वांछनीय अर्हता:** सिविल इंजीनियरों के लिए - किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल या सिविल इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के लिए- किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री।
(7)	आयु: नहीं। शैक्षणिक योग्यता: हाँ।
(8)	एक वर्ष।
(9)	(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 25%पदोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(10)	**<u>प्रोन्नति:</u>** वेतन मैट्रिक्स के स्तर10 (रु. 56,100-1,77,500) में सिविल इंजीनियरी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में डिग्री रखने वाले कनिष्ठ इंजीनियरों से जिनके पास 10 वर्ष की नियमित सेवा के साथ स्तंभ (6) में विहित अर्हता और अनुभव हो। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके

	द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> दस वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर10 (रु. 56,100-1,77,500) में जूनियर इंजीनियर के स्तर के केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग या संगठनों या स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3. – पोषक (feeder) श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के योग्य नहीं होंगे।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. कुलपति -अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार -सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख -सदस्य; 4. उप कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य -सदस्य; 5. उप कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय की सेवा से भिन्न दो विशेषज्ञ -सदस्य; 6. उप कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, यदि किसी पद के लिए आवेदन करने वाले कोई भी अभ्यर्थी इन श्रेणियों से संबंधित हैं और यदि कोई अन्य सदस्य इन श्रेणियों से नही हैं -सदस्य; 7. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामनिर्देशित व्यक्ति -सदस्य; **निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली विभागीय पदोन्नति समिति-** 1. कुलपति -अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार -सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख -सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् के दो सदस्य -सदस्य; तथा 5. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय की सेवा से भिन्न दो विशेषज्ञ, जिनमे से एक महिला है, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, यदि किसी पद के लिए आवेदन करने वाले कोई भी अभ्यर्थी इन श्रेणियों से संबंधित हैं और यदि कोई अन्य सदस्य इन श्रेणियों से नहीं हैं। -सदस्य
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	**11. सहायक रजिस्ट्रार**

(2)	04 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर-10 (56,100 रुपये)
(4)	लागू नहीं।
(5)	35 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) किसी भी विषय में 55% अंकों के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सात- पाइंट स्केल पर ग्रेड बी या इसके समकक्ष एक अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ, जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। (ii) प्रशासनिक क्रियाकलापों, मानव संसाधन प्रबंधन, वैधानिक कार्यों और विश्वविद्यालयों या अनुसंधान और विकास संस्थानों या शैक्षणिक संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44,900-1,42,400) में आठ वर्ष का अनुभव। **वांछनीय अर्हता और अनुभव:** (i) प्रशासनिक मामलों में विधिक मामलों या परीक्षा या वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को संभालने का पांच वर्ष का अनुभव ।
(7)	आयु: नहीं। शैक्षणिक योग्यता: हाँ
(8)	एक वर्ष ।
(9)	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) 50% सीधी भर्ती द्वारा ।
(10)	<u>प्रोन्नति</u> : इनमें से - (i) पांच वर्ष की नियमित सेवा और स्तंभ (5) में विहित अर्हता रखने के साथ स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपये) में अनुभाग अधिकारी। (ii) पांच वर्ष की नियमित सेवा और स्तंभ (6) में निर्धारित योग्यता और अनुभव के साथ स्तर 7(44,900-1,42,400 रुपये) में निजी सचिव । प्रोन्नति फीडिंग श्रेणियों की योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर की जाएगी। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> ऐसे व्यक्ति जो वेतन स्तर -7 (44,900-142,400 रुपये) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों या स्वायत्त संगठनों पाँच वर्ष की नियमित सेवा हो और स्तंभ 6 के अधीन उल्लेखित अर्हता और अनुभव हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है

	साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3. – पोषक (feeder) श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के योग्य नहीं होंगे ।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. कुलपति अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य सदस्य; 5. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित , विश्वविद्यालय की सेवा से भिन्न दो विशेषज्ञ सदस्य; 6. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य,एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, यदि किसी पद के लिए आवेदन करने वाले कोई भी अभ्यर्थीयों इन श्रेणियों से संबंधित हैं और यदि कोई अन्य सदस्य इन श्रेणियों से नहीं हैं सदस्य; 7. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामनिर्देशित व्यक्ति सदस्य; **निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली विभागीय पदोन्नति -** 1. उप कुलपति -अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार -सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख -सदस्य; 4. उप कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् के दो सदस्य -सदस्य; तथा 5. उप कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, विश्वविद्यालय की सेवा से भिन्न दो विशेषज्ञ, जिनमें से एक महिला,एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, यदि किसी पद के लिए आवेदन करने वाले कोई भी अभ्यर्थी इन श्रेणियों से संबंधित हैं और यदि कोई अन्य सदस्य इन श्रेणियों से नहीं हैं। -सदस्य
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	**12. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष**
(2)	02 * (2020) * कार्यभार के आधार पर किया जा सकता है।
(3)	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपये)
(4)	लागू नहीं।

(5)	35 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस या सूचना विज्ञान या प्रलेखन विज्ञान में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री (या ग्रेड पैमाने पर समकक्ष ग्रेड जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है)और पुस्तकालय के कम्प्यूटरीकरण के ज्ञान के साथ एक लगातार अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड । (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी द्वारा इस प्रयोजन के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण। (iii) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009, के अनुसार डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री प्रदान की गई है, को भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता शर्त राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा या राज्य पात्रता परीक्षा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। (iv) किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग या सरकारी संगठन या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपये) में पुस्तकालय सेवा में पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय अर्हता:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से लाइब्रेरी ऑटोमेशन और नेटवर्किंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या कंप्यूटर एप्लिकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समकक्ष।
(7)	लागू नहीं।
(8)	एक वर्ष ।
(9)	सीधी भर्ती द्वारा,जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति</u> : ऐसे व्यक्ति जो वेतन स्तर-7 (44,900-142,400 रुपये) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारके विभाग या सरकारी संगठन में तीन वर्ष की नियमित सेवा हो एवं स्तंभ 6 के अधीन उल्लेखित अर्हता और अनुभव हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. उप कुलपति — अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार — सदस्य; 3.स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख — सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य — सदस्य; 5. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है। — सदस्य; 6. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य,एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य है यदि पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थीयों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबंधित है और अन्य सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबंधित नहीं है। — सदस्य; 7. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नाम निर्देशित व्यक्ति

	सदस्य ।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है ।

(1)	**13. विधि अधिकारी**
(2)	01 *(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर-10 (रुपए. 56,100-1,77,500)
(4)	लागू नहीं
(5)	35 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सात पाइंटस्केल में ग्रेड बी के साथ विधि में स्नातक डिग्री के साथ मास्टर डिग्री। (ii) अनुभव : विधिक कार्य में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (रु 44,900-1,42,400) में पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें विश्वविद्यालयों या अनुसंधान और विकास संस्थानों या शैक्षणिक संस्थानों में अदालती मामलों का बचाव करना, विधिक कार्यवाहियों में निपुणता आदि सम्मिलित है।
(7)	लागू नहीं।
(8)	एक वर्ष।
(9)	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति :</u> ऐसे व्यक्ति जो वेतन स्तर -7 (44,900-142,400 रुपये) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों या स्वायत्त संगठनों में तीन वर्ष की नियमित सेवा हो और स्तंभ 6 के अधीन उल्लेखित अर्हता और अनुभव हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. कुलपति — अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार — सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख — सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य — सदस्य; 5. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है। — सदस्य; 6. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य,एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य है यदि पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थीयों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबंधित है और अन्य सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबंधित नहीं है। — सदस्य; 7. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक

	नामनिर्देशित व्यक्ति।	सदस्य ।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है ।	

(1)	**14. जन संपर्क अधिकारी**
(2)	01 *(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर-10 (रुपए. 56,100-1,77,500)
(4)	लागू नहीं
(5)	35 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास कम्युनिकेशन एवं पत्रकारिता में मास्टर डिग्री। या किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (ii) किसी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय स्तर के मीडिया संगठन में या विश्वविद्यालय या अनुसंधान और विकास संस्थानों या शैक्षणिक संस्थानों में समकक्ष पद पर संपादक या उप-संपादक या संवाददाता या सहायक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। **वांछनीय अर्हता और अनुभव —** (i) राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों, रेडियो या टेलीविजन, फिल्म मीडिया, विज्ञापन एजेंसियों से मान्यताप्राप्त किसी भी स्थापित अंग्रेजी या हिंदी समाचार पत्रों के समाचार डेस्क या संपादकीय विभाग में पांच वर्ष का अनुभव। (ii) कंप्यूटर अनुप्रयोगों के अच्छे कामकाजी ज्ञान के साथ अंग्रेजी और हिंदी में दक्षता सहित दो या अधिक भारतीय भाषाओं का ज्ञान.
(7)	लागू नहीं।
(8)	एक वर्ष।
(9)	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति :</u> वेतन स्तर -7 (44,900-142,400 रुपये) में ऐसे व्यक्ति जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों या स्वायत्त संगठनों में तीन वर्ष की नियमित सेवा हो और स्तंभ 6 के अधीन उल्लेखित अर्हता और अनुभव हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-**

	1. कुलपति अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य सदस्य; 5. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है। सदस्य; 6. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य,एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य है यदि पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थीयों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबंधित है और अन्य सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबंधित नहीं है। सदस्य; 7. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामनिर्देशित व्यक्ति। सदस्य;
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(1)	**15. हिन्दी अधिकारी**
(2)	01 *(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर-10 (रुपए. 56,100-1,77,500)
(4)	लागू नहीं
(5)	35 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i)किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के साथ हिंदी में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर की डिग्री या समकक्ष । या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे किसी भी विषय में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी विषय के रूप में, या समकक्ष । या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे हिंदी माध्यम में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में या समकक्ष । या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयसे अंग्रेजी माध्यम में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में या समकक्ष। (ii) केन्द्र या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या अनुसंधान और विकास संस्थानों या शैक्षणिक संस्थानों में तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य कार्य या हिंदी शोधकार्य या पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी से हिंदी और इसके विपरीत अनुवाद में तीन वर्ष का अनुभव। **वांछित अर्हता:**

	(i) हिन्दी में टिप्पण या प्रारूपण का ज्ञान । (ii) एमएस ऑफिस और कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान।
(7)	लागू नहीं ।
(8)	एक वर्ष ।
(9)	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति :</u> वेतन स्तर -7 (44,900-142,400 रुपये) में ऐसे व्यक्ति जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों या स्वायत्त संगठनों में तीन वर्ष की नियमित सेवा हो और सूतंभ 6 के अधीन उल्लेखित अर्हता और अनुभव हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. उप कुलपति अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नाम निर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य सदस्य; 5. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है। सदस्य; 6. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य,एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हैयदि पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थीयों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबंधित है और अन्य सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबंधित नहीं है। सदस्य; 7. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक व्यक्ति। सदस्य;
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(1)	**16. प्रणाली विश्लेषक**
(2)	02 *(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर-10 (रु. 56,100-1,77,500)
(4)	लागू नहीं
(5)	35 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:**

	(i) न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी या कंप्यूटर इंजीनियरी में मास्टर डिग्री। या न्यूनतम 55% अंकों के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लिकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ मास्टर ऑफ साइंस। या न्यूनतम 55% अंकों के साथ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन। (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (रु 44,900-1,42,400) में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अनुसंधान और विकास संस्थानों या शैक्षणिक संस्थानों में प्रोग्रामर या समकक्ष पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा। **वांछनीय अर्हता और अनुभव** —कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑफिस ऑटोमेशन या ई-गवर्नेंस या एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) सॉफ्टवेयर या नेटवर्किंग में पांच वर्ष का अनुभव।
(7)	लागू नहीं
(8)	एक वर्ष
(9)	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति :</u> वेतन स्तर -7 (44,900-142,400 रुपये) में ऐसे व्यक्ति जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों या स्वायत्त संगठनों में तीन वर्ष की नियमित सेवा हो और स्तंभ 6 के अधीन उल्लेखित अर्हता और अनुभव हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. उप कुलपति — अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार — सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख — सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य — सदस्य; 5. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है। — सदस्य; 6. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य,एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य है यदि पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबंधित है और अन्य सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबंधित नहीं है। — सदस्य; 7. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामनिर्देशित व्यक्ति। — सदस्य;
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(1)	**17. चिकित्सा अधिकारी**

(2)	02 *(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर-10 (रु. 56,100-1,77,500)
(4)	लागू नहीं
(5)	35 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकृत किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी। (ii) आवासीय शिक्षण संस्थान में जनरल ड्यूटी ऑफिसर या प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों या अनुसंधान एवं विकास संस्थानों या शैक्षणिक संस्थानों या शैक्षणिक संस्थानों के अस्पताल में पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय अर्हता —** मास्टर ऑफ सर्जरी या डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में डिग्री वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी
(7)	लागू नहीं
(8)	एक वर्ष
(9)	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति</u>: स्तर 9 (53,100-1,67,800 रुपये) में किसी भी सरकारी अस्पतालों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकारी संगठन में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले और स्तंभ (6) में उल्लिखित अर्हता और अनुभव रखने वाले डॉक्टर। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. कुलपति — अध्यक्ष; 2. रजिस्ट्रार — सदस्य; 3. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख — सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य — सदस्य; 5. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है। — सदस्य; 6. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य है यदि पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थीयों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबंधित है और अन्य सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबंधित नहीं है। — सदस्य; 7. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामनिर्देशित व्यक्ति । — सदस्य;
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(1)	**18. प्रोग्रामर**

(2)	04 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर -7 (44,900-1,42,400 रुपये)
(4)	लागू नहीं।
(5)	30 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) कंप्यूटिंग में पाँच वर्ष के अनुभव के साथ 55% अंकों सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी या कंप्यूटर इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री। या कंप्यूटिंग में सात वर्ष के अनुभव के साथ 55% अंकों सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लिकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ मास्टर ऑफ साइंस। या कंप्यूटिंग में सात वर्ष के अनुभव के साथ 55% अंकों सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन । (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (रु. 35,400-1,12,400) में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के संस्थानों या संगठनों में समकक्ष स्थिति में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (कंप्यूटर) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
(7)	आयु: नहीं। शैक्षणिक योग्यता: हाँ।
(8)	एक वर्ष ।
(9)	(i) 25% सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 75% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	**<u>प्रोन्नति</u> :** वेतन स्तर 6 (35,400-1,12,400) में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (कंप्यूटर)। प्रोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर की जाएगी। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **<u>प्रतिनियुक्ति</u> :** वेतन स्तर -6 (35,400-1,12,400 रुपये) में ऐसे व्यक्ति जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या शैक्षणिक संस्थानों या संगठनों में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (कम्प्युटर) के पद पर वेतन मेट्रिक्स में पाँच वर्ष की नियमित सेवा हो और सूतंभ 6 के तहत सीधी भर्ती हेतु विहित अर्हता और अनुभव हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 - पोषक (feeder) श्रेणी में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति के लिए विचार के योग्य नहीं होगा।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. रजिस्ट्रार अध्यक्ष; 2. उप रजिस्ट्रार सदस्य; 3. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थीयों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में । सदस्य; 5. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक उम्मीदवार सदस्य; **निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली विभागीय पदोन्नति समिति-** 1. रजिस्ट्रार -अध्यक्ष; 2. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख -सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार -सदस्य; तथा 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों; कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिलासदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थीयों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में। -सदस्य;
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	**19. संपदा अधिकारी**
(2)	01 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपये)
(4)	लागू नहीं।
(5)	30 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री। (ii) स्तर-5 (29,200-92,300) में किसी भी केन्द्र सरकार या राज्य संगठन या सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संगठन में सहायक एस्टेट अधिकारी या अधीक्षक या समकक्ष के पद पर ग्यारह वर्ष का अनुभव ।

	(iii) कंप्यूटर अनुप्रयोगों का कार्यसाधक ज्ञान। **वांछनीय अर्हता और अनुभव :** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर डिग्री। (ii) भूनिर्माण (लैंड स्केपिंग), प्रयोगशालाओं, मरम्मत, सुरक्षा आदि के संबंध में श्रमिकों को संभालने का तीन वर्ष का अनुभव। (iii) स्थानीय भाषा (बोलने, पढ़ने और लिखने) में प्रवीणता।
(7)	लागू नहीं।
(8)	एक वर्ष।
(9)	सीधी भर्ती द्वारा,जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति</u> : ऐसे व्यक्तियों जो स्तर 7 (रु. 44,900-1,42,400) में किसी भी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या शिक्षा संस्थानों या संगठन में सदृश पद धारण करने वाले और स्तंभ (6) में विहित अर्हता और अनुभव रखता हो। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / स्थायीकरण समिति -** 1. रजिस्ट्रार -अध्यक्ष; 2. उप रजिस्ट्रार -सदस्य; 3. उप कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य -सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिलासदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थीयों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में। -सदस्य; 5. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामनिर्देशित व्यक्ति -सदस्य;
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	**20. अनुभाग अधिकारी**
(2)	06 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपये)
(4)	प्रोन्नति के मामले में चयन और सीधी भर्ती के मामले में लागू नहीं है।
(5)	30 वर्ष

(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 55% अंक या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सात- पाइंट स्केल पर ग्रेड बी या इसके समकक्ष, के साथ स्नातक की डिग्री । या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री । (ii) स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये) प्रशासन या लेखा या सचिवीय कार्य में सहायक के रूप में केंद्रीय या राज्य सरकारों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त निकायों या रक्षा संगठन में या प्रतिष्ठित संगठनों या विश्वविद्यालय या अनुसंधान और विकास संस्थान या शैक्षणिक संस्थान में पाँच वर्ष का अनुभव या समकक्ष । या केंद्रीय या राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों या स्वायत्त संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या रक्षा संगठनों या प्रतिष्ठित संगठनों में या विश्वविद्यालय या अनुसंधान और विकास संस्थानों या शैक्षणिक संस्थानों में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर स्तर-5 (29,200-92,300) या समकक्ष में आठ वर्ष की नियमित सेवा। **वांछनीय अर्हता:** एक कंप्यूटरीकृत वातावरण में टिप्पण एवं मसौदा तैयार करने,सामान्य प्रशासन से संबन्धित कार्य करने या गृह व्यवस्था या खरीद या सेवा मामलों या कार्यालय प्रबंधन या स्थापना या वित्त एवं लेखा या मानव संसाधन विधिक की जानकारी। (ii) एमएस ऑफिस और हिंदी का ज्ञान।
(7)	आयु: नहीं। शैक्षणिक योग्यता: हाँ।
(8)	एक वर्ष ।
(9)	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा, ऐसे करने में असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । (ii) 50% सीधी भर्ती द्वारा ।
(10)	<u>प्रोन्नति :</u> वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपये) में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ सहायक। प्रोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर की जाएगी। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। <u>प्रतिनियुक्ति:</u> ऐसे व्यक्ति जो वेतन स्तर -6 (35,400-1,12,400 रुपये) में पाँच नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों अथवा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या शैक्षणिक संस्थानों या संगठनों में वेतन मेट्रिक्स में वर्ष की नियमित सेवा हो और स्तंभ 6 के अधीन उल्लेखित अर्हता और अनुभव हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाहय पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 - पोषक श्रेणी में ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के

	लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के योग्य नहीं होंगे ।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. रजिस्ट्रार -अध्यक्ष; 2. उप रजिस्ट्रार -सदस्य; 3. उप कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य- -सदस्य; 4. उप कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, यदि किसी पद के लिए आवेदन करने वाले कोई भी अभ्यर्थी इन श्रेणियों से संबंधित हैं और यदि कोई अन्य सदस्य इन श्रेणियों से नहीं हैं -सदस्य; 5. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामनिर्देशित व्यक्ति -सदस्य; **विभागीय प्रोन्नति समिति -** 1. रजिस्ट्रार -अध्यक्ष; 2. स्कूल के संकायाध्यक्ष या संबंधित अनुभाग के प्रमुख -सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार -सदस्य; तथा 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों; कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिलासदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थीयों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में । -सदस्य;
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	**21. निजी सचिव**
(2)	10 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर -7 (44,900-1,42,400 रुपये)
(4)	लागू नहीं।
(5)	30 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री साथ ही अंग्रेजी में दक्षता और कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान। अंग्रेजी टाइपिंग की गति 40 शब्द-प्रति-मिनट और कंप्यूटर संचालन में प्रवीणता। अंग्रेजी आशुलिपि- जूनियर ग्रेड (80 शब्द-प्रति-मिनट)। वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 निजी सहायक (35,400-1,12,400 रुपए) या समकक्ष पाँच वर्ष की नियमित सेवा के साथ

	या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या स्वायत्त संगठन या ख्याति प्राप्त संगठन शैक्षणिक संस्थानों या अनुसंधान और विकास संस्थानों या शैक्षणिक संस्थानों में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ स्तर-5 (29,200-92,300 रुपए) में आशुलिपिक। **वांछनीय अर्हता और अनुभव:** हिंदी टाइपिंग या आशुलिपि का ज्ञान ।
(7)	लागू नहीं।
(8)	एक वर्ष ।
(9)	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति</u> : ऐसे व्यक्ति जो वेतन स्तर -7 (44,900– 1,42,400 रुपये) में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या शैक्षणिक संस्थानों या संगठनों में वेतन मेट्रिक्स में सदृश पद धारण करते हों और सतंभ 6 के अधीन उल्लेखित अर्हता और अनुभव हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. रजिस्ट्रार -अध्यक्ष; 2. उप रजिस्ट्रार -सदस्य; 3. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य -सदस्य; 4. उप कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, यदि किसी पद के लिए आवेदन करने वाले कोई भी अभ्यर्थी इन श्रेणियों से संबंधित हैं और यदि कोई अन्य सदस्य इन श्रेणियों से नहीं हैं -सदस्य; 5. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामनिर्देशित व्यक्ति -सदस्य ;
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	**22. सुरक्षा अधिकारी**
(2)	01 * (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर -7 (44,900-1,42,400 रुपये)
(4)	लागू नहीं।

(5)	30 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष योग्यता । (ii) पुलिस या अर्ध-सैनिक बलों या संघ के सशस्त्र बलों में पांच वर्ष की नियमित सेवा और सब-इंस्पेक्टर या भारतीय नौसेना से पेटी ऑफिसर या भारतीय सेना से हवलदार या भारतीय वायु सेना में सार्जेंट के पद से नीचे नहीं। (ii) जीप या मोटर साइकिल को चलाने का एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए । **वांछनीय अर्हता:** (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से अग्निशमन में एक कोर्स पूरा करना या सेना या अर्ध-सैन्य बल से निहत्थे मुकाबला कोर्स । (ii) अँग्रेजी और हिन्दी बोलने में सक्षम होना चाहिए।
(7)	लागू नहीं।
(8)	एक वर्ष ।
(9)	सीधी भर्ती द्वारा,जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति :</u> ऐसे व्यक्ति जो सदृश पद धरण करते हों या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या शैक्षणिक संस्थानों या संगठनों में वेतन मेट्रिक्स में स्तर -6 (35,400-1,12,400 रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा हो और सूतंभ 6 के अधीन उल्लेखित अर्हता और अनुभव हो । टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. रजिस्ट्रार -अध्यक्ष; 2. उप रजिस्ट्रार -सदस्य; 3. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य -सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, यदि किसी पद के लिए आवेदन करने वाले कोई भी अभ्यर्थी इन श्रेणियों से संबंधित हैं और यदि कोई अन्य सदस्य इन श्रेणियों से नहीं हैं -सदस्य; 5. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामनिर्देशित व्यक्ति -सदस्य ।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	**23. कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)**
(2)	02 *(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर -7

	(रूपये. 44,900-1,42,400)
(4)	लागू नहीं
(5)	35 वर्ष
(6)	**अनिवार्य अर्हता** (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रूपये. 35,400-1,12,400) में प्राइवेट अथवा केंद्रीय अथवा राज्य सरकारी संगठनों, परियोजनाओं अथवा कार्यालयों, विश्वविद्यालयों अथवा स्वायतशासी संगठनों अथवा शैक्षणिक संस्थानों अथवा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं में सिविल कार्यों के निर्माण एवं रखरखाव के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्षों की सेवा सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री। अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रूपये. 35,400-1,12,400) में प्राइवेट अथवा केंद्रीय अथवा राज्य सरकारी संगठनो, परियोजनाओं अथवा कार्यालयों, विश्वविद्यालयों अथवा स्वायतशासी संगठनों अथवा शैक्षणिक संस्थानों अथवा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं में सिविल कार्यों के निर्माण एवं रखरखाव के पर्यवेक्षण में कम से कम पांच वर्षों की सेवा सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा। (ii) कंप्यूटर एप्लिकेशन में अच्छा कार्यसाधक ज्ञान।
(7)	लागू नहीं
(8)	एक वर्ष
(9)	सीधी भर्ती द्वारा ,जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रूपये. 35,400-1,12,400) में सदृश पद पर ऐसे व्यक्ति तैनात अथवा किसी केंद्रीय अथवा राज्य सरकारी संगठनो और कार्यालयों, परियोजनाओं, विश्वविद्यालयों अथवा स्वायतशासी संगठनों अथवा शैक्षणिक संस्थानों अथवा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं में 5 वर्ष का अनुभव हो और सूतंभ (6) में यथा विहित अर्हता और अनुभव धारण करते हैं। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. रजिस्ट्रार - अध्यक्ष; 2. उप रजिस्ट्रार - सदस्य; 3. उप कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी समिति का एक सदस्य - सदस्य; 4. उप कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, यदि किसी पद के लिए आवेदन करने वाले कोई भी अभ्यर्थी इन श्रेणियों से संबंधित हैं और यदि कोई अन्य सदस्य इन श्रेणियों से नहीं हैं -सदस्य; 5. नागर मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित होगा। -सदस्य ।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(1)	**24. कनिष्ठ इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल)**

(2)	02
(3)	सृतर-7 (रूपये. 44,900-1,42,400)
(4)	लागू नहीं
(5)	35 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) स्तर-6 (रूपये. 35,400-1,12,400) के वेतन मैट्रिक्स या समतुल्य में केंद्रीय अथवा राज्य सरकारी संगठनो, विश्वविद्यालयों अथवा स्वायतशासी संगठनों अथवा शैक्षणिक संस्थानों अथवा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं में इलैक्ट्रिकल कार्यों के निर्माण अथवा रखरखाव के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्षों की सेवा सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री। अथवा वेतन मैट्रिक्स के सृतर-6 (रूपये. 35,400-1,12,400) में या समतुल्य प्राइवेट अथवा केंद्रीय अथवा राज्य सरकारी संगठनो, विश्वविद्यालयों अथवा स्वायतशासी संगठनों अथवा शैक्षणिक संस्थानों अथवा अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं में इलैक्ट्रिकल कार्यों के निर्माण एवं रखरखाव के पर्यवेक्षण में कम से कम पांच वर्षों की सेवा सहित मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा। (ii) कंप्यूटर एप्लिकेशन में अच्छा कार्यसाधक ज्ञान।
(7)	लागू नहीं
(8)	एक वर्ष
(9)	सीधी भर्ती द्वारा ,जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
(10)	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> वेतन मैट्रिक्स के सृतर-6 (रूपये. 35,400-1,12,400) में सदृश पदों पर ऐसे व्यक्ति जो किसी केंद्रीय अथवा राज्य सरकार विभाग सरकारी संगठनो में पाचं वर्ष की नियमित सेवा की हो और सृतंभ (6) में यथाविहित अर्हता और अनुभव धारण करते हैं। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. रजिसट्रार - अध्यक्ष ; 2. उप रजिस्ट्रार -सदस्य ; 3. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी समिति का एक सदस्य -सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, यदि किसी पद के लिए आवेदन करने वाले कोई भी अभ्यर्थी इन श्रेणियों से संबंधित हैं और यदि कोई अन्य सदस्य इन श्रेणियों से नहीं हैं -सदस्य; 5. नागर मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित होगा। -सदस्य ।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(1)	**25. वरिष्ठ तकनीकी सहायक (कंप्यूटर)**
(2)	02 *(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।
(3)	स्तर-6 (रूपये. 35,400-1,24,400)
(4)	लागू नहीं
(5)	30 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता** 1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इंजीनियरी में स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी में तकनीकी स्नातक अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर 2. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29,200-92,300) में सरकारी अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रम में छः वर्ष का अनुभव। **वांछित अनुभव :** कंप्यूटर प्रणालियों अथवा नेटवर्क प्रणालियों एवं साफ्टवेयर का प्रतिष्ठापन अथवा परिचालन अथवा रखरखाव में पांच वर्षों का अनुभव।
(7)	आयु- कोई नहीं शैक्षणिक योग्यता- नहीं
(8)	एक वर्ष
(9)	(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा अथवा इसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(10)	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रूपये. 29,200-92,300) में तकनीकी सहायक (कंप्यूटर) जिसने छह वर्षों की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **<u>प्रतिनियुक्ति</u>** किसी केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभाग अथवा शैक्षणिक संस्थानों अथवा संगठनों में सदृश पदधारी हो और स्तंभ (5) में विहित अर्हता रखता हो। अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में (रूपये. 35,400-1,24,400) में सदृश पदधारी और स्तंभ (6) में विहित अर्हता अथवा अनुभव हो। वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 5 (रूपये. 29,200-92,300) में तकनीकी सहायक (कंप्यूटर) में छह वर्ष का नियमित अनुभव हो।

	टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3. पोषक कैडर में ऐसे विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, को प्रतिनियुक्ति हेतु नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति को प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. रजिस्ट्रार -अध्यक्ष 2. उप रजिस्ट्रार -सदस्य 3. उप कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी समिति का एक सदस्य- -सदस्य कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थीयों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में । -सदस्य; नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित होगा। -सदस्य **निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली विभागीय प्रोन्नति समिति -** 1. रजिस्ट्रार - अध्यक्ष 2. विद्यालय का संकायाध्यक्ष अथवा संबंधित अनुभाग का प्रमुख -सदस्य 3. उप रजिस्ट्रार -सदस्य 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों; कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में। -सदस्य
(12)	संघ लोक सेवा के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	**26. वरिष्ठ तकनीकी सहायक**
(2)	01 *(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।।
(3)	स्तर-6 (रूपये. 35,400-1,24,400)
(4)	लागू नहीं
(5)	30 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से संबन्धित विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर ऑफ साइंस अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ग्रेड बी का सात-पाइंट स्केल या इसके समकक्ष ।

	(ii) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में दो वर्षों का अनुभव। अथवा (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से संबन्धित विषय में 55% अंकों के साथ बैचलर ऑफ साइंसअथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में ग्रेड बी का सात-पाइंट स्केल या इसके समकक्ष। (ii) मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में पाँच वर्षों का अनुभव। **वांछनीय अनुभव :** (i) प्रयोगशाला उपस्कर एवं कम्प्यूटरों को संभालने का दो वर्ष का अनुभव। (ii) अंग्रेज़ी एवं हिन्दी पर अच्छी पकड़।
(7)	आयु- कोई नहीं शैक्षणिक योग्यता- नहीं
(8)	एक वर्ष
(9)	(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा अथवा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
(10)	<u>प्रोन्नति</u> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (रु 29,200) में तकनीकी सहायक जिसने छह वर्षों की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। <u>प्रतिनियुक्ति</u> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (रूपये 35,400-1,12,400) किसी केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारी विभाग अथवा शैक्षणिक संस्थानों अथवा संगठन में पर सदृश पदधारी हो और स्तंभ (6) में उल्लिखित अर्हताएं एवं अनुभव हो अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में (रूपये. 29,200-92,300) में तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) जो छह वर्ष का नियमित अनुभव और स्तंभ (6) में निर्धारित अर्हता रखता हो। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3. पोषक कैडर में ऐसे विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, को प्रतिनियुक्ति हेतु नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति को प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. रजिस्ट्रार - अध्यक्ष 2. उप रजिस्ट्रार -सदस्य; 3. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी समिति का एक सदस्य -सदस्य ; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचितजन जाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद

	हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थीयों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में। -सदस्य; 5. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित होगा। -सदस्य ; **निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली विभागीय प्रोन्नति समिति -** 1. रजिस्ट्रार – अध्यक्ष ; 2. विद्यालय का संकायाध्यक्ष अथवा संबंधित अनुभाग का प्रमुख -सदस्य; 3. उप रजिस्ट्रार -सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों; कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिलासदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थीयों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में। -सदस्य।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

(1)	**27. सहायक**
(2)	10 *(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ।
(3)	स्तर-6 (रूपये. 35,400-1,24,400)
(4)	लागू नहीं
(5)	35 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री। (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रूपये 25,000-81,100 के वेतनमान) में केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अथवा स्वायत संगठनों अथवा शैक्षणिक संस्थानों अथवा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में पांच वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके अपर श्रेणी लिपिक या समकक्ष। अथवा (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रूपये 19,090-63,200) में केन्द्रीय सरकारअथवा राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अथवा स्वायत संगठनो अथवा शैक्षणिक संस्थानों अथवा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में आठ वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके निम्न श्रेणी लिपिक। (ii) कंप्यूटर अनुप्रयोग का कार्यसाधक ज्ञान तथा सामान्यत: उपयोग में किए जा रहे प्रोग्राम तथा साफ्टवेयर।
(7)	आयु- लागू नहीं शैक्षणिक योग्यता: हां
(8)	एक वर्ष
(9)	(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा।

(10)	<u>पदोन्नति</u> वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (रूपये. 25,000-81,100) में अवर श्रेणी लिपिक जिसने आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो। पोषक कैटेगरी की मेरिट सह वरिष्ठता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति की सिफ़ारिश पर प्रोन्नति की जाएगी । **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। <u>**प्रतिनियुक्ति**</u> वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (रूपये. 35,400-1,24,400) में स्तंभ (6) में विहित अर्हता और अनुभव के साथ सदृश पद रखता हो अथवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 5 में (रूपये. 29,200-92,300) में तकनीकी सहायक (कंप्यूटर) जिसने आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो तथा साथ ही स्तंभ (6) में निर्धारित अनुभव और योग्यता रखता हो। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि है इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3. पोषक कैडर में ऐसे विभागीय अधिकारी जो कि प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, को प्रतिनियुक्ति हेतु नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति को प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. रजिस्ट्रार –अध्यक्ष; 2. उप रजिस्ट्रार -सदस्य ; 3. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी समिति का एक सदस्य -सदस्य ; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में। -सदस्य; 5. नागर मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित होगा। -सदस्य ; **निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली विभागीय प्रोन्नति समिति -** 1. रजिस्ट्रार -अध्यक्ष ; 2. विद्यालय का संकायाध्यक्ष अथवा संबंधित अनुभाग का प्रमुख -सदस्य ; 3. उप रजिस्ट्रार -सदस्य; और 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों; कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में । -सदस्य;
(12)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

(1)	**28. उच्च श्रेणी लिपिक**
(2)	06 *(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ।
(3)	स्तर-4 (रूपये. 32,500-81,100)
(4)	लागू नहीं
(5)	30 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से 50% अंको सहित स्नातक डिग्री तथा कंप्यूटर का अच्छा कार्यसाधक ज्ञान। (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 (रूपये 19,900-63,200) में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अथवा स्वायत संगठनो अथवा शैक्षणिक संस्थानों अथवा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में आठ वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके निम्न श्रेणी लिपिक या समकक्ष।
(7)	आयु- नहीं शैक्षणिक अर्हता: हां
(8)	एक वर्ष
(9)	(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा।
(10)	<u>प्रोन्नति</u> वेतन मैट्रिक्स के स्तर—2 (रूपये 19,900-63,200) में निम्न श्रेणी लिपिक जिसने आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो। पोषक श्रेणियों सह मेरिट की वरिष्ठता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर प्रोन्नति प्रदान की जाएगी बशर्ते की उपयुक्तता एवं फिटनेस हो। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
(11)	**निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन / पुष्टिकरण समिति-** 1. रजिस्ट्रार - अध्यक्ष 2. उप रजिस्ट्रार -सदस्य 3. उप कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी समिति का एक सदस्य -सदस्य 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचितजनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में। -सदस्य 5. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित होगा। -सदस्य ; **निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली विभागीय प्रोन्नति समिति -**

	1. रजिस्ट्रार -अध्यक्ष ; 2. विद्यालय का संकायाध्यक्ष अथवा संबंधित अनुभाग का प्रमुख -सदस्य ; 3. उप रजिस्ट्रार -सदस्य ; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों; कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचितजनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों और यदि कोई अन्य सदस्य,जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में। -सदस्य।
(12)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

(1)	29. **पुस्तकालय सहायक**
(2)	02 *(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। ।
(3)	स्तर-3 (रु. 21,700-69,100)
(4)	लागू नहीं .
(5)	30 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान या पुस्तकालय विज्ञान या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष। **वांछनीय अर्हताएँ:** (i) पुस्तकालय में कम्प्यूटरीकरण का कार्यसाधक ज्ञान। (ii) अंग्रेजी टंकण गति 30 शब्द-प्रति-मिनट।
(7)	लागू नहीं ।
(8)	01 वर्ष।
(9)	सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण: प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारण रिक्त हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है । (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करना, अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900) के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा तथा (ख) स्तंभ (6) के तहत सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता और अनुभव।
(10)	लागू नहीं
(11)	1. रजिस्ट्रार -अध्यक्ष; 2. उप रजिस्ट्रार -सदस्य; 3. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य -सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचितजनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में। -सदस्य; 5. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नामनिर्देशित नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामनिर्देशित। -सदस्य;
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	30. **निम्न श्रेणी लिपिक**
(2)	16 *(2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
(3)	स्तर 2 (रु 19,900-63,200)
(4)	लागू नहीं
(5)	30 वर्ष
(6)	**आवश्यक अर्हता:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक। (ii) अंग्रेजी टाइपिंग की 40 शब्द-प्रति मिनट की गति। (iii) कंप्यूटर एप्लिकेशन में अच्छा कार्यसाधक ज्ञान । **वांछित अर्हता—** 25 शब्द-प्रति मिनट की हिंदी टंकण गति को प्राथमिकता दी जाएगी।
(7)	लागू नहीं
(8)	एक वर्ष
(9)	सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारण रिक्त हुई रिक्तियों को केन्द्र सरकार के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है । (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण करना, अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18000-56900) के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा तथा (ख) स्तंभ (6) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता और अनुभव।
(10)	लागू नहीं ।
(11)	1. रजिस्ट्रार -अध्यक्ष; 2. उप रजिस्ट्रार -सदस्य; 3. कुलपति द्वारा नाम निर्देशित कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य -सदस्य; 4. कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक महिला सदस्य, एक अनुसूचित जाति या अनुसूचितजनजाति वर्ग और एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य, संबन्धित पद हेतु उपस्थित होने वाले इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों और यदि कोई अन्य सदस्य, जो इन श्रेणियों से संबन्धित नहीं है के मामले में - सदस्य; 5. नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नाम निर्देशित नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार का एक नामनिर्देशित। -सदस्य;
(12)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है.

अनुलग्नक 1

ए पी ए आर की तैयारी/ पूर्ण करने हेतु समय सारणी

(रिपोर्टिंग वर्ष – वित्तीय वर्ष)

क्र सं	क्रियाकलाप	जिस तारीख तक पूरा करना है
1.	सभी संबंधितों के लिए रिक्त एपीएआर फॉर्म का वितरण(अर्थात, उस अधिकारी को रिपोर्ट किया जाएगा, जहाँ पर स्व-मूल्यांकन किया जाना है और रिपोर्टिंग अधिकारियों को जहाँ स्व-मूल्यांकन नहीं किया जाना है)।	31 मार्च (यह एक सप्ताह पहले भी पूरा हो सकता है)
2.	अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी को स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करना (जहां लागू हो)।	15 अप्रैल
3.	रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा समीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना	30 जून
4.	समीक्षा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट को पूरा करना और प्रशासन या एपीएआर या सीआर सेक्शन / सेल या स्वीकृति प्राधिकारी को भेजा जाना, जो लागू हो।	31 जुलाई
5.	स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन, जो लागू हो।	31 अगस्त
6.	क. जहां कोई स्वीकृति प्राधिकारी नहीं है, वहाँ रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रकटीकरण ख. जहां कोई स्वीकृति प्राधिकारी है, वहाँ रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रकटीकरण	1 सितंबर 15 सितंबर
7.	ए पी ए आर पर अभ्यावेदन की प्राप्ति, यदि कोई है	पत्र की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन
8.	सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदनों का प्रेषण – क. जहां ए पी ए आर हेतु कोई स्वीकृति प्राधिकारी नहीं है. ख. जहां ए पी ए आर हेतु कोई स्वीकृति प्राधिकारी है.	 21 सितंबर 6 अक्तूबर
9.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निपटान	अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर।
10.	एपीएआर सेल द्वारा अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय का सम्प्रेषण ।	15 नवंबर
11.	संपूर्ण एपीएआरप्रक्रिया की समाप्ति, जिसके बाद एपीएआरको अंत में रिकॉर्ड में लिया जाएगा।	30 नवंबर

अनुलग्नक II

अवकाश की मंजूरी हेतु सक्षम प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के कर्मचारी —

छुट्टी का प्रकार	छुट्टी की मंजूरी हेतु सक्षम प्राधिकारी
अर्जित छुट्टी, अर्द्ध वेतन छुट्टी, अनियत छुट्टी, असाधारण छुट्टी, प्रसूति छुट्टी और विशेष आकस्मिक छुट्टी	वेतन स्तर 11 में एक अधिकारी या इस प्रयोजन हेतु अधिसूचित समकक्ष अधिकारी –सभी समूह 'ख' और 'ग' कर्मचारियों के संबंध में रजिस्ट्रार –सभी समूह 'क' अधिकारियों के संबंध में (पुस्तकालयाध्यक्ष/ वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक / अधीक्षण अभियंता को छोड़कर) उप कुलपति (रजिस्ट्रार / वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक / पुस्तकालयाध्यक्ष / अधीक्षण अभियंता के संबंध में)

परिशिष्ट III

छुट्टी का आवेदन

(1) आवेदक का नाम

(2) धारित पद

(3) विभाग/कार्यालय/अनुभाग

(4) वेतन

(5) वर्तमान पद में अर्हित मकान किराया और अन्य प्रतिपूरक भत्ते

(6) आवेदित छुट्टी का स्वरूप एवं अवधि तथा छुट्टी की तारीख

(7) शनिवार / रविवार तथा छुट्टी, यदि कोई हो, छुट्टी के पूर्व व बाद में जोड़ने हेतु

(8) किस कारण से छुट्टी का आवेदन किया गया है

(9) पिछले छुट्टी से वापस आने की तारीख तथा उस छुट्टी की प्रकृति व अवधि

(10) आवेदित छुट्टी के दौरान ब्लॉक वर्ष के लिएआवेदक छुट्टी यात्रा रियायत / गृह यात्रा रियायत का लाभ उठाने का प्रस्ताव किया गया है / नहीं किया गया है

(11) छुट्टी के दौरान पता

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर :

नियंत्रक अधिकारी की टिप्पणियाँ और सिफ़ारिशें –

तारीख: हस्ताक्षर :

पदनाम

परिशिष्ट IV

समीक्षा समिति

निलंबन की समीक्षा के लिए समीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार है –

विश्वविद्यालय के कार्मिक –

1. कुलपति

2. विश्वविद्यालय का एक 'अधिकारी' ('अधिकारी 'जैसा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 10 में घोषित किया गया है)।

3. रजिस्ट्रार

अनुलग्नक V

पाठ्यक्रम और शुल्क संरचना

1. विमानन सेवाओं और एयर कार्गो में प्रबंधन अध्ययन स्नातक (कोर्स अवधि: 36 महीने)

(1) प्रवेश प्रक्रिया शुल्क : - रु 950 / - सामान्य / ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए और एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए रु 475 / -

(2) प्रोग्राम शुल्क : - रु. 2,50,000/-

(3) स्टूडेंट्स क्लब क्रियाकलाप:- रु. 5000/- प्रति वर्ष

(4) जमाराशि (प्रतिदेय): -रु. 10000/-

(5) मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र सत्यापन शुल्क: रु. 2500/-

(6) हॉस्टल, मेस, और प्रवहण प्रभार :- रु. 1,12,000/- प्रति वर्ष

(7) समग्र बीमा पॉलिसी का प्रीमियम: - रु. 2,500/- (केवल तृतीय वर्ष हेतु)

(8) शिक्षुता सुविधा शुल्क: - रु. 4,000/- (केवल तृतीय वर्ष हेतु)

2. एयरपोर्ट प्रचालन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पाठ्यक्रम की अवधि: 18 महीने)

(1) प्रवेश प्रक्रिया शुल्क : - रु 950 / - सामान्य / ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए और एससी / एसटी / पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए रु 475 / -

(2) प्रोग्राम शुल्क : रु. 3,30,470.

(3) जमाराशि (प्रतिदेय)

क. अवधान निधि (शैक्षणिक): रु. 5,000/-

ख. अवधान निधि (हॉस्टल):- रु. 5,000/-

(4) प्रमाणपत्र सत्यापन: रु. 2500/-(अप्रतिदेय)

(5) मेस, हॉस्टल और प्रवहण :-रु. 1,12,000/-.

3. बेसिक फायर फाइटर कोर्स (प्रमाणपत्र कोर्स) (कोर्स की अवधि: 06 महीने)

(1) प्रोग्राम शुल्क: - रु. 1,25,000/-

(2) हॉस्टल शुल्क : रु. 21,000/-

(3) स्टूडेंट किट : रु. 18,000/-

(4) मेस प्रभार : रु. 28,000/-

(5) वाहन : रु. 5,000/-

(6) स्टूडेंट्स नोट्स : रु. 1500/-

(7) फर्स्ट एड प्रमाणपत्र: रु. 1500/-

4. अनिवासी भारतीय या विदेशी नागरिकों श्रेणी पर शुल्क:-

(1) भारत के अनिवासी (एनआरआई) श्रेणी के अधीन प्रवेशित छात्रों को अध्ययन के कार्यक्रम के लिए लागू होने वाले सामान्य शुल्क के अलावा, छात्रों को प्रवेश के लिए प्रति सेमेस्टर 5000 अमेरिकी डॉलर (या भारतीय रुपये में समकक्ष राशि) का भुगतान करना होगा।

(2) विदेशी नागरिकों की श्रेणी के अधीन भर्ती छात्रों को अध्ययन के कार्यक्रम के लिए लागू होने वाले सामान्य शुल्क के अलावा, छात्रों को प्रवेश हेतु प्रति सेमेस्टर 6000 अमेरिकी डॉलर (या भारतीय रुपये में समकक्ष राशि) का भुगतान करना होगा।

अम्बर दुबे, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./213/2021-22]

RAJIV GANDHI NATIONAL AVIATION UNIVERSITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 18 August, 2021

F. No. AV-28060/4/2018- SDIT(ER)-MOCA— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 28 of the Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013 (26 of 2013), the Vice Chancellor of the Rajiv Gandhi National Aviation University with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Ordinance, namely. —

1. Short title, Commencement and application. — (1) These Ordinances may be called the Rajiv Gandhi National Aviation University Ordinance, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to the employee of the University other than persons appointed on contract, daily wage, ad-hoc basis and such other employee as may be specially exempted by the Executive Council.

2. Definitions.— In this ordinance unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013 (26 of 2013);

(b) "Annexure" means the annexures enclosed to these ordinances;

(c) "Appellate Authority" means the authority specified under sub-clause (i) of clause (2) Ordinance 106;

(d) "Appointing Authority" means the authority empowered to make appointment in a cadre in which the employee is for the time being included Ordinance 7;

(e) "authority competent to grant leave" means the authority specified in Annexure II;

(f) "average pay" means the average monthly pay earned during the ten complete months immediately preceding the month in which the event occurs which necessitates the calculation of average pay;

(g) "cadre" means the strength of a service or a part of a service sanctioned as a separate unit;

(h) "Committee" means the body formed by the authorities of the University to deal with any subject delegated to it subject to subsequent confirmation by the authority appointing it;

(i) "competent Authority" means any authority of the University constituted as such, which is competent to make decisions as regards to the Academic matters;

(j) "completed years of service" or "one year's continuous service" means continuous service of specified duration under the University and includes period spent on duty as well as on leave including extra-ordinary leave;

(k) "Disciplinary Authority" means the authority competent under these ordinances to impose any of the penalties specified in clause (2) of Ordinance 106;

(l) "foreign service" means the service in which an employee receives his pay with the sanction of the University from any source other than the funds of the University;

(m) "honorarium" means recurring or non-recurring payment granted to an employee from the funds of the University as remuneration for special work of an occasional or intermittent nature;

(n) "lien" means the title of an employee to hold on regular basis, either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a post, including a tenure post, to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation:

Provided that the title to hold a regular post shall be subject to the condition that the junior most person in the grade shall be liable to be reverted to the lower grade if the number of persons so entitled is more than the posts available in that grade;

(o) "members of a family" in relation to an employee includes :–

(i) the wife or husband, as the case may be, of the employee, whether residing with the employee or not but does not include a wife or husband, as the case may be, separated from the employee by decree or order of a competent court;

(ii) son or daughter or step–son or step-daughter of the employee wholly dependent on him, but does not include a child or step-child who is no longer in any way dependent on the employee or of whose custody the employee has been deprived by or under any law;

(iii) any other person related, whether by blood or marriage, to the employee or to the employee's wife or husband and wholly dependent on the employee;

(p) "Memorandum of Understanding" means an agreement between two or more parties which contains an intended common action for achieving a common goal;

(q) "month" means a calendar month and in calculating a period expressed in terms of months and days, complete calendar month, irrespective of the number of days in each, should first be calculated and the odd number of days calculated subsequently;

(r) "Screening Committee" means the body formed by the authority of the University, for the purpose of evaluating applications received for employment to a vacant post in the University for which advertisements have been launched;

(s) "Selection Committee" means a committee as prescribed in the respective recruitment rules and includes members of the Departmental Selection Committee;

(t) "Statutes" means the Statutes of the University made under the Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013 (26 of 2013);

(u) "student" means any person who is admitted to or registered for a course of study in any School or Department in the University;

(v) "substantive pay" means the pay other than special pay or personal pay or any other emoluments classed as pay to which an employee is entitled to on account of a post to which he has been appointed substantively or by reason of his substantive position in a cadre;

(w) "time scale pay" means pay, which rises by periodical increments from a minimum to a maximum.

CHAPTER I

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF TEACHERS AND NON-TEACHING EMPLOYEES

PART I

Conditions of Service

3. The number of posts, their classification and level in pay matrix shall be as specified in column (2) to (4) of schedule I and schedule II.

4. Fitness - (1) Appointment of teachers and non-teaching employees by direct recruitment for a period of more than twelve months shall be subject to their being found medically fit by the Medical Officer of the University or any other Medical Officer authorised for the purpose and Posts in Level in Pay matrix 9 and above teachers and non-teaching employees shall be required to produce a certificate of fitness from a medical board.

(2) The teacher and non-teaching employee appointed on part-time basis shall also be required to produce Medical Certificate of fitness in the same manner and under the same conditions as applicable to whole time employees.

(3) No teacher and non-teaching employee shall be appointed to any post unless the Appointing Authority is satisfied that he possesses good character and antecedents and every teacher and non-teaching employee at the time of joining the University service is required to submit attestation form in the specified format along with identity certificate and his appointment shall be subject to verification of his character and antecedents from the district authority:

Provided that this shall not apply to a teacher and non-teaching employee whose character and antecedents have already been verified in his previous service under a Government Department or Organisation and a copy of the same shall be obtained from his previous employer and kept in their service records.

5. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating hereto shall be as specified in column (4) to (12) of schedule I and schedule II.
6. Disqualification – No teacher and non-teaching employee shall be eligible for appointment who has been convicted in a court of law for any offence involving moral turpitude.
7. Appointment of teachers and non-teaching employees to the post shall be made by the Executive Council or an authority competent to make appointment in accordance with clause (2) of ordinance 106.
8. Savings - Nothing in these Ordinance shall affect reservations and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Serviceman, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
9. Commencement of service – Service shall be deemed to commence from the working day on which a teacher and non-teaching employee reports for duty in an appointment if he reports for such duty in the forenoon and from the following day if he reports for duty in the afternoon.
10. Appointment in the place of teachers and non-teaching employees dismissed, removed or reduced.— Where an employee has been dismissed, removed or reduced from any cadre in the service, no vacancy caused thereby or arising subsequently in such cadre in the service shall be substantively filled to the prejudice of such person until the appeal, if any, preferred by them against such dismissal, removal or reduction is decided, and except in conformity with such decision or until the time allowed for preferring an appeal has expired, as the case may be.
11. Re-employment in service beyond the date of retirement.— Nothing in these ordinances shall be construed to limit or abridge the power of the Executive Council to re-employ on contract basis persons in the service of the University who have reached the date of retirement specified by the Executive Council: Provided that –

    (a) such re-employment is certified to be in the interest of the University;

    (b) for other special circumstances to be recorded in writing and sanctioned by the Vice-Chancellor.

12. Teachers and non-teaching employees absent from duty. — The absence of a teacher and non-teaching employee of the University from duty, whether on leave or on foreign service or on deputation or for any other reason and whether his lien in a post borne on the cadre of the service is suspended or not, shall not, if he is otherwise fit, render him ineligible on his return. —

    (a) for re-appointment to a permanent or officiating vacancy in the cadre or post on which he may be on probation;

    (b) for promotion from a lower to a higher category in the service, as the case may be, in the same manner as if he had not been absent and he shall be entitled to all privileges in respect of appointment, seniority, probation and confirmation which he would have enjoyed but for his absence subject to his completing satisfactorily the period of probation on his return.

PART II

Tenure, probation and confirmation

13. Every teacher and non-teaching employee appointed permanently to a post under the University after the commencement of these ordinances, whether by promotion or by direct recruitment shall be on probation in such post for a period of one year provided that the Appointing Authority may, in any individual case, extend the period of probation for a further period not exceeding one year, the reasons thereof to be recorded in writing.
14. Where an teacher and non-teaching employee appointed to a post under the University on probation is, during his period of probation, found unsuitable for holding that post or has not completed his period of probation satisfactorily, the Appointing Authority may.–

    (a) in case of a person appointed by promotion revert him to the post held by him immediately before such appointment;

(b) in case of a person appointed by direct recruitment terminate his services under the University without notice; and

(c) extend his period of probation to the extent necessary as specified in ordinance 13.

15. Every teacher and non-teaching employee appointed to a permanent post under the University by promotion or by direct recruitment shall, on satisfactorily completing his period of probation, be eligible for confirmation in that post.

16. No teacher and non-teaching employee shall be confirmed in any post unless. —

(a) such post is permanent and no one else holds a lien on the post;

(b) the service of the employee under the University is approved by the Appointing Authority;

(c) a verification report about the character and antecedents of the employee is received from the district authority;

(d) a medical certificate of fitness has been submitted by the teacher and non-teaching employee.

17. Seniority—The seniority of a teacher and non-teaching employee in a particular grade shall be determined in accordance with the general principles enunciated by the Central Government.

18. Temporary and permanent service. — (a) an employee shall be a temporary employee of the University, until he is confirmed in a permanent post on successful completion of probation under the University.

(b) an employee confirmed in permanent post under the University shall be a permanent employee of the University.

19. Termination of Service.— The services of a temporary teacher and non-teaching employee shall be terminated by the Appointing Authority under sub clause (iii) of clause (2) of ordinance 106, or any higher authority of the University without assigning any reason . —

(a) during the period of probation following the first appointment, at any time without notice; and

(b) if the appointment is temporary at any time by a notice of one month in writing given by the Appointing Authority to the employee or forth with by payment to him of a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of the notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his service, or as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month.

20. The service of a permanent teacher and non-teaching employee may be terminated by a notice of three months or on payment of pay plus allowances drawn by him immediately before the termination of his service for such period as the notice falls short of three months, or without notice on payment of three months' pay plus allowances drawn by him immediately before the termination of his service.

21. Teacher and non-teaching employee given notice of termination of service in accordance with ordinance 20, may be granted during the period of notice, such earned leave, as may be admissible to them, and where the leave so admissible and granted is more than three months, his services shall be terminated on the expiry of such leave.

22. Nothing contained in this ordinance shall affect the right of the appropriate authority to take action under clauses (1) to (5) of ordinance 108 leading to the dismissal, removal from service or compulsory retirement of a teacher and non-teaching employee.

23. Retirement.—The age of retirement of a member of teachers and non-teaching employees of the University shall be sixty years.

Provided that Registrar and Finance Officer shall retire on attaining the age of sixty two years.

24. Notwithstanding the provisions of ordinance 23, a teacher and non-teaching employee shall be retired –

(a) on his being declared medically unfit for service by a Medical Board to be appointed by the Executive Council in this behalf by following Government rules as issued in this regard; or

(b) on the imposition of the penalty of compulsory retirement.

25. Retention of Lien.—(a) The permanent teacher and non-teaching employee who applies for lien through proper channel for a post in response to advertisement in other organisation (Union Public Service

Commission or Government of India Departments or State Governments or Autonomous Bodies or Central or State Universities) may be retained in the University for a maximum period of two years or date of confirmation in the new post, whichever is earlier and such teacher and non-teaching employee should either revert back to the University within that period or resign from the post at the end of that period and an undertaking to abide by these conditions may be taken from them at the time of forwarding the application to other Department or Offices.

(b) In exceptional cases where it would take some time for the other Department or Office to confirm such University employees due to administrative reasons, they may be permitted to retain their lien in the University for one more year and while granting such permission, a fresh undertaking similar to the one indicated in clause (1) may be taken from the permanent employee.

(c) The temporary teacher and non-teaching employee should be asked to resign from the post at the time of release and an undertaking to the effect that they shall resign from the post in the event of their selection and appointment to the post applied for may be taken from them at the time of forwarding the applications.

(d) When a permanent teacher and non-teaching employee does not resume duty after remaining on leave for continuous period of three years, or whether an employee after the expiry of his leave remains absent from duty, otherwise than on foreign service or on account of suspension, for any period which together with the period of the leave granted to him exceeds three years his lien shall unless the Executive Council in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines be deemed to have terminated and he shall cease to be in the University service.

26. Resignation.— (1) Subject to the acceptance of resignation by the Competent Authority as mentioned at Clause (2) of Ordinance 106, a permanent teacher and non-teaching employee may, by notice of three months in writing to the Appointing Authority resign from the service of the University or by payment of a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of the notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the acceptance of his resignation.

(2) In the case of a temporary teacher and non-teaching employee, this period shall be one month:

Provided that the Appointing Authority may, if it deems proper, in any case permit a permanent or temporary teacher and non-teaching employee to resign the service on notice of less than three months.

PART III

Miscellaneous

27. Service Books and Character Rolls:– (1) The University shall maintain a Service Book, a Character Roll and Annual Performance Appraisal Reports for each teacher and non-teaching employee in such form as may be specified by the Executive Council.

(2) The entries in the Service Book of a teacher and non-teaching employee shall be authenticated by an Officer authorised in this behalf by the Registrar.

28. Annual Performance Appraisal Reports: – (1)The teachers and non-teaching employees of the University shall submit Annual Performance Appraisal Report specified for the post and submit it to his reporting officer as per the specified time-frame.

(2) The Reporting Officer shall report for each financial year in the specified format on the performance of the teachers and non-teaching employees who had served under them for periods not less than three months in the financial year immediately preceding and forward their reports to the Reviewing Officer within the time schedule as specified in Annexure I.

(3) The full Annual Performance Appraisal Reports including the overall grade and assessment of integrity shall be communicated to the concerned officer after the Report is complete with the remarks of the Reviewing Officer and the Accepting Authority and where the employee has only one supervisory level above him as in the case of personal staff attached to officers, such communication shall be made after the reporting officer has completed the performance assessment.

(4) The section entrusted with the maintenance of Annual Performance Appraisal Reports after its receipt shall disclose the same to the officer reported upon.

(5) The Concerned officer shall be given the opportunity to make any representation against the entries and the final grading given in the Annual Performance Appraisal Report within a period of fifteen days from the date of receipt of the entries in the Annual Performance Appraisal Reports.

(6) The representation shall be restricted to the specific factual observations contained in the report leading to assessment of the officer in terms of attributes, work output etc.

(7) While communicating the entries, it shall be made clear that in case no representation is received from the concerned official within the fifteen days, it shall be deemed that he has no representation to make.

(8) The competent authority for considering adverse remarks under the existing instructions may consider the representation, if necessary, in consultation with the reporting or reviewing officer and shall decide the matter objectively based on the material placed before him within a period of thirty days from the date of receipt of the representation.

(9) The competent authority after due consideration may reject the representation or may accept and modify the Annual Performance Appraisal Reports accordingly and the decision of the competent authority and the final grading shall be communicated to the officer reported upon within fifteen days of receipt of the decision of the competent authority by the concerned Annual Performance Appraisal Reports section.

(10) Writing of Annual Performance Appraisal Report of teacher and non-teaching employee working on the post carrying pay in Level-1 in the pay matrix and above is mandatory.

(11) Annual Performance Appraisal Reports are to be written by the Reporting officer immediately superior to the teacher and non-teaching employee concerned and reviewed by the next higher authority and in both the cases, they should have supervised the work of the employee for not less than three months.

(12) For computing the period of three months, any leave for a period of more than fifteen days should be deducted.

(13) If the Reporting or Reviewing Officer is under suspension, they should write or review the reports within two months of the date of suspension or one month of due date of completion of Annual Performance Appraisal Reports, whichever is later.

(14) Writing or reviewing not permissible after this time limit, if however, they are under suspension during major part of writing or reviewing period, they should not write the Annual Performance Appraisal Reports and if the teacher and non-teaching employee concerned happens to be a relative, reporting or reviewing, as the case may be, is to be done by the next higher authority.

(15) Entry of Punishment. — A record of punishment imposed on a teacher and non-teaching employee resulting from disciplinary proceedings should be recorded in his Annual Performance Appraisal Report.

(16) Self-Appraisal. — Annual Performance Appraisal Reports shall be performance oriented and teacher and non-teaching employee of Posts in Levels in Pay matrix 1 to 14 employees shall be required to submit a brief resume not exceeding 300 words as self-appraisal, relating to the period of report.

(17) Annual Performance Appraisal Report Forms for different levels of posts shall be specified by the University and issued from time to time and adopted by the Executive Council.

(18) Annual Performance Appraisal Reports are to be written annually according to the financial year i.e. 1st April to 31st March.

(19) Part Reports :— Part Reports shall be written in the following cases –

(i) if the teacher and non-teaching employee is transferred to the control of another reporting officer, during the period under review, the reports are to be written by the respective officers for the relevant periods;

(ii) if the reporting officer is transferred from one branch to another branch during the year, he should write Annual Performance Appraisal Reports for all the staff under his control up to the date of his transfer, within three to five weeks of his transfer;

(iii) if the reviewing officer is transferred and if new reviewing officer is not likely to have at least three months to supervise the work of the teacher and non-teaching employee concerned, the outgoing reviewing officer shall review the Annual Performance Appraisal Reports for the period he had supervised the work of the teacher and non-teaching employee; or

(20) When Part Reports are written and any periods in a year are not covered by the reports for the reasons above, a certificate or a note about non initiation to be placed on file, duly signed by the reporting or reviewing officer.

29. Test or Examination. — Teachers and non-teaching employees shall be required to pass such departmental and other test or examination as may be specified in the recruitment rules.

30. Residuary conditions of Service . — Any matter relating to the conditions of service of a teacher and non-teaching employee for which no provision is made in these Ordinances shall be determined by the Executive Council.

31. Power to relax . — Notwithstanding anything contained in the Ordinance, the Executive Council may, in the case of any teacher and non-teaching employee, relax any of the provisions of the Ordinance to relieve him of any undue hardship arising from the operation of such provisions, or in the interests of the University.

CHAPTER II

LEVEL IN PAY MATRIX AND ALLOWANCES OF TEACHERS AND NON-TEACHING EMPLOYEES

PART I

32. Level in Pay Matrix . — The level in pay matrix for the posts shall be as specified from time to time by the Government of India and adopted by the Executive Council.

33. Initial level in Pay Matrix . — The initial level in pay matrix of a teacher and non-teaching employee who is appointed to a post on a time level in pay matrix is regulated as follows :–

(1) In case of an appointment, the teacher and non-teaching employee shall have the option, to be exercised within one month from the date of promotion or appointment, as the case may be, to have the level in pay matrix fixed under this ordinance from the date of such promotion or appointment or to have the level in pay matrix fixed initially at the stage of the time-scale of the new post above the pay matrix in the lower grade or post from which they are promoted on regular basis, which may be re-fixed in accordance with this ordinance on the date of accrual of next increment in the level in pay matrix of the lower grade or post:

Provided that, where a teacher and non-teaching employee is, immediately before his promotion or appointment on regular basis to a higher post, drawing level in pay matrix at the maximum of the time-scale of the lower post, his initial level in pay matrix in the time-scale of the higher post shall be fixed at the stage next above the level in Pay Matrix notionally arrived at by increasing his Level in pay matrix in respect of the lower post held by him on regular basis by an amount equal to the last increment in the time-scale of the lower post or rupees one hundred whichever is more.

(2) When the appointment to the new post does not involve such assumption of duties and responsibilities of greater importance, they shall draw as initial level in pay matrix, the stage of the time-scale which is equal to his level in pay matrix in respect of the old post held by them on regular basis, or, if there is no such stage, the stage next above their level in pay matrix in respect of the old post held by them on regular basis:

Provided that where the minimum level in pay matrix of the time-scale of the new post is higher than their level in pay matrix in respect of the post held by them regularly, they shall draw the minimum as the initial level in pay matrix:

Provided further that in a case where level in pay matrix is fixed at the same stage, they shall continue to draw that level in pay matrix until such time as they would have received an increment in the time-scale of the old post, in cases where level in pay matrix is fixed at the higher stage, they shall get his next increment on completion of the period when an increment is earned in the time-scale of the new post.

(3) When appointment to the new post is made on their own request the maximum level in pay matrix in the time-scale of that post is lower than his level in pay matrix in respect of the old post held regularly, they shall draw that maximum as his initial level in pay matrix.

(4) It is further clarified that on transfer to the lower post or scale, the level in pay matrix of a teacher and non-teaching employee holding a post on regular basis shall be fixed at a stage equal to the level in pay matrix drawn by him in the higher grade and if no such stage is available, the level in pay matrix shall be fixed at the stage next below the level in pay matrix drawn by him in the higher post and the difference may be granted as personal level in pay matrix to be absorbed in future increments; if the maximum of the level in pay matrix scale of the lower post is less than the level in pay matrix drawn by him in the higher post, his level in pay matrix may be restricted to the maximum.

(5) The entry level in pay matrix at which the level in pay matrix of direct recruits to a particular post carrying a specific level in pay matrix shall be as per schedule I and schedule II to the Ordinance and

when such appointment is made by promotion, the initial level in pay matrix shall be regulated as under :–

(i) one increment equal to three per cent. of the sum of the level in pay matrix and the existing level in pay matrix shall be computed and rounded off to the next multiple of ten and while rounding off, paise should be ignored but any amount of a rupee or more should be rounded off to next multiple of ten and this shall be added to the existing level in the pay matrix;

(ii) the level in Pay matrix corresponding to the promotion post shall thereafter be granted in addition to this pay in the level in Pay matrix;

(iii) in cases where promotion involves change in the level in Pay matrix also, the same methodology shall be followed;

(iv) however, if the pay in the level in Pay matrix after adding the increment is less than the minimum of the higher level in Pay matrix to which promotion is taking place, pay in the level in Pay matrix shall be stepped to such minimum;

(v) in case the teacher and non-teaching employee opts to get his pay fixed from his date of next increment, then, on the date of promotion, pay in the level in Pay matrix shall continue unchanged, but the level in Pay matrix of the higher post shall be granted and further re-fixation shall be done on the date of his next increment i.e., 1st July, on which he shall be granted two increments: one annual increment and the second on account of promotion; while computing these two increments, basic pay prior to the date of promotion shall be taken into account; to illustrate, should the basic pay prior to the date of promotion be Rs. 100, first increment would be computed on Rs. 100 and the second on Rs. 103;

(vi) in case the teacher and non-teaching employee opts to get his level in pay matrix fixed in the higher grade from the date of his promotion, he shall get his first increment in the higher grade on the next 1st July if he was promoted between 2nd July and 1st January; however, if he was promoted between 2nd January and 30th June of a particular year, he shall get his increment on 1st July of next year.

34. Increments. — (1) A teacher and non-teaching employee is entitled to receive increments from the 1st of July every year, except when it is withheld as a statutory punishment and if a teacher and non-teaching employee is on leave or is availing joining time on 1st of July, the increased level in pay matrix shall be drawn only from the date on which he resumes duty and not from the first of July.

(2) The annual increment shall be three percent of total pay in the running level in Pay matrix and corresponding level in Pay matrix rounded off to next multiple of 10, while rounding off, paise should be ignored but any amount of a rupee or more should be rounded off to next multiple of 10 and the amount of increment shall be added to the existing pay in the level in Pay matrix.

(3) Qualifying period for earning increment is 6 months on 1st July of a year, however, an employee who is promoted or appointed on 1st January of a year, joins that post on the first working day of the year due to Saturday or Sunday or a Gazetted holiday falling on 1st January, is deemed to have completed six months of service on 1st July of that year for drawing of annual increment.

(4) Qualifying service of less than six months between 1st July of previous year and 30th June of the year on account of Extraordinary Leave (without medical certificate) shall have the effect of postponing the increment except under circumstances laid down in Ordinance 35.

(5) In cases where a teacher and non-teaching employee reaches the maximum of his level in Pay matrix, he shall be placed in the next higher level in Pay matrix after one year of reaching such a maximum; at the time of placement in the higher level in Pay matrix, the benefit of one increment shall be provided and thereafter he will continue to move in the higher level in Pay matrix till his pay in the band reaches the maximum of equivalent in level in pay matrix 13, after which no further increments shall be granted.

35. Service counting for increment .— The following circumstances shall be considered while deciding increments –

(a) all periods of duty;

(b) service in another post, other than a post carrying less level in pay matrix.

(c) all kinds of leave other than extraordinary leave;

(d) extraordinary leave granted –

(i) on medical certificate;

(ii) otherwise than on medical certificate due to the inability of the employee to join duty on account of civil commotion; and

(iii) For pursuing higher technical and scientific studies;

(e) foreign Service;

(f) joining time.

36. Pay during suspension. — (1) A teacher and non-teaching employee under suspension or deemed to have been placed under suspension shall by an order of the Appointing Authority, during the period of suspension, draw subsistence allowance, at an amount equal to the leave salary which the employee would have drawn, if he had been on leave on half average pay or on half-pay and in addition, dearness allowance, if admissible on the basis of such leave salary:

Provided that where the period of suspension exceeds three months, the authority which made or is deemed to have made the order of suspension, shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period subsequent to the period of the first three months as follows –

(i) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount, not exceeding fifty per cent. of the subsistence allowance admissible during the period of the first three months, if, in the opinion of the said authority the period of suspension has been prolonged due to reasons to be recorded in writing not directly attributable to the employee;

(ii) the amount of subsistence allowance may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty per cent, of the subsistence allowance admissible during the period of the first three months, if in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged due to reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the employee;

(iii) the rate of dearness allowance shall be based on increased or, as the case may be, the decreased amount of subsistence allowance admissible under sub- clauses (i) and (ii).

(2) A teacher and non-teaching employee is entitled to receive any other compensatory allowances admissible from time to time on the basis of level in pay matrix of which he was in receipt on the date of suspension subject to the fulfilment of other conditions laid down for the drawl of such allowances.

(3) No payments referred to in clauses (1) and (2) shall be made unless the teacher and non-teaching employee furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation:

Provided that in the case of a teacher and non-teaching employee dismissed, removed or compulsorily retired form service, who is deemed to have been placed or to continue to be under suspension from the date of such dismissal or removal or compulsory retirement, and who fails to produce such a certificate for any period or periods during which he is deemed to be placed or to continue to be under suspension, he shall be entitled to the subsistence allowance and other allowances equal to the amount by which his earnings during such period or periods, as the case may be, fall short of the amount of subsistence allowance and other allowances that would otherwise be admissible to him; where the subsistence allowance and other allowances admissible to him are equal to or less than the amount earned by him, nothing in this provision shall apply to him.

37. Deductions from subsistence allowance.— The following categories are permissible deductions from the subsistence allowance, namely :—

(a) Compulsory deductions—

(i) income-tax (provided the employee's yearly income calculated with reference to subsistence allowance is taxable).

(ii) house rent and allied charges, i.e. electricity, water, furniture etc.

(iii) repayment of loans and advances other than from Provident Fund taken from the University at such rates as the Vice-Chancellor may decide.

(iv) contribution under Health Scheme followed by the University.

(v) contribution towards Insurance Scheme followed by the University.

(vi) subscription to the Insurance Scheme followed by the University.

(b) Optional deductions . — The deductions falling under this category should not be made except with employee's written consent, are as under—

(i) premia due on Life Insurance Policies.

(ii) amount due to Co-operative Stores and Co-operative Credit Societies.

(iii) refund of advances taken from Provident Fund or any such similar scheme followed by the University.

38. The following categories are impermissible deductions from the subsistence allowance, namely :–

(a) subscription to a General Provident Fund or any such similar scheme followed by the University;

(b) amounts due on Court attachments; and

(c) recovery of loss to University for which an employee is responsible.

39. As regards the recovery of overpayments, the competent administrative authority shall exercise discretion to decide whether the recovery should be held wholly in abeyance or it should be effected at a rate not exceeding one-third of the subsistence allowance only, i.e., excluding dearness allowance and other compensatory allowances.

40. Special pay, personal pay, honorarium and fee.— The University may sanction to an employee in any special circumstances, such special pay, personal pay, honorarium or fee and on such conditions as it may deem fit.

41. Drawing of level in pay matrix . — (1) A teacher and non-teaching employee shall be entitled to draw the level in pay matrix of the post based on level in Pay matrix applicable to which he is appointed from the date on which he assumes charge of the post.

(2) Level in pay matrix in respect of any month shall become payable on or after the first working day of the following month.

(3) A teacher and non-teaching employee resigning from the service of the University without the notice specified shall not, unless the Vice-Chancellor directs otherwise, be allowed to draw level in pay matrix due but not drawn.

PART II

Allowances

42. Level in pay matrix and allowances for holding additional charge of post. — An employee placed in charge of the current duties of a higher post shall receive level in pay matrix in the basic post plus two per cent. of the level in Pay matrix applicable to the higher post entry level in pay matrix for direct recruits to the post:

Provided that there shall be no allowance admissible when a teacher and non-teaching employee who is placed to hold current charge of the routine duties of another post or posts irrespective of duration of additional charge:

Provided further that a teacher and non-teaching employee placed in charge of the full duties of a post of status equivalent to his own basic post shall receive allowance at two per cent, of the minimum pay of the level in Pay matrix, applicable to the post i.e. entry level in pay matrix for direct recruits to the post:

Provided also that a teacher and non-teaching employee holding one post when placed in charge of the current duties of a lower post shall not receive any allowance for the additional work.

43. Compensatory Allowances. — The teacher and non-teaching employee shall be entitled to house rent allowance, travelling allowance and other allowances as sanctioned by the University.

CHAPTER III
LEAVE ENTITLEMENT FOR TEACHERS AND NON-TEACHING EMPLOYEES
PART I
Leave

44. General condition of Leave :—

(a) leave is earned by duty only;

(b) the period spent in foreign service counts as duty if contribution towards leaves salary is paid for such period;

(c) leave cannot be cannot be claimed as a matter of right.

(d) when the exigencies of service so require, leave of any kind may be refused or revoked by the authority competent to grant it.

(e) in case an employee is recalled to duty before the expiry of his leave, such recall to duty shall be treated as compulsory in all cases.

(f) an employee claim to leave is regulated by the ordinances in force at the time the leave is applied for and granted.

(g) leave shall not be granted to a teacher when a competent authority has decided to dismiss, remove or compulsorily retire from service nor shall any leave be granted to a teacher who is under suspension.

45. Combination of different kinds of leave . — Except as otherwise provided in these ordinances, any kind of leave under these ordinances may be granted in combination with or in continuation of any other kind of leave.

Explanation — Casual leave which is not recognized as leave under these ordinances shall not be combined with any other kind of leave admissible under these ordinances.

46. Commencement and termination of leave. — (1) Leave ordinarily begins on the day on which the transfer of charge is affected and ends on the day preceding that on which the charge is resumed.

(2) Saturdays or Sundays and other holidays may be prefixed or suffixed to leave subject to any limit of absence on leave specified under each kind of leave:

Provided that the restricted holiday can be prefixed or suffixed to regular leave or casual leave.

(3) If a teacher and non-teaching employee is transferred to Foreign Service while on leave, he ceases, from the date of such transfer, to be on leave and to draw leave salary.

47. Effect of dismissal, removal or resignation on leave at credit.— (1) Except as provided in ordinance 5, any claim to leave to the credit of a teacher and non-teaching employee, who is dismissed or removed or who resigns from service, ceases from the date of such dismissal or removal or resignation.

(2) Where a teacher and non-teaching employee applies for another post in other organisation (Union Public Service Commission or Government of India Departments or Autonomous Bodies or Central Universities) and if such application is forwarded through proper channel and the applicant is required to resign his post before taking up the new one, such resignation shall not result in the lapse of the leave to his credit.

(3) A teacher and non-teaching employee, who is dismissed or removed from service and reinstated on appeal or revision, shall be entitled to count for leave his service prior to dismissal or removal, as the case may be.

48. Encashment of earned leave along with leave travel concession while in service . — A teacher and non-teaching employee may be permitted to encash earned leave up to ten days at the time of availing leave travel concession, while in service, subject to the following conditions that :–

(a) the total leave so encashed during the entire career does not exceed sixty days in the aggregate;

(b) a balance of at least thirty days of earned leave may be available to his credit after taking into account the period of encashment as well as leave being availed of;

(c) the cash equivalent for encashment of leave shall be calculated as follows namely :–

$$\text{Cash equivalent} = \frac{\text{Pay admissible on the date of availing of leave travel concession plus dearness allowance admissible on that date}}{30} \times \text{Number of days EL being encashed subject to the maximum of ten days at one time}$$

(d) no house rent allowance shall be included in the cash equivalent calculated under clause (c);

(e) the period of earned leave encashed shall not be deducted from the quantum of leave that can normally be encashed by the employee under ordinance 49 and ordinances 76, 77, 78, 79 and 80;

(f) if the teacher and non-teaching employee fails to avail the leave travel concession (LTC) within the time specified under the leave travel concession rules or ordinances, then he shall be required to refund the entire amount of leave so encashed along with interest at the rate of two per cent. above the rate of interest as applicable to Provident Fund balances and shall also be entitled for credit back of leave so debited for leave encashment.

49. Leave or Cash payment in lieu of leave beyond the date of retirement, compulsory retirement or quitting of service.— (1) No Leave shall be granted to any teacher and non-teaching employee beyond –

(i) the date of his retirement; or

(ii) the date of his final cessation of duties; or

(iii) the date on which he retires by giving notice to University or he is retired by University by giving him notice or pay and allowances in lieu of such notice, in accordance with the terms and conditions of his service; or

(iv) the date of his resignation from service.

(2) (i) Where a teacher and non-teaching employee retires on attaining the normal age specified for retirement under the terms and conditions governing his service, the authority competent to grant leave shall, *suo-motu*, issue an order granting cash equivalent of leave salary for both earned leave and half pay leave (H.P.L.), if any, at the credit of the employee on the date of his retirement, subject to a maximum of three hundred days.

(ii) The cash equivalent under sub-clause (i) of this clause shall be calculated as follows and shall be payable in one lump sum as a one-time settlement and no house rent allowance shall be payable.

(A)

$$\text{Cash equivalent for earned leave} = \frac{\text{Pay admissible on the date of retirement plus dearness allowance admissible on that date}}{30} \times \text{Number of days of unutilised earned leave at credit on the date of retirement subject to maximum of three hundred days}$$

B)

$$\text{Cash payment in lieu of half pay leave component} = \frac{\text{Half Pay leave salary admissible on the date of half leave at credit subject retirement plus dearness allowa admissible on that date}}{30} \times \text{Number of days of to the total of earned leave and half pay leave at credit not exceeding three hundred days}$$

Note:— The overall limit for encashment of leave including both earned leave and half pay leave shall not exceed three hundred days.

(iii) To make up the shortfall in earned leave, no commutation of half pay leave shall be permissible.

(3) The authority competent to grant leave may withhold whole or part of cash equivalent of earned leave in the case of an employee who retires from service on attaining the age of retirement while under suspension or while disciplinary or criminal proceedings are pending against him, if in the

view of such authority there is a possibility of some money becoming recoverable from him on conclusion of the proceedings against him and on conclusion of the proceedings, he shall become eligible to the amount so withheld after adjustment of University dues, if any.

(4) A teacher and non-teaching employee, who retires or is retired from the service in the manner mentioned in sub-clause (iii) of clause (1) may be granted suo-motu, by the authority competent to grant leave, cash equivalent of the leave salary in respect of both earned leave and half pay leave at his credit subject to a maximum of three hundred days and the cash equivalent payable shall be the same as in clause (2) of this ordinance.

(5) (i) Where the services of an employee are terminated by notice or by payment of pay and allowances in lieu of notice, or otherwise in accordance with the terms and conditions of his appointment, he may be granted, *suo motu*, by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of both earned leave and half pay leave at his credit on the date on which he ceases to be in service subject to a maximum of three hundred days.

(ii) The cash equivalent payable shall be the same as in clause (2) of this ordinance.

(iii) If a teacher and non-teaching employee resigns or quits service, he may be granted, *suo-motu*, by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of cessation of service, to the extent of half of such leave at his credit, subject to a maximum of one hundred fifty days.

(iv) The cash equivalent under sub-clause (i) shall be equal to leave salary admissible for earned leave calculated under sub-clause (ii) of clause (b) of this ordinance; plus dearness allowance admissible on that leave salary at the rate in force on the date the teacher and non-teaching employee ceases to be in service and the amount so calculated shall be paid in one lump sum as one time settlement and no house rent allowance shall be payable.

50. Commutation of one kind of leave to another. — (1) The teacher and non-teaching employee may request the authority who granted him leave may commute it retrospectively into leave of a different kind which was due and admissible to him at the time the leave was granted, but the teacher and non-teaching employee cannot claim such commutation as a matter of right:

Provided that no such request shall be considered unless received by such authority, or any other authority designated in this behalf, within a period of thirty days of the concerned employee joining his duty on the expiry of the relevant spell of leave availed of by him.

(2) The commutation of one kind of leave into another shall be subject to adjustment of leave salary on the basis of leave finally granted to the teacher and non-teaching employee, that is to say, any amount paid to him in excess shall be recovered or any arrears due to him shall be paid.

51. Leave on medical grounds and resumption of duty. — (1) The authority competent to grant leave may, at its discretion, waive the production of a medical certificate in case of an application for leave for a period not exceeding three days at a time; such leave shall not, however, be treated as leave on medical certificate and shall be debited against leave other than leave on medical grounds.

(2) A teacher and non-teaching employee who has been granted leave on medical grounds shall be required to produce a medical certificate of fitness before resuming duty.

52. Re-joining of duty before the expiry of the leave and return from leave. — (1) No employee on leave may join duty before the expiry of the period of leave sanctioned to him, except with the permission of the sanctioning authority.

(2) An employee shall report his return to duty to the authority which granted him leave or to the authority, if any, specified in the order granting him the leave.

53. Application for leave. — The Teachers and non-teaching employees shall apply for leave in the form given in Annexure III for sanction of sanctioning authority before it is availed of except in special cases of emergency and for reasons to the satisfaction of the sanctioning authority.

Note: Continuous temporary service followed by permanent service without any break, shall be included in the permanent service for the purpose of computation of leave.

54. Increment during Leave . — If the increment falls during leave other than casual leave or special casual leave, the effect of increase of pay shall be given from the date the teacher and non-teaching employee resumes duty without prejudice to the normal date of his increment.

55. Maximum period of continuous leave . — No permanent teacher and non-teaching employee shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five years.

56. Leave account shall be made for each employee in the specified form. — The sanctioning order for sanctioning earned leave, half-pay leave to a teacher and non-teaching employee shall hereafter indicate the balance of such leave at his credit; honorary or part-time employee shall be entitled to leave on the same conditions on which it is available to salaried employees of the University and leave to the teachers and non-teaching employees engaged on contract shall be in accordance with the terms of the contract entered into.

57. Absence after expiry of leave. — (1) Unless the authority competent to grant leave extends the leave, a teacher and non-teaching employee who remains absent after the end of leave is entitled to no leave salary for the period of such absence and that period shall be debited against his leave account as though it were half pay leave, to the extent such leave is due, the period in excess of such leave due being treated as extraordinary leave.

(2) wilful absence from duty after the expiry of leave renders a teacher and non-teaching employee liable to disciplinary action.

58. Combination of holidays with leave.— (1)(i) When the day, immediately preceding the day on which a teacher and non-teaching employee's leave (other than leave on medical certificate) begins or immediately following the day on which his leave expires, is a holiday or one of series of holidays, the employee shall be deemed to have been permitted (except in cases where for administrative reasons permission for prefixing or suffixing holidays to leave specifically withheld) to leave his station at the close of the day before, or return to it on the day following such holiday or series of holidays.

(ii) In the case of leave on medical certificate :–

(A) when an employee is certified medically unwell to attend office, holiday(s), if any, immediately preceding the day he is so certified shall be allowed automatically to be prefixed to leave and the holiday(s) if any, immediately succeeding the day he is so certified (including that day) will be treated as part of the leave; and

(B) when an employee is certified medically fit for joining duty, holiday(s) if any, succeeding the day he is so certified (including that day) shall automatically be allowed to be suffixed to the leave, and holiday(s), if any, preceding the day he is so certified shall be treated as part of the leave.

(2) Unless the authority competent to grant leave in any case otherwise directs—

(i) if holidays are prefixed to leave, the leave and any consequent rearrangement of pay level in pay matrix and allowances take effect from the day after the holidays; and

(ii) If holidays are suffixed to leave, the leave is treated as having terminated and any consequent rearrangement of level in pay matrix and allowances takes effect from the day on which the leave would have ended if holidays had not been suffixed.

Note :— A compensatory leave granted in lieu of duty performed by a teacher and non-teaching employee on Saturday or Sunday or a holiday for a full day may be treated as a holiday for the above purpose.

PART II

Kinds of Leave

59. The following kinds of leave shall be admissible.— (1) Leave earned by duty comprising of Earned leave, half pay leave, commuted leave and leave not due.

(2) Leave not earned by duty – Casual leave, special casual leave, maternity leave, paternity leave, child care leave, hospital leave, study leave and extraordinary leave.

60. Leave Earned by Duty – (1) Earned leave - the leave account of every employee shall be credited with earned leave, in advance, in two instalments of fifteen days each on the first day of January and July of every calendar year.

(2) The leave at the credit of a teacher and non-teaching employee at the close of the previous half year shall be carried forward to the next half-year, subject to the condition that the leave so carried forward plus the credit for the half year do not exceed the maximum limit of three hundred days:

Provided that where the earned leave at the credit of an employee as on the last day of December or June is three hundred days or less but more than two eighty five days, the advance credit of fifteen days earned leave on first day of January or July to be afforded in the manner indicated in clause (1) of this ordinance shall, instead of being credited in leave account, be kept separately and first adjusted against the earned leave that the employee takes during that half-year and the balance, if any, shall be credited to the leave account at the close of the half-year, subject to the condition that balance of such earned leave plus leave already at credit do not exceed the maximum limit of three hundred days.

(3) The maximum amount of earned leave that can be granted to a teacher and non-teaching employee at a time shall be one hundred eighty days.

(4) A period spent in Foreign Service shall count as duty for purposes of this ordinance, if contribution towards leave salary is paid on account of such period.

(5) When a teacher and non-teaching employee is appointed, earned leave shall be credited to his leave account two and half days for each completed calendar month of service which he is likely to render in the half year of the calendar year in which he is appointed e.g. if he is appointed on 13th March, the number of completed months of his service in that half year shall be three and the credit shall be three x two and half = seven days.

(6) Half days rounded to eight days if he is appointed on 4th April, the number of completed months shall be only two and the credit shall be two x two and half = five days.

(7) The credit for the half year in which a teacher and non-teaching employee is due to retire or resigns from the service shall be afforded only at the rate of two and half days per completed month in that half year up to the date of retirement or resignation; if in the case of an employee who resigns from the University service, the leave already availed of is more than the credit so due to him, necessary adjustment should be made in respect of leave salary overdrawn, if any.

(8) When a teacher and non-teaching employee is removed or dismissed from service, credit of earned leave shall be allowed at the rate of two and half days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service; when a teacher and non-teaching employee dies, while in service, credit of earned leave shall be allowed at the rate of two and half days per completed month of service up to the date of death of the teacher and non-teaching employee.

(9) If an employee has availed of extra ordinary leave or some period of absence has been treated as dies non in a half-year, the credit to be afforded to his leave account at the commencement of the next half-year shall be reduced by 1 / 10th of the period of such leave or dies non subject to maximum of fifteen days.

(10) While affording credit of earned leave, fractions of a day shall be rounded off to the nearest day.

61. Limits of accumulation and grant. — (1) A teacher and non-teaching employee shall cease to earn leave under clause (1) of ordinance 60 when the earned leave due amounts to three hundred days.

(2) The maximum amount of earned leave that can be granted to a teacher and non-teaching employee at a time shall be one hundred eighty days:

Provided that earned leave may be granted for a period exceeding one hundred eighty days, but not exceeding three hundred days if the entire leave so granted or any portion thereof is spent outside India, Bangladesh, Bhutan, Myanmar (Burma), Sri Lanka, Nepal and Pakistan:

Provided further that where earned leave for a period exceeding one hundred eighty days, is granted under this ordinance, the period of such leave spent in India shall not in the aggregate exceed the aforesaid limits:

Provided also that the earned leave taken as leave preparatory to retirement can be availed of up to a maximum of three hundred days.

(3) Prefixing and suffixing holidays to leave other than leave on medical certificate shall be allowed automatically except in cases where for administrative reasons permission for prefixing or suffixing holidays to leave is specifically with-held and when an employee is certified medically fit for joining duty, holiday(s) if any succeeding that day shall automatically be allowed to be suffixed to the leave and holiday(s), if any, preceding the day he is so certified shall be treated as part of the leave.

62. Half Pay leave. — (1) The half pay leave account of every teacher and non-teaching employee shall be credited with half pay leave in advance, in two installments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year.

(2) (i) the leave shall be credited to the said leave account at the rate of five or three days for each completed calendar month of service which he is likely to render in the half-year of the calendar year in which he is appointed;

(ii) the credit for the half-year in which an employee is due to retire or resigns from the service shall be allowed at the rate of five or three days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation;

(iii) when a teacher and non-teaching employee is removed or dismissed from service, credit of half pay leave shall be allowed at the rate of five or three days per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service;

(iv) when a teacher and non-teaching employee dies while in service, credit of half pay leave shall be allowed at the rate of five or three days per completed month of service up to the date of death of the employee;

(v) when a period of absence or suspension of a teacher and non-teaching employee has been treated as dies-non in a half year, the credit to be afforded to his half pay leave account at the commencement of next half year, shall be reduced by one- eighteenth of the period of dies non subject to a maximum of ten days.

(3) Half pay leave may be granted to a teacher and non-teaching employee on medical certificate or on private affairs and no half-pay leave may be granted to an employee in temporary appointment except on medical certificate.

(4) While affording credit of half pay leave, fraction of a day shall be rounded off to the nearest day.

63. Commuted leave. — (1) The permanent teacher and non-teaching employee is entitled to Commuted leave not exceeding half the amount of half pay leave on medical certificate subject to the following conditions, namely :–

(i) the authority competent to grant leave is satisfied that there is reasonable prospect of the employee returning to duty on its expiry;

(ii) when commuted leave is granted, twice the amount of such leave shall be debited against the half pay leave due;

(iii) half pay leave up to a maximum of one hundred eighty days may be allowed to be commuted during the entire service (without production of medical certificate) where such leave is utilised for an approved course of study certified to be in the public interest by the leave sanctioning authority.

(2) Where a teacher and non-teaching employee who has been granted commuted leave resigns from service or at his request is permitted to retire voluntarily without returning to duty, the commuted leave shall be treated as half pay leave and the difference between the leave salary in respect of commuted leave and half pay leave shall be recovered:

Provided that no such recovery shall be made if the retirement is by reason of ill health in-capacitating the employee for further service or in the event of his death.

Note. — Commuted leave may be granted at the request of the employee even when earned leave is due to him.

64. Leave not due. — (1) In the case of the leave preparatory to retirement, leave not due may be granted to an employee in permanent employment limited to a maximum of three hundred sixty days during the entire service on medical certificate subject to the following conditions. —

(i) the authority competent to grant leave is satisfied that there is reasonable prospect of the employee returning to duty on its expiry;

(ii) leave not due shall be limited to the half pay leave he is likely to earn thereafter;

(iii) leave not due shall be debited against the half pay leave the employee may earn subsequently:

Provided, that, in order to mitigate the hardship of the temporary employees who are suffering from T.B., Leprosy, Cancer or mental illness, leave not due may be granted to such teacher and non-teaching employee for a period not exceeding three hundred sixty days during entire service subject to the fulfilment of conditions in sub-clauses (i) to (iii) and also subject to the following conditions, namely :–

(A) that the teacher and non-teaching employee has put in a minimum of one year's service;

(B) that the post from which teacher and non-teaching employee proceeds on leave is likely to last till his return to duty;

(C) that the request for grant of such leave is supported by a medical certificate.

(2) (i) Where a teacher and non-teaching employee who has been granted leave not due resigns from service or at his request permitted to retire voluntarily without returning to duty, the 'leave not due' shall be cancelled, his resignation or retirement taking effect from the date on which such leave had commenced, and the leave salary shall be recovered.

(ii) Where a teacher and non-teaching employee who having availed himself of leave not due returns to duty but resigns or retires from service before he has earned such leave, he shall be liable to refund the leave salary to the extent the leave has not been earned subsequently:

Provided that no leave salary shall be recovered under clause (1) or (2) if the retirement is due to ill health incapacitating the employee for further service or in the event of his death:

Provided further that no leave salary shall be recovered under clause (1) or clause (2) if the teacher and non-teaching employee is compulsorily retired prematurely.

PART III

Leave not earned by duty

65. Casual Leave.— (1) Casual leave is not earned by duty.– A teacher and non-teaching employee on casual leave is not treated as absent from duty and his pay is not intermitted and casual leave cannot be claimed as of right and its grant is always subject to the exigencies of service and subject to a maximum of eight days in a calendar year, which shall run from 1st January to 31st December each year:

Provided that persons who join service in the middle of a year may avail casual leave proportionately or the full period at the discretion of the competent authority.

(2) Casual leave can be combined with special casual leave and compensatory leave in lieu of Saturdays and other holidays but not with any other kind of leave.

(3) Casual leave cannot be combined with joining time.

(4) Casual leave may be granted as and when occasion arises up to five days at any one time and Saturdays or Sundays or public holidays or restricted holidays or weekly offs can be prefixed or suffixed to casual leave.

(5) Saturdays or Sundays and recognized holidays falling in between the casual or compensatory leave shall not be counted as part of casual leave.

(6) Casual leave can be taken for half-day also.

(7) Leave Travel Concession can be availed during casual leave.

(8) Half a day's casual leave shall be debited to the casual leave account of an employee for each late attendance but late attendance up to an hour, on not more than two occasions in a month may be condoned by the competent authority, if he is satisfied that it is due to unavoidable reasons e.g., illness in a family, vehicle breakdown, late running of buses or train etc.

66. Special Casual Leave.— (1) For participation in sports and cultural activities special casual Leave may be granted to an employee for a period not exceeding ten days in any one calendar year for participating in inter-departmental tournaments and sporting events; in the case of employee who are selected for participating in sporting events of national or international importance, the period of the actual days on which they participate in the events as also the time spent in traveling to and from such tournaments or meets may be treated as duty.

(2) Further, if any pre- participating coaching camp is held in connection with the above-mentioned events and the employee is required to attend the same, this period may also be treated as on duty.

(3) The quantum of special casual leave for a period not exceeding thirty days in a calendar year allowed to employees for the following purposes –

(a) attending coaching or training camps under Rajkumari Amrit Kaur Coaching Scheme or similar All India coaching or Training Schemes;

(b) attending coaching or training camps at the National Institute of Sports, Patiala;

(c) participating in mountaineering expeditions;

(d) attending coaching camps in sports organised by National Sports Federation or Sports Boards recognized by Government (Department of Youth Affairs and Sports);

(e) participating in trekking expeditions;

(f) participating in sporting events of national or international importance; and

(g) Coaching or administration of teams participating in sporting events of national or international importance.

(4) For family planning, in the case of male teacher and non-teaching employee who undergo vasectomy operation under the Family Welfare Programme for the first time may be granted special casual leave not exceeding five working days and Saturdays or Sundays and closed holidays intervening should be ignored while calculating the period of special casual leave; if any teacher and non-teaching employee undergoes vasectomy operation for the second time on account of the failure of the first operation, special casual leave not exceeding five working days may be granted again on production of a certificate from the medical authority concerned to the effect that the second operation was performed due to failure of the first operation.

(5) For family planning in the case of female teacher and non-teaching employee. —

(i) who undergo tubectomy operations puerperal or non-puerperal – may be granted special casual leave not exceeding ten working days;

(ii) who undergo tubectomy operation for the second time on account of the failure of the first operation, special casual leave not exceeding ten working days may be granted again on production of a medical certificate from the specified medical authority concerned to the effect that the second operation was performed due to the failure of the first operation;

(iii) who have insertions of intrauterine contraceptive devices may be granted special casual leave on the date of the insertions of intrauterine contraceptive devices insertion;

(iv) who have reinsertions of Intrauterine Device may be granted special casual leave on the date of the Intrauterine Device re-insertio ing employee who undergo salpingectomy operation after Medical Termination of Pregnancy may be granted n;

(v) female teacher and non-teach special casual leave not exceeding ten working days;

(vi) female teacher and non-teaching employee who undergo salpingectomy operation along with Medical Termination of Pregnancy and avail the facility of maternity leave for forty-five days under clause (3) of ordinance 68 will not be entitled to additional ten working days of special casual leave.

(6) Male employee whose wife undergo tubectomy operation.—

(i) male teacher and non-teaching employee whose wife undergo either puerperal or non-puerperal tubectomy operation for the first time or for the second time due to failure of the first operation (Under Family Welfare Programme) may be granted special casual leave for three working days, subject to the production of a medical certificate stating that their wives have undergone tubectomy operation for the second time due to the failure of the first operation and it shall not be necessary to state in the certificate that the presence of the employee is required to look after the wife during her convalescence.

(ii) male teacher and non-teaching employee whose wife undergo tubectomy, salpingectomy operation after Medical Termination of Pregnancy may be granted special casual leave up to seven days, subject to the production of the medical certificate stating that their wife have undergone tubectomy, salpingectomy operation after Medical Termination of Pregnancy and it shall not be necessary to state in the certificate, that the presence of the employee is required to look after the wife during her convalescence.

(iii) special casual leave has to follow the date of operation and the grant of special casual leave to a male employee whose wife undergoes tubectomy operation is intended to enable him to look after his family after the operation; in the circumstances, the special casual leave will necessarily have to follow the date of operation and there cannot be any gap between the date of operation and the date of commencement of special casual leave.

(7) Special casual leave for one day, on the day when their husband undergo vasectomy operation may be given to women teachers and non-teaching employees, to enable them to attend on their husbands.

(8) Teachers and non-teaching employees who require special casual leave beyond limits laid down for undergoing sterilisation operation owing to post- operation complications may be allowed special casual leave to cover the period for which he is hospitalised on account of post-operational complications, subject to the production of a certificate from the concerned hospital authorities or an Authorised Medical Attendant.

(9) Teachers and non-teaching employees who undergo operation for recanalisation may be granted special casual leave up to a period of twenty one days or actual period of hospitalisation as certified by the Authorised Medical Attendant, whichever is less and in addition special casual leave can also be granted for the actual period of the to and fro journey performed for undergoing this operation; the grant of special casual leave for recanalisation operation (without any commitment to the reimbursement of medical expenses) is subject to following conditions, namely :–

(i) the operation should have been performed in hospital or medical college or institute where facilities for recanalisation are available; if the operation is performed in a private hospital, it should be one nominated by the State Government or Union Territory or Administration for performing recanalisation operations.

(ii) the request for grant of special casual leave is supported by a medical certificate from the doctor who performed the operation to the effect that hospitalisation of the employee for the period stipulated therein was essential for the operation and post- operation recovery.

(iii) the concession indicated above is admissible to employees who –

(A) are unmarried; or

(B) have less than two children; and

(C) desire recanalisation for substantial reasons, e.g., the person has lost male children or all female children after vasectomy or tubectomy operation performed earlier.

(10) Special casual leave connected with sterilisation, recanalisation under family welfare programme may be suffixed as well as prefixed to regular leave or casual leave; however, special casual leave should not be allowed to be prefixed both to regular leave and casual leave; special casual leave should either be prefixed to regular or to casual leave and not both; similarly, special casual leave may be suffixed either to regular leave or to casual leave and not both; the intervening holidays, which may include Saturdays and Sundays, may be prefixed or suffixed to regular leave, as the case may be.

(11) Miscellaneous —

(i) a teacher and non-teaching employee summoned to serve as Juror or Assessor or to give evidence before the Court of Law as a witness in a civil or criminal case in which his private interest are not at issue may be given this Special Casual Leave and the leave so granted should be sufficient to cover the period of absence necessary.

(ii) special casual leave not exceeding ten days in a calendar year may also be granted when a teacher and non-teaching employee is deputed to attend reference libraries of other institutions and conferences of educational gathering of learned and professional society in the interests of the University or other academic work which shall include working on the committees appointed by the University or Government or University Grant Commission, lecturing and examination work and Union Public Service Commission work, or such other work as may be specified by the University.

(iii) special casual leave may granted to an employee where the staff is prevented to attend office during civil disturbances, curfews or strikes.

67. Compensatory leave.— (1) Compulsory attendance on Saturdays or Sundays or other public holidays justifies the grant of compensatory leave for the number of days a teacher and non-teaching employee is compelled to attend the office, unless it is imposed on him as a penalty or it is required to clear arrears for which he is personally responsible and the attendance in such cases should be under the previous orders of the office-in-charge; the number of days of compensatory leave earned will be noted in the casual leave register and the grant of leave also noted therein. Compensatory leave to the extent actually earned may be allowed under the same conditions as specified for grant of casual leave.

(2) The compensatory leave earned by teacher and non-teaching employee shall be allowed to be availed of within a period of four months of its becoming due.

68. Maternity leave. — (1) A female teacher and non-teaching employee with less than two surviving children may be granted maternity leave by an authority competent to grant leave for a period of one hundred eighty days from the date of its commencement.

(2) During the maternity leave period, the female teacher and non-teaching employee shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(3) Maternity leave not exceeding forty-five days may also be granted to a female teacher and non-teaching employee (irrespective of number of surviving children) during the entire service of that female employee in case of miscarriage including abortion on production of Medical certificate.

(4) (i) Maternity leave may be combined with leave of any other kind.

(ii) Maternity leave shall not be debited against the leave account, and unmarried female teacher and non-teaching employee is also eligible for maternity leave.

69. Child care leave. — (1) Subject to the provision of this Ordinance, a woman Government servant may be granted child care leave by an authority competent to grant leave for a maximum period of seven hundred thirty days during her entire service for taking care of her two elder surviving children, whether for rearing or for looking after any of their needs, such as education, sickness and the like.

Explanation. — for the purposes of this clause, "child" means –

(i) a child below the age of eighteen years; or

(ii) a child below the age of twenty-two years with a minimum disability of forty per cent.

(2) Grant of child care leave to a woman government servant under clause (1) shall be subject to the following conditions, namely :–

(i) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year;

(ii) it shall not ordinarily be granted during the probation period except in case of certain extreme situations where the leave sanctioning authority is satisfied about the need of child care leave to the probationer, provided that the period for which such leave is sanctioned is minimal.

(3) During the period of child care leave, the woman Government servant shall be paid leave salary equal to the level in pay matrix drawn immediately before proceeding on leave.

(4) Child care leave may be combined with leave of any other kind.

(5) Notwithstanding the requirement of production of medical certificate contained in clause (3) of ordinance 68 or clause (1), leave or the kind due and admissible (including Commuted Leave not exceeding sixty days and Leave Not Due) up to a maximum of one year, if applied for, be granted in continuation with child care leave granted under clause (1).

(6) Child care leave shall not be debited against the leave account.

70. Paternity leave.— (1) A male teacher and non-teaching employee with less than two surviving children may be granted paternity leave for a period of fifteen days during the confinement of his wife for childbirth, i.e. up to fifteen days before, or up to six months from the date of delivery of the child and during such period of fifteen days, he shall be paid leave salary equal to the level in pay matrix drawn immediately before proceeding on leave; paternity leave shall not be debited against the leave account and may be combined with any other kind of leave (as in the case of maternity leave).

(2) If the paternity leave is not availed of within the period specified in clause (1) such leave shall be treated as lapsed.

(3) The paternity leave shall not normally be refused under any circumstances.

71. Paternity leave for child adoption – (1) A male teacher and non-teaching employee with less than two surviving children, on valid adoption of a child below the age of one year, may be granted paternity leave for a period of fifteen days within a period of six months from the date of valid adoption.

(2) During the period of fifteen days, he shall be paid leave salary equal to the level in pay matrix drawn immediately before proceeding on leave.

(3) The Paternity Leave may be combined with leave of any other kind.

(4) The Paternity Leave shall not be debited against the leave account.

(5) If Paternity Leave is not availed of within the period specified in clause (1), such leave shall be treated as lapsed.

(6) The paternity leave shall not normally be refused under any circumstances.

72. Child adoption leave.— (1) A female teacher and non-teaching employee, with one surviving child, on valid adoption of a child below the age of one year may be granted child adoption leave, for a period of one hundred eighty days immediately after the date of valid adoption.

(2) During the period of child adoption leave, she shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(3) (i) Child adoption leave may be combined with leave of any other kind.

(ii) In continuation of the child adoption leave granted under clause (1), a female employee on valid adoption of a child may also be granted, if applied for, leave of the kind due and admissible (including leave not due and commuted leave not exceeding sixty days without production of medical certificate) for a period up to one year reduced by the age of the adopted child on the date of valid adoption, without taking into account child adoption leave:

Provided that this facility shall not be admissible in case the female teacher and non-teaching employee is already having two surviving children at the time of adoption.

(4) Child adoption leave shall not be debited against the leave account.

73. Hospital leave.— (1) Hospital leave may be granted to a teacher and non-teaching employee for medical treatment for illness or injury, if such illness or injury is directly due to risks incurred in the course of official duty and this leave shall be available to such teacher and non-teaching employee only, whose duties expose them to such illness or injury.

(2) Hospital leave may be granted on leave salary on average pay or half pay as the University may consider necessary.

(3) The amount of hospital leave is limited to three months on average pay in any period of three years and hospital leave on average pay counts for the purpose of this limit as half the amount of leave on average pay.

(4) Hospital leave may be combined with any other kind of leave, except casual leave, which may be admissible provided that the total period of leave after such combination shall not exceed one hundred eighty days.

74. Extraordinary leave. — (1) Extraordinary leave may be granted to teachers and non-teaching employees in special circumstances. —

(i) when no other kind of leave is admissible;

(ii) when other leave is admissible, but the employee applied in writing for the grant of extra-ordinary leave;

(iii) the period of extra-ordinary leave shall not count for increment.

(2) Unless the Executive Council in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, no employee, who is not in permanent employment, shall be granted extra ordinary leave on any one occasion in excess of the following limits.–

(i) three months;

(ii) six months, where the employee has completed one year's continuous service on the date of expiry of leave of the kind due and admissible under these ordinance, including three month's extraordinary leave under sub-clause (i) of clause (2) and his request for such leave is supported by a medical certificate as required by these ordinance;

(iii) eighteen months, where the teacher and non-teaching employee who has completed one year's continuous service is undergoing treatment for-

(A) pulmonary tuberculosis or pleurisy of tubercular origin, in a recognized sanatorium;

Note. — The concession of extraordinary leave up to eighteen months shall be admissible also to an employee suffering from pulmonary tuberculosis or Pleurisy of tubercular origin who receives treatment at his residence under a tuberculosis specialist recognized as such and produces a certificate signed by that specialist to the effect that he is under his treatment and that he has reasonable chances of recovery on the expiry of the leave recommended.

(B) tuberculosis of any other part of the body by a qualified tuberculosis specialist or a government doctor; or

(C) leprosy in a recognized leprosy institution or by a government doctor in leprosy hospital recognized as such by the State Administrative Medical Officer concerned;

(D) cancer or for mental illness, in an institution recognized for the treatment of such disease or by a government doctor or a specialist in such disease;

(iv) twenty-four months, where the leave is required for the purpose of prosecuting studies certified to be in the public interest, provided the teacher and non-teaching employee concerned has completed three years' continuous service on the date of expiry of leave of the kind due and admissible under these ordinances, including three months' extraordinary leave under sub-clause (i) of clause (2).

(3) Where a teacher and non-teaching employee is granted extraordinary leave in relaxation of the provisions contained in sub-clause (iv) of clause (2), shall be required to execute an undertaking in the form of affidavit duly notarized to refund to the University the actual amount of expenditure incurred by the University during such leave plus that incurred by any other agency with interest thereon in the event of his not returning to duty on the expiry of such leave or quitting the service before a period of three years after return to duty.

(4) Two spells of extraordinary leave, if intervened by any other kind of leave, shall be treated as one continuous spell of extraordinary leave for the purposes of clause (2).

(5) Government servants belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, for the purpose of attending the Pre-Examination Training Course at the centers notified by the Government from time to time, be granted extraordinary leave by Head of Department in relaxation of the provisions of clause (2).

(6) The authority competent to grant leave may commute retrospectively periods of absence without leave into extraordinary leave.

Note. — The power of commuting retrospectively the period of absence without leave into extraordinary leave is absolute and not subject to any conditions.

75. Study leave etc.— A teacher and non-teaching employee shall be eligible for study leave in accordance with the ordinances as may be specified by the Executive Council from time to time and the maximum amount of study leave, which may be granted to and teacher and non-teaching employee shall be –

(a) ordinarily twelve months at any one time; and

(b) during his entire service, twenty-four months in all (inclusive of similar kind of leave for study or training granted under any other rules);

(c) study leave may be combined with other kinds of leave, but in no case shall the grant of this leave in combination with leave, other than extraordinary leave, involve a total absence of more than twenty-eight months generally and thirty-six months for the courses leading to doctor of philosophy degree from the regular duties of the teacher and non-teaching employee of the University;

(d) the limit of twenty-eight months or thirty-six months of absence referred in clause (c) of this ordinance includes the period of vacation.

76. Leave salary — (1) A teacher and non-teaching employee on earned leave is entitled to leave salary equivalent to the pay drawn immediately before proceeding on earned leave.

(2) A teacher and non-teaching employee on half pay leave or leave not due is entitled to leave salary equal to half the amount specified in clause (1).

(3) A teacher and non-teaching employee on commuted leave is entitled to leave salary equal to the amount admissible under clause (1).

(4) A teacher and non-teaching employee on extra-ordinary leave is not entitled to any leave salary.

(5) A teacher and non-teaching employee, including an employee on foreign service, proceeding on leave for a period not less than thirty days may be allowed an advance in lieu of leave salary up to a month's pay and allowances admissible on that leave salary subject to deductions on account of income-tax, provident fund, house rent, recovery of advances etc.

(6) In the case of a teacher and non-teaching employee who is granted cash equivalent under sub-clause (ii) of clause (2) of ordinance 49, the leave salary shall be based on the pay drawn by him exclusive of the pension equivalent of other retirement benefits.

77. In case a teacher and non-teaching employee dies while in service, the cash equivalent of the leave salary for both earned leave and half pay leave, if any, at the credit of the deceased employee on the date of his death, not exceeding three hundred days shall be paid to his family in the manner specified in ordinance 79 and the cash equivalent payable shall be as in sub-clause (ii) of clause (2) of ordinance 49.

78. A teacher and non-teaching employee who is declared by a Medical Authority to be completely and permanently incapacitated for further service may be granted, *suo-motu*, by the authority competent to grant leave, cash equivalent of leave salary in respect of both earned leave and half pay leave, if any, at the credit of the teacher and non-teaching employee on the date of invalidation from service, subject to a maximum of three hundred days and the cash equivalent payable shall be the same as in sub-clause (ii) of clause (2) of ordinance 49.

79. Payment of cash equivalent of leave salary in case of death, etc. of the teacher and non-teaching employee.— In the event of the death of a teacher and non-teaching employee while in service or after retirement or after final cessation of duties but before actual receipt of its cash equivalent of leave salary payable under ordinance 77 and 78, such amount shall be payable—

(a) to the widow, and if there are more widows than one, to the eldest surviving widow if the deceased was a male employee, or to the husband, if the deceased was a female teacher and non-teaching employee;

(b) failing a widow or husband, as the case may be, to the eldest surviving son; or an adopted son;

(c) failing (a) and (b) above, to the eldest surviving unmarried daughter;

(d) failing (a) to (c) above, to the eldest surviving widowed daughter;

(e) failing (a) to (d) above, to the father;

(f) failing (a) to (e) above, to the mother;

(g) failing (a) to (f) above, to the eldest surviving married daughter;

(h) failing (a) to (g) above, to the eldest surviving brother below the age of eighteen years;

(i) failing (a) to (h) above, to the eldest surviving unmarried sister;

(j) failing (a) to (i) above, to the eldest surviving widowed sister;

(k) failing (a) to (j) above, to the eldest child of the eldest pre-deceased son.

Explanation. — For the purpose of this ordinance, the expression "eldest surviving widow" shall be construed with reference to the seniority according to the date of the marriage of the surviving widows and not with reference to their ages.

80. Cash equivalent of leave salary in case of permanent absorption in other organisation (Union Public Service Commission or Government of India Departments or autonomous b or Central Universities)- An employee who has been permitted to be absorbed in other organisation (Union Public Service Commission or Government of India Departments or autonomous bodies or Central Universities) shall be granted *suo motu* by the authority competent to grant leave cash equivalent of leave salary in respect of earned leave at his credit on the date of absorption subject to a maximum of three hundred days (in addition to the number of days, for which encashment was availed along with leave travel concession (while in service) This will be calculated in the same manner as indicated in sub-clause (ii) of clause (2) of ordinance 49.

(1) General:– The benefit of encashment of unutilised earned leave is three hundred days is applicable the following categories:—

(i) retirement on attaining the age of superannuation;

(ii) cases where the service of a teacher and non-teaching employee has been extended in the interest of public service, beyond the date of retirement on superannuation;

(iii) voluntary or pre-mature retirement;

(iv) where the services of a teacher and non-teaching employee are terminated by notice or by payment of pay and allowances in lieu of notice, or otherwise in accordance with the terms and conditions of his appointment;

(v) in the case of termination of re-employment after retirement;

(vi) in the case of death of an employee while in service to the family of the deceased;

(vii) in the case of leave preparatory to retirement;

(viii) in the case of transfer of an employee to an industrial establishment; and

(ix) on absorption of an employee in the central public sector undertaking or autonomous body wholly or substantially owned or controlled by the Central or State Government.

(2) A teacher and non-teaching employee who resigns or quits service shall be entitled to cash equivalent in respect of earned leave at credit on the date of cessation of service, to the extent of half of such leave at his credit, subject to a maximum of one hundred fifty days.

(3) Leave entitlement for the incumbents granted temporary status shall be as under –

(i) One-day leave after every ten working days which shall be earned over at their credit on their regularisation.

(ii) No casual or any other leave shall be granted in addition to as referred to at clause (1).

(iii) The temporary status a teacher and non-teaching employee shall not be entitled to leave encashment on termination of service or their quitting service unless they are regularised in group 'C' post against substantive post.

CHAPTER IV

CONDUCT OF TEACHERS AND NON-TEACHING EMPLOYEES

81. (1) Every teacher and non-teaching employee shall at all times –

(i) maintain absolute integrity;

(ii) maintain devotion to duty; and

(iii) do nothing which is unbecoming of an employee of the University.

(2) Every teacher and non-teaching employee holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure the integrity and devotion to duty of all employees for the time being under his control and authority.

(3) No teacher and non-teaching employee shall, in the performance of his official duties, or in the exercise of powers conferred on him, act otherwise than in his best judgment except when he is acting under the direction of his official superior.

(4) The direction of the official superior shall ordinarily be in writing and oral direction to subordinates shall be avoided, as far as possible. Where the issue of oral direction becomes unavoidable, the official superior shall confirm it in writing immediately thereafter.

(5) A teacher and non-teaching employee who has received oral direction from his official superior shall seek confirmation of the same in writing as early as possible, whereupon it shall be the duty of the official superior to confirm the direction in writing.

(6) Unless otherwise stated specifically in the terms of appointment, every whole-time teacher and non-teaching employee may be called upon to perform such duties as may be assigned to him by the competent authority, beyond scheduled working hours and on closed holidays, Saturdays and Sundays.

(7) A teacher and non-teaching employee shall observe the scheduled hours of working during which he must be present at the place of his duty.

(8) Except for valid reason and unforeseen contingencies, no teacher and non-teaching employee shall be absent from duty without prior permission and where an employee absents himself from duty without prior permission for a continuous period of ninety days, he shall be treated as absconding from duty and disciplinary proceeding shall be initiated in accordance with the procedure laid down under clause (1) of ordinance 105 read with clause (1) of ordinance 107 to terminate his services.

Explanation1. — A teacher and non-teaching employee who habitually fails to perform the task assigned to him within the time set for purpose and with the quality of performance expected of him shall be deemed to be lacking in devotion to duty within the meaning of sub-clause (ii) of clause (1).

Explanation2. — Nothing contained in clause (3) shall be construed as empowering an employee to evade his responsibilities by seeking instructions from, or approval of, a superior officer or authority when such instructions are not necessary under the delegation of powers and responsibilities.

82. Promptness and courtesy. — (1) No teacher and non-teaching employee shall in the performance of his official duties, act in a discourteous manner;

(2) No teacher and non-teaching employee shall in his official dealings with the public or otherwise adopt dilatory tactics or wilfully cause delay in disposal of work assigned to him.

83. Prohibition of sexual harassment of working women. — (1) No employee shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place.

(2) Every teacher and non-teaching employee who is in-charge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such work place.

84. Misconduct. —

Without prejudice to the generality of the term 'misconduct', the following acts of omission shall be treated as misconduct :–

(1) taking or giving bribes or any illegal gratification;

(2) furnishing false information regarding name, age, father's name, mother's name, qualification, ability or previous service or any other matter germane to the employment at the time of employment or during the course of employment;

(3) acting in a manner prejudicial or likely to be prejudicial to the interest or the reputation of the University;

(4) wilful insubordination or disobedience whether or not in combination with others, of any lawful and reasonable order of superior;

(5) damage to any property of the University;

(6) interference or tampering with any safety devices installed in or about the premises of the University;

(7) drunkenness or riotous or disorderly or indecent behaviour in the premises of the University or outside such premises where such behaviour is related to or connected with the employment;

(8) gambling within the premises of the establishment;

(9) smoking within the premises of the establishment where it is prohibited;

(10) commission of any act which amounts to a criminal offence involving moral turpitude;

(11) commission of any act subversive of discipline or good behaviour;

(12) employment of children as domestic workers or servants below the age of fourteen years.

85. Restriction on Joining of Associations by teacher and non-teaching employee.—(1) No teacher and non-teaching employee shall join or continue to be a member of an association, the objects or activities of which are prejudicial to the interests of the University or public order, decency or morality.

(2) No teacher and non-teaching employee shall be a member of, or be otherwise associated with, any political party or any organisation which takes part in politics nor shall he take part in, subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or activity.

(3) It shall be the duty of every teacher and non-teaching employee to prevent any member of his family from taking part in, subscribing in aid of, or assisting in any other manner any movement or activity which is, or tends directly or indirectly to be, subversive of the Government or the University as by law established and where a teacher and non-teaching employee is unable to prevent a member of his family from taking part in, or subscribing in aid of or assisting in any other manner, any such movement or activity, he shall make a report to that effect to the University.

(4) The question regarding whether a party is political party or whether any organisation takes part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of ordinance 86 the decision of the University thereon shall be final.

(5) No teacher and non-teaching employee shall canvass or otherwise interfere with or use his influence in connection with or take part in an election to any legislature or local authority:

Provided that. —

(i) a teacher and non-teaching employee qualified to vote at such election may exercise his right to vote, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted;

(ii) a teacher and non-teaching employee shall not be deemed to have contravened the provisions of this clause by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him by or under any law for the time being in force.

Explanation. — For the purpose of this ordinance the display of a teacher and non-teaching employee on his person, vehicle or residence of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this ordinance.

86. Restriction on Demonstration and strikes.— (1) No teacher and non-teaching employee shall engage himself or participate in any demonstration or strikes which is prejudicial to the interest of the University or public order, decency or morality, or which involves contempt of court, defamation or incitement to an offence;

(2) No teacher and non-teaching employee shall resort to or in any way abet any form of strike or coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to his service or the service of any other teacher and non-teaching employee.

87. Restriction on Connection with Press or other Media. - (1)no teacher and non-teaching employee shall, except with the previous sanction of the University, own wholly or in part, or conduct or participate in the editing or management of any newspaper or periodical publication or electronic media.

(2) No teacher and non-teaching employee shall, except with the previous sanction of the University, or the specified authority or in the bonafide discharge of his duties, participate in a radio broadcast or electronic media or contribute any article or write any letter or a book either in his own name or anonymously, pseudonymously or in the name of any newspaper or periodical:

Provided that no such sanction shall be required if such broadcast or telecast or such contribution or writing is of a purely literary, artistic or scientific character.

(3) A teacher and non-teaching employee publishing a book or participating in a public media shall at all times make it clear that the views expressed by him are his own and not that of the University.

(4) No teacher and non-teaching employee shall, in any radio broadcast, telecast through any electronic media or in any document published in his own name or anonymously, pseudonymously or in the name of any other person or in any communication to the press or in any public utterance, make any statement of fact or opinion which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policy or action of the University:

Provided that nothing contained in this clause shall apply to bona-fide expression of views by a teacher and non-teaching employee as an office bearer of a trade union or association of employees for the purpose of safeguarding the conditions of service of such category of employees or for securing an improvement thereof:

Provided further that nothing in this ordinance shall apply to statements made or views expressed by a teacher and non-teaching employee in his official capacity or in the due performance of the duties assigned to him.

88. Representation. — (1) Whenever a teacher and non-teaching employee wishes to put forth any claim or seek redress of any grievance or any wrong done to him, he must forward his case through proper channel and shall not forward such advance copies of his application to any higher authority, unless the lower authority has rejected the claim, or refused relief, or that the disposal of the matter is delayed by more than three months.

(2) No teacher and non-teaching employee shall be signatory to any joint representation addressed to the authorities or redress of any grievance or for any other matter.

89. Evidence before a committee or any other authority. — (1) Save as provided in clause (3) no teacher and non-teaching employee shall, except with the previous sanction of the University, give evidence in connection with any enquiry conducted by any person, committee or authority.

(2) Where any sanction, has been accorded under clause (1) no teacher and non-teaching employee giving such evidence shall criticise the policy or any action of the University or the Government.

(3) Nothing in this ordinance shall apply to. —

(i) evidence given at an enquiry before an authority appointed by the Visitor, Chancellor, Vice-Chancellor, Government and Parliament or any State Legislature; or

(ii) evidence given in any judicial enquiry; or

(iii) evidence given in any departmental enquiry ordered by the authorities of the University subordinate to the Vice- Chancellor.

90. Communication of Official Information:– Every teacher and non-teaching employee shall, in performance of his duties in good faith, communicate information to a person in accordance with the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) and the rules made thereunder through the Central Public Information Officer or Public Information Officer of the University:

Provided that no teacher and non-teaching employee shall, except in accordance with any general or special order of the University or in performance in good faith of the duties assigned to him, communicate, directly or indirectly, any official document or any part thereof or classified information to any employee or any other person to whom he is not authorised to communicate such document or classified information.

91. Subscription. — No teacher and non-teaching employee shall, except with the previous sanction of the University or of the specified authority, ask for or accept contributions to, or otherwise associate himself with the raising of, any funds or other collections in cash or in kind in pursuance of any object whatsoever except for bona-fide purpose e.g. for reception or farewell or for financial assistance to a member of the University staff or his family in distress.

92. Private Trade or Employment.— (1) No teacher and non-teaching employee shall, except with the previous sanction of the University –

(i) engage directly or indirectly in any trade or business;

(ii) negotiate for, or undertake, any other employment;

(iii) hold an elective office, or canvass for a candidate or candidates for an elective office, in any body, whether incorporated or not;

(iv) canvass in support of any business of insurance agency, commission agency, etc., owned or managed by a member of his family;

(v) take part in the registration, promotion or management of any bank or other company registered or required to be registered, under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or any other law for the time being in force, or of any co-operative society for commercial purposes; or

(vi) participate in or associate himself in any manner in making :–

(A) a sponsored media (radio or television) programme; or

(B) a media programme commissioned by Government media but produced by a private agency; or

(C) a privately produced media programme including video magazine:

Provided that no previous permission shall be necessary in case where a teacher and non-teaching employee participates in a programme produced or commissioned by Government media in his official capacity.

(2) A teacher and non-teaching employee may, without the previous sanction of the University.–

(i) undertake honorary work of a social or charitable nature;

(ii) undertake occasional work of a literary, artistic or scientific character;

(iii) participate in sports activities as an amateur;

(iv) take part in the registration, promotion or management (not involving the holding of an elective office) or a literary, scientific or charitable society or of a club or similar organisation, the aims or objects of which relate to promotion of sports, cultural or recreational activities, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or any other law for the time being force; or

(v) take part in the registration, promotion or management (not involving the holding of elective office) of a co-operative society substantially for the benefit of employee, registered under the Co- operative Societies Act, 1912 (2 of 1912), or any other law for the time being in force:

Provided that teacher and non-teaching employee shall discontinue taking part in such activities, if so directed by the University:

Provided further that case falling under sub-clause (iv) and sub-clause (v) of clause (2), his official duties shall not suffer thereby and he shall, within a period of one month of his taking part in such activity, report to the University giving details of the nature of his participation.

(3) Every teacher and non-teaching employee shall report to the University if any member of his family is engaged in a trade or business or owns or manages an insurance agency or commission agency.

(4) No teacher and non-teaching employee shall accept any fee for any work done by him for any private or public body or any private person without the sanction of the specified authority.

93. Subletting and vacation of University accommodation. — (1) Save as otherwise provided in any other law for the time being in force, no teacher and non-teaching employee shall sublet, lease or otherwise allow occupation by any other person of University accommodation which has been allotted to him.

(2) A teacher and non-teaching employee shall, after the cancellation of his allotment of University accommodation vacate the same within the time limit specified by the University.

94. Annual return and Declaration of Assets and Liabilities . — (1) Every teacher and non-teaching employee shall on his first appointment to any University service or post submit a return of his assets and liabilities in such form as may be specified by the University, giving the full particulars regarding. —

(i) the immovable property inherited by him, or owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person;

Note. — Where a teacher and non-teaching employee already belonging to a service or holding a post is appointed to any other civil service or post, he shall not be required to submit a fresh return under this clause.

(ii) every teacher and non-teaching employee belonging to any service or holding any post shall submit an annual return in such form as may be specified by the University in this regard giving full particulars regarding the immovable property inherited by him or owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person.

(2) No teacher and non-teaching employee shall, except with the previous knowledge of the University, acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of his family:

Provided that the previous sanction of the University shall be obtained by the teacher and non-teaching employee if any such transaction is with a person having official dealings with him.

(3) The University may, at any time, by general or special order, require an employee to furnish, within a period specified in the order, a full and complete statement of such immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order and such statement shall, if so required by the University, include the details of the means by which, or the source from which, property was acquired.

Explanation. — For the purposes of this ordinance, 'lease' means, except where it is obtained from, or granted to, a person having official dealings with the teacher and non-teaching employee, a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent.

95. Restrictions in relation to acquisition and disposal of immovable property outside India and transactions with foreigners etc.—(1) No teacher and non-teaching employee shall, except with the previous sanction of the University –

(i) acquire by purchase, mortgage, lease, gift or otherwise either in his name or in the name of any member of his family, any immovable property situated outside India;

(ii) dispose or by sale, mortgage, gift, or otherwise, or grant any lease in respect of any immovable property situated outside India which was acquired or is held by him either in his own name or in the name of any member of the family.

(2) No teacher and non-teaching employee shall except the previous sanction of the University enter into any transaction with any foreigner, foreign Government, foreign organisation or concern :–

(i) for the acquisition by purchase, mortgage, lease, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family, of any immovable property;

(ii) for the disposal of, by sale, mortgage, gift or otherwise, or the grant of any lease in respect of, any immovable property which was acquired or is held by him either in his own name or in the name of any member of his family.

96. Gifts. — (1) Save as the otherwise provided in these ordinances, no teacher and non-teaching employee shall accept, or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift.

Explanation.— For the purpose of this ordinance, the expression 'gift" shall include free transport, boarding, lodging and other service or any other pecuniary advantage provided by any person other than a near relative or personal friend having no official dealings with the teacher and non-teaching employee.

Note. — 1 – A casual meal, lift or other social hospitality shall not be deemed to be a gift.

Note. — 2 – A teacher and non-teaching employee shall avoid accepting lavish hospitality or frequent hospitality from any individual, industrial or commercial firms, organizations, etc., having official dealings with him.

(2) On occasions such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions, when the making of gift is in conformity with the prevailing religious and social practice, a teacher and non-teaching employee may accept gifts from his near relatives or from his personal friends having no official dealings with him, but shall make a report to the University, if value of such gift exceeds –

(i) rupees twenty-five thousand in the case of an employee holding any Post in Level in Pay matrix 10 and above;

(ii) rupees fifteen thousand in the case of an employee holding any Post in Level in Pay matrix 6 to 9;

(iii) rupees seven thousand five hundred in the case of an employee holding any Post in Level in Pay matrix 1 to 5.

(3) In any other case, a teacher and non-teaching employee shall not accept any gift without the sanction of the University, if the value exceeds :–

(i) rupees five thousand in the case of employee holding any Post in Level in Pay matrix 6 and above; and

(ii) rupees two thousand in the case of employee holding any Post in Level in Pay matrix 1 to 5.

(4) Notwithstanding anything contained in the clauses (2) and (3), a teacher and non-teaching employee, being a member of the Indian delegation or otherwise, may receive and retain gifts from foreign dignitaries, if the market value of gifts received on one occasion does not exceed rupees one thousand and in all other cases, the acceptance and retention of such gifts shall be regulated by the instructions issued by the University in this regard from time to time.

(5) A teacher and non-teaching employee shall not accept any gifts from any foreign firm which is either contracting with the University or is in one with which the Employee had, has or is likely to have official dealings; acceptance of gifts by an employee from any other firm shall be subject to the provisions of clause (3).

97. Insolvency and habitual indebtedness. — A teacher and non-teaching employee shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness or insolvency and a teacher and non-teaching employee against whom any legal proceeding is instituted for the recovery of any debt due from him or for adjudging him as an insolvent shall forthwith report the full facts of the legal proceeding to the University.

Note. — The burden of proving that the insolvency or indebtedness was the result of circumstances which, with the exercise or ordinary diligence, the teacher and non-teaching employee could not have foreseen, or over which he had no control, and had not proceeded from extravagant or dissipated habits, shall be upon the employee.

98. Consumption of intoxicating drinks and drugs . — A teacher and non-teaching employee shall . —

(i) strictly abide by any law relating to intoxicating drinks or drugs in force in any area in which he may happen to be for the time being;

(ii) not be under the influence of any intoxicating drink or drug during the course of his duty and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drug;

(iii) refrain from consuming any intoxicating drink or drug in a public place;

(iv) not appear in a public place in a state of intoxication;

(v) not use any intoxicating drink or drug to excess.

Explanation. — For the purpose of this clause 'public place' means any place or premises (including a conveyance) to which the public have, or are permitted to have, access, whether on payment or otherwise.

99. Vindication of acts and character of employees.— (1) No teacher and non-teaching employee shall except with the previous sanction of the University, have recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been the subject matter of adverse criticism or an attack of a defamatory character.

(2) Nothing in this ordinance shall be deemed to prohibit any teacher and non-teaching employee from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity and where any action for vindicating his private character or any act done by him in private capacity is taken, the teacher and non-teaching employee shall submit a report to the specified authority regarding such action.

100. Canvassing of non-official or other outside influence . — No teacher and non-teaching employee shall bring or attempt to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the University.

101. Restriction regarding marriage. – (1) No employee. —

(a) shall enter into, or contract, a marriage with a person having a spouse living;

(b) who having a spouse living, enters into, or contracts, a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Vice-Chancellor may permit if he is satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such employee and the other party to the marriage; and there are other grounds for so doing.

(2) A teacher and non-teaching employee who has married or marries a person other than of Indian nationality shall forthwith intimate the fact to the University.

102. Dowry. – No teacher and non-teaching employee shall –

(a) Give or take or abet the giving or taking of dowry; or

(b) Demand directly or indirectly, from the parent or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry.

Explanation. — For the purposes of this ordinance, "dowry" shall have the same meaning assigned to it in section (2) the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

CHAPTER V

PENALTIES, SUSPENSION AND APPEALS – TEACHERS AND NON-TEACHING EMPLOYEES

PART I

103. Nothing in these ordinances shall operate to deprive any teacher and non-teaching employee of any right or privilege to which he is entitled by the term of any agreement subsisting between any such person and the University on the commencement of this Ordinance.

104. (1) The Appointing Authority may place a teacher and non-teaching employee under suspension.–

(i) when a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or

(ii) when a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.

(2) A teacher and non-teaching employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of Appointing Authority in the following circumstances. —

(i) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours;

(ii) with effect from the date of his conviction, if, in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

Explanation. — For the purpose of this ordinance, the period of forty-eight hours referred to in sub-clause (ii) under clause (2) shall be computed from the date of commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where a case against a teacher and non-teaching employee in respect of any criminal offence is under trial, it shall be the duty of the teacher and non-teaching employee to inform the University about the said fact as soon as he comes to know about it; similarly, where a teacher and non-teaching employee is detained in custody for a period exceeding forty-eight hours, it shall be the duty of the employee to inform the University about the said detention at the earliest available opportunity and failure to supply the information as aforesaid shall be regarded as misconduct on the part of the teacher and non-teaching employee rendering him liable for disciplinary action on that ground alone.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a teacher and non-teaching employee under suspension is set aside in appeal or on review under the Ordinance and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force, on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(5) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a teacher and non-teaching employee is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a Court of Law and the Disciplinary Authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the Appointing Authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders;

Provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the Court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case.

(6) Subject to the provisions contained in clause (8), any order of suspension made or deemed to have been made under this part shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.

(i) where a teacher and non-teaching employee is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise), and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that

suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the teacher and non-teaching employee shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings.

(ii) an order of suspension made or deemed to have been made under this part may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

(7) An order of suspension made or deemed to have been made under this part shall be reviewed by the authority which is competent to modify or revoke the suspension before expiry of ninety days from the effective date of suspension on the recommendation of the Review Committee as per Annexure V constituted for the purpose and pass orders either extending or revoking the suspension and subsequent reviews shall be made before expiry of the extended period of suspension; extension of suspension shall not be for a period exceeding one hundred and eighty days at a time.

(8) An order of suspension made or deemed to have been made under clause (1) or (2) shall not be valid after a period of ninety days unless it is extended after review, for a further period before the expiry of ninety days.

Provided that no such review of suspension shall be necessary in the case of deemed suspension under clause (2), if the teacher and non-teaching employee continues to be under suspension at the time of completion of ninety days of suspension and the ninety days' period in such case will count from the date the teacher and non-teaching employee detained in custody is released from detention or the date on which the fact of his release from detention is intimated to his Appointing Authority, whichever is later.

(9) Whenever a teacher and non-teaching employee continues to remain absent from duty or overstays leave without permission and his movements are not known, he shall not be placed under suspension, as this shall entail payment of subsistence allowance, as against treating the period of absence as *dies non*, but when an employee who is under suspension disappears and cannot be contacted at his last known address, the suspension order should be lifted and proceedings initiated for his removal in *absentia*

105. Revoking of Suspension. — (1) An order of suspension made or deemed to have been made may, be modified or revoked by the authority, which made or is deemed to have made the order or by any superior authority under sub-clause (ii) of clause (6) of Ordinance 104 in the following circumstances, namely :—

(i) Disciplinary proceedings –

(a) If it is decided that no formal proceedings need be drawn up with a view to impose a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement, or reduction in rank ;

(b) Where the final order passed is other than dismissal, removal or compulsory retirement ;

(c) Where the employee is exonerated of the charges against him;

(d) In appeal, or revision, the order is modified into one other than dismissal, removal or compulsory retirement and no further enquiry is ordered to be held;

(ii) Criminal Offence –

(a) In arrest and detention cases, it is decided not to proceed further against the employee by filing a charge sheet in the Court ;

(b) If appeal or revision against acquittal in higher Court fails ;

(c) If acquitted in trial Court or if an appeal or revision in higher Court against the conviction succeeds and he is ultimately acquitted and when it is not proposed to continue him under suspension, even though departmental proceedings may be initiated against him ;

(2) An order of revocation of suspension shall take effect from the date of issue; however, where it is not practicable to reinstate with immediate effect the order of revocation should be expressed as taking effect from a date to be specified.

(3) When an employee who has been suspended is reinstated or would have been so reinstated but for his retirement (including premature retirement) while under suspension, the authority competent to order the reinstatement shall consider and make a specific order:–

(i) regarding the pay and allowances to be paid to the employee for the period of suspension ending with reinstatement or the date of his retirement (including premature retirement) as the case may be;

(ii) whether or not the said period shall be treated as a period spent on duty;

(iii) it is not necessary that the decision on sub-clause (i) should depend upon the decision on sub-clause (ii);

(iv) the competent authority has the discretion to pay the proportionate pay and allowances and treat the period as duty for any specified purpose(s) or only to pay the proportionate pay and allowances and it has no discretion to pay full pay and allowances when the period is treated as "non-duty";

(v) if no order is passed directing that the period of absence be treated as duty for any specified purpose, the period of absence should be treated as "non- duty" and in such event, the past service i.e. service rendered before dismissal, removal, compulsory retirement or suspension will not be forfeited;

(vi) where departmental proceedings against a suspended employee for the imposition of a major penalty finally end with the imposition of a minor penalty, the suspension is wholly unjustified and the employee concerned should, therefore, be paid full pay and allowances for the period of suspension by passing a suitable order in this regard.

(4) Notwithstanding anything contained in Part I, where a teacher and non-teaching employee under suspension dies before the disciplinary or the Court proceedings instituted against him are concluded, the period between the date of suspension and the date of death shall be treated as duty for all purposes and his family shall be paid the full pay and allowances for that period to which he would have been entitled had he not been suspended, subject to adjustment in respect of subsistence allowance already paid.

(5) Leave may not be granted to a teacher and non-teaching employee under suspension.

PART II

106. Penalties and Disciplinary Authorities. — (1) The following penalties may, for good and sufficient reasons and as herein after provided, be imposed on a teacher and non-teaching employee, namely. —

Minor Penalties. —

(i) censure;

(ii) withholding of his promotion;

(iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the University by negligence or breach of orders;

(iv) reduction to a lower stage in the time-scale of pay by one stage for a period not exceeding three years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension;

(v) withholding of increments of pay.

Major Penalties. —

(vi) save as provided in sub-clause (iv), reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the teacher and non-teaching employee shall earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction shall or shall not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(vii) reduction to lower level in pay matrix, grade, post or Service for a period to be specified in the order of penalty, which shall be a bar to the promotion of the teacher and non-teaching employee during such specified period to the level in pay matrix, grade, post or service from which he was reduced, with direction as to whether or not, on promotion on the expiry of the said specified period. —

(A) the period of reduction to level in pay matrix, grade, post or service shall operate to postpone future increments of his pay, and if so, to what extent; and

(B) the employee shall regain his original seniority, in the higher level in pay matrix, grade, post or service;

(C) compulsory retirement

(viii) compulsory retirement;

(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment in the University;

(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the University:

Provided that, in every case in which the charge of possession of assets disproportionate to known sources of income or the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in sub-clause (iv) or sub-clause (v) shall be imposed:

Explanation. — The following shall not amount to a penalty within the meaning of this clause, namely. —

(i) non-promotion of a teacher and non-teaching employee, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a Service, grade or post for promotion to which he is eligible;

(ii) reversion of a teacher and non-teaching employee appointed on probation to any other service, grade or post, to his permanent service, grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment, or the rules, ordinances and orders governing such probation;

(iii) reversion of a teacher and non-teaching employee officiating in a higher service, grade or post to a lower service, grade or post, on the ground that he is considered to be unsuitable for such higher service, grade or post

(iv) compulsory retirement of an employee in accordance with or on any administrative ground unconnected with his conduct;

(v) replacement of the services of an employee, whose services had been borrowed from outside authority, at the disposal of such authority;

(vi) the provisions relating to his superannuation or retirement;

(vii) termination of the services.—

(a) of a teacher and non-teaching employee appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the term of his appointment or the ordinances and orders governing such probation, or

(b) of a temporary teacher and non-teaching employee in accordance with the ordinances made in this behalf by the University, or

(c) of a teacher and non-teaching employee engaged under an agreement, in accordance with the terms of such agreement.

(2) Appointing Authority, Disciplinary Authority and Appellate Authority.—

(i) The Appointing Authority, Disciplinary Authority and Appellate Authority in respect of teachers and non-teaching employees of the University, other than teachers are specified in the Table below.

(ii) The Executive Council may impose on a teacher and non-teaching employee of the University any of the penalties specified in clause (1).

(iii) Without prejudice to the provisions of this clause, the Disciplinary Authorities mentioned in the table below who may impose on an employee, the penalties specified under clause (1).—

Table

Description of service	**Appointing Authority**	**Disciplinary Authority competent to impose penalties**		**Appellate Authority**
		Authority	Penalties (Major or Minor)	
Posts in Levels in Pay	Registrar	Registrar	All	Vice

matrix 1 to 5				Chancellor
Posts in Levels in Pay matrix 6 to 9	Vice Chancellor	Registrar Vice Chancellor	Minor All	Vice Chancellor Executive Council
Posts in Level in Pay matrix 9 and above	Executive Council	Vice Chancellor Executive Council	Minor All	Executive Council Vice-Chancellor
Vice Chancellor	Visitor or his nominee from a panel as per the statute	Visitor or his nominee from a panel as per the statute	All	Vice-Chancellor

(3) Authority to institute proceedings.—

The Disciplinary Authority competent under this Ordinance to impose any penalties specified in sub-clauses (i) to (v) of clause (1) may institute disciplinary proceedings against any employee of University for the imposition of major penalties specified in sub-clauses (vi) to (x) of clause (1).

PART III

Procedure for imposing Penalties

107. Procedure for imposing major penalties. — (1) No order imposing any of the major penalties specified in sub-clauses (vi) to (x) of clause (1) of ordinance 106 shall be made except after an enquiry held, as may be, in the manner provided in this clause and clause (1) of ordinance 108.

(2) The Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an employee, it may itself inquire into, or appoint under this ordinance an authority to inquire into the truth thereof:

Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of ordinance 83, the Complaints Committee established for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the Inquiring Authority appointed by the Disciplinary Authority for the purpose of these ordinances and the Complaints Committee shall hold, if separate procedure has not been specified for the Complaints Committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as far as practicable in accordance with the procedure laid down in these ordinances.

Explanation. — Where the Disciplinary Authority itself holds the inquiry, any reference in clauses (9) to (18) and in clause (22) to the inquiring authority shall be construed as a reference to the Disciplinary Authority.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against an employee under this ordinance and under ordinance 106, the Disciplinary Authority shall draw up or cause to be drawn up :–

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge;

(ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain –

(A) a statement of all relevant facts including any admission or confessions made by the employee;

(B) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained (for the purpose of this ordinance, the Vice-Chancellor may exercise the powers on behalf of the Executive Council);

(4) The Disciplinary Authority shall deliver or cause to be delivered to the employee a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article or charges is proposed to be sustained and shall require the teacher and non-teaching employee to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

Note : For the purpose of this ordinance, the Registrar on behalf of the Disciplinary Authority is empowered to deliver or cause to be delivered to the teacher and non-teaching employee a copy of the articles of charges, a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charges is proposed to be sustained; it shall also be required by the employee to submit within such time as may be specified by the Registrar, a written statement of his defence and to state whether he desired to be heard in person).

(5) (i) On receipt of the written statement of defence, the Disciplinary Authority may itself inquire into such of the article of charge as are not admitted, or, if it considers it necessary to do so, appoint under clause (2), an Inquiring Authority for the purpose, and where all the articles of charges have been admitted by the employee in his written statement of defence, the Disciplinary Authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in ordinance 108.

(ii) If no written statement of defence is submitted by the teacher and non-teaching employee, the Disciplinary Authority may itself inquire into the articles of charge, or may, if it considers it necessary to do so, appoint, under clause (2), an Inquiring Authority for the purpose.

(iii) Where the Disciplinary Authority itself inquiries into any articles of charge or appoints an Inquiring Authority for holding any inquiry into such charge, it may, by an order, appoint an employee to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge (for the purpose of this ordinance, the Vice-Chancellor may exercise the powers on behalf of the Executive Council).

(6) The Disciplinary Authority shall, where it is not the Inquiring Authority, forward to the Inquiring Authority -

(i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the teacher and non-teaching employee;

(iii) a copy of statements of witnesses, if any, referred to in clause (3)

(iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in clause (3) to the teacher and non-teaching employee; and

(v) a copy of the order appointing the "Presenting Officer" (for the purpose of this ordinance, the Registrar is empowered to forward to the Inquiring Authority, the documents etc., listed under sub-clauses (i) to (v) on behalf of the Disciplinary Authority).

(7) The teacher and non-teaching employee shall appear in person before the Inquiring Authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by the Inquiring Authority of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour, as the Inquiring Authority may, by notice in writing, specify, in this behalf, or within such further time, not exceeding ten days, as the Inquiring Authority may allow.

(8) The teacher and non-teaching employee may take the assistance of any other employee of the University to present the case on his behalf, but may not engage a legal practitioner for the purpose:

Provided that no teacher and non-teaching employee shall be permitted to assist at a time more than one disciplinary proceedings initiated by the University.

(9) If the teacher and non-teaching employee who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the Inquiring Authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the Inquiring Authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the teacher and non-teaching employee thereon.

(10) The Inquiring Authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charges to which the employee pleads guilty.

(11) The Inquiring Authority shall, if the employee fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove

the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the employee may, for the purpose of preparing his defense –

(i) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the Inquiring Authority may allow, the documents specified in the list referred to in clause (3);

(ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf;

Note. — If the teacher and non-teaching employee applies orally or in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in clause (3), the Inquiring Authority shall furnish him with such copies as early as possible and in any case not less than three days before the commencement of the examination of the witnesses on behalf of the Disciplinary Authority;

(iii) give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the Inquiring Authority may allow, for the discovery or production of any documents which are in the possession of the University but not mentioned in the list referred to in clause (3).

Note. — The teacher and non-teaching employee shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by the University.

(12) The Inquiring Authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the document by such date as may be specified in such requisition:

Provided that the Inquiring Authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition referred to in clause (12), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the Inquiring Authority:

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest, it shall inform the Inquiring Authority accordingly and the Inquiring Authority shall, on being so informed, communicate the information to the employee and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of documents.

(14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the Disciplinary Authority and the witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the employee; the Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the Inquiring Authority and the Inquiring Authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the Disciplinary Authority, the Inquiring Authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the employee or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the employee shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned and the Inquiring Authority shall give the teacher and non-teaching employee an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record; the Inquiring Authority may also allow the employee to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interest of justice.

Note. — New evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to fill up any gap in the evidence and such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence which has been produced originally.

(16) When the case for the Disciplinary Authority is closed, the employee shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer; if the defence is made orally, it shall be recorded, and

the teacher and non-teaching employee shall be required to sign the record and in either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

(17) The evidence on behalf of the employee shall then be produced and the employee may examine himself in his own behalf if he so prefers following which, the witnesses produced by the employee shall be examined and shall be liable to cross- examination, re-examination and examination by the Inquiring Authority according to the provisions applicable to the witnesses for the Disciplinary Authority.

(18) The Inquiring Authority may, after the teacher and non-teaching employee closes his case, and shall, if the employee has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the employee to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The Inquiring Authority may, after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any, appointed and the employee, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(20) If the employee to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the Inquiring Authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this ordinance, the Inquiring Authority may hold the inquiry ex-parte.

(21) (i) Where a Disciplinary Authority competent to impose any of the penalties specified in sub-clauses (i) to (v) of clause (1) of ordinance 106 [but not competent to impose any of the penalties specified in sub-clauses (vi) to (x) of clause (1) of ordinance 106], has itself enquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings of any Inquiring Authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in sub-clauses (vi) to (x) of clause (1) of ordinance 106 should be imposed on the teacher and non-teaching employee, that authority shall forward the records of the enquiry to such Disciplinary Authority as is competent to impose the last mentioned penalties.

(ii) The Disciplinary Authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interests of justice, recall the witnesses and examine, cross-examine and re-examine the witnesses and may impose on the employee such penalty as it may deem fit in accordance with these ordinances.

(22) Whenever any Inquiring Authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another Inquiring Authority which has, and which exercises, such jurisdiction, the Inquiring Authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself:

Provided that if the succeeding inquiring authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interests of justice, it may recall, examine, cross- examine and re-examine any such witnesses as herein before provided.

(23) (i) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain -

(A) the articles of charge and statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(B) the defence of the employee in respect of each article of charge;

(C) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;

(D) the findings on each article of charge and the reasons therefore.

Explanation. — If in the opinion of the Inquiring Authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, it may record its findings on such article of charge:

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the employee has either admitted the facts on which such article of the charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The Inquiring Authority, where it is not itself the Disciplinary Authority, shall forward to the Disciplinary Authority the records of inquiry which shall include -

(A) the report prepared by it under sub-clause (i);

(B) the written statement of defence, if any, submitted by the employee;

(C) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;

(D) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the employee or both during the course of the inquiry; and

(E) the orders, if any, made by the Disciplinary Authority and the Inquiring Authority in regard to the inquiry.

108. Action on the inquiry report. — (1) The Disciplinary Authority, if it is not itself the Inquiring Authority may, for reasons to be recorded by it in writing, remit the case to the Inquiring Authority for further inquiry and report and the Inquiring Authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of ordinance 107, as far as may be.

(2) The Disciplinary Authority shall forward or cause to be forwarded a copy of the report of the inquiry, if any, held by the Disciplinary Authority or where the Disciplinary Authority is not the Inquiring Authority, a copy of the report of the Inquiring Authority together with its own tentative reasons for disagreement, if any, with the findings of Inquiring Authority on any article of charge to the employee who shall be required to submit, if he so desires, his written representation or submission to the Disciplinary Authority within fifteen days, irrespective of whether the report is favourable or not to the employee.

(3) The Disciplinary Authority shall consider the representation, if any, submitted by the employee and record its findings before proceeding further in the matter as specified in clauses (4) and (5).

Note. — In the case of University employee a sub-committee constituted by the Executive Council will examine the report of the Inquiry Authority together with the written submission of the employee and make suitable recommendation for the consideration of the Disciplinary Authority.

(4) If the Disciplinary Authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in sub-clauses (i) to (v) of clause (1) of ordinance 106, should be imposed on the employee, it shall, notwithstanding anything contained in ordinance 109, make an order imposing such penalty.

(5) If the Disciplinary Authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in sub-clauses (vi) to (x) of clause (1) of ordinance 106, should be imposed on the employee, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the teacher and non-teaching employee any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed.

109. Procedure for imposing minor penalties. —

(1) Subject to the provision of clause (5) of ordinance 108, no order imposing on a teacher and non-teaching employee any of the penalties specified in sub-clauses (i) to (v) of clause (1) of ordinance 106 shall be made except after –

(i) informing the teacher and non-teaching employee in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;

(ii) holding an enquiry in the manner laid down in clauses (3) to (23) of ordinance 107, in every case in which the Disciplinary Authority is of the opinion that such inquiry is necessary;

(iii) taking the representation, if any, submitted by the teacher and non-teaching employee under clause (1) and the record of enquiry, if any, held under clause (2) into consideration; and

(iv) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-clause (ii) of clause (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the teacher and non-teaching employee under sub-

clause (i) of clause (1), to withhold increments of pay and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension payable to the employee or to withhold increments of pay for a period exceeding three years or to withhold increments of pay with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in clause (3) to (23) of ordinance 107, before making any order imposing on the employee any such penalty.

(3) A University teacher and non-teaching employee on whom the penalty of withholding of increment or reduction to a lower service, grade or post, or to a lower time- scale or to a lower stage in a time-scale has been imposed for a specified period should not be transferred or posted to another service, grade or post, on or after the date of orders imposing the penalty but before the date from which the order finally ceases to be operative, if such a transfer, or posting results in payments of level in Pay matrix higher than that admissible to him in the existing service, grade or post consequent on the punishment orders.

(4) The record of the proceedings in such cases shall include -

(i) a copy of the intimation to the teacher and non-teaching employee of the proposal to take action against him;

(ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him;

(iii) his representation, if any;

(iv) the evidence produced during the inquiry;

(v) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; and

(vi) the orders on the case together with the reason therefore.

110. Communication of Orders. — Orders made by the Disciplinary Authority shall be communicated to the teacher and non-teaching employee who shall also be supplied with a copy of its finding on each article of charge, or where the Disciplinary Authority is not the Inquiring Authority, a statement of the findings of the Disciplinary Authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the Inquiring Authority unless they have already been supplied to him.

111. Common Proceedings. – (1) Where two or more teacher and non-teaching employees are concerned in any case, the Executive Council or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such employees may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

Note. — If the authority competent to impose the penalty of dismissal on such employee are different, an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authority with the consent of others.

(2) Subject to the provision of clause (3) of ordinance 106, any such order shall specify :–

(i) the authority which may function as the Disciplinary Authority for the purpose of such common proceeding;

(ii) the penalties specified in clause (1) of ordinance 106 which such Disciplinary Authority shall be competent to impose;

(iii) whether the procedure laid down in ordinances 107 and 108 shall be followed in the proceeding.

112. Special procedure in certain case. — Notwithstanding anything in ordinances 107 to 111. —

(1) Where any penalty is imposed on a teacher and non-teaching employee on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or

(2) Where the Disciplinary Authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold any inquiry in the manner provided in these ordinances, the Disciplinary Authority may consider the circumstances of the case and make such order thereon as it deems fit:

Provided that the teacher and non-teaching employee may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made in a case under clause (1).

113. Provision regarding a teacher and non-teaching employee lent to outside authority.— Where the services of an employee are lent to an outside authority (hereinafter in this ordinance and 114, referred to as "the borrowing authority") the borrowing authority shall have the powers of the Appointing Authority for the purpose of placing such employee under suspension and of the Disciplinary Authority for the purpose of conducting disciplinary proceedings against him:

Provided that the borrowing authority shall forthwith inform the authority which lent the services of the teacher and non-teaching employee (hereinafter in ordinances 113 and 114, referred to as "the lending authority") of the circumstances leading to the order of suspension of such employee or the commencement of the disciplinary proceeding, as the case may be.

114. In the light of the findings in the disciplinary proceedings conducted against the teacher and non-teaching employee:–

(1) If the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in sub-clauses (i) to (v) of clause (1) of ordinance 106 should be imposed on the employee, it may, after consultation with the lending authority, make such orders on the case as it deems necessary:

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of the employee shall be replaced at the disposal of the lending authority.

(2) If the borrowing authority is of the opinion that any of the penalties specified in sub-clauses (vi) to (x) of clause (1) of ordinance 106 should be imposed on the teacher and non-teaching employee, it shall replace his services at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the enquiry and thereupon the lending authority may, if it is the Disciplinary Authority, pass such orders thereon as it may deem necessary, or, if it is not the Disciplinary Authority, submit the case to the Disciplinary Authority which shall pass orders on the case as it may deem necessary:

Provided that before passing any such order, the Disciplinary Authority shall comply with the provisions of clause (4) and (5) of ordinance 108.

Explanation. — The Disciplinary Authority may make an order under this clause on the record of the inquiry transmitted to it by the borrowing authority or after holding such further inquiry as it may deem necessary, as far as may be, in accordance with ordinance 107.

115. Provision regarding persons borrowed from outside authority – (1) Where an order of suspension is made or a disciplinary proceeding is conducted against an employee whose services have been borrowed from outside authority, the authority lending his services (hereinafter in this ordinance, referred to as "the lending authority") shall forthwith be informed of the circumstances leading to the order of the suspension of the teacher and non-teaching employee or of the commencement of disciplinary proceedings, as the case may be.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceeding conducted against the teacher and non-teaching employee, if the Disciplinary Authority is of the opinion that any of the penalties specified in sub-clauses (i) to (v) of clause (1) of ordinance 106, should be imposed on him, it may, subject to the provisions of clause (4) of ordinance 108, after consultation with the lending authority, pass such orders on the case, as it may deem necessary;

Provided that in the event of a difference of opinion between the borrowing authority and the lending authority, the services of the teacher and non-teaching employee shall be replaced at the disposal of the lending authority.

(3) If the Disciplinary Authority is of the opinion that any of the penalties specified in sub-clauses (vi) to (x) of clause (1) of ordinance 106 should be imposed on the teacher and non-teaching employee, it shall replace the services of such employee at the disposal of the lending authority and transmit to it the proceedings of the inquiry for such action as it may deem necessary.

PART – IV
APPEALS AND REVIEW

116. Orders against which no appeal lies.

Notwithstanding anything contained in this part, no appeal shall lie against. —

(1) any order made by the Executive Council;

(2) any order of an interlocutory nature or of the nature of a step-in-aid of the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of suspension;

(3) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry of ordinance 107.

117. Order against which appeal lies.— Subject to the provision of clause (1) of ordinance 114, an employee may prefer an appeal against all or any of the following orders, namely –

(1) an order of suspension made or deemed to have been made under part I of this chapter;

(2) an order imposing any of the penalties specified in sub-clause (i) to (v) of clause (1) of ordinance 106 whether made by the Disciplinary Authority or by any Appellate or Revising Authority;

(3) an order enhancing a penalty, imposed under sub-clause (i) to (v) of clause (1) of ordinance 106;

(4) an order which. —

(i) denies or varies to his disadvantage his pay, allowances, pension or other conditions of service as regulated by rules or by agreement; or

(ii) interprets to his disadvantage the provisions of any such rules or agreement;

(5) an order.–

(i) reverting him while officiating in a higher service, grade or post, to a lower service, grade or post, otherwise than as a penalty;

(ii) reducing or withholding the pension or denying the maximum pension admissible to him under the ordinances;

(iii) determining the subsistence and other allowances to be paid to him for the period of suspension or for the period during which he is deemed to be under suspension or for any portion thereof;

(iv) determining his pay and allowances-

(A) for the period of suspension; or

(B) for the period from the date of his dismissal, removal, or compulsory retirement from service, or from the date of his reduction to a lower service, grade, post, time-scale or stage in a time-scale of pay, to the date of his reinstatement or restoration to his service, grade or post; or

(C) determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to a lower service, grade, post, time scale or pay or stage in a time scale of pay to the date of his reinstatement or restoration to his service, grade or post shall be treated as a period spent on duty for any purpose.

Explanation. — For the purpose of this clause:–

(a) the expression 'employee' includes a person who has ceased to be in University service.

(b) the expression 'pension' includes additional pension, gratuity and any other retirement benefit.

118. Appellate Authorities. — (1)A teacher and non-teaching employee, including a person who has ceased to be in service of the University, may prefer an appeal against all or any of the orders specified in ordinance 117, in this behalf by a general or special order of the University or where no such authority is specified:–

(i) to the Appointing Authority, where the order appealed against is made by an authority subordinate to it; or

(ii) to the Executive Council where such order is made by any other authority;

(iii) notwithstanding anything contained in this ordinance:–

(A) an appeal against an order in a common proceeding held of ordinance 111 shall lie to the authority to which the authority functioning as the Disciplinary Authority for the purpose of that proceeding is immediately subordinate;

(B) where the person who made the order appealed against becomes, by virtue of his subsequent appointment or otherwise, the Appellate Authority in respect of such order, an appeal against such order shall lie to the authority to which such person is immediately subordinate.

119. Period of limitation of appeals. — No appeal preferred under this part shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant.

Provided that the Appellate Authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

120. Form and contents of appeal. — (1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name.

(2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal lies, a copy being forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against and it shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against shall, on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the Appellate Authority without any avoidable delay, and without waiting for any direction from the Appellate Authority.

121. Consideration of appeals. — (1) In the case of an appeal against an order of suspension, the Appellate Authority shall consider whether in the light of the provisions under part I of this chapter and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke the order accordingly.

(2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in clause (1) of ordinance 106 or enhancing any penalty imposed under the said ordinance, the Appellate Authority shall consider -

(i) whether the procedure laid down in the ordinance has been complied with;

(ii) whether the findings of the Disciplinary Authority are warranted by the evidence on the record; and

(iii) whether the penalty or the enhanced penalty imposed is adequate, inadequate or severe;

and pass orders:–

(iv) confirming, enhancing, reducing, or setting aside the penalty; or

(v) remitting the case to the authority which imposed or enhanced the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of these cases.

Provided that. —

(A) if such enhanced penalty which the Appellate Authority proposes to impose is one of the penalties specified in sub-clauses (vi) to (x) of clause (1) of ordinance 106 and an inquiry of ordinance 107 has not already been held in the case, the Appellate Authority shall, subject to the provisions of ordinance 112, itself hold such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of ordinance 113 and thereafter on a consideration of the proceedings of inquiry and make such orders as it may deem fit;

(B) if the enhanced penalty which the Appellate Authority proposes to impose is one of the penalties specified in sub-clauses (vi) to (x) of clause (1) of ordinance 106 and an enquiry of ordinance 107 has been held in the case, the Appellate Authority shall make such orders as it may deem fit after the appellant has been given a reasonable opportunity of making a representation against the proposed penalty; and

(C) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of ordinance 109, of making a representation against such enhanced penalty.

(3) In an appeal against any other order specified in ordinance 117, the Appellate Authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable.

122. Implementation of Orders in appeal. — The authority which made the order appealed against shall give effect to the orders passed by Appellate Authority.

123. Notwithstanding anything contained in these ordinances, the Executive Council or the Appellate Authority, within six months of the date of the order proposed to be revised, may at any time, either on his or its own motion or otherwise call for the records of any inquiry from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred or allowed and may –

(1) confirm, modify or set aside the order;

(2) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order or impose any penalty where no penalty has been imposed;

(3) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such authority to make such further enquiry as it may consider proper in the circumstances of the case; or

(4) pass such other orders as it may deem fit:

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any revising authority unless the employee concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in sub-clauses (v) to (ix) of clause (1) of ordinance 106 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties specified in those clauses, and if an inquiry of ordinance 107 has not already been held in the case, no such penalty shall be imposed except after an inquiry in the manner laid down in ordinance 107, subject to the provisions of ordinance 112 and after giving a reasonable opportunity to the employee concerned of showing cause against the penalty proposed on the evidence adduced during the inquiry.

124. No proceeding for review shall be commenced until after the expiry of the period of limitation for an appeal; or the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred.

125. An application for review shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under the Ordinance.

PART V

Miscellaneous

126. Service of orders, Notices etc. — Every order, notice and other process made or issued under these ordinances shall be served in person on the teacher and non-teaching employee concerned or communicated to him by registered post or speed post or by hand under acknowledgement.

127. Power to relax time-limit and to condone delay.— Save as otherwise expressly provided in these ordinances the authority competent under the Ordinance to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in the Ordinances for anything required to be done under the Ordinances or condone any delay.

128. Applicability of Government of India Rules or Instructions. — If no specific provision is made in these ordinances, the Government of India rules or instructions on the subject shall apply.

CHAPTER-VI

CREATION OF POST FOR NON-ACADEMIC EMPLOYEES

129. (1) The creation of post for non-teaching employees for different cadres such as administrative, ministerial and others, shall be as per provisions of this ordinance.

(2) The recommendation of the University, for the number of post to be created for non-academic staff, shall be submitted to Finance Committee for its approval

(3) The Finance Committee shall have the power to reject the proposal or return the draft to the University for re-consideration, either in whole or in part, together with any amendment which the Finance Committee may suggest.

(4) The proposal approved by the Finance Committee shall be placed by the University before Executive Council and the same shall immediately come into effect upon the approval of Executive Council.

CHAPTER VII

SELECTION PROCEDURE FOR NON-TEACHING EMPLOYEES

130. (1) Procedure or norms to be followed by the Selection Committee constituted for appointment of non-teaching employees, shall be according to provisions of this ordinance.

(2) The Chairman shall be entitled to vote at the Selection Committee meeting and shall have a casting vote in case of a tie.

(3) The recommendations of the Selection Committee in respect of the Posts in Level in Pay matrix 9 and above Post shall be submitted to the Executive Council and orders of appointments shall be issued only after the approval of the Executive Council.

(4) The Vice-Chancellor may be authorised to make appointments on the basis of the recommendations of the Selection Committee to the posts Level in Pay matrix 6 to 9 and Posts in Level in Pay matrix 1 to 5.

(5) The rules and procedures in respect of the reserved categories shall be followed as provided in section 7 of the Act, and as prescribed by the Government of India.

(6) The rules of Government of India in regard to Pay and Allowances, Leave, Pension and Provident Fund shall be followed.

(7) The Selection Committee may decide its own method of evaluating the performance of the candidates in interview.

(8) If two or more candidates are selected, the recommendations shall be made in order of merit of the selected candidates.

(9) No recommendation should be made with a condition attached to it.

(10) The University shall have the right to relax any of the qualifications, experience, age, etc., in exceptionally deserving cases of all posts on the recommendations of the Screening and Selection Committee.

(11) The relaxation in age, qualification etc., shall be applicable to the scheduled cast or scheduled tribe, other backward caste, person with disability etc. candidates as per rules of Government of India.

(12) If any candidate is recommended by the Selection Committee for appointment in relaxation of any of the prescribed conditions relating to qualifications, age etc., it shall be so stated and recorded.

(13) When the Selection Committee considers it fit to recommend a higher initial level in pay matrix or advance increments to be offered to a selected candidate, it may do so giving reasons there for.

(14) Number of posts advertised may be treated as tentative and the University shall have the right to increase or decrease the number of posts at the time of selection and make appointments accordingly.

(15) The prescribed qualifications and experience shall be minimum and the mere fact that a candidate possessing the same will not entitle him for being called for interview.

(16) The University shall have the right to restrict the candidates to be called for interview to a reasonable number (10:1) on the basis of qualifications and experience higher than the minimum prescribed or by any other condition that it may deem fit.

(17) The in-service candidates should apply through proper channel.

(18) The conditions of age and experience shall be relaxed for in-service candidates, on the recommendations of the Selection Committee.

(19) Outstation candidates belong to scheduled cast or scheduled tribe categories called for interview shall be paid equivalent to return single second class railway fare towards journey expenses on production of proof.

(20) Canvassing in any form on behalf of any candidate shall disqualify such candidate.

(21) The Selection Committee's recommendations, when approved shall remain valid for a period of one year from the date of such approval.

(22) The prescribed application forms for various positions shall be available at the University website and may be downloaded free of cost.

(23) In cases of any disputes any suit or legal proceedings against the University, the territorial jurisdiction shall be confined to the courts in Lucknow.

131. Composition of the Selection Committees. —

COMPOSITION OF SELECTION / CONFIRMATION COMMITTEE FOR APPOINTMENT TO NON-TEACHING POSITION BY DIRECT RECRUITMENT	
Selection or Confirmation Committee – Posts in Level in Pay matrix 9 and above	
A. (other than Statutory) Positions	
1. Vice Chancellor	Chairperson;
2. Registrar	Member;
3. Dean of School or Head of the Section concerned Member;	
4. One member of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor	Member;
5. Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor	Member;
6. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories.	Member;
7. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation.	Member;

**In case of selection or confirmation of Registrar, the Registrar shall not be a member of the committee*

B.	Selection or Confirmation Committee – For Posts in Level in Pay matrix 1 to 8 Positions

1.	Registrar	- Chairperson
2.	Deputy Registrar	- Member
3.	One member of the Executive Council nominated by the Vice Chancellor	- Member
4.	One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories	- Member
5.	One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation	- Member

COMPOSITION OF DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE FOR APPOINTMENT TO NON-TEACHING POSITIONS BY PROMOTION

C.	.DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE – Posts in Level in Pay matrix 9 and above (other than Statutory) Positions
1.	Vice Chancellor
2.	Registrar
3.	Dean of the School or Head of the Section concerned
4.	Two members of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor
5.	Two persons not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor, one of whom is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories

D.	DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE – For Posts in Level in Pay matrix 1 to 8 Positions		
1.	Registrar	-	Chairperson;
2.	Dean of School or Head of the Section concerned	-	Member;
3.	Deputy Registrar	-	Member; and
4.	Two persons not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor, one of whom is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories	-	Members.

CHAPTER-VIII

CREATION OF TEACHERS POSTS

132. The University shall submit the proposal for creation of post for teachers to Academic council for its consideration.

133. The Academic Council shall have the power to reject the proposal or return the proposal to the University for re-consideration, either in whole or in part, together with any amendment which the Academic Council may suggest.

134. Once the proposal is considered by Academic Council, the same shall be submitted by the University to Finance Committee for examination.

135. The Finance Committee shall have power to reject the proposal or return the proposal to the University for re-consideration, either in whole or in part, together with any amendment which the Finance Committee may suggest.

136. Once the proposal for creation of academic staff by the Finance Committee shall be submitted to the approval of the Executive Council and the same shall immediately come into effect upon the approval of Executive Council.

CHAPTER IX

SELECTION PROCEDURE FOR TEACHERS

137. The procedure or norms to be followed by the Selection Committee constituted as per clause (2) of Statute 21 of the Rajiv Gandhi National Aviation University First Statutes, 2016 for appointments to the posts of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, shall be as per provisions of this ordinance.

138. In order to provide equal opportunity to all, the University shall also advertise all vacancies on all-India basis in leading national dailies giving at least thirty days' time to all eligible candidates to apply.

139. In order to attract the most talented candidates, the University may also opt for rolling advertisement whereby eligible candidates can submit their applications for different faculty positions throughout the year, and all applications received at least thirty days' before the meeting of the Screening Committee shall be considered for being called for the interview.

140. The number of positions advertised by the University may be treated as tentative and that the University shall have the right to increase or decrease the number of positions at the time of selection and make appointments accordingly.

141. The prescribed application forms for various positions shall be available at the University website and may be downloaded free of cost.

142. Applicants who already in service or employment shall be required to apply through proper channel, however, they may submit an advance copy of their application to the University.

143. The duly forwarded application form along with the No Objection Certificate and Vigilance Clearance certificate from the employer must, preferably, reach the University at least ten days prior to the date of interview, or shall be submitted on the date of interview failing which the applicant may not be allowed to appear for interview.

144. Applicants shall be required to attach self-attested copies of all the relevant documents in support of their educational qualifications, work experience, research and publications, which they shall be required to produce in original for verification at the time of interview.

145. The terms and conditions with regard to the minimum qualifications and other terms and conditions shall be as prescribed by the Government of India from time to time and in addition to the above, the University may prescribe to the Academic Council such specification or any other condition as required for the post to be filled up.

146. The fact that a candidate possesses the minimum prescribed qualification and experience, shall not necessarily entitle to be called for interview and that the University shall have the right to restrict the number of candidates to be called for interview, based on the recommendations of the Screening Committee constituted as per the Regulations for this purpose, to a reasonable number on the basis of qualifications and experience higher than the minimum prescribed or by any other condition that it may deem fit.

147. No Travel Allowance or Dearness Allowance local conveyance shall be paid by the University to the candidates called for interview.

148. Outstation candidates belonging to Scheduled Cast or Scheduled Tribe categories called for interview shall, however, be paid equivalent to the return single second class railway fare towards their travel expenses on production of tickets as a proof of their travel.

149. Canvassing in any form either by the candidates himself or by any one on behalf of the candidate shall disqualify the candidate.

150. Appointments to the post of Professors, Associate Professors and Assistant Professors shall be made on all India basis on the recommendations of the duly constituted Selection Committee as per sub- statute (2) of Statute 21 of the Rajiv Gandhi National Aviation University First Statutes-2016.

151. The Selection Committee shall follow the rules and procedures prescribed by the Government of India in respect of reserved category candidates.

152. Meeting of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and experts nominated by the Executive Council and that the Chairperson on behalf of the University shall issue, to each member a notice, not less than ten days before the meeting, stating the time and venue of the meeting.

153. The Selection Committee, after considering a candidate for the post of Professor or Associate Professor, may, if it is of the opinion that he shall be suitable choice for the next lower post, can make such recommendation.

154. The Selection Committee shall have no power to recommend candidates for appointment with condition(s) attached to the occurrence of the future events.

155. The recommendations of the Selection Committee shall be submitted to the Executive Council and orders of appointment shall be issued after the approval of the Executive Council in accordance with sub-clause (ii) of clause 2 of Statute 14 of the Rajiv Gandhi National Aviation University First Statutes, 2016.

156. In case two or more persons are selected on the same date and by the same selection committee, the selection committee shall have the right to specify the seniority in order of merit of the selected candidates for the purpose of determining seniority in service.

157. The statutory provision relating to the relaxation in age, minimum qualification, experience etc. as prescribed by Government of India, in case of the candidates belonging to Scheduled Cast or Scheduled Tribe or Other Backward Class or Persons with Disabilities categories shall be made applicable to them.

158. If any candidate is recommended by the Selection Committee for appointment in relaxation of any of the prescribed conditions relating to qualifications, age, experience etc., the reasons justifying the same shall have to be duly recorded in the proceedings of the Selection Committee.

159. While recommending additional increment(s) to a selected candidate, the Selection Committee shall abide by the rules relating to the additional or advance increment as specified by the Government of India regulations.

160. Further, when the Selection Committee considers it fit to recommend a higher initial pay or advance increments to be offered to a selected candidate, the reasons justifying the same has to be duly recorded in the proceedings of the Selection Committee.

161. The Selection Committee's recommendations, if approved by the Executive Council, shall remain valid for a period of one year from the date of such approval.

162. Notwithstanding the provisions contained in this ordinance, it would be open to the Executive Council to offer appointment to suitable persons of high academic distinction and professional attainments to accept a post of Professor, Associate Professor or Reader or any other equivalent academic post in the University, in accordance with the Statutes 22 of the Rajiv Gandhi National Aviation University First Statutes, 2016.

163. In cases of any disputes any suit or legal proceedings against the University, the jurisdiction shall be restricted to the Courts in Lucknow.

CHAPTER-X

RECRUITMENT PROCESS FOR TEACHERS OF THE UNIVERSITY

164. Composition of the Selection Committees.—

(1) COMPOSITION OF SELECTION/CONFIRMATION COMMITTEE FOR APPOINTMENT TO TEACHING POSITIONS BY DIRECT RECRUITMENT
(Clause 2 of Statutes 21 of the Rajiv Gandhi National Aviation University First Statutes, 2016)
A. SELECTION OR CONFIRMATION COMMITTEE – For Professor

1.	Vice Chancellor	- Chairperson;
2.	Dean of School or Head of the Section concerned	- Member;
3.	Head of the Department	- Member; and
4.	Three persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Professor shall be concerned	- Member.

B. SELECTION OR CONFIRMATION COMMITTEE– For Associate or Assistant Professor		
1.	Vice Chancellor	- Chairperson;
2.	Head of the Department	- Member;
3.	One person nominated by Vice-Chancellor	- Member; and
4.	Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate or Assistant Professor shall be concerned	- Members.

(2) Promotion of Teachers. — Promotion of teachers in the University shall be as per the established norms/Career advancement scheme of the University Grants Commission

CHAPTER XI

EMOLUMENTS, TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE LIBRARIAN

165. The Librarian shall be a whole-time salaried officer appointed by the Executive Council on the basis of recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose and shall be placed in the Level in pay matrix as adopted by the Executive Council from time to time:

166. The Librarian shall hold office for a term of five years or upto the age of sixty years whichever is earlier.

167. When the office of the Librarian is vacant or when the Librarian is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for that purpose.

168. In case the Librarian is appointed on deputation from the Government or any other Government organisation or University or institution, the terms and conditions of his or her service shall be governed by the Deputation Rules of Government of India:

Provided that the Librarian appointed on deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor.

169. Where an employee of this University or any other Institution or Government and its organizations is appointed as Librarian, he/she shall continue to be governed by retirement benefit schemes (namely general Provident Fund or Contributory Provident Fund or Pension or Gratuity) to which he was entitled prior to his appointment as Librarian and till he continues to hold his lien on the post.

170. Librarian shall be entitled to unfurnished residential accommodation for which he shall pay the prescribed licence fees as applicable to the category of the house.

171. The terms and conditions of service, leave, allowances, provident fund and other terminal benefits of the Librarian shall be such as prescribed by the University from time to time.

172. Subject to the provision of the Act, Statutes and Ordinance, the Librarian shall perform such duties and functions as may be assigned to him from time to time by the Executive Council or Vice-Chancellor.

CHAPTER XII

ADMISSION AND ENROLMENT OF STUDENTS

PART I

Admission

173. General rules relating to Admission. — (1) The University shall be open to persons of all sex, caste, creed, race or class and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be admitted as a student in the University or to graduate thereat or to enjoy or exercise any privilege thereof.

(2) The University shall maintain an all-India outreach and high standards of teaching and research and shall admit students strictly on merit as determined through national level selection criteria announced by the University from time to time.

(3) The selection criteria shall be aimed at assessing knowledge, comprehension and aptitude of the student to pursue higher studies and merit of the candidates shall be determined by a composite score based on the marks scored in written test, past academic performance, viva-voice, group discussion and personal interview.

(4) Admission of such candidates who are seeking admission after a gap of three or more academic years of their taking certificate or diploma or degree or post-graduate degree from the University or any other University or educational institution or Board, shall be subject to the clearance by the Admission Committee consisting of the Dean Students' Welfare, the Dean of the School concerned, the Head of the Department concerned and the Proctor.

(5) No student, pursuing a full-time course of study in the University shall be allowed to take up a job without prior permission in writing of the University:

Provided that nothing in this clause shall prohibit, exclude or exempt a student from undergoing obligatory or optional work placement, if completion of the course of study in which he has taken admission, so requires:

Provided further, that a person already employed at the time of admission shall submit, within such period as may be decided by the University, in original, a certificate from his employer to the effect that the employer has granted him leave for the whole duration of the course of study for pursuing the course of study in the University.

(6) No student, pursuing full-time course of study in the University shall be permitted to take any other regular examination leading to another degree of the University or any other University or education institution or Board:

Provided that a student may take any course under career oriented proficiency or certificate or diploma programmes simultaneously either from the University or any other University or educational institution or Board.

(7) The selected candidate' lists shall be displayed on the University website (www.rgnau.ac.in) and on the notice boards of the Controller of Examination and Department concerned and no intimation to the selected candidates shall be sent by post.

(8) The candidates shall require to complete their admission within the prescribed date by the University.

(9) The admission shall be based on the application received in response to the admission-notification issued in the prospectus and they shall be granted to only those candidates who meet the requirements decided by the University for the course of study.

(10) A candidate shall be considered as admitted to a course of study and be eligible to avail the privileges of a student of the University only after he has completed all admission formalities, including payment of the fee, as per the prospectus and if, a candidate fails to complete the admission formalities within the prescribed date, he shall automatically forfeit his right of admission.

(11) The selected candidate shall produce, the following documents in original for verification at the time of interview or last date for completion of the admission formalities, as per the University's instructions namely. —

(a) certificates, diplomas, degrees, mark-sheets of all educational qualifications;

(b) in case of the working students, a no-objection certificate from the employer clearly mentioning the permission of the employer has no objection in the candidate pursuing higher education at the University; and

(c) in case of gap between the qualifying examination and the year of seeking admission in the University, the candidate shall be required to submit an affidavit for engagement during the intervening period.

(12) The Student's name shall be removed from the rolls of the University if it is discovered that a candidate has made a false or incorrect statement or has furnished false or incorrect information or has used any other fraudulent means for securing admission, his name shall be removed from the rolls of the University.

(13) A person who has been rusticated, debarred, expelled or removed from the roll of the University by a competent authority, shall not be eligible for admission in the University.

(14) No candidate shall be entitled to claim admission as a matter of right and the University reserves the right to refuse admission in any case without assigning any reason.

174. Declaration of acceptance of Vice-Chancellor's jurisdiction. — At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration to the effect that he submits himself to the disciplinary jurisdiction of the Vice-Chancellor and other authorities of the University.

175. Residence of students. — A student admitted to the University shall either be a member of the hostel, subject to permission being given, or a day scholar.

176. Submission of transfer or migration certificate. — The student admitted to a course of study shall be required to submit transfer certificate or migration certificate, in original, within thirty days from the date of admission, failing which his admission may be cancelled.

177. Single common application form. — University shall have a single common application form for admission to all courses of study at a particular level that is to say a single common form for all courses of study at the under-graduate level, a single common form for all courses of study at the post-graduate and a single common form for admission in research degree programmes.

178. Choices of programmes during admission. — An applicant for admission shall indicate his choice of course of study in order of his preference in the application form, and thereafter, the admission shall be made in accordance with the preference given by the applicants, strictly on merit, based on the composite score of the selection criteria.

179. The University prospectus. — (1) The University shall, publish its prospectus, as approved by the Academic Council.

(2) The prospectus shall be published on the website of the University and in the national daily newspapers.

(3) The price of prospectus and application fee shall be prescribed by the Executive Council on the recommendation of the Academic Council.

(4) The content of the prospectus shall be such as approved by the Academic Council and contains the following, namely. —

(a) the minimum and maximum duration of a course of study as prescribed by the Academic Council;

(b) the number of approved intake or seats and the commencement and last date of the receipt of application for each course of study for the academic year for which applications for admission are invited;

(c) the procedure for the issue and receipt and submission of application forms for admission including the dates and timings of the issue and receipt of admission forms;

(d) the conditions of eligibility, including the minimum prescribed educational qualification and minimum and maximum age-limit of persons for admission as a student in a particular course of study, where so specified by the University;

(e) the process of admission and selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each course of study and the amount of fee to be paid for the admission test;

(f) each component of the fee, deposits and other charges payable by the students admitted to the University for pursuing a course of study, and the other terms and conditions of such payment;

(g) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a student admitted in the University in case a student withdraws from the University before or after completion of course of study and the time within, and the manner in, which such refund shall be made to that student;

(h) details of the teaching faculty, including the educational qualifications and teaching experience of every member of its teaching faculty and also indicating therein whether such members are on regular basis or as visiting member;

(i) information in regard to physical and academic infrastructure and other facilities, including hostel accommodation, library and hospital or industry wherein the practical training to be imparted to the students and in particular the facilities accessible by students on being admitted to the institution;

(j) broad outline of the syllabi specified for every course of study, including the teaching hours, practical sessions and other assignments; and

(k) all relevant instructions in regard to maintaining the discipline by students within or outside the campus of the University, including provisions relating to the prohibition of ragging of any student or students.

180. Reservations in admissions. — (1) The University shall follow the provisions applicable laws of the Central Government in the matter of reservation of seats in admission.

(2) The University shall reserve the , seats for admission for the students belonging to—

(i)	Scheduled Castes	– 15.0 per cent.;
(ii)	Scheduled Tribes	– 07.5 per cent.;
(iii)	Other Backward Classe	– 27.0 per cent.;
(iv)	Persons With Disabilities	– 5.00 per cent. (seats in every category viz. General, Other Backward Classes – Non Creamy Layer, Scheduled Castes, Scheduled Tribes)
(v)	Economically Weaker Section	– 10.0 per cent.

(3) The candidates seeking admission under the reserved categories shall be required to fulfil the conditions of admission requirement of the course.

(4) The application form of a candidate in the reserved category must be submitted along with the caste or tribe or non-creamy layer certificate issued by the district competent authority and the application form received without the required certificates is liable to be rejected.

(5) If a candidate in the reserved category qualifies for admission in the general category he shall be treated as a general category candidate.

(6) If sufficient number of candidates are not available to fill up the seats reserved for Scheduled Tribes, the seats may be filled up by suitable candidates from Scheduled Castes and vice-versa.

(7) The minimum eligibility conditions for admission to various course of study, including qualifications for admission, age-limits and relaxation, if any, shall be prescribed by the Academic Council and notified in the prospectus each year.

(8) The relaxation in minimum qualifying marks up to a maximum of five per cent shall be made in case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Person with Disability categories.

(9) The final selection for admission shall be made on the basis of the merit of the composite score determined as under—

Serial Number.	WEIGHTAGE OF DIFFERENT COMPONENTS OF THE COMPOSITE SCORE			
	COMPONENTS	Undergraduate	Postgraduate	Research Degree
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Scores obtained in admission test as applicable	50%	50%	50%
2	Percentage of Marks in 10th	20%	10%	10%
3	Percentage of Marks in 10+2	30%	10%	10%
4	Percentage of Marks in undergraduate degree	NA	30%	10%
5	Percentage of Marks in postgraduate degree	NA	NA	10%
6	Personal Interview and Group Discussion	NA	NA	10%
TOTAL		100%	100%	100%

181. Admission criteria to research degree programme.— (1) The candidates who have qualified the Junior Research Fellow Exam or the National Eligibility Test or the State Level Eligibility Test shall be exempted from admission test to enter a research degree programme.

(2) For the purpose of calculating composite score, a candidate who has qualified the Junior Research Fellow Exam shall be deemed to have scored hundred per cent marks in the admission test and candidate who has qualified the research degree programme and a candidate who has qualified the National Eligibility Test or State Level Eligibility Test shall be deemed to have scored marks equivalent to the marks scored by the topper of the year's admission test for a research degree programme.

(3) Subject to the fulfilment of minimum eligibility conditions for admission, a teacher who has been awarded Teacher Research Fellowship by the University Grants Commission and is working in any institution of higher education shall be exempted from the requirement of appearing in admission test for a research degree programme and that he shall be considered at par with the candidates who have qualified the National Eligibility Test or State Level Eligibility Test.

(4) A person already employed in teaching or a research profession shall be exempted from the requirement of appearing in admission test for a research degree programme and shall be treated at par with the candidates who have qualified the National Eligibility Test or State Level Eligibility Test— Subject to the following conditions, namely. —

(a) he must meet the minimum eligibility condition for admission in the research degree programmes;

(b) he has been working as Lecturer or Assistant Professor or Associate Professor or Professor or in an equivalent position on a regular basis for at least ten years in a State or Central University or Government or Government-aided college or institution of national importance or Government research institution or laboratory;

(c) his application for admission in the research degree programme has been duly forwarded by the present employer with the undertaking that he shall be granted leave to pursue the programme of studies on full-time basis; and

(d) notwithstanding the provisions of clause (a), (b) or (c), the Department, with the approval of Academic Council, may adopt any different criteria or test for admission in a research degree programme.

182. Admission through supernumerary seats. — (1) In all the courses, fifteen per cent. of the seats may be filled as supernumerary seats meant for Foreign Nationals, Non-Resident Indians and Overseas Citizen of India category candidates.

(2) Out of the fifteen per cent. supernumerary seats, one-third shall be earmarked for the children of Indian workers in the Gulf to address the need for providing opportunity to foreign nationals.

(3) Candidates belonging to the Foreign Nationals or Non-Resident Indians or Overseas Citizen of India category shall not be required to appear for the single common entrance examination of the University, but shall have to fulfil minimum eligibility conditions for admission and required to qualify internationally accepted aptitude tests like Scholastic Aptitude Test or Graduate Management Admission Test or Graduate Record Examinations or Test of English as a Foreign Language as prescribed for admission in different courses of study to be specified in the prospectus of the University.

(4) Admission to the candidates of the categories mentioned in sub-clause (1) shall be granted on merit determined by their past academic records and performance in internationally conducted aptitude tests for admission in higher education, with fifty per cent weightage towards their academic records and fifty per cent weightage towards to performance in the internationally conducted aptitude tests, as mentioned in application.

(5) Candidates seeking admission under the quota of supernumerary seats shall be required to submit their application on a prescribed form, along with the certified copies of all the necessary documents, as per the procedure specified in the prospectus, to the office of the University in advance throughout the year but not later than the date as specified by the University.

(6) Application for admission should be submitted to the Dean of the School concerned along with the attested or certified copies of all the necessary documents.

(7) Candidates seeking admission under Foreign Nationals or Non-Resident Indians or Overseas Citizen of India category shall be required to pay fees and other charges as applicable to their category and as specified in the ordinance relating to fee structure and as notified in the prospectus.

(8) Candidates admitted under the Foreign Nationals or Overseas Citizen of India category shall be required to undergo a medical test (including test for Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome) within a week from the date of admission.

(9) Candidates admitted under the Foreign Nationals or Non-Resident Indians or Overseas Citizen of India category shall be required to produce student visa within one month of the date of completion of the admission but prior to the commencement of the academic session and submit a copy of the same in the office of the foreign students advisor, failing which their admission shall stand cancelled.

183. Role of the Controller of Examinations. — (1) The controller of examinations shall be responsible for administration, conduct and logistics, including maintenance of confidentiality and secrecy and preparation of list of candidates called for interview on the basis of the merit of the admission test for the respective courses or programmes,

(2) It shall also be the responsibility of the Controller of Examination to. —

(i) ensure that the provisions of the Act, Statutes and Ordinance with regard to admission of students are strictly adhered to;

(ii) co-ordinate the preparation of the prospectus and its publication on the website;

(iii) issue notification for admission, including the date of commencement of the issue of admission form and the last date for the receipt of application form;

(iv) receive, verify and process the application forms received for admission, including the allotment of roll numbers and issuing of admit cards;

(v) take care of the logistics and conduct of entrance examination;

(vi) obtain the approval of the Vice-Chancellor for appointment of paper setter, evaluator, coder and decoder and get the answer scripts coded, evaluated and decoded by the panel of experts as approved by the Vice-Chancellor;

(vii) prepare the list of candidates selected for admission in various courses of study in accordance with the merit of the composite score;

(viii) notify the list of the selected candidates along with the waiting list and to issue admission and fee slips to the selected candidates for completing the admission formalities; and

(ix) allot registration numbers to the candidates admitted and forward the names of the candidates admitted to different courses of study to the Deans of the School and Heads of the Department concerned.

(3) Final selection of candidates for admission shall be done by the Controller of Examination, who shall verify from record and tabulate the marks obtained by each candidate in different components of the selection criteria and shall prepare and notify the list of candidates selected for admission in different courses of study.

184. Entrance examination question papers. — Question papers for entrance examinations shall be separately set by the experts appointed by the Academic Council in accordance with the syllabi, coverage and weightage of different components as approved by the Academic Council and notified by the University in the prospectus.

185. Admission Committee.— (1) The Admission Committee at the level of each School comprising the Dean of the School concerned, as Chairman, Heads of each Department in the School and two nominees of the Vice-Chancellor are members.

(2) The Admission Committee may, if necessary, constitute Admission Interview Committee comprising the Head of the Department concerned as Chairman, a nominee of the Dean, not more than two faculty members of the concerned Department and a nominee of the Vice-Chancellor.

(3) The Admission Committee shall conduct the group discussion or personal interview of the short-listed candidates, verify their marks in the qualifying and other previous examinations and the Chairman of the Admission Committee, shall forward the list of candidates to the Controller of Examination mentioning the marks scored by each students in the group discussion or personal interview and in the qualifying and previous examinations.

PART II

Courses of Study

186. Courses of study. — There shall be courses and programme of studies in the institute for awarding Degrees, Diplomas and Certificates as per Annexure V.

187. Eligibility marks and seats. — The percentage of marks as given in the minimum eligibility requirements and allotted seats shall be approved by the Academic Council from time to time.

188. Minimum eligibility requirements. — The minimum eligibility requirements for the degrees, diplomas and certificates as decided by the University shall be from recognized Universities, Institutions or Boards.

PART III

Fees and Other Charges

189. Fees and other charges.— (1) Students admitted to the Programmes of Studies shall pay the fees as per Annexure V.

(2) The Fee and other charges payable by the applicants and students admitted to different courses of study shall be as specified in the admission brochure and prospectus published by the University on its website.

(3) A student shall stand admitted to a course of study only after he pays the fee as prescribed.

190. Due date and penalty for delay and default.— (1) The fee and other charges, for a semester course shall be payable at the time of the commencement of the semester or as required to be paid by the students on or before the date fixed by the University.

(2) the fees, as prescribed by the University, shall be payable in lump sum at the time of admission or as prescribed by the University and part payment shall not be allowed.

(3) In case a student does not pay fees on time, he shall be liable to pay a fine as follows—

(i) ten per cent. of the total fees due for the first ten days;

(ii) fifteen per cent. of the total fees due for the next ten days after the expiry of the period specified in sub-clause (i); and

(iii) twenty per cent of the total fees due for the next ten days after the expiry of the period specified in sub-clause (ii).

(4) In case a student fails to pay his fees within ten days from the last date prescribed for the fees he shall be considered as defaulter and his name shall be removed from the rolls of the University.

(5) If a candidate selected for admission to course fails to deposit the requisite admission fees within the notified time schedule, his selection shall automatically stand cancelled and the seat shall be offered to a candidate next as per merit.

191. Condonation of delay or relaxation in payment of fees.— (1) The student shall submit an application to condone delay in payment of fees to Dean of the School and Dean of the school forward the same to Vice Chancellor along with his recommendations and Vice Chancellor may condone the same in special cases.

(2) The student shall submit an application to relax in payment of fees to Dean of school and Dean of school forward the same to Vice Chancellor along with his recommendations and Vice Chancellor may relax the same, in special cases.

192. Re-admission of defaulters.— A student whose name has been struck off from the rolls of the University, due to non-payment of fees in time, may be re-admitted on the recommendation of the Dean of the School concerned and on payment of arrears of fees in full and other dues, together with the re-admission fee as fixed by the University:

Provided that the request for re-admission is received within the same semester subject to student fulfilling the requirement of minimum attendance as prescribed by the University.

193. Withdrawal of admission. — A student proposes to withdraw from the University, he shall be required to submit a written application in advance to the Dean of the School concerned through the Head of Department intimating the date of his withdrawal, failing which he shall continue to be on the rolls of the University for the duration of the semester and shall accordingly be liable to pay the prescribed fees for the whole semester.

194. Change of courses of study.— A student, after completing all admission formalities desires to change his courses of study, the same may be permitted by the University in accordance with the relevant provisions of the Statutes or Ordinances, he shall be required to pay the differential fees, if any, within the stipulated date.

195. Fee concession for differently abled students. — Physically challenged students may be exempted from the payment of tuition fees in accordance with the instructions or guidelines issued by the Central Government.

196. Fee concession for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Kashmiri Migrant categories. — Fee concession for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Kashmiri Migrant students and any other category of students shall be in accordance with the instructions or guidelines of the Central Government.

197. Refund of fees in case of cancellation or withdrawal of admission.— In case a student, after having paid the fees, desires his admission to be cancelled, he shall be entitled to refund of fees subject to the following conditions, namely:—

(a) students seeking withdrawal or cancellation of admission shall be required to apply in writing to the Dean of the School concerned;

(b) in case a student submits application for withdrawal or cancellation of admission after the commencement of the academic session but prior to closing date of admission, he shall be refunded the fees after a deduction of one thousand rupees being the processing fees;

(c) in case a student submits application for withdrawal or cancellation of admission after the last date of admission is over and the seat consequently falling vacant could not be filled up by another candidate from the waiting list, he shall be refunded the security deposit;

(d) if a student owes any money to the University on account of any damage he may have caused to the University property, it shall be deducted from the security deposit due to him along with outstanding tuition fee and fines if any;

(e) security deposit is refundable, on an application from the student on his leaving the University, after deducting all dues, fines and other claims against him; and

(f) in case a student does not claim the refund of any amount lying to his credit within one calendar year or his leaving the University, it shall be considered to have been donated by him to the students' aid fund.

Explanation.— For the purposes of this clause, the period of one calendar year shall be reckoned from the date of announcement of the result of the examination taken by the student or the date from which his name is struck off from the rolls of the University.

198. Debarring from examinations. — No student shall be permitted to appear in examination unless he has paid all fees and cleared all other dues.

PART IV

Conduct of Examinations

199. General rules relating to conduct of examinations. — (1) The University shall conduct all examinations (except the entrance examinations for admission to different courses of study) at its Campus only.

(2) The Controller of Examination shall prepare the examinations date-sheets and hand over the same to all Heads of Departments at least twenty-eight days prior to the commencement of the examination.

(3) The Head of Department shall act as Department Superintendent for all examinations in the courses under his Department, including for the mid-term and semester-end examinations.

(4) The Head of Department shall be liable to arrange for invigilation duty from amongst the faculty members and ensure fair and orderly conduct of the examination.

200. Medium of instruction and examination. — (1) The medium of instruction shall be in English for all courses of study offered by the Schools.

(2) Question papers for all examinations shall be set and answered in English.

201. Examination system. — (1) The Courses of study of the University shall be organised in semester mode.

(2) A comprehensive system of internal assessment and evaluation of students shall be instituted as and when new courses are launched.

(3) The Departments shall, depending upon the nature and requirements of a particular course, prescribe different components and weightage for different examinations.

(4) The question papers for the examinations shall have a fixed duration for answering, proportionate to the weightage of marks assigned to it and be divided into sections to be decided as and when new courses are launched.

202. Question-paper setting guidelines. — (1) The paper setter shall ensure that the mid term question paper contains fifty percent of the total course content of the course prescribed for the semester , whereas the semester end examination question paper contains the total course content.

(2) The paper setter shall set the question paper for the mid-term examination in the format prescribed by the University.

(3) The teacher shall make adequate number of copies of the question paper related to the subject and hand it over in sealed cover marked 'Confidential', to the Head of Department at least three days prior to commencement of the corresponding examination.

(4) The Head of Department and the concerned faculty members shall be responsible for conducting the examinations.

(5) The contents of the question paper are to be kept under strict secrecy by authorities handling them till the time it is distributed amongst the candidates on the day of the examination;

(6) A mechanism for review of the question paper shall be put in place, in which feedback from a specified committee regarding modifications in the paper be intimated to the paper setter.

203. Answer-book evaluation and re-evaluation guidelines. — (1) It shall be the duty of the concerned faculty members to evaluate all assignments, quizzes and mid-term examination answer-books and return the same to the students within one week of the date of such examination and submit the marks or grades awarded to the students to the Head of Department concerned.

(2) The paper setter shall submit to the Head of Department concerned the answer key to the questions in the question paper in separate sealed cover for the propose of reviewing the answer-books for re-evaluation applicants.

(3) The Controller of Examination on the recommendation of the Head of Department shall appoint an independent expert to re-evaluate the answer-books of a particular subject.

(4) The answer-book shall be revaluated with reference to the answer key submitted by the paper setter and the marks or grades awarded by the independent expert shall be considered as final.

204. Control of incidences of indiscipline and usage of unfair means in examinations.—(1) Use of unfair means is strictly prohibited and invites disciplinary action for anyone found using unfair means during any examination.

(2) For the purposes of this clause, the unfair means relating to examination shall include—

(i) exerting pressure, coercion and undue influence for postponement and change of dates and timings of examination;

(ii) threatening the invigilator or other behaviour amounting to insubordination as reported by the invigilator or the Department Superintendent;

(iii) seeking favours from or threatening the examiners, paper setters, evaluators, invigilators, co-examinees or any other officer or staff of the University;

(iv) resorting to such practices and engaging into activities that are specifically prohibited during the course of examination;

(v) possession of materials of any kind related to the subject of the examination concerned including cell phones or electronic aids, unless otherwise permitted as a component of examination, or copying or attempting to copy from the materials in possession or from other persons within or outside the examination hall;

(vi) exchanging notes, inter-changing answer-books, helping other examinees, seeking help from or consulting other examinees or any other person inside or outside the examination hall;

(vii) impersonating, including writing some other candidate's registration number in the answer-book or exchanging or attempting to exchange answer-books or other materials during the course of examination;

(viii) sitting or occupying seats other than the one allotted to the candidate or changing the seat during the course of examination without the permission of the invigilator; or

(ix) boycotting the examination or causing disturbances of any kind during the examination.

(3) The Department Superintendent shall report to the Controller of Examinations without delay, each case of alleged use of unfair means in the examination with full details of the evidence in support thereof and the statement of the candidate concerned, if any, on the forms supplied by the Controller of Examinations for the purpose.

(4) The answer-book of the candidate found using unfair means in the examination shall be seized and the candidate may be permitted to write his examination on a separate answer-book to be issued to him, subsequent to which the Department Superintendent shall send both the answer-books to the Controller of Examinations along with his report.

(5) All cases of reported use of unfair means in examination shall be referred to the Disciplinary Committee.

(6) The punishment for different nature of unfair means are given in the Table below :

Table

Nature of Unfair means	Scale of Punishment
(a) Found in possession of incriminating material related to the subject of the examination concerned. (b) Found copying either from the possessed material or from a neighbour. (c) Exchange of answer sheets or relevant materials. (d) Change of seat of copying. (e) Typing to help other candidates. (f) Found consulting neighbours. (g) Using unauthorized electronic devices.	Cancellation of the examination in the said subject
If the candidate has repeated the unfair means shown at (a) to (g) above a second time	Cancellation of Examinations registered by the candidate in that session
If the candidate has repeated the unfair means shown at (a) to (g) third time	Cancellation of the University examination of all subjects registered by the candidate in that session and debarring him/her for the next examination session (i.e. all University examination in the subsequent session).
(h) Writing some other candidate's register number in the main answer paper.	Cancellation of the examination in the said subject.
(i) Insertion of pre-written answer sheets (main sheets or additional sheets)	Cancellation of the University examination of all subjects registered by the candidate for that session and debarring him/her for two subsequent examination sessions.
(j) threatening of the invigilator or insubordinate behaviour as reported by the Superintendent and or Hall Superintendent.	Cancellation of the University examination of all subjects registered by the candidate for that session and debarring him/her for two years from registering and appearing for the University Examination.
(k) Consulting the invigilator for answering the questions in the examination.	Cancellation of the examination in the said subject.
(l) cases of impersonation	Cancellation of the University examination of all subjects registered by the candidate for that session and debarring him/her for two years from registering and appearing for the University Examination sessions. Moreover, relevant legal action shall be initiated against the person impersonating.
(m) Mass copying	a) **In the single Hall:** Canalling the relevant examination taken by the students of that hall and debarring the concerned Hall Superintendent and other involved from the invigilation and other examination related work such as question paper setting, evaluation etc. for the next six examination sessions. b) **In a Centre:** Cancelling the relevant examination taken by the students of centre. Also debarring the Hall superintendents and others directly or indirectly involved from the examination work such as invigilation, question paper setting, evaluation etc. for the next six examination sessions.
(n) Using electronic Devices for the purpose of malpractice.	Cancel the Examinations in the subject for that session.

(7) The use of unfair means on a mass scale at an examination centre, the Vice-Chancellor shall have powers to cancel the examination of all the candidates appearing from the centre concerned and order for re-examination.

(8) All decisions taken by the Disciplinary Committee shall be placed before the Vice-Chancellor for decision.

(9) A candidate found guilty of using unfair means in examination by the Disciplinary Committee, may appeal to the Vice-Chancellor, in writing, within one month from date of the receipt of the decision under clause (8).

(10) On receipt of the appeal under clause (9), the Vice-Chancellor if satisfied that the representation merits consideration, he may refer the case back to the Disciplinary Committee for re-consideration.

205. Specific provisions for conduct of entrance examination for admissions.— The University shall take appropriate measures necessary for admission of students to the University and when new courses or programmes are launched by the University.

206. Grading system. — The student shall be evaluated using a grading system, which shall be made in public.

207. Attendance. — (1) A student admitted to a course of study shall maintain a minimum attendance of seventy-five per cent. in a semester in all his subjects during the course of study.

(2) The student who fails to achieve the seventy-five per cent. attendance shall not be permitted to sit for the semester-end examination in the respective subject and shall have to repeat the subject.

(3) Any student who failed to achieve the seventy-five per cent. attendance in a subject more than twice during the course of study, the student shall be detained and such students shall have to seek fresh admission and be required to go through the entire admission process again.

(4) The teacher handling a subject shall maintain a record of attendance of students who have registered for the subject and shall display on the notice board of the Department the monthly attendance record of each student.

(5) The teachers shall intimate the Head of Department concerned, at least seven calendar days before the last instruction day in the semester, particulars of all students who have secured less than seventy-five per cent. attendance in their respective subjects, thereafter, the Head of Department shall display on the notice board of the Department, names of all students who shall not be eligible to take the semester-end examinations in the various subjects and send a copy of the same to the Dean of the School concerned.

(6) The Dean of the School concerned may grant exemption to a candidate who has failed to obtain the minimum prescribed seventy-five per cent. attendance for valid reasons provided that such exemption shall not be granted for attendance below sixty-five per cent.

Chapter XIII

PROCEDURE FOR CO-OPERATION AND COLLABORATION WITH OTHER UNIVERSITIES AND AUTHORITIES, INCLUDING LEARNED BODIES OR ASSOCIATIONS

208. Procedure for Co-operation and Collaboration with other Universities and Authorities, including Learned Bodies or Association. — (1) The University may co-operate and collaborate with other Universities in India or abroad and authorities including learned bodies or associations.

(2) The co-operation and collaboration under clause (1) shall be with the aim of furthering teaching, research and consultancy aimed at providing opportunities of enhanced learning, hands on experience, cross-cultural dialogue and exchange of ideas for its faculty, research scholars and students.

(3) The University may enter into Memorandum of Understanding with any other University in India or abroad or authorities, including learned bodies or associations, for the purpose of co-operation or collaboration.

(4) The University shall constitute the co-operation and collaboration committee and it comprises the following members, namely:—

(a) the Vice-Chancellor or one of the Deans of Schools, to be nominated by the Vice-Chancellor - Chairperson;

(b) two faculty members not below the rank of Professor, to be nominated by the Vice-Chancellor - Member;

(c) Coordinator of External Relations - Member;

(d) the Deans of the Schools concerned - Member;

(e) the Finance Officer - Member; and

(f) the Registrar – Member Secretary.

(2) The co-operation and collaborations committee shall examine proposals received or initiated by the University to sign Memorandums of Understanding with any other University in India or abroad or authorities, including learned bodies or associations.

(3) The Co-operation and Collaborations Committee shall examine the proposals, taking into consideration all aspects involving rights and obligations of the University and shall make a recommendation as to whether it is in the interest of the University to enter into the Memorandum of Understanding.

(4) The recommendations of the Co-operation and Collaborations Committee together with the draft of the Memorandum of Understanding shall be placed for the consideration and approval of the Academic Council and Executive Council of the University.

(5) A Memorandum of Understanding shall be for a fixed period (to be decided by the University) and shall be reviewed periodically by the Co-operation and Collaborations Committee for continuation, extension or termination.

CHAPTER XIV

EMPLOYEES' AND STUDENTS' GRIEVANCES REDRESSAL COMMITTEES

209. The University shall be constitute the following Grievances Redressal Committees for the purposes of redressal of the grievances of students and employees of the University, namely. —

1. Students' Grievances Redressal Committee;
2. Teachers' Grievances Redressal Committee; and
3. Non-Teaching Staff Grievances Redressal Committee.

210. Students' Grievance Redressal Committee.— The Students' Grievances Redressal Committee shall consist of the following persons, namely:—

1. the Registrar or such other person to be nominated by the Vice-Chancellor - Chairperson;
2. one representative of the Student's Council - Member;
3. one nominee of the Vice-Chancellor - Member;
4. the Dean of the School concerned - Member; and
5. the Dean of Students Welfare – Member Secretary.

211. Teachers' Grievance Redressal Committee.— The Teachers' Grievances Redressal Committee shall be constituted by the Executive Council consisting of the following persons, namely:—

(a) the Vice-Chancellor or his representative – Chairperson;

(b) five representatives from the teachers' community representing gender, minority, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes –Members; and

(c) Vice-Chancellor's nominee – Secretary.

212. Non-Teaching Staff Grievance Redressal Committee.— The Non-Teaching Staff Grievances Redressal Committee shall consist of the following persons , namely:—

(a) the Vice-Chancellor or his nominee - Chairperson;

(b) five representatives from the non-teaching staff community representing gender, minority, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes - Members; and

(c) the Registrar or his nominee – Member-Secretary.

213. The Grievances Redressal Committees shall observe the following general principles, namely:—

(a) the campus shall be made fully aware of the grievance redressal mechanism;

(b) every grievance from a student or staff member should be registered and acknowledged;

(c) if a final decision is not feasible within a fortnight, an acknowledgement shall be sent to the applicant along with an indication as to when he can expect a final reply;

(d) all the grievances, as far as may be, shall be disposed of within a period of three months;

(e) the officer nominated by the Vice-Chancellor and the person responsible for addressing grievances shall make himself available to hear the grievances personally at least once a week at fixed timings;

(f) he shall take decisions on grievances which are pending for more than three months; and

(g) any person who is not satisfied with the redressal by the Grievance Redressal Committee, may, appeal the Vice-Chancellor against such decision.

214. Powers and Functions of the Grievance Redressal Committees.— The Grievance Redressal Committees, shall—

(a) entertain written and signed complaints and petitions of staff (non-teaching) in respect of matters directly affecting them individually or as a group;

(b) enquire into the grievances and make recommendations in a report to the concerned authorities and the Academic Council and the Executive Council for suitable action; and

(c) recommend appropriate action against complainant, if the allegations made in the complaint are found to be baseless.

215. Interpretation. — If any question arises relating to the interpretation of the Ordinances, it shall be referred to the Executive Council whose decision shall be final.

Schedule I

(1)	**1. Professor (Aviation Science Courses)**
(2)	02 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200)
(4)	Not applicable
(5)	50 Years
(6)	**Essential qualifications**: A. (i) Doctor of Philosophy qualification(s) in the Aviation science and published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 publications as books and or research or policy papers (ii) Associate Professor with ten years of teaching experience in university or college and Five years of experience in research at the University or National level institutions or industries, including experience of guiding candidates for research at doctoral level (iii) Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses, and technology – mediated teaching learning process; and (iv) A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator based Performance Based Appraisal System, set out in "University Grant Commission Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges, 2016" (v) Should be qualified in National Eligibility Test. or B. An outstanding professional, with established reputation in the relevant field, who has made significant

	contributions to the knowledge in the concerned or allied or relevant discipline, to be substantiated by credentials.
(7)	Age: Not applicable. Educational Qualifications: Yes.
(8)	Two years.
(9)	Direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Holding analogous post in Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200) on regular basis in any recognized University or Autonomous bodies or Central or State Government Undertaking possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.
(11)	Not applicable.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**2. Associate Professor (Aviation Science Courses)**
(2)	06 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level--13A (Rs. 1,31,100-2,16,600)
(4)	Not applicable.
(5)	45 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Ph.D. in the Aviation science and should be qualified in National Eligibility Test. (ii) Master's Degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) from a recognized University or Institution. (iii) Assistant Professor in level -10 (Rs. 56,100-1,77,500) with eight years of experience of teaching or research in an academic or research position equivalent to that of in a University, College or Accredited Research Institution or industry excluding the period of doctor of philosophy research with evidence of published work and a minimum of five publications as books and or research or policy papers. (iv) Contribution to educational innovation, design of new curricula and courses, and technology – mediated teaching learning process with evidence of having guided doctoral candidates and research students. (v) A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator based Performance Based Appraisal System, set out in "University Grant Commission Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges, 2016".
(7)	Age: Not applicable. Educational Qualifications: Yes.
(8)	Two years.
(9)	Direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Holding analogous post on regular basis in Level--13A(Rs. 1,31,100-2,16,600) in any recognized University or Autonomous bodies or Central or State Government Undertaking possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government

	shall ordinarily not to exceed five years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.
(11)	Not applicable.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**3. Assistant Professor (Aviation Science Courses)**
(2)	12 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Academic level -10 (Rs. 56,100-1,77,500)
(4)	Non-selection post
(5)	40 Years
(6)	**Essential qualifications:** (i) 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in Aviation Science from a recognized Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university. (ii) The candidate must have cleared the National Eligibility Test for Lecturer or Assistant Professor conducted by the University Grant Commission, Counsel of Scientific and Industrial Research or similar test accredited by the University Grant Commission like State Level Eligibility Test or State Eligibility Test. (iii) Notwithstanding anything contained in (i) and (ii), candidates, who are, or have been awarded a doctor of philosophy degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of doctor of philosophy degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of National Eligibility Test or State Level Eligibility Test or State Eligibility Test for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities or Colleges or Institutions. (iv) National Eligibility Test or State Level Eligibility Test or State Eligibility Test shall also not be required for such Master's Programmes in disciplines for which National Eligibility Test or State Level Eligibility Test or State Eligibility Test is not conducted.
(7)	Not Applicable (Non-Selection Post).
(8)	Two years.
(9)	Direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Holding analogous post in Academic level -10 (Rs. 56,100-1,77,500) on regular basis in any recognized University or Autonomous bodies or Central or State Government Undertaking possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
(11)	Not applicable.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**4. Professor (Management or Business Administration Courses).**
(2)	02 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200)
(4)	Selection post in case of promotion; not applicable for direct recruitment.
(5)	50 Years
(6)	**Essential Qualifications:** (i) 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) in Master's Degree in Business Management or Administration or in a relevant discipline or 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) in two-year full time Post Graduate Diploma in Management declared equivalent by Association of Indian Universities or recognized by the All India Council for Technical Education or University Grant Commission; or Graduate in Chartered Accountant or Cost Accountant or Company Secretary of the concerned statutory body. (ii) Doctor of philosophy or Fellow of Indian Institute of Management or of an Institute recognized by All India Council for Technical Education and declared equivalent by the Association of Indian Universities. (iii)Ten years' experience of teaching or research out of which five years must be at the level of Reader or Assistant Professor or equivalent in level 10 (Rs. 56,100-1,77,500) excluding the period spent for obtaining the research degree. or In the event the candidate is from industry and the profession, the following requirements shall constitute as essential requirements: - 1. Master's Degree in Business Management or Administration or in a relevant management related discipline or Post Graduate Diploma in Management declared equivalent by Association of Indian Universities or recognized by All India Council for Technical Education or University Grant Commission with 55% marks, or Graduate Chartered Accountant or Cost Accountant or Company Secretary of the concerned statutory body. 2. A minimum of ten years' experience of teaching industry or research or by profession, out of which five years must be at the level of Assistant Professor or equivalent in level 10 (Rs. 56,100-1,77,500) excluding the period spent for obtaining research degree. **Desirable Qualification. —** (a) Five years' of experience of guiding the project work or dissertation of Post Graduate or Research Students or supervising Research and Development projects in industry. (b) Demonstrated leadership in planning and organizing academic, research, industrial and or professional activities; and (c) Capacity to undertake or lead sponsored Research and Development consultancy and related activities.
(7)	Age: Not applicable. Educational Qualifications: Yes.
(8)	Two years.
(9)	Direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Holding analogous post in level Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200) on regular basis in any recognized University or Autonomous bodies or Central Government or State Government Undertaking possessing qualifications and experience as prescribed in column (6).

	Note. — The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.
(11)	Not applicable.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**5. Associate Professor (Management or Business Administration Courses).**
(2)	06 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-13A (Rs. 1,31,100-2,16,600)
(4)	Not applicable.
(5)	45 Years
(6)	**Essential qualifications:** (i) Master's Degree in Business Management or Administration or in a relevant management related discipline or with 55 % marks in two years Post Graduate Diploma in Management declared equivalent by Association of Indian Universities or recognized by the All India Council for Technical Education or University Grant Commission; or Graduate and in Chartered Accountant or Cost Accountant or Company Secretary of the concerned statutory body. (ii) Doctor of philosophy or Fellow of Indian Institute of Management or of an Institute recognized by All India Council for Technical Education and declared equivalent by the Association of Indian Universities. (iii) Assistant Professor in level Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) of teaching or industry or research or professional at managerial level excluding the period spent for obtaining the research degree with Eight years of regular service. **or** In the event the candidate is from industry and the profession, the following requirements shall constitute as essential requirements: - 1. Master's Degree in Business Management or Administration or in a relevant management related discipline Post Graduate Diploma in Management declared equivalent by Association of Indian Universities or recognized by All India Council for Technical Education or University Grant Commission with 55% marks, or Graduate Chartered Accountant or Cost Accountant or Company Secretary of the concerned statutory body. 2. A minimum of ten years' experience of teaching industry or research or by profession, out of which five years must be at the level of Assistant Professor or equivalent in level Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) excluding the period spent for obtaining research degree. The candidate should have Professional work experience, equivalent to ten years' managerial experience in industry or profession of which at least five years should be at the level comparable to that of lecturer or assistant professor. Desirable qualification. — (a) At least five Published work, such as research papers, patents filed or obtained, books and or technical reports; and (c) Five years of experience of guiding the project work or dissertation of Post Graduate or Research Students or supervising Research and Development projects in industry.

(7)	Age: Not applicable. Educational Qualifications: Yes.
(8)	Two years.
(9)	Direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Holding analogous post in Level-13A (Rs. 1,31,100-2,16,600) on regular basis in any recognized University or Autonomous bodies or Central Government or State Government Undertaking possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed Fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.
(11)	Not applicable.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**6. Assistant Professor (Management or Business Administration Courses)**
(2)	12 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500)
(4)	Non-selection post
(5)	40 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Master's Degree in Business Management or Administration or in a relevant management related discipline or full time Post Graduate Diploma in Management declared equivalent by Association of Indian Universities or accredited by the All India Council for Technical Education or University Grant Commission. or Graduate Chartered Accountant or Cost Accountant or Company Secretary of the concerned statutory bodies. (ii) Five years of regular service in teaching, research, industrial and or professional in a recognized organization in level 9 (53,100-1,67,800) (iii) Two papers presented at Conferences and or published in refereed journal.
(7)	Not applicable.
(8)	Two years.
(9)	Direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Holding analogous post on regular basis in Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500)in any recognized University or Autonomous bodies or Central or State Government Undertaking possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
(11)	Not applicable.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**7. Professor (Engineering and Technology Courses)**
(2)	02 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-14 (Rs. 1,44,200-2,18,200)
(4)	Not applicable
(5)	50 Years
(6)	**Essential qualifications:** A doctor of philosophy degree along with Bachelor's or Master's Degree from a recognized university in the appropriate branch of Engineering and Technology and Experience of ten years in teaching, research and or industry, out of which at least 5 years at the level of Assistant Professor or Reader or equivalent grade in Level 10 (Rs. 56,100-1,77,500) in pay matrix. or In the event the candidate is from industry and the profession, the following shall constitute as essential: (i) Master's Degree in the appropriate branch of Engineering and Technology from a recognized university. (ii) Significant professional work in appropriate branch of Engineering., and Technology, and industrial or professional experience of ten years, out of which at least five years at a senior level of Assistant Professor or Reader in Level 10 (Rs. 56,100-1,77,500) in pay matrix. **Desirable qualifications:** (i) Five published work, such as research papers, patents filed or obtained, books, and or technical reports. (ii) Five years of experience of guiding the project work or dissertation of Post Graduate or Research Students or supervising Research Development projects in industry;
(7)	Age: Not applicable.
(8)	Two years in case of direct recruitment.
(9)	Direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Holding analogous post in Level-14 (Rs. 1,44,200-2,18,200) on regular basis in any recognized University or Autonomous bodies or Central Government or State Government Undertaking possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.
(11)	Not applicable.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**8. Associate Professor (Engineering and Technology Courses)**
(2)	06 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-13A (Rs. 1,31,100-2,16,600)
(4)	Not applicable
(5)	45 Years

(6)	**Essential qualifications:** (i) A doctor of philosophy degree with First Class at Bachelor's or Master's Degree from a recognized university in the appropriate branch of Engineering, and Technology and Experience of eight years in teaching, research and or industry at the level of Lecturer or equivalent grade in Level 10 (Rs. 56,100-1,77,500) in pay matrix excluding period spent on obtaining the research degree. or In the event the candidate is from industry and the profession, the following shall constitute as essential: (i) Master's Degree in the appropriate branch of Engineering, and Technology from a recognized university. (ii) Significant professional work in appropriate branch of Engineering, and Technology, and industrial or professional experience of eight years in Level 10 (Rs. 56,100-1,77,500), in a position equivalent to the level of Lecturer. **Desirable qualifications:** Without prejudice to the above, the following conditions may be considered desirable: (i) Teaching, research industrial and or professional experience in a recognized organization. (ii) Published work, such as research papers, patents filed or obtained, books, and or technical reports; and (iii) Experience of guiding the project work or dissertation of Post Graduate or Research Students or supervising Research and Development projects in industry.
(7)	Age: Not applicable. Educational Qualifications: Yes.
(8)	Two years.
(9)	Direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Holding analogous post in Level-13A (Rs. 1,31,100-2,16,600)on regular basis in any recognized University or Autonomous bodies or Central or State Government Undertaking possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.
(11)	Not applicable.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**9. Assistant Professor (Engineering and Technology Courses)**
(2)	12 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500)
(4)	Non-selection post.
(5)	40 Years
(6)	**Essential qualifications:** First Class Masters' Degree in Engineering and Technology; Should be National Eligibility Test qualified. (i) Teaching, research, industrial and or professional experience in a from a recognized university.

	(ii) Five papers presented at Conferences and or published in refereed journal.
(7)	Not Applicable (Non-Selection Post).
(8)	Two years.
(9)	Direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** A scholar holding analogous post on regular basis in any recognized University or Autonomous bodies or Central Government or State Government Undertaking possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
(11)	Not applicable.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Schedule II

(1)	**Name of Post**	**1.Registrar**
(2)	**Number of Posts**	01 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	**Level in the pay matrix.**	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200)
(4)	**Whether selection post or Non-selection post.**	Not applicable.
(5)	**Age limit for direct recruits.**	50 Years
(6)	**Educational and other qualification required for direct recruits**	**Essential qualifications**: (i) Master's Degree in any discipline from a recognized University with 55% of the marks or grade B in the University Grant Commission seven-point scale or its equivalent along with a good academic record, as laid down by University Grant Commission. (ii) Assistant Professor in the Academic in Level - 11 (67,700-2,08,700) with fifteen years of regular service or Associate Professor in the Academic in Level - 12 (78,800-2,09,200) with eight years of regular service in any recognized university, research establishments and other recognized institution of higher education. or Fifteen years of administrative experience, of which eight years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post in level-12 (78,800-2, 09,200) in pay matrix. **Desirable qualification and experience:** (i) Doctor of Philosophy in any subject from a recognised Institution or university. (ii) Five years of experience of administrative practices, human resource management, statutory functions and academic activities of universities or Research and Development institutions and handling legal matters.

(7)	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.**	Not applicable.
(8)	**Period of Probation if any.**	One year.
(9)	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.**	By direct recruitment on tenure basis for a period of five years, failing which by deputation.
(10)	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.**	**Deputation:** Individuals at analogous posts or with three years' regular service in the Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900) in the pay matrix in any Central Government or State Government Department or Government Organisation and possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note 1 – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed five years. Note 2 – The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.
(11)	**If a departmental promotion or selection/confirmation committee exists, what is its composition?**	**The selection/confirmation committee consisting of –** (i) two members of the Executive Council nominated by it; (ii) one person not in the service of the University nominated by the Executive Council.
(12)	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**2. Finance Officer**
(2)	01 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200)
(4)	Not applicable.
(5)	50 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Master's Degree from a recognized University with 55% of the marks or grade B in the University Grant Commission seven-point scale or its equivalent along with a good academic record, as laid down by University Grant Commission. (ii) Assistant Professor in the Academic in Level -11 (67,700-2,08,700) with fifteen years of regular service or Associate Professor in the Academic in Level -12 (78,800-2,09,200) with eight years of regular service in

	any recognized university or research establishments or other recognized institution of higher education. or Fifteen years of administrative experience, of which eight years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post in level-12 (78,800-2,09,200) in the pay matrix. **Desirable qualification and experience:** (i) Master's Degree in Finance Management with experience in modern financial management techniques like accrual method of accounting or conversant using it in management functions in Universities or Higher Education Institutions. (ii) Charted Accounts or Institute of Cost Accountants of India or Master of Business Administration (Finance). (iii) Good working knowledge of rules and regulations of Central Universities, Research and Development institutions relating to accounts or audit, service conditions and related financial matters. (iv) Five years of experience in managing accounting systems in autonomous institutions or State Government or Central Government.
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment on tenure basis for a period of five years, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Individuals at analogous post in Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900) in the pay matrix or with 3 years' regular service in any Central Government or State Government Department or Government Organisation and possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note 1 - The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the central government shall ordinarily not to exceed five years. Note 2 – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty eight years as on the closing date of receipt of application.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** (i) two members of the Executive Council nominated by it; (ii) one person not in the service of the University nominated by the Executive Council.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**3.Librarian**
(2)	01 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200)
(4)	Not applicable.
(5)	50 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Master's Degree in Library Science or Information Science or Documentation from a recognized university 55% of the marks or grade B in the University Grant Commission seven-point scale or its equivalent and a consistently good academic record. (ii) Deputy Librarian in a University in level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) with thirteen years of regular service or College Librarian in level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) with eighteen years of regular service.

	Desirable qualification and experience: Master of Philosophy or Doctor Philosophy degree in Library Science or Information Science or Documentation or Archives and Manuscript-keeping from a recognized university
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment on tenure basis for a period of five years, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Individuals at analogous posts in the Level-13A (Rs. 1,31,100-2,16,600) in the pay matrix with 3 years' regular service in any Central Government or State Government Department or Government Organization and possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note.1 – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the central government shall ordinarily not to exceed five years. Note 2- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** (i) two persons not in the service of the University, who have special knowledge of the subject of the Library Science or Library Administration nominated by the Executive Council;
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**4.Controller of Examinations**
(2)	01 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200)
(4)	Not applicable.
(5)	50 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Master's Degree in any discipline from a recognized University with 55% of the marks or grade B in the University Grant Commission seven-point scale or its equivalent along with a good academic record, as laid down by University Grant Commission. (ii) Assistant Professor in the Academic in Level -11 (67,700-2,08,700) with fifteen years of regular service or Associate Professor in the Academic in Level -12 (78,800-2,09,200) in the pay matrix with eight years of regular service along with the experience in educational administration in any recognized university or research establishments or other recognized institution of higher education. or Fifteen years of administrative experience, of which eight years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post level-12 (78,800-2,09,200) in the pay matrix. **Desirable experience:** Five years of experience in the pre-conduct and post-conduct of University examinations or other comparable examinations; working knowledge of examination software and results automation.

(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment on tenure basis for a period of five years, failing which by deputation
(10)	**Deputation:** Individuals at analogous posts or with three years' regular service in the Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900) in the pay matrix in any Central Government or State Government Department or Government Organization and possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note.1 – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the central government shall ordinary not to exceed five years. Note 2- The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-eight years as on the closing date of receipt of application.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** (i) two members of the Executive Council nominated by it; (ii) one person not in the service of the University nominated by the Executive Council.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**5.Collaboration Cum Placement Officer**
(2)	02 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900)
(4)	Not applicable.
(5)	50 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Master of Business Administration Degree from a recognized University with 55% of the marks or grade B in the University Grant Commission seven-point scale or its equivalent. (ii) Eight years of experience as Collaboration or Placement Officer or as faculty member in level 10 (Rs. 67,700-2,08,700) in any recognized University or recognized educational institution or reputed Public or Private Sector undertaking. **Desirable qualification and experience:** Should possess very good communication skills.
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Individuals at analogous posts or with 3 years' regular service in the Level-13 (Rs. 1,23,100-2,15,900) in the pay matrix in any Central Government or State Government Department or Government Organisation and possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note 1.– The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty eight years as on the closing date of receipt of application.

(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –**	
	1. Vice Chancellor	Chairperson;
	2. Registrar	Member;
	3. Dean of School or Head of the Section concerned	Member;
	4. One member of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor	Member;
	5. Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor	Member;
	6. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories.	Member;
	7. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation.	Member;
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.	

(1)	**6. Deputy Registrar**
(2)	04 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level 12 (Rs. 78,800-2,09,200)
(4)	Not applicable.
(5)	50 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Master's Degree in any discipline from a recognized University with 55% of the marks or grade B in the University Grant Commission seven-point scale or its equivalent. (ii) Assistant Professor in Academic in Level-10 (56100-177500) in pay matrix with ten years of regular service in any recognized university or research establishments or other recognized institution of higher education. or Five years of administrative experience at Assistant Registrar or equivalent post Level-10 (56100-177500) in pay matrix **Desirable experience:** (i) Five years of experience of administrative practices, human resource management, statutory functions and academic activities of Universities or Research and Development institutions. (ii) Five years of experience of handling legal matter or Finance Matters or Exam Matters. (iv) Good communication, managerial and leadership skills to head a division or branch and possess good drafting and noting skills.
(7)	Age: No. Educational Qualification: Yes
(8)	One year.
(9)	(i) 75% by direct recruitment.

	(ii) 25% by promotion failing which by deputation.
(10)	**Promotion:** Assistant Registrar with Five years' regular service in Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix. Note. – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for Promotion, their seniors shall also be considered provided there are not short of the requisite qualifying or eligibility senior or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers holding analogous posts on regular basis or with five years regular service in Level-11 (67,700-2,08,700) in pay matrix in the Central Government or State Government, Universities and other autonomous organizations. Note 1:– The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 2:– The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of application. Note 3:– The Departmental Officers in the Feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Vice Chancellor — Chairperson; 2. Registrar — Member; 3. Dean of School or Head of the Section concerned — Member; 4. One member of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor — Member; 5. Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor — Member; 6. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories. — Member; 7. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation. — Member; **The departmental promotion committee consisting of –** 1. Vice Chancellor - Chairperson; 2. Registrar - Member; 3. Dean of the School or Head of the Section concerned - Member; 4. Two members of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor - Members; and 5. Two persons not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor, one of whom is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates

	appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories - Members.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**7.Deputy Finance Officer**
(2)	02 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level 12 (Rs. 78,800-2,09,200)
(4)	Not applicable.
(5)	50 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Master's Degree from recognized university with 55% of the marks or grade B in the University Grant Commission seven-point scale or its equivalent. (ii) Assistant Professor in level -10 (Rs. 56100-177500) in pay matrix with ten years of regular service along with experience in educational administration or recognized research establishment or other recognize institutions of higher education Or Assistant Registrar or equivalent post in Level-10 (56100-177500) in pay matrix with five years of regular service.
(7)	Age: No. Educational Qualification: Yes.
(8)	One year.
(9)	(i) 75% by direct recruitment. (ii) 25% by promotion failing which by deputation.
(10)	**Promotion:** Assistant Registrar with five years' regular service in Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix. Note.– Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for Promotion, their seniors shall also be considered provided there are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers holding analogous posts on regular basis or with five years regular service in Level-11 (Rs. 67,700) in pay matrix in the Central Government or State Government, Universities and other autonomous organizations. Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty- six years as on the closing date of receipt of application. Note 3. – The Departmental Officers in the Feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Vice Chancellor Chairperson; 2. Registrar Member;

	3. Dean of School or Head of the Section concerned — Member; 4. One member of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor — Member; 5. Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor — Member; 6. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories. — Member; 7. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation. — Member; **The departmental promotion committee consisting of –** 1. Vice Chancellor - Chairperson; 2. Registrar - Member; 3. Dean of the School or Head of the Section concerned - Member; 4.Two members of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor - Members; and 5.Two persons not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor, one of whom is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories - Members.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**8.Internal Audit Officer**
(2)	02 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level 12 (Rs. 78,800-2,09,200)
(4)	Not applicable.
(5)	50 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Indian Accounts and Audit Services or Subordinate Accounts Services or Charter Accountant or Institute of Cost Accounts of India or equivalent Accounts qualifications. (ii) Deputy Controller or Deputy Director (Audit) in level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix with five years of regular service. or Assistant Controller or Assistant Director (Audit) or Senior Audit Officer or equivalent level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) with ten years of regular service.

	Desirable experience: Five years of experience of working in organizations having double-entry system of accounting in universities or similar organizations and knowledge of computer applications.
(7)	Not applicable.
(8)	Not applicable.
(9)	By direct recruitment failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Officers of Central Government or State Government, Universities and other Autonomous Organisations: holding analogous posts on regular basis; or with five years' regular service in pay level-11 (67,700-2,08,700) in the pay matrix; or with 10 years' regular service in pay level-10 (56,100-1,77,500) in the pay matrix. Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Vice Chancellor — Chairperson; 2. Registrar — Member; 3. Dean of School or Head of the Section concerned — Member; 4. One member of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor — Member; 5. Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor — Member; 6. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories. — Member; 7. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation. — Member;
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**9. System Administrator**
(2)	02 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level 12 (Rs. 78,800-2,09,200)

(4)	Not applicable.
(5)	50 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Bachelor's Degree in Electronic Engineering or Computer Engineering from a recognized university or institution with minimum 55% marks with seven years' experience in computing. or Master of Science with Post Graduate Diploma in Computer Applications from a recognized university or institution with minimum 55% marks with seven years' experience in computing. or Master of Computer Application from recognized university or institution with minimum 55% marks with seven years' experience in computing. (ii) System Analyst in the pay level-10 (56100-177500) in pay matrix or equivalent position in Central Government or State Government Institutes or organizations with ten years of regular service.
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	i. 75% by direct recruitment ii. 25% by promotion, failing which, by deputation.
(10)	**Promotion:** System Analyst in the pay level-10 (56,100-1,77,500) with ten years of regular service in Central Government or State Government Institutes or Organisations. The promotion shall be made on the recommendation of the Departmental Promotion Committee on the basis of merit cum seniority. Note. – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for Promotion, their seniors shall also be considered provided there are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Persons holding analogous post on regular basis or with ten years regular service as System Analyst in the pay level-10 (56,100-1,77,500) or equivalent in the Central Government or State Government, Universities or autonomous organizations and with qualifications and experience as mentioned under column 6. Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application. Note 3. – The Departmental Officers in the Feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Vice Chancellor — Chairperson; 2. Registrar — Member; 3. Dean of School or Head of the Section concerned — Member; 4. One member of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor — Member; 5. Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor — Member; 6. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post

	belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories. Member; 7. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation. Member; **The departmental promotion committee consisting of –** 1. Vice Chancellor - Chairperson; 2. Registrar -Member; 3. Dean of the School or Head of the Section concerned -Member; 4. Two members of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor -Members; and 5.Two persons not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor, one of whom is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories -Members.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**10. Executive Engineer**
(2)	02 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level 11 (Rs. 67,700-2,08,700)
(4)	Nor applicable
(5)	40 years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Bachelor's Degree in Civil or Electrical Engineering from a recognized University or Institution. (ii) For civil engineers – Ten years of experience in design, systems and construction of building, roads, sanitary and water supply systems including maintenance of the same, of which five years' experience as Assistant Engineer (Civil) or comparable post in pay level 10 (Rs. 56,100-1,77,500). or For electrical engineers – Ten years of experience in Electrical systems including maintenance of the same, of which 5 years' experience as Assistant Engineer (Electrical) or comparable post in pay level 10 (Rs. 56,100-1,77,500). **Desirable qualification:** For civil engineers – Post-graduate degree in Structures or Structural or Civil Engineering from a recognized university or institution. For electrical engineers– Post-graduate degree in Electrical Engineering from a recognized university or institution
(7)	Age: No. Educational Qualification: Yes.
(8)	One year.
(9)	i. 50% by direct recruitment ii. 50% by promotion, failing which by deputation.
(10)	**Promotion:** From Junior Engineers possessing degree in Civil or Electrical Engineering with ten years' regular service in level 10 (Rs. 56,100-1,77,500) in pay matrix and possessing qualifications and experience as prescribed in

	column (6). Note. – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for Promotion, their seniors shall also be considered provided there are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers from Central or State Government Department or Organisations or Autonomous Bodies and Public Sector Undertakings at the level of Junior Engineer in level 10 (Rs. 56,100-1,77,500) in pay matrix with ten years' regular service. Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application. Note 3. – The Departmental Officers in the Feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Vice Chancellor Chairperson; 2. Registrar Member; 3. Dean of School or Head of the Section concerned Member; 4. One member of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor Member; 5. Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor Member; 6. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories. Member; 7. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation. Member; **The departmental promotion committee consisting of –** 1. Vice Chancellor -Chairperson; 2. Registrar -Member; 3. Dean of the School or Head of the Section concerned -Member; 4. Two members of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor -Members; and 5. Two persons not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor, one of whom is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories -Members.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**11. Assistant Registrar**
(2)	04 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-10 (Rs. 56,100)
(4)	Not applicable.
(5)	35 Years

(6)	**Essential qualifications**: (i) Master's degree in any discipline from a recognized university with 55% of the marks or grade B in the University Grant Commission seven-point scale or its equivalent along with a good academic record, as laid down by University Grant Commission. (ii) Eight years of experience of administrative practices, human resource management, statutory functions and academic activities of Universities or Research and Development institutions or academic institutes in level 7 (Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix. **Desirable qualification and experience:** (i)Five years of experience of handling Legal Matters or Exam or Finance and Information Technology applications in administrative matters.
(7)	Age: No. Educational Qualification: Yes
(8)	One year.
(9)	(i) 50% by promotion, failing which by deputation. (ii) 50% by direct recruitment.
(10)	**Promotion:** From amongst – (i) Section Officers in level Level 7 (Rs. 44,900-1,42,400) with five years of regular service and possessing qualifications as prescribed in column (5). (ii) Private Secretaries in level Level 7 (Rs. 44,900-1,42,400) with five years regular service and possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). The promotion shall be made on recommendation of the Departmental Promotion Committee on the basis of merit cum seniority of the feeding categories. Note. – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for Promotion, their seniors shall also be considered provided there are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Individuals at analogous posts or with 5 years' regular service in the pay level-7 (Rs. 44,900-1,42,400) in any Central Government or State Government. Department or Government Organization and possessing qualifications as mentioned in column (6). Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note 3. – The Departmental Officers in the Feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Vice Chancellor — Chairperson; 2. Registrar — Member; 3. Dean of School or Head of the Section concerned — Member; 4. One member of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor — Member; 5. Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor — Member; 6. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post

	belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories. Member; 7. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation. Member; **The departmental promotion committee consisting of –** 1. Vice Chancellor -Chairperson; 2. Registrar -Member; 3. Dean of the School or Head of the Section concerned -Member; 4. Two members of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor -Members; and 5. Two persons not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor, one of whom is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories -Members.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**12.Assistant Librarian**
(2)	02 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500)
(4)	Not applicable.
(5)	35 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) A Master's Degree in Library Science or Information Science or Documentation Science degree from a recognized university with 55% marks (or equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and a consistently good academic record with knowledge of computerisation of library. (ii) Qualified in the national level test conducted for the purpose by the University Grant Commission or any other agency approved by the University Grant Commission. (iii) Candidates, who are, or have been awarded Doctor of Philosophy degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Doctor of Philosophy degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of national eligibility test or state level eligibility test or state eligibility test for recruitment. (iv) Five years of experience in library service in level 7 (Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix in any Central or State Government. Department or Government Organization or any recoganised University or college. **Desirable qualification:** Post Graduate Diploma in Library Automation and Networking or Post Graduate Diploma in Computer Application or equivalent from a recognized university or institution.
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Individuals at analogous posts or with three years' regular service in the pay level-7(Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix in any Central or State Government. Department or Government Organization and

	possessing qualifications and experience as mentioned in column (6). Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of application.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Vice Chancellor Chairperson; 2. Registrar Member; 3. Dean of School or Head of the Section concerned Member; 4. One member of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor Member; 5. Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor Member; 6. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories. Member; 7. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation. Member;
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**13.Law Officer**
(2)	01 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500)
(4)	Not applicable.
(5)	35 Years
(6)	**Essential qualifications**: i. Bachelor's degree in Law with Master's degree in Law with 55% of the marks or grade B in the University Grant Commission seven-point scale or from recognized University. ii. Experience: five years' experience in level 7 (Rs. 44,900-1,42,400) in pay matrix in legal work, which shall include defending court cases, being conversant with legal procedures etc. in Universities or Research and Development institutions or academic institutes.
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Individuals holding at analogous posts or with three years' regular service in the level-7 (Rs. 44,900-1,42,400) in any Central Government or State Government Department or Government Organization and possessing qualifications and experience as mentioned in column (6) Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Vice Chancellor — Chairperson; 2. Registrar — Member; 3. Dean of School or Head of the Section concerned — Member; 4. One member of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor — Member; 5. Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor — Member; 6. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories. — Member; 7. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation. — Member;
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**14.Public Relations Officer**
(2)	01 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500)
(4)	Not applicable.
(5)	35 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Master's degree in Mass Communication and Journalism from a recognized University or Institution. or Master's degree in any discipline and Post Graduate Diploma in Mass Communication and Journalism from a recognized university or institution. (ii) 5 years' experience as editor or sub-editor or deputy editor or correspondent or Assistant Public Relations Officer in a recognized National level Media Organisation or in an equivalent post in University or Research and Development institutions or academic institutes. **Desirable qualification and experience. —** (i)Five years of experience in the news desk or editorial Department of any established English or Hindi Newspapers accredited with National News Agencies, Radio or Television, Film media, advertising agencies (ii) Knowledge of two or more Indian Languages with proficiency in English and Hindi with good working knowledge of computer applications.
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Individuals at analogous posts or with three years' regular service in the level-7 (Rs. 44,900-1,42,400) in any Central Government or State Government Department or Government Organization and possessing qualifications and experience as mentioned in column (6). Note. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2.– The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Vice Chancellor — Chairperson; 2. Registrar — Member; 3. Dean of School or Head of the Section concerned — Member; 4. One member of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor — Member; 5. Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor — Member; 6. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories — Member; 7. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation. — Member;
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**15.Hindi Officer**
(2)	01 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500)
(4)	Not applicable.
(5)	35 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Post Graduate with 55% marks in Hindi from a recognized University, with English as one of the subjects at graduation level. or Master's degree of a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level. or Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with Hindi and English as subject at the degree level. or Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level. or Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level. (ii) Three years of experience in translation from English to Hindi and vice-versa for technical or scientific literature work or Hindi research work or journalism in Central or State Governments or Public Sector Undertakings or Universities or Research and Development institutions or academic institutes. **Desirable qualification. —** (i) Possess an aptitude or knowledge or skill for drafting and noting in Hindi. (ii) Knowledge of MS Office and computer applications.
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment, failing which by deputation.

(10)	**Deputation:** Individuals at analogous posts or with three years' regular service in the level-7 (Rs. 44,900-1,42,400) in any Central Government or State Government Department or Government Organization and possessing qualifications and experience as mentioned in column (6). Note. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of application.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Vice Chancellor Chairperson; 2. Registrar Member; 3. Dean of School or Head of the Section concerned Member; 4. One member of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor Member; 5. Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor Member; 6. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories. Member; 7. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation. Member;
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**16.System Analyst**
(2)	02 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500)
(4)	Not applicable.
(5)	35 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Master's Degree in Electronic Engineering or Computer Engineering from a recognized University or Institute with minimum 55% marks. or Master of Science with Post Graduate Diploma in Computer Applications from a recognized University or Institute with minimum 55% marks. or Master of Computer Applications from recognized University or Institute with minimum 55% marks. (ii)Programmer or equivalent position in Central Government or State Government Institutes or Universities or Research and Development institutions or academic institutes in Level 7 (Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix with Three years of regular service. **Desirable qualification and experience:** Five years of experience in Computer software and office automation or e-governance or Enterprise Resource Planning (Enterprise Resource Planning) software or Networking.
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Individuals at analogous posts or with three years' regular service in the level-7 (Rs. 44,900-

	1,42,400) in any Central Government or State Government Department or Government Organization and possessing qualifications and experience as mentioned in column (6). Note. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Vice Chancellor — Chairperson; 2. Registrar — Member; 3. Dean of School or Head of the Section concerned — Member; 4. One member of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor — Member; 5. Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor — Member; 6. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories. — Member; 7. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation. — Member;
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**17.Medical Officer**
(2)	02 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500)
(4)	Not applicable.
(5)	35 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery from a recognized university or institute registered with the Medical Council of India. (ii) Five years' experience as General Duty Officer in a residential teaching institution or a hospital of repute or Universities or Research and Development institutions or academic institutes or educational institutions. **Desirable qualification. —** Candidates with degree in Master of Surgery or Doctor of Medicine. will be preferred.
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Doctors with five years' regular service in level 9 (Rs. 53,100-1,67,800) in any Government Hospitals or Public Sector Undertakings or Government organization and possessing qualifications and experience as mentioned in column (6). Note. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Vice Chancellor — Chairperson; 2. Registrar — Member; 3. Dean of School or Head of the Section concerned — Member; 4. One member of the Executive Council, nominated by the Vice Chancellor — Member; 5. Two experts not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor — Member; 6. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories. — Member; 7. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation. — Member;
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**18.Programmer**
(2)	04 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-7 (Rs. 44,900-1,42,400)
(4)	Not applicable.
(5)	30 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Bachelor's Degree in Electronic Engineering or Computer Engineering from recognized University or Institute with 55% marks with five years' experience in computing. or Master of Science with Post Graduate Diploma in Computer Applications from recognized University or Institute with 55% marks with seven years' experience in computing. or Master of Computer Applications from recognized University or Institute with 55% marks with seven years' experience in computing. (ii) Five years' experience as Senior Technical Assistant (Computer) in equivalent position in level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) in pay matrix in Central Government or State Government Institutes or Organisations.
(7)	Age: No. Educational Qualification: Yes.
(8)	One year.
(9)	(i) 25% by direct recruitment. (ii) 75% by promotion, failing which by deputation.
(10)	**Promotion:** Senior Technical Assistant (Computer) in the pay level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix with five years of regular service. The promotion shall be made on the recommendation of the Departmental Promotion Committee on the basis of merit cum seniority. Note. – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for Promotion, their seniors shall also be considered provided there are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

	Deputation: Persons holding analogous post on regular basis or with five years' regular service as Senior Technical Assistant (Computer) in pay level 6 (Rs. 35,400 112400) or equivalent in the Central Government or State Governments, Universities or autonomous organizations and possessing the qualifications as prescribed for direct recruits under column (6). Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note 3. – The Departmental Officers in the Feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Registrar - Chairperson 2. Deputy Registrar - Member 3. One member of the Executive Council nominated by the Vice Chancellor - Member 4. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories - Member **The departmental promotion committee consisting of –** 1. Registrar - Chairperson; 2. Dean of School or Head of the Section concerned -Member; 3. Deputy Registrar -Member; and 4. Two persons not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor, one of whom is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories -Members.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**19.Estate Officer**
(2)	01 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level 7 (Rs. 44,900-1,42,400)
(4)	Not applicable.
(5)	30 Years
(6)	**Essential qualifications:** (i) Bachelor's degree with at least 50% marks from a recognized University or Institute. (ii) Eleven years of experience as Assistant Estate Officer or Superintendent or equivalent in the level-5 (29,200-92,300) in any Central Government or State organization or University institute funded by the Government or Public Sector Undertakings or Educational Organisation recognized by the State Government or Central Government. (iii) Working knowledge of computer applications.

	Desirable qualification and experience: (i) Master's degree from recognized University or Institute. (ii) Three years of experience in handling of labour with relation to landscaping, laboratories, repairs, security etc. (iii) Proficiency in local language (speaking, reading and writing).
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Individuals at analogous posts in Level 7 (Rs. 44,900-1,42,400) in any Central Government or State Government department or education institutions or organisation and possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –**

1.	Registrar	- Chairperson
2.	Deputy Registrar	- Member
3.	One member of the Executive Council nominated by the Vice Chancellor	- Member
4.	One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories	- Member
5.	One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation	- Member

(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**20.Section Officer**
(2)	06 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level 7 (Rs. 44,900-1,42,400)
(4)	Selection in case of promotion and not applicable in case of direct recruitment.
(5)	30 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Bachelor's Degree with at least 55% of the marks or grade B in the University Grant Commission seven-point scale or its equivalent, from a recognized University or Institution. or Bachelor's Degree in Law from a recognized University or Institution. (ii) Five years' experience in Administration or Accounts or Secretarial work as Assistant at Central or State Governments or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies or Defense Organisation in level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) or equivalent in Organisations of repute or Universities or Research and Development institutions or Academic Institutes. or

<table>
<tr><td></td><td>Upper Division clerk in the level-5 (Rs. 29,200-92,300) or equivalent in the Central or State Governments or Universities or autonomous organizations or Public Sector Undertakings or Defense Organisations or Organisations of repute or Universities or Research and Development institutions or Academic Institutes with eight years of regular service.

Desirable qualification:
(i) Knowledge of drafting and noting, handling functions related to general administration or housekeeping or purchase or service matters or office management or establishment or accounts and finance or human resource legal in a computerized environment.
(ii) Knowledge of MS Office and Hindi.</td></tr>
<tr><td>(7)</td><td>Age: No.
Educational Qualification: Yes.</td></tr>
<tr><td>(8)</td><td>One year.</td></tr>
<tr><td>(9)</td><td>(i) 50% by promotion, failing which by deputation.

(ii) 50% by direct recruitment.</td></tr>
<tr><td>(10)</td><td><u>Promotion:</u>
Assistants in pay level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) in pay matrix with five years of regular service.
The promotion shall be made on recommendation of the Departmental Promotion Committee on the basis of merit cum seniority of the feeding categories.
Note. — Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for Promotion, their seniors shall also be considered provided there are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
<u>Deputation:</u>
Individuals at analogous posts or with five years' regular service in the level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) in pay matrix in any Central Government or State Government department or education institutions or organisation and possessing qualifications and experience as prescribed in column (6).
Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
Note 3. – The Departmental Officers in the Feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</td></tr>
<tr><td>(11)</td><td>The selection/confirmation committee consisting of –

<table>
<tr><td>1.</td><td>Registrar</td><td>- Chairperson</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Deputy Registrar</td><td>- Member</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>One member of the Executive Council nominated by the Vice Chancellor</td><td>- Member</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories</td><td>- Member</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation</td><td>- Member</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	The departmental promotion committee consisting of – 1. Registrar -Chairperson; 2. Dean of School or Head of the Section concerned -Member; 3. Deputy Registrar -Member; and 4. Two persons not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor, one of whom is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories -Members.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**21.Private Secretary**
(2)	10 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-7 (Rs. 44,900-1,42,400)
(4)	Not applicable.
(5)	30 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Bachelor's degree from a recognized University or Institution along with proficiency in English and knowledge of computer application. (ii) English typing speed 40 words-per-minute and proficiency in computer operations. (iii) English shorthand- junior grade (80 words-per-minute). (iv) Personal Assistant in level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent with five years of regular service or Stenographer in the level-5 (Rs. 29,200-92,300) or equivalent in the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings or Universities or autonomous organizations or Organisations of repute or Educational Institutions or Research and Development Institutions or Academic Institutions with eight years of regular service. **Desirable qualification and experience:** Knowledge of Hindi Typing or shorthand.
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Individuals at analogous posts in the level 7 (Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix in any Central Government or State Government department or education institutions or organisation and possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2– The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Registrar - Chairperson

	2.	Deputy Registrar	- Member
	3.	One member of the Executive Council nominated by the Vice Chancellor	- Member
	4.	One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories	- Member
	5.	One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation	- Member
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.		

(1)	**22.Security Officer**
(2)	01 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-7 (Rs. 44,900-1,42,400)
(4)	Not applicable.
(5)	30 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) A graduate or an equivalent qualification from a recognized University. (ii) Five years of regular service in police or para-military forces or armed forces of the Union and not below the rank of Sub-Inspector or Petty Officer from Indian Navy or Coast Guard or Havildar from the Indian Army or Sergeant in Indian Air Force. (ii) Holding a valid driving license to ride jeep or motorcycle. **Desirable qualification. —** (i) Completion of a course in firefighting from a recognized institute or unarmed combat course in Army or Para-Military force. (ii) Should be able to speak English and Hindi.
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Individuals from analogous posts or with five years' regular service in the level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in pay matrix in any Central Government or State Government department or education institutions or organisation and possessing qualifications as prescribed in column (6). Note 1– The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2– The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –**

1.	Registrar	- Chairperson
2.	Deputy Registrar	- Member
3.	One member of the Executive Council nominated by the Vice Chancellor	- Member
4.	One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories	- Member
5.	One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation	- Member

(1)	**23.Junior Engineer (Civil)**
(2)	02 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-7 (Rs. 44,900-1,42,400)
(4)	Not applicable.
(5)	35 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institution with at least three years of regular service in Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix in supervision of erection or maintenance of civil works in Private or Central or State Government organizations, projects or offices, Universities or autonomous organizations or Academic Institutions or Research and Development Institutions. or Three years' Diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institution with five years of regular service in supervision of erection or maintenance of civil works in in Private or Central or State Government organizations in Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in projects or offices, Universities or autonomous organizations or Academic Institutions or Research and Development Institutions. (ii) Good working knowledge of computer applications.
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Individuals at analogous posts or with 5 years' regular service in the Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix in any Central Government or State Government organizations or projects or offices and possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.

(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –**

1.	Registrar	- Chairperson
2.	Deputy Registrar	- Member
3.	One member of the Executive Council nominated by the Vice Chancellor	- Member
4.	One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories	- Member
5.	One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation	- Member

(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**24.Junior Engineer (Electrical)**
(2)	02
(3)	Level-7 (Rs. 44,900-1,42,400)
(4)	Not applicable.
(5)	35 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Bachelor's degree in Electrical Engineering from a recognized University or Institution with at least three years of regular service in supervision of erection or maintenance of Electrical Work in Central or State Government organizations in the Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in Universities or autonomous organizations or Academic Institutions or Research and Development Institutions. or Three years' Diploma in Electrical Engineering with at least five years of regular service in supervision of erection or maintenance of Electrical works in Central or State Government organizations in the Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix or equivalent in Universities or autonomous organizations or Academic Institutions or Research and Development Institutions. (ii) Good working knowledge of computer applications.
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment, failing which by deputation.
(10)	**Deputation:** Individuals at analogous posts or with five years' regular service in the Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix in any Central Government or State Government Department or Government Organization and possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). Note. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –**

1.	Registrar	- Chairperson
2.	Deputy Registrar	- Member
3.	One member of the Executive Council nominated by the Vice Chancellor	- Member
4.	One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories	- Member

			and if none of the other Members belong to these categories	
		5.	One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation	- Member
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.			

(1)	**25. Senior Technical Assistant (Computer)**
(2)	02 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level 6 (Rs. 35,400-1,24,400)
(4)	Not applicable.
(5)	30 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Science or Electronics and Communication Engineering or Information Technology from recognised University or Institute. or Master of Science in Computer Science from recognized University or Institute. or Master's in Computer Applications from recognized University or Institute. (ii) Six years of experience in Government or Public Sector Undertaking in Level-5 (Rs. 29,200-92,300) in the pay matrix. **Desirable experience:** Five years of experience in installation or operation or maintenance of computer systems or network systems or software.
(7)	Age: No. Educational Qualification: Yes.
(8)	One year.
(9)	(i) 50% by direct recruitment (ii) 50% by promotion, failing which by deputation.
(10)	**Promotion:** Technical Assistant (Computer) with six years of regular service in Level-5 (Rs. 29,200-92,300) in the pay matrix. Note. – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for Promotion, their senior shall also be considered provided there are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Holding analogous post in in any Central Government or State Government department or education institutions or organisation and possessing qualifications as prescribed in column (5). or Holding analogous post in Level-6 (Rs. 35,400-1,24,40) in the pay matrix with the qualifications and experience as prescribed in column (6).

	or Technical Assistant (Computer) with six years' regular service in the Level-5 (Rs. 29,200-92,300) in the pay matrix with the qualifications and experience as described in column (6). Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application. Note 3. – The Departmental Officers in the Feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Registrar - Chairperson 2. Deputy Registrar - Member 3. One member of the Executive Council nominated by the Vice Chancellor - Member 4. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories - Member 5. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation - Member **The departmental promotion committee consisting of –** 1. Registrar -Chairperson; 2. Dean of School or Head of the Section concerned -Member; 3. Deputy Registrar -Member; and 4. Two persons not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor, one of whom is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories -Members.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**26.Senior Technical Assistant**
(2)	01 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level 6 (Rs. 35,400-1,12,400)
(4)	Not applicable.
(5)	30 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Master of Science in relevant discipline with 55% of the marks or grade B in the University Grant Commission seven-point scale or its equivalent from a recognized University or Institute. (ii) Two years' experience in a recognized laboratory or (i) Bachelor of Science in relevant science subject with 55% or equivalent marks from a recognized University or Institute.

	(ii) Five years' experience in relevant recognized science laboratory **Desirable experience:** (i) Two years of experience in handling lab equipment and computers. (ii) Good command over English and Hindi.
(7)	Age: No. Educational Qualification: Yes.
(8)	One year.
(9)	(i) 50% by direct recruitment. (ii) 50% by promotion, failing which by deputation.
(10)	**Promotion:** Technical Assistant with six years of regular service in Level-5 (Rs. 29,200) in the pay matrix. Note. – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for Promotion, their seniors shall also be considered provided there are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Holding analogues post in Level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) in any Central Government or State Government department or education institutions or organisation and possessing qualifications and experience as prescribed in column (6). or Technical Assistant (Laboratory) with six years' regular service in the Level-5 (Rs. 29,200-92,300) in the pay matrix with qualifications and experience as prescribed in column (6). Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of application. Note 3. – The Departmental Officers in the Feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –**

1.	Registrar	- Chairperson
2.	Deputy Registrar	- Member
3.	One member of the Executive Council nominated by the Vice Chancellor	- Member
4.	One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories	- Member
5.	One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation	- Member

The departmental promotion committee consisting of –

1. Registrar -Chairperson;
2. Dean of School or Head of the Section concerned -Member;
3. Deputy Registrar -Member; and

	4. Two persons not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor, one of whom is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories -Members.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**27.Assistant**
(2)	10 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level 6 (Rs. 35,400-1,12,400)
(4)	Not applicable.
(5)	35 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Bachelor's degree from a recognized University or Institution. (ii) Upper Division Clerk or equivalent in the Central or State Governments, Universities or autonomous organizations or Academic Institutions or Research and Development Institutions in level 4 (Rs. 25,000-81,100) with five years of regular service. or (i) Lower Division Clerk or equivalent in the Central or State Governments, Universities or autonomous organizations or Academic Institutions or Research Development Institutions in Level 2 (Rs. 19,900-63,200) with eight years of regular service. (ii) Working knowledge of computer application and commonly used utility programmes and software.
(7)	Age: No. Educational Qualification: Yes.
(8)	One year.
(9)	(i) 50% by direct recruitment. (ii) 50% by promotion.
(10)	**Promotion:** Upper Division Clerk in the Level-4 (Rs. 25,500-81,100) in the pay matrix with eight years of regular service. Promotion shall be made on the recommendation of the Departmental Promotion Committee on the basis of merit cum seniority of the feeding categories. Note. – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for Promotion, their seniors shall also be considered provided there are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Holding analogous post in Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400) in the pay matrix with the qualifications and experience as prescribed in column (6). or Technical Assistant (Laboratory) with eight years' regular service in the Level-5 (Rs. 29,200-92,300) in the pay matrix with qualifications and experience and experience as prescribed in column (6).

	Note 1. – The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2. – The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. Note 3. – The Departmental Officers in the Feeder Category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Registrar - Chairperson 2. Deputy Registrar - Member 3. One member of the Executive Council nominated by the Vice Chancellor - Member 4. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories - Member 5. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation - Member **The departmental promotion committee consisting of –** 1. Registrar - Chairperson; 2. Dean of School or Head of the Section concerned -Member; 3. Deputy Registrar -Member; and 4. Two persons not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor, one of whom is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories -Members.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**28.Upper Division Clerk**
(2)	06 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-4 (Rs. 25,500-81,100)
(4)	Not applicable
(5)	30 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Bachelor's degree from a recognized University or Institution with 50% marks and good working knowledge of computer application. (ii) Lower Division Clerk or equivalent in Central Government or State Government organizations or offices, Universities or autonomous organizations or Organisations of repute or Educational Institutions or Research and Development Institutions in Level-2 (Rs. 19,900-63,200) in the pay matrix with eight years of regular service.
(7)	Age: No. Educational Qualification: Yes.
(8)	One year.
(9)	(i) 50% by direct recruitment.

	(ii) 50% by promotion.
(10)	**Promotion:** Lower Division Clerk in the Level-2 (Rs. 19,900-63,200) in the pay matrix with eight years of regular service. The promotion shall be made on the recommendation of the Departmental Promotion Committee on the basis of seniority of the feeding categories cum merit, subject to suitability and fitness. Note. – Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for Promotion, their seniors shall also be considered provided there are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Registrar - Chairperson 2. Deputy Registrar - Member 3. One member of the Executive Council nominated by the Vice Chancellor - Member 4. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories - Member 5. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation - Member **The departmental promotion committee consisting of –** 1. Registrar -Chairperson; 2. Dean of School or Head of the Section concerned -Member; 3. Deputy Registrar -Member; and 4. Two persons not in the service of the University, nominated by the Vice Chancellor, one of whom is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories -Members.
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**29.Library Assistant**
(2)	02 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level-3 (Rs. 21,700-69,100)
(4)	Not applicable.
(5)	30 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Bachelor of Library and Information Science or Library Science or equivalent from a recognized University. **Desirable qualifications:** (i) Working knowledge of computerization in library. (ii) English Typing speed of 30 words-per-minute.
(7)	Not applicable.

(8)	One year.
(9)	By direct recruitment Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officer of Central Government. (a) (i) holding analogues posts on regular basis, or (ii) with three-year regular service in post in level 1 (Rs18000-56900) in pay matrix, and (b) Possessing the qualification and experience prescribed for direct recruitment under Column (6).
(10)	Not applicable
(11)	**The selection/confirmation committee consisting of –** 1. Registrar - Chairperson 2. Deputy Registrar - Member 3. One member of the Executive Council nominated by the Vice Chancellor - Member 4. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories - Member 5. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation - Member
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	**30.Lower Division Clerk**
(2)	16 *(2020) * Subject to variation dependent on work load.
(3)	Level 2 (Rs. 19,900-63,200
(4)	Not applicable.
(5)	30 Years
(6)	**Essential qualifications**: (i) Graduation in any discipline from a recognized University or Institute with minimum 50% marks. (ii) English typing speed of 40 words-per-minute. (iii) Good working knowledge of computer applications. **Desirable qualification. —** Hindi typing speed of 25 words-per-minute shall be preferred.
(7)	Not applicable.
(8)	One year.
(9)	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officer of Central Government. a. (i) holding analogues posts on regular basis, or

	(ii) with three-year regular service in post in level 1 (Rs18000-56900) in pay matrix, and b. Possessing the qualification and experience prescribed for direct recruitment under Column (6).
(10)	Not applicable.
(11)	1. Registrar - Chairperson 2. Deputy Registrar - Member 3. One member of the Executive Council nominated by the Vice Chancellor - Member 4. One person nominated by the Vice Chancellor, who is a woman, a Scheduled Cast or Scheduled Tribe Category and one minority community member, in case any of the candidates appearing for the post belong to these categories and if none of the other Members belong to these categories - Member 5. One nominee of the Ministry of Civil Aviation, Government of India as nominated by the Ministry of Civil Aviation - Member
(12)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

ANNEXURE I

TIME SCHEDULE FOR PREPARATION / COMPLETION OF APAR

(Reporting year – Financial year)

Sl. No.	Activity	Date by which to be completed
1.	Distribution of blank APAR forms to all concerned (i.e., to officer to be reported upon where self-appraisal has to be given and to reporting officers where self-appraisalis not to be given).	31st March (This may be completed even a week earlier)
2.	Submission of self-appraisal to reporting officer by officer to be reported upon (where applicable).	15th April
3.	Submission of report by reporting officer to reviewing officer.	30th June
4.	Report to be completed by Reviewing Officer and to be sent to Administration or APAR or CR Section / Cell or accepting authority, wherever provided.	31st July
5.	Appraisal by accepting authority, wherever provided.	31st August
6.	a. Disclosure to the officer reported upon where there is no accepting authority. b. Disclosure to the officer reported upon where there is accepting authority.	1st September 15th September
7.	Receipt of representation, if any, on APAR	15 days from the date of receipt of communication
8.	Forwarding of representations to the competent authority – a. Where there is no accepting authority of APAR. b. Where there is accepting authority for APAR.	21st September 6th October

9.	Disposal of representation by the competent authority.	Within one month from the date of receipt of representation.
10.	Communication of the decision of the competent authority on the representation by the APAR Cell.	15th November
11.	End of entire APAR process, after which the APAR will be finally taken on record.	30th November

ANNEXURE II

AUTHORITIES COMPETENT TO SANCTION LEAVE

Employees of the University.—

Kind of leave	Authority competent to sanction leave
Earned leave, half pay leave, leave not due, extraordinary leave, maternity leave and special casual leave	An officer in Pay Level 11 or equivalent notified for the purpose - in respect of all group 'B' and 'C' employees Registrar- in respect of all Group 'A' officers (except Librarian / Finance Officer / Controller of Examination / Superintending Engineer) Vice Chancellor in respect of Registrar / Finance Officer / Controller of Examination / Librarian / Superintending Engineer)

ANNEXURE III

APPLICATION FOR LEAVE

(1) Name of applicant

(2) Post held

(3) Department / Office / Section

(4) Pay

(5) House Rent and other Compensatory Allowances drawn in the present post

(6) Nature and period of leave applied for and date from which required

(7) Saturday / Sundays and holidays, if any, proposed to be prefixed / suffixed to leave

(8) Grounds on which leave is applied for

(9) Date of return from last leave and the nature and period of that leave.

(10) Applicant proposes / do not proposes to avail of leave travel concession / home travel concession for the block year during the ensuing leave.

(11) Address during the leave period

Date:

Signature of Applicant

Remarks and recommendation(s) of the Controlling Officer –

Date:

Signature

Designation

ANNEXURE IV

REVIEW COMMITTEE

The composition of Review Committee for review of suspension is as under –

Employees of the University –

1. Vice-Chancellor.
2. One 'Officer' of the University ('Officers' as declared in Section 10 of Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013).
3. Registrar.

ANNEXURE V

COURSES AND FEE STRUCTURE

1. Bachelor of Management Studies in Aviation Services and Air Cargo (Course Duration: 36 Months)

(1) Admission Process fees: - Rs. 950/- for General/OBC category candidates and Rs. 475/- for SC/ST/PwD category candidates.

(2) Programme fees: - Rs.2,50,000/-

(3) Students Club Activities:- Rs.5000/- per year

(4) Deposits (Refundable): -Rs.10000/-

(5) Matriculation Certificate Verification Fee: Rs.2500/-

(6) Hostel, Mess, and Conveyance Charges :- Rs.1,12,000/- per year

(7) Premium of Composite Insurance Policy: -Rs.2,500/- (Only for third year)

(8) Apprenticeship Facilitation Fee: -Rs.4,000/- (Only for third year)

2. Post Graduate Diploma in Airport Operations (Course duration: 18 Months)

(1) Admission Process fees: - Rs. 950/- for General/OBC category candidates and Rs. 475/- for SC/ST/PwD category candidates.

(2) Programme fees: Rs.3,30,470.

(3) Deposits (Refundable)

a. Caution Money (Academics): Rs.5,000/-

b. Caution Money (Hostel):- Rs.5,000/-

(4) Verification of Certificate: Rs.2500/-(Non-Refundable)

(5) Mess, Hostel and Conveyance:-Rs.1,12,000/-.

3. Basic Fire Fighter Course (Certificate Course) (Course Duration: 06 Months)

(1) Programme fees: - Rs. 1,25,000/-

(2) Hostel Fees: Rs.21,000/-

(3) Student Kit: Rs.18,000/-

(4) Mess Charges: Rs. 28,000/-

(5) Conveyance: Rs.5,000/-

(6) Student Notes: Rs.1500/-

(7) First Aid Certification: Rs.1500/-

4. Fee chargeable non-resident of Indian or foreign nationals category:-

(1) Students admitted under the non-resident of India (NRI) category shall be required to pay a sum of US$ 5000 (or equivalent sum in Indian Rupees) per semester in addition to the normal fees as applicable to the programme of study to which the students admitted.

(2) Students admitted under the Foreign Nationals category shall be required to pay a sum of US$ 6000 (or equivalent sum in Indian Rupees) per semester in addition to the normal fees as applicable to the programme of study to which the students admitted.

AMBER DUBEY, Vice Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./213/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.